राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खण्ड १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ७६ वां दिवस [संख्या ३८

बृहस्पतिवार, दिनांक २० जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, गृह विद्युत, सामान्य प्रशासन, राजस्व, उद्योग, श्रम, खनिज, उपनिवेशन व चिकित्सा विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

अजमेर तहसील के ग्रामों में मिशन संस्थाओं द्वारा अकाल राहत कार्य

१२७. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह बात सही है कि अजमेर तहसील के साडपुरा, पर्वतपुरा, मनकलीखेड़ा, और केसरपुरा गांवों में मिशन संस्थाएं चल रही हैं ?

(२) क्या यह बात सही है कि इन संस्थाओं द्वारा अकाल सहायता कार्य चलाये जा रहे हैं जहां प्रति मर्द को ३ किलो गेहूं

प्रति महिला को २॥ किलो गेहूं प्रति दिन मजदूरी के दिये जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार को क्या यह जानकारी है कि गरीब ग्रामीण जनता में इससे धर्म परिवर्तन और अराष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिल रहा है ?

(३) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त प्रत्येक मिशन संस्थाओं के पास करीब १० किलो की हजारों बोरी गेहूं और अन्य खाद्यान्न चावल, दूध और तेल आया जिनके भण्डार अब भी उनके पास विद्यमान हैं ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री ब्रजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। काश्तकारों की व्यक्तिगत जमीनों पर ये कार्य कराये जाते हैं। वहां आदमी को ढाई किलो और औरत को पौने दो किलो गेहूं रोज मजदूरी के एवज दिया जाता है। खुदाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु आधा किलो गेहूं प्रतिदिन दिया जाता है। ग्रामीण जनता में इससे धर्म परिवर्तन और अराष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिल रहा है इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(३) इस जिले में कार्य कर रही मिशन

Page No. 2

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

संस्थाओं को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपहार स्वरूप सीधी अमेरिका से प्राप्त होती है।

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार को पता है कि जहां-जहां मिशनरी काम करते हैं वहां लोगों में गरीबी व्याप्त है और अकाल है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री फतेहसिंह : तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि वहां वह स्वयं राहत कार्य चलाए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : किसी भी वालन्टरी एजेन्सी को मना किस प्रकार किया जा सकता है ।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सरकार उचित नहीं समझती कि वहां राहत कार्य सरकार की तरफ से चलाये जावें ? और क्या सरकार आदमियों को १ रुपया दो आना और स्त्रियों को चौदह आना मात्र मजदूरी देना वाजिब समझती है और क्या यह भी वाजिब समझती है कि दूसरी संस्थाएं इसके मुकाबले में ऊंची मजदूरी दे रही हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई प्राइवेट तरीके से काम कराते हैं तो ऊंची मजदूरी देते हैं।

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार ऐसा नहीं मानती कि इस तरह से यह डुएल गवर्नमेन्ट की तौर पर काम हो रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें डुएल गवर्नमेन्ट का प्रश्न नहीं आता। अपने खेतों पर काम कराएं तो मरजी से करवाते हैं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सरकार को यह इल्म है कि अजमेर जिले के गांवों में इन गांवों में दुष्काल है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री फतेहसिंह : क्या यह जानकारी नहीं है सरकार को कि मिशनरियों के आसपास के गांवों के कई व्यक्तियों ने उनके प्रलोभन में आकर धर्म का परिवर्तन किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई ?

श्री विजयसिंह रावत : क्या सरकार को मालूम नहीं है कि जब बजट सत्र में बजट पर बहस चल रही थी तो उसके दौरान इस तरह की सूचना सरकार को दी गई थी। तब से अब तक न गृहमन्त्री ने जानकारी की और न आपने जानकारी की है ऐसा लगता है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके बाद भी कोई ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई कि अमुक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया गया है।

श्री विजय सिंह रावत : मैंने प्रश्न पूछा था तो गृहमन्त्री ने जवाब दिया था कि सूचना प्राप्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है यह।

श्री विजय सिंह रावत : यह इसी से सम्बन्ध रखने वाला है अध्यक्ष महोदय । और सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मिशनरियों का हजारों रुपयों का बांटना गांवों में जारी है, क्या इससे आप नहीं समझ सकते कि उनका इरादा क्या है ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : ये मिशनरीज कहां से अनाज लाते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सीधा अमेरिका से गिफ्ट के रूप में उनके पास आता है ।

श्री दौलतराम सारण : यह अनाज वितरण करने का मिशनरीज का मकसद क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या एम है मेरे को पता नहीं । मेरे पास सूचना नहीं । पर बाह्य रूप से ये मिशनरी संस्थाएं जो काम करवा रही हैं लोगों की मदद देने की दृष्टि से करवा रही हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि कोई भी विदेशी मिशनरी संस्था डाइरेक्ट फोरिन से गिफ्ट मंगाकर वर्ग विशेष में बिना सरकारी आज्ञा और डाइरेक्शन के वितरित नहीं कर सकती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गिफ्ट तो उन्हीं को आता है जिनको उनका राष्ट्र भेजता है. हम गिफ्ट के लिए मना कैसे कर सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दुस्तान की कोई भी राज्य सरकार सीधी विदेशी सरकार से नहीं मंगा सकती बिना सेन्टर की परमिशन के, तो जब राज्य सरकार को भी सीधा इम्पोर्ट करने का अधिकार नहीं है जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले केरल सरकार ने भी सीधे ही विदेशों से अनाज मंगाने की बात कही तो केन्द्र ने यही कहा कि स्टेट गवर्नमेंट सीधे ही विदेशों से सम्पर्क करे यह सेन्टर बर्दाश्त नहीं कर सकती । तो फिर विदेशियों को इन्स्टीगेशन पर उनकी मदद पर हजारों लाखों का अनाज मंगाकर गरीबों को प्रलोभन दें और फिर धर्म परिवर्तन करें इस चीज के बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

श्री फतेहसिंह : इस तरह से विदेशों से मंगाने की मिशनरी वगैरह विदेशी लोगों को इजाजत दें जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ रही हो तो इस पर विचार करना चाहिये सरकार को ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो भारत सरकार को इल्म है इसका और भारत सरकार के इल्म से ही यहां आ रहा है और गिफ्ट के रूप में । हम भी तो विदेशों को भेजते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इन ईसाई मिशनरियों का ताल्लुक सी. आई. ए. से भी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका जवाब तो होम मिनिस्टर ही दे सकता है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सेकूलर स्टेट है, यह मैं मानता हूं, पर इसके बावजूद भी क्या मैं यह जान सकता हूं कि यहां पर जो गेहूं या

Page No. 4

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चावल और और और चीजें ये जो मिशनरी बांटते हैं या अमेरिका से आती हैं यह सरकार की पूर्व जानकारी से आती हैं या बिना जानकारी से ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार की जानकारी में है गिफ्ट आती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार फिर यह महसूस नहीं करती है कि मशीनरी के द्वारा उस गिफ्ट का नहीं देकर पंचायत समिति या कलेक्टर के द्वारा या ऐसी एजेन्सी के द्वारा जो उनके मार्फत हो उसे वितरित कराया जाय ताकि देहाती क्षेत्रों में जो मजदूरी सरकार द्वारा दी जाती है उसमें और इसमें फर्क न हो । इससे इस डिसपैरिटी को खतम किया जाकर धर्म परिवर्तन की सम्भावना की रोक थाम की जा सके।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : धर्म परिवर्तन हो रहा है यह सूचना तो है नहीं । गिफ्ट देने का जहां तक ताल्लुक है कोई भी अपने देश से मंगा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पर बनता तो आपकी है, वह तो सीधी विदेशों से नहीं मंगाती, उसको जब मिशनरियों द्वारा दिया जाता है वह गिफ्ट तो उसे बिना सरकारी मशीनरी के माध्यम के नहीं बांटा जाना चाहिये क्या सरकार इसे उचित नहीं समझती ताकि धर्म परिवर्तन करने का सीधा प्रलोभन देने की गुंजाइश न रहे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह अमेरिका की एजेन्सी है जिनके पास गिफ्ट के तौर पर वे भेज सकती हैं और यह हो सकता है भारत सरकार की सूचना से ।

श्री विजयसिंह रावत : गरीब जो मजदूर लोग गांवों में दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं, मजबूर हैं क्या इस तरह से वे सभी ईसाई बन जावें ? आप क्या यही चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी बात होगी तो कार्यवाही की जाती ।

श्री भगवानदास शास्त्री(अजमेर पश्चिमी) : धर्म परिवर्तन में फिर देर क्या लगेगी । बड़ी मुश्किल से अजमेर में ऋषि दयानन्द ने आर्य समाज में शुद्धियां करके हिन्दू धर्म की स्थापना को आज फिर इस तरह से देश बरबाद होने जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह उचित नहीं समझती सरकार कि भारत सरकार से कहकर जो भी फोरिन मिशनरी यहां गिफ्ट की चीजें मंगाए उसका सारे का सरकार के माध्यम से ही वितरण किया जावे । ऐसा किया भी है भारत सरकार ने ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ठीक है रेगुलेट करने के लिए अपने आदमी ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिये जावें ।

(विराम के अनन्तर)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका उत्तर मिलना चाहिये अध्यक्ष महोदय ।

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक अखबार जिसकी प्रति मुझे मिली है उसमें

(श्री फतेहसिंह)

एक समाचार इस बारे में निकला है वह मैं सदन की जानकारी के लिए बता दूं।

श्री अध्यक्ष : अखबार कौनसा है ?

श्री फतेहसिंह : वीर रावत।

जिसका सम्पादक एक एम.ए है। सम्पादक ने लिखा है। एक जबरदस्त खतरा।

भोली भाली ग्रामीण जनता सफेदपोश ईसाई मिशनरियों की राष्ट्र एवं धर्म विरोधी हरकतों से सावधान रहे।

अजमेर मेरवाड़ा को ईसाई स्थान बनाने की योजना तो नहीं। फिर आगे लिख रहा है कि:—

अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान का हृदयस्थल है। इसी को केन्द्र मानकर इनका उद्देश्य मकड़ो की तरह धीरे धीरे चारों ओर संस्थाओं का, स्कूलों का, अस्पतालों का, गिरजाघरों का, दाईखानों का जाल फैला कर इस पूरे क्षेत्र को शिकंजे में कसना है, फंसाना है। स्वयं अजमेर नगर में इनकी स्कूलें, अस्पताल आदि कई संस्थाएं हैं। नसीराबाद ब्यावर में भी एक एक हाई स्कूल है। इसके अलावा अजमेर के चारों ओर पर्वतपुरा, लाडपुरा, गुधारडी, नसीराबाद के पास, भवानी खेड़ा सराधना के पास, केशरपुरा ब्यावर के पास नरबदखेड़ा आदि में इन्होंने अपनी संस्थाएं धन के बल पर कायम कर खड़े जमा ली हैं। उधर अन्य कई गांवों में भी स्कूल खोलने के प्रयास इन्होंने किये थे।

टाटगढ़ अजीतगढ़ (भीम के पास) बमढ, फुलाद आदि में भी पांव जमाने का प्रबल कर रहे हैं। ब्यावर के पास के कई गांवों में तथा नूनरी, अमर बाबड़ी, नरबद खेड़ा आदि कई गांवों में भोले भाले किसानों का धर्म भ्रष्ट करने में ये तत्व सक्रिय हैं।

श्री अध्यक्ष : इतना ही पर्याप्त होगा।

श्री फतेहसिंह : कभी अकाल राहत कार्य के नाम पर अधिक मजदूरी देकर ईसाई पादरियों मिशनरियों ने लोगों की गरीबी, मजबूरी का लाभ उठाकर सेवा के नाम पर लोभ लालच देकर उन्हें खरीद लिया और उनमें देश प्रेम के विरुद्ध भावनाएं भर कर आज उन तत्वों को उभारा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री फतेहसिंह : यदि इनको सेवा ही करनी थी तो इनको अपने देश में क्या कमी है ? क्या वहां अपंग अपाहिजों की सेवा नहीं कर सकते थे। क्या सेवा का इनको यही स्थान मिला है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये। पर्याप्त है।

श्री फतेहसिंह : राहत सहायता के नाम पर....

श्री अध्यक्ष : Generally papers are not cited, प्रश्न पूछिये।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि राहत कार्यों के नाम पर वहां मिशनरी संस्थाओं ने धर्म परिवर्तन की चेष्टा की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जानकारी कराने की माननीय गृह मन्त्रीजी ने पहले ही कह दिया था।

श्री फतेहसिंह : जांच करायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उस दिन जांच कराने के लिये माननीय गृह मन्त्रीजी ने भी कह दिया था।

Page No. 6

श्री भगवानदास शास्त्री : गवर्नमेन्ट की ओर से मिशनरियों को कौन-कौन सी सुविधायें हैं? एड वगैरा देते रहते हैं वह कृपा कर बतायें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां धार्मिक संस्थाओं के द्वारा अपने-अपने धर्म का प्रचार किया जाता है। हिन्दू को क्रिश्चिन बनाने की कोशिश करे, क्रिश्चियन को हिन्दू बनाने का प्रयत्न करे वह केवल हमारी देशी पद्धति पर ही करे तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है लेकिन यहां पर विदेशी मिशनरी आकर इस प्रकार लोगों का धर्म परिवर्तन करे जो कि एक राजनैतिक आधार ही है....

श्री अध्यक्ष : वह समझ में आ गया है, प्रश्न कर दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में सरकार जागरूक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरीसिंह।

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा हवाई जहाज से यात्रा

१२८. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत पांच वर्षों में मन्त्री मण्डल के सदस्यों ने हवाई जहाज से कहां-कहां तक कितनी-कितनी बार सफर किया है ?

(२) ये सफर मोटर या रेल से क्यों नहीं किये गये थे ?

(३) हवाई जहाज से सफर करने में कुल कितना व्यय उक्त अवधि में हुआ ?

(४) अन्य साधनों से यात्रा करने से कितनी बचत होती ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री अपनी अगली टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री केसरी सिंह : कब तक ?

श्री राम किशन : इसमें क्या दिक्कत थी ? बहुत कम जाते हैं हवाई जहाज में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील सांचोर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कातिलाना हमला

१२९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि दरमियान गत ग्राम चुनाव तारीख १.२.६७ को तहसील सांचोर में कुछ शख्सों द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को जान से मारने के लिये कातिलाना हमला किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उस बारे में पुलिस थाना सांचोर में ३०७ आई.पी.सी. का मुकदमा दर्ज किया गया था ? अगर हां, तो उस मुकदमे में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? पुलिस तफतीस में देर क्यों की जा रही है ?

(२) उपरोक्त संगीन जुर्म में मुलजिमान का चालान अदालत में कब तक पेश करा दिया जावेगा ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, इस सम्बन्ध में मु० नं० १० दिनांक १०.२.६७ व जुर्म जेर दफा ३०७

Page No. 7

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तां. हि. थाना सांचोर पर कायम किया गया और तफतीस की जाकर वकवे पर जो मिला वह सामान वजह सबूत में लिया जाकर जांच हेतु डाईरेक्टर फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी कलकत्ता को भेजा गया। अब डाईरेक्टर कलकत्ता की रिपोर्ट की प्रतीक्षामें नतीजा मुकदमा रुका हुआ है।

(२) तफ़तीश समाप्त होने पर ही चालान विधिवत पेश हो सकेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, तारीख ६ का किस्सा है। चार दिन पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस. पी. को दरख्वास्त दी थी और साफ कहा था कि असामाजिक तत्व जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं। उसके पांच दिन बाद ही यह किस्सा हुआ। एक सरपंच को लगी। कातिलाना हमला किया। एलानिया कहने के बावजूद भी पुलिस की गफलत होती है तो आयन्दा ऐसी ही अनहोनी घटना हो सकती है। ऐसे मामलों में गम्भीरता से छानबीन करके जो दोषी हो उनको सजा देनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस गफलत के लिये सरकार वहा के डी. वाई. एस. पी. को सस्पेन्ड करने के लिये विचार करेगी? माननीय सदस्य ने कहा कि कातिलाना हमला किया गया और गफलत पुलिस की ओर से की गई तो क्या वहां के डी. वाई. एस. पी. को सरकार सस्पेन्ड करने का विचार करेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : गफलत की बात मेरे नोटिस में अभी आयी है मैं कह नहीं सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य ने कहा है....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने अभी कहा है। चालान तो जैसा मैंने कहा डाइरेक्टर फोरन्सिक साइन्स लेबोरेटरी का रिजल्ट आवेगा तब करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गफलत हो, कांग्रेस कार्यकर्ता पर कातिलाना हमला हो, और कांग्रेस गवर्नमेन्ट हो, गृह मन्त्री जी को इस पर त्याग पत्र देने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि घटना चुनाव के समय की है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने स्वयम् ने कहा कि ६ तारीख की घटना है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो मुकदमा रजिस्टर हुआ है चुनाव प्रचार के लिये जीप जा रही थी उस वक्त इस प्रकार की घटना होना बताया जाता है तो क्या उस घटना को बनाया तो नहीं गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूपा राम, धन्या राम आदि आम चुनाव प्रचार के समय जीप से रात को ६ बजे जा रहे थे। फुर्ती के साथ मुलिजमान जिनके आठ-दस के नाम दिये गये हैं, हाथ में बन्दूक लेकर आये। गाड़ी को रोका। मुलजिमान मारो मारो करते रहे। बन्दूकें चलाई। अन्धेरे में गाड़ी के पीछे छिप गये। हरचन्द गाड़ी में

Page No. 8

(श्री दामोदरलाल व्यास)

छिपा रहा जिसको मामूली चोट आयी। हेमराज और गंगाराम को जान से मारने की गरज से यह किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य ने कह दिया कि इस तरह से बनाया गया है। उनको सोच समझ कर कहना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सोच समझ कर ही कहता हूं। सांचोर के सम्बन्ध में प्रश्न आते हैं तो केवल पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन को लेकर आते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। कार्यकर्त्ताओं का सवाल है। आप जाकर जांच कर सकते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप उनको दबाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मामूली मामला नहीं है। इस प्रश्न का सवाल पूछा जाय इसमें आपका इन्ट्रेस्ट हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : (दो तीन माननीय सदस्यों के लगातार साथ बोलने पर) ऑर्डर, ऑर्डर (तीव्र स्वर में)।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपका ...

(श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री भगवानदास शास्त्री श्री गिरधारीलाल व्यास द्वारा एक साथ बोलने पर अश्रव्य),

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर मुकदमा करें....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ध्यान ग्रहण करें। मैं जानना चाहता हूं कि मुल्जिमान हिरासत में हैं या जमानत पर हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी पत्र किया मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं कि मुल्जिमान हिरासत में लिये गये या नहीं। मुकदमा इसलिये अटका हुआ है कि फोरेन्सिक रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री महेन्द्रसिंह!

इन्द्रगढ़ में अकाल के कारण चारे का अभाव

१२०. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले को नायब तहसील इन्द्रगढ़ के वर्षा के अभाव कारण अकाल घोषित किया गया है?

(२) क्या यह भी सही है कि इस इलाके में मवेशियों के लिये चारे की भयंकर कमी है?

(३) क्या यह सही है कि चारे के अभाव में वहां के ग्रामीणों के लिये मवेशी बचाना मुश्किल हो रहा है?

(४) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा मवेशी पालन हेतु चारे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है?

(श्री महेन्द्रसिंह)

(१) क्या यह सही है कि वहां पर चारे की कोई व्यवस्था न होने के कारण कई मवेशियों की क्षति हो चुकी है ?

उपमंत्री, अकाल सहायता (गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां।

(२) इस इलाके में मवेशियों के लिये चारे की मामूली कमी अनुभव की गई थी।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। सरकार द्वारा चारे की व्यवस्था हेतु वन विभाग से आधीन इन्द्रगढ के पास एक १७०० एकड़ का क्लोजर बना रखा है, जहां से कीमत पर घास उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

(५) जी नहीं।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि पन्द्रह सौ, एक हजार का प्लाट बना रखा है उसमें घास मौजूद है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (अकाल सहायता मन्त्री) : क्लोजर के लिये घास रखा गया था, लोकल सेल्फ के लिये रखा गया था।

श्री महेन्द्रसिंह : पैदावार नहीं हुई, फसलें नहीं हुई तो घास वहां कैसे पैदा हो गया ? वहां स्थिति यह है कि गर्मी के अन्दर मवेशी बुरी तरह मर रहे हैं। गांव छोड़ छोड़ कर दूर जाना पड़ता है। सरकार ने व्यवस्था नहीं की। मामूली समस्या थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्लोजर में घास हुआ था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री महेन्द्रसिंह : घास बिलकुल हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३१

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३२

श्री मूलचन्द डागा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह !

जिला टोंक में काश्तकारों के कब्जे में न्यूनतम जोत या उससे कम भूमि के खातेदारी के मामले

६३३. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक में लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत काफी मुकदमे हैं ? कृपया इन मुकदमों की तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश थे कि धारा १५ व १६ के तहत जिन काश्तकारों के कब्जे में यदि न्यूनतम जोत तक या उससे कम भूमि हो तो उसे खातेदारी दे दी जावे ? यदि हां, तो इसकी

Page No. 10

(श्री दिग्विजयसिंह)

जिला टोंक में कहां तक पालना की गई है?

(३) जिला टोंक में भूमि–धारकों को उक्त धारा के तहत अधिकार अब तक नहीं देने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस सबन्ध में अब भी कोई कार्यवाही कर रही है ?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है कि खातेदारी अधिकार देने से गरीब काश्तकारों से २० गुना वसूल किया जा रहा है व उन्हें बेदखल और कर दिया जाता है ?

(५) क्या राज्य सरकार ऐसे आदेश देने का विचार रखती है कि जिन व्यक्तियों के कब्जे में न्यूनतम जोत तक या उससे कम भूमि हो उन्हें खातेदारी हक दे दिये जावें ? यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किये जावेंगे ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) (१) ११६६८ मुकद्दमात धारा ६१ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के पेन्डिग है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(२) धारा १५ रा० टेनेन्सी एक्ट में............

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ६३२ का क्या रहा फिर ?

श्री अध्यक्ष : आप ६३३ का जवाब दें लें। मूलचन्दजी डागा को बाद मेंले लूंगा।

श्री गंगाराम चौधरी : (२) धारा १५ रा० टेनेन्सी एक्ट में काश्तकारान जो राज्य सरकार को सीधे लगान देते हैं उनको खातेदारी देने का है। धारा १६ खातेदारी आसामी के शिकमी को खातेदारी अधिकार देने का है उक्त धाराओं में न्यूनतम जोतें या उसके कम भूमि पर खातेदारी अधिकार न देने का कोई प्रश्न नहीं है।

(३) धारा १५ व १६ के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार जिन २ तहसीलों के कृषकों को दिये जा चुके हैं उसकी सूची तहसीलवार संलग्न है।

(४) धारा १५ व १६ राज० टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। इन धाराओं के अनुसार बेदखली नहीं होती।

धारा ६१ रा० लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत किसी केस के फैसल होने पर हो यदि वह काबिल बेदखली होता है और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परिपत्रों नियमन (रेगुलराईज) नहीं हो सकता। तब ही १५ गुना तक पेनेल्टी वसूल की जा सकती है। २० गुना पेनेल्टी नहीं लो जाती।

(५) उत्तर प्रश्न २ में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि धारा ६१ के तहत जो आपने ११६६८ मुकदमे पेंडिग बताये हैं तो इनके पेंडिग रहने का क्या कारण है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : मुकद्दमों की तादाद ज्यादा है और चूंकि अकाल का साल था इसलिए प्रोसीडिंग्स पेंडिग रखी गई।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है

(श्री दिग्विजयसिंह)

कि ये मुकद्दमें सालों से पेंडिग हैं और धारा ९१ के तहत जो मुकद्दमें पेंडिग हैं उनको रेगुलराइज करने के आदेश निकाल दिए गए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रेगुलराइज करने के आदेश निकले हुए हैं और जितने-जितने केसेज रेगुलराइज हो सकते थे उनको रेगुलराईज किया गया है और जो रेगुलराइज नहीं हो सकते उनको नहीं किया जा सकता ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितने केसेज रेगुलराईज कर दिए गए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सूची तो आप अलग से मांगते तो बता देता । कितने केसेज रेगुलराईज हुए हैं यह तो आपने मांगे नहीं थे ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा रेगुलराई जेशन के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश निकाले गये हैं किन्तु तहसीलदार उनकी परवाह नहीं करते हैं और जिलाधिकारी उनका पालन नहीं करते हैं । यह पब्लिक इन्टरेस्ट की बात है । इन आदेशों को आप ग्राम पंचायत के सरपंचों के पास भी साथ-साथ भेंजे तो काश्तकारों का भी मालुम हो सके । जिन काश्तकारों को बीस-बीस साल से कब्जा है उनको भी रेगुलराईज नहीं कर रहे हैं । बीस-बीस गुना और सोलह-सोलह गुना लेने के बाद भी बेदखल करके परेशान करते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में अभी कलेक्टर्स को हिदायत की गई है कि दफा ९१ के केसेज जो रेगुलराइज हो सकते हों उनको कम्पेन बेसिस पर लाकर इस साल के अन्त तक रेगुलराइज कर दिये जायं ।

श्री विजयसिंह रावत : धारा ९१ के तहत आप कितने एकड़ तक की जमीन को रेगुलराइज करने का कुछ आधार तो रखा होगा । कि दो एकड़ तीन एकड़ या कितनी जमीन तक रेगुलराईज करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भूमिहीन किसानों की जो सीमा है १५ बीघा की उस तक करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेगुलराईज करने में....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ;

श्री दिग्विजयसिंह : क्या आप धारा ९१ के....

श्री मूलचन्द डागा : जो केसेज आपके यहां पेंडिग हैं उनका ओन दी स्पोट भी फैसला करना चाहते हैं या नहीं ? स्पोट पर जाकर ही फैसला कर दिया जाय उनका इस तरह का विचार है सरकार का ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी बड़ा सर्क्यूलर तैयार किया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है । उसमें यह आदेश दिया जायेगा कि आन दी स्पोट जहां पर कि जिस पंचायत क्षेत्र में पांच से ज्यादा रेगुलराइ जेशन के केसेज हों या ५ से ज्यादा दफा ९१ के केसेज हों तो उनको स्पोट पर जाकर उनकी कार्यवाही की जावे ।

Page No. 12

श्री दिग्विजयसिंह : इन सब के....

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेगुलराइज करने में....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं सरकार से यह जानकारी चाहता हूं कि राज्य सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम जितनी जोत वाले काश्तकार हैं उनसे लगान नहीं लिया जायेगा तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास अनधिकृत रूप से कब्जा है आराजी पर न्यूनतम जोत तक तो क्या उनको खातेदारी हकूक देने के भी आदेश कर दिये जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : खातेदारी हकूक जिन जगहों पर मिल सकते है जैसे कि जमीन चरनोट नहीं हो, गैर मुस्तकिल नहीं हो, कायदे के माफिक जहां पर असेंदराज से काबिज हों और लगान देते हुए चले आ रहे हों तो उनको रेगुलराइज करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : जब आप न्यूनतम जोत वालों से लगान वसूल नहीं करेंगे तो....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लगान वसूल कैसे नहीं करेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा पूछना यह है कि जो काश्तकार पहले से काबिज चले आ रहे हैं और जिनके केसेज अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए और अभी जैसा आपने घोषित किया है कि न्यूनतम जोत वालों से लगान वसूल नहीं किया जायेगा तो क्या इन लोगों से भी लगान वसूल नहीं किया जायेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : न्यूनतम भूमि १५ बीघा के लगान की वसूली नहीं करने का निर्णय तो अभी हुआ है। अब तक का तो वसूल किया जायेगा जब तक कि रेगुलराईज करने के आदेश न हों।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि धारा ६१ के अन्दर रेगुलराइज होने के अन्दर एक बड़ी बाधा यह होती है कि चाहे कितना भी पुराना काबिज हो, जो डेट आपने मुकर्रर कर दी उस तारीख तक अगर उसने दरख्वास्त नहीं दी और बाद में दरख्वास्त देने से एन्टरटेन नहीं होने के कारण केसेज रेगुलराइज होने से रह जाते हैं तो क्या सरकार इस तरह के आदेश देने में संकोच महसूस करती हैं कि इसके बारे में कोई लिमिटेशन नहीं रखी जाय ? हजारों केसेज में बीस बीस साल से काबिज चले आ रहे हैं लेकिन उनका रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या यह भी सही है कि ६६ के अन्दर कब्रिस्तान की जगहों पर भी लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं.... ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० ६३२।

Page No. 13

आई० ए० एस० आफिसर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को टूर के दौरान भत्ता

९३३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(१) एक आई० ए० एस० आफिसर को टूर में कितना भत्ता दिया जाता है और उसके साथ जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी चलता है उसको कितना ?

(२) क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के इस भत्ते को ठीक समझती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उपमंत्री सामान्य प्रशासन (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी देंगे इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

कोटा में कण्ट्रोल की चद्दरें खरीदने हेतु प्रार्थना पत्र

९३४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(१) भारत सरकार द्वारा नालीदार चद्दरों पर से कन्ट्रोल कब हटाया गया ?

(२) जिस दिन यह कन्ट्रोल उठा, उस दिन कोटा शहर में किन किन पार्टीज के पास कितना कितना कन्ट्रोल्ड नालीदार चद्दर किस किस समय से स्टॉक में थी।

(३) क्या यह सही है कि कन्ट्रोल की चद्दरों को खरीदने के लिये अनेकों व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र बहुत समय से पेन्डिग थे ? अगर हां, तो कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कितने माल के लिये पेन्डिग थे ?

(४) उपरोक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार न कर पेन्डिग रखने का क्या कारण था।

(५) क्या यह सही है कि जिलाधीश कोटा ने दुकानदार को बिना कन्ट्रोल के मूल्य के चद्दरों को बेचने के आदेश दे दिये हैं ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री मनफूलसिंह) :

(१) भारत सरकार द्वारा दिनांक १-५-६७ से नालीदार चद्दरों पर कन्ट्रोल हटाया गया था।

(२) दिनांक २९-४-६७ को ५४४० नालीदार चद्दरें केवल एक पार्टी मेसर्स एच के एम भूसाभाई अमीन बहादुर कोटा के पास स्टाक में थी।

(३) कन्ट्रोल की चद्दरें को, खरीदने के लिये २१७० व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र करीब ३२००० चद्दरों के लिये पेन्डिग थे।

(४) सितम्बर, १९६५ से ३१-६-६७ तक नालीदार चद्दरें स्टाक में नहीं थी। नालीदार चद्दरों के आने की सूचना ३१-३-६७ के पत्र द्वारा ४-४-६७ को जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त हुई और १-५-६७ को लोहा व इस्पात की वस्तुओं पर से कन्ट्रोल उठा लिया गया।

(५) यह सही नहीं है। कण्ट्रोल को

(श्री मनफूलसिंह)

चद्दरें बिना कण्ट्रोल मूल्य के बेचने की कोई आज्ञा दुकानदार को नहीं दी गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि १-५-६७ को जिस दिन कि नालीदार चद्दरों का कण्ट्रोल टूटा और उस दिन तक जितना व्यापारी के पास स्टाक था, उस सारे स्टोक को व्यापारी ने डी-कण्ट्रोल के पहले ही, सरकारी नियंत्रण के बिना ही, बिना कण्ट्रोल की प्राईज पर बेच दिया था ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेवजोशी): व्यापारी पास में कण्ट्रोल हटने और माल आने के बीच का जो गेप हैं, उस बीच में उसके द्वारा किस रेट पर माल बेचा गया, अथवा माल ही नहीं बेचा गया इसकी जानकारी नहीं है। इसकी इन्क्वायरी करा रहे हैं और अगर दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह तो आप मान कर चलते हैं कि १-५-६७ को जिस रोज की डी-कण्ट्रोल हुआ और जैसा आपने बताया कि २९-४-६७ को ५४४० चद्दरें स्टाक में थी तो यह ५४४० चद्दरें कण्ट्रोल प्राईज पर ही बेची जायं इसके सम्बन्ध में जिलाधीश ने क्या कदम उठाये थे ?

श्री हरिदेव जोशी : उसने कोई बढ़ी हुई दर पर माल नहीं बेचा हैं, यह जानकारी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जानकारी आपके पास किस आधार पर है जब कि कण्ट्रोल हट गया। कण्ट्रोल हट जाने के बाद सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता।

श्री हरिदेव जोशी : बीच के पीरियड में, यानि १ तारीख और ४ तारीख के बीच में ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारा का सारा माल इस व्यापारी ने कण्ट्रोल प्राईज पर न बेचकर ब्लेक में बेचा है। जब कण्ट्रोल था उस समय जिसे ब्लैक साईड कहा जाता है सारा का सारा माल डबल रेट पर बेचा है। सरकार ने उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा है, व्यापारी को किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया और उसने दो-दो महीने तक लोगों को माल नहीं दिया, टाईम निकालता रहा, उसके पास तीन हजार आदमियों की एप्लीकेशन्स पेंडिंग रखे रखी और जब डी कण्ट्रोल हो गया तब बढ़ी हुई दर से माल बेचा है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महादय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जो स्टाक १ तारीख को मौजूद था, उनके पास एक तारीख को स्टाक आया हैं और चार तारीख को डी कण्ट्रोल हुआ। इस बीच में तीन या चार दिन के समय में उसने अगर माल बढ़ी हुई दर पर बेचा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उसका कण्ट्रोल नही रखने के लिए जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनको सजा दी जायेगी।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : एप्लीकेशन होते हुए भी चूंकि डीकन्ट्रोल होने

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

वाला था क्योंकि अखबारों में पहले ही निकल गया था उनको इश्यू नहीं किया है ।

श्री हरिदेव जोशी : यह सच नहीं है । आप पूछना चाहते है उसके आधार पर हमारी जानकारी यह है कि कन्ट्रोल प्राइस पर बेची है, और अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार का इस प्रकार का आर्डर नहीं है कि अमुक तारीख को डी कन्ट्रोल हो गया है और वह व्यापारी बिना कन्ट्रोल प्राइस पर बाजार में जो उस समय रेट्स प्रिवेलेन्ट थे उस पर बेच दें ? उनको जो कन्ट्रोल प्राइस पर माल मिला था लगभग ५५०० टीन थे वह सारा का सारा माल उसके पास मौजूद था उसको उसने बेच दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्वेश्चन यह है कि आपने इसके पास माल मौजूद था तो डी कन्ट्रोल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट आथोरिटीज ने परमिट लोगों को क्यों नहीं दिये उस माल के लिए ?

श्री हरिदेव जोशी : में यही निवेदन कर रहा हूं कि उसके पास माल जब पहुंचा एक तारीख को और डी कन्ट्रोल हुआ है ४ तारीख को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डी कन्ट्रोल हुआ है एक मई को ।

श्री हरिदेव जोशी : एक को डी कन्ट्रोल हुआ है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और ४ अप्रेल को माल गया है । चार मई को नहीं ।

श्री हरिदेव जोशी : ४ अप्रेल को आया है इस बीच में क्यों नही दिया गया लोगों को जिनकी एप्लीकेशन्स थी तो उनकी एप्लीकेशन को क्यों नहीं एन्टरटेन किया गया और उसने उस माल को उन एप्लीकेन्ट्स को नहीं बेचकर बढ़े हुए भावों पर बेचा तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर एन्क्वायरी के लिए कलेक्टर को कहा गया है कि एन्क्वायरी करने के....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : कलेक्टर को अगर कहा गया है तो हो गई एन्क्वायरी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कलेक्टर खुद इसमें इन्वाल्व्ड है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं निवेदन करूं कि इन्हीं कलेक्टर के द्वारा वेगन के वेगन उड़ा दिये गये और भरतपुर के लोगों को एक टीन नहीं मिला । अभी भरतपुर की एन्क्वायरीज पेंडिंग हैं इनके खिलाफ वह तो करा लें । इनके द्वारा वेगन के वेगन उड़ा दिये गये और एक भी चद्दर भरतपुर में नहीं आई ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा) : ५ हजार चद्दरों में डेढ़ लाख का घोटाला हुआ है ।

श्री हरिदेव जोशी : जब तक कोई दूसरे प्रकार से चीज साबित न हो यह कह दूं कि कलेक्टर ने किया है और जांच करा दें । यह मुमकिन नहीं है ।

Page No. 16

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मेरा आरोप हैं और जिसकी तरफ इशारा है जैसा कि मेरा प्रश्न बोलता है।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें कहीं भी नहीं है कि कलेक्टर की बिना मर्जी के बेचा हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस प्रश्न के खण्ड (५) में साफ है, "क्या यह सही है कि जिलाधीश कोटा ने दुकानदार को बिना कन्ट्रोल के मूल्य के चद्दरों को बेचने के आदेश दे दिये हैं ?"

मेरी मान्यता ही नहीं मैं बिलकुल स्पष्ट हूं इस बारे में। स्वयं कलेक्टर के पास एप्ली-केशन्स दीं और कलेक्टर ने बिना कन्ट्रोल प्राइस के माल रिलीज़ करने का आदेश दे दिया। वह कागज अब फाइल से गुम हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। इसकी एन्क्वायरी आप उसी कलेक्टर से कराना चाहते हैं जिसके ऊपर मेरा आरोप है, और जिसका प्रश्न लेकर मैंने विधान सभा का समय लिया है, उसी व्यक्ति को आप एन्क्वायरी करने के लिए कहना चाहते हैं तो एन्क्वायरी तो हो गई ?

श्री हरिदेव जोशी : आपके प्रश्न की लाइट में इसको रिकन्सीडर किया जायगा और यह देखा जायगा कि कौन दोषी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य प्रश्नकर्ता ने आपके सामने रखे वे प्राइमा फेसी ऐसे नहीं लगते हैं कि एन्क्वायरी के लिए कलेक्टर महोदय को तब्दील कर दिया जाय फार दी टाइम बींग एटलीस्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी कोई चीज है कि नहीं जब तक यह साबित न हो जाय कि कलेक्टर पर्सनली इसमें इन्वाल्व्ड है मेरे लिए करना सम्भव नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन मामलों में कलेक्टर महोदय पर्सनली इन्वाल्व्ड हैं, जिनमें कलेक्टर के खिलाफ जांच चल रही है उनमें क्यों न उनको सस्पेन्ड कर दें आप हेडकान्स्टेबल को सस्पेन्ड कर देंगे। इस कलेक्टर कोटा के खिलाफ जांच कराना चाहते हैं तो करो सस्पेन्ड, हिम्मत है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केदारनाथ !

ग्राम सभा पर पाबन्दी

६३५. **श्री केदारनाथ (गंगानगर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एस० पी० चुरू ने ५-८-६६ को चुरू में मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की होने वाली ग्राम सभा पर पुलिस एक्ट की धारा ३० सन् १८६१ के कानून के तहत कोई पाबन्दी लगाई थी व यदि हां, तो क्यो ?

(२) क्या मुख्य मंत्री जी की इस सभा के लिये कोई इजाजत ली गई थी ? यदि हां, तो किसने व कब ली ? इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि अन्य विरोधी दलों पर चुनाव की सभा करने पर पाबन्दी लगाई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री केदारनाथ)

(४) क्या यह सही है कि चुरू के पुलिस अधिकारी ने ग्राम चुनाव को होने वाली सभाओं पर इस कानून के तहत पाबन्दी लगाई और विरोधी लोगों के दलों पर कार्यवाही कर रखी है ? यदि हां, तो किस किस पर और कब की ?

(५) क्या चूरू के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, पहले वाले एक सवाल (प्रश्न सं. ९२९) में आप यह जानना चाहते थे कि मुल्जिमान गिरफ्तार हुए कि नहीं तो मैंने जानकारी करा ली है। वे जमानत पर है।

(प्रश्न सं. ९३५ का उत्तर)

(१) जी हां, क्योंकि मुझे अमन का अन्देशा था।

(२) जी हां स्थानीय कांग्रेस कमेटी चूरू की ओर से श्री मोहर सिंह एम० एल० ए० ने तारीख ५-८-६६ की रात को गोपाल चौक चूरू में ग्राम सभा के लिये धारा ३० पुलिस एक्ट के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने की दरख्वास्त तारीख ४-८-६६ को एस० पी० चूरू को दो थी जिन्होंने उसी दिन एक लाइसेन्स जारी किया। उसको प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। उपरोक्त ५-८-६६ की सभा का ग्राम चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस सभा के निमित्त जो लाईसेन्स लगाने की पाबन्दी लगाई गई थी उसके उल्लघंन के कारण सर्व श्री कमलेश, महावीर प्रसाद, भावन, एवं मुरलीधर व्यास के विरुद्ध धारा ३२ पुलिस एक्ट की कार्यवाही तारीख ३ ९-६६ से जेर तजवीज है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री केदारनाथ : ऐसे कौन से हालात पैदा हो गये थे कि चूरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पुलिस एक्ट १८६१ के सेक्शन ३० को लागू करना पड़ा ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने बताया कि ऐसा अन्देशा था कि कुछ गड़बड़ हो माननीय मुख्य मन्त्री के पहुंचने पर, तो शान्ति कायम रखने के लिए। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें बनाये थे उन्होंने उसी जगह पर मीटिंग करने का एलान किया था और वहां पर शान्ति भंग करना चाहते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुराना कानून है वह हमारे डेमोक्रेटिक कान्स्टीट्यूशन के विरुद्ध है और इस प्रकार के पावर्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास और इस प्रकार के पावर्स हैं, और निकले हैं। अभी तक हमारे संविधान के तहत और दूसरे कानून हैं जैसे कि शोरगुल बन्द कराने का कानून तो उसके तहत आवश्यकता पड़े तो अधिकारीगण एक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार से उस मीटिंग के ऊपर पाबन्दी लगाना हमारे फन्डामेन्टल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राइट्स के खिलाफ है । हमारे इस फन्डामेंटल राइट जो मीटिंग करने का है उस पर १८६१ में पुलिस एक्ट के तहत....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये, दिस इज् कान्सटीट्यूशनल इश्यू ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिस जगह पर वह मीटिंग बुलाई गई थी जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया था उसकी जगह के लिए जान बूझकर....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इस प्रकार की मीटिंग बुलाने का ऐलान आपने पहले किया था या हमने ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन : यह जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी की मीटिंग जिस जगह होने वाली थी क्या इस जगह के लिए पहले हमारा ऐलान नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री रामकिशन : परचे कब छपे थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय मुख्य मन्त्रीजी की मीटिंग का लाइसेंस ले लिया गया था ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : यह आपको शोभा नहीं देता है, यह जनतन्त्र के विरुद्ध जाता है । आप इस लाइट में देखें माननीय गृह मन्त्रीजी ।

श्री रामकिशन : ये परचे कब छपे थे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल राइट्स का सवाल है । अगर कांग्रेस की मीटिंग पहले होने को थी तो पहले हो जाय, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी पोलिटिकल पार्टीज की मीटिंग का एनाउन्समेंट कर दें उस पर इस तरह की पाबन्दी लगा दी जाय, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल अनुचित बात है और गवर्नमेंट को एश्योरेन्स देना चाहिए कि इस केस में ऐसा हुआ है और आयन्दा ऐसा नहीं किया जायगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया कि आप पूरा सुन लें । इस पर लाइसेंस है । मीटिंग की परमीशन पहले श्री मोहरसिंह एम० एल० ए० ने ली, लाइसेंस प्राप्त किया, परन्तु संसोपा के कार्यकर्ताओं ने नोटिस जारी करने के बावजूद लाइसेन्स नहीं लिया और उपरोक्त नोटिस जानबूझकर निकाला गया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Right is might, or might is right ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Right is might.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Right is might का प्रश्न है यह या might is right का प्रश्न है, उत्तर दें ।

श्री रामकिशन : पत्रों का जवाब नहीं आया । परचे छपे हैं इस मीटिंग के कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की मीटिंग की जाने वाली थी उससे पहले हम लोगों को

(श्री रामकिशन)

मीटिंग थी । इस बात के परचे किस तारीख को छपे है ?

श्री खेतसिंह : परचे आप छापते हैं हम नहीं छापते हैं ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आप ऐसा कहते हैं कि पुलिस एक्ट लागू नहीं था । परचे छापकर ऐलान किया है तो आप कैसे कहते हैं कि पहले एप्लाई नहीं किया । एप्लाई करने की जरूरत नहीं थी जब तक कि विशेष परिस्थिति नहीं हो ।

श्री दामोदरलाल व्यास : विशेष परिस्थिति पैदा हुई और अमन का अन्देशा था इसलिए कार्यवाही की गई ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल । ९३९।

सैन्ट्रल वेज बोर्ड द्वारा इन्जीनियरिंग उद्योगों के कर्मचारियों को अन्तरिम रिलीफ की सिफारिश ।

९३९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि इन्जीनियरिंग उद्योग के कर्मचारियों के लिये सेन्ट्रल वेज बोर्ड ने पगारों में बढ़ोतरी के लिये किसी अन्तरिम रिलीफ देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो वह सिफारिश क्या है ?

(२) क्या सरकार ने वेज बोर्ड की इस सिफारिश को राजस्थान में लागू कराया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योगों में ?

(३) जिन उद्योगों ने वेज बोर्ड के अन्तरिम फैसलों को अभी तक लागू नहीं किया है क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

(४) वेज बोर्ड के इस फैसले को प्रभावकारी ढ़ंग से लागू कराने के लिये सरकार क्या कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(१) जी हां । भारत सरकार ने इन्जीनियरिंग सेन्ट्रल वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों के आधार पर इन्जीनियरिंग उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये इन्टीरिम रिलीफ की घोषणा की है । स्कीम जिसके अनुसार इन्टीरिम रिलीफ दिया जाना है की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(२) राजस्थान में अब तक १९ प्रतिष्ठानों में वेज बोर्ड को सिफरिशों को लागू कराया गया इसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(३) वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करवाने के सम्बन्ध में कानूनी रास्ता नहीं अपनाया, जा सकता क्योंकि यह किसी कानून के अन्तर्गत नहीं दी जाती है । अतः उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जिन्होंने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया है, कानूनी कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(४) जिन संस्थानों ने वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है तथा उनके कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक विवाद के रूप में ऐसे प्रश्न उपस्थित किये गये हैं सरकार एसे विवादों को समझौता एवं इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफरेन्स के जरिये तय करवाती है । इसके अतिरिक्त और कोई तरीका इस समय सरकार के सम्मुख नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे उद्योग कितने हैं जिन पर वेज बोर्ड का निर्णय लागू हो सकता है ? कुल तादाद कितनी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तीस में से १९ ने लागू कर दिया है और ११ ने लागू नहीं किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो आप यह कहते हैं कि कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्या गवर्नमेंट इस बात को महसूस नहीं करती है कि इसका नतीजा यह होगा कि इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट होगा, मजदूरों को कलेक्टिव बार्गेनिंग की स्टेज पर जाना पड़ेगा और तब इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक मामला पहुंचेगा ? क्या गवर्नमेंट इस प्रकार औद्योगिक अशांति फैलाने के बजाय कोई कानूनी तरीके से कानून बना कर और वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू करने पर विचार नहीं करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिलहाल औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपेक्षा की जाती है कि जब वेज बोर्ड बैठायें जायं, उनकी सिफारिशें आयें तो उनको लागू करें । इसके अलावा त्रिदलीय सम्मेलन में महत्व देकर इस बारे में औद्योगिक संस्थाओं से कहा जाता है । कई औद्योगिक संस्थानों ने और औद्योगिक संस्थानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने इसको मन्जूर किया है । ऐसी सूरत में जब ज्यादातर लोग इसको मन्जूर करते हैं तो कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझती है । सरकार । इस बारे में आवश्यक कॉरसपोंडेंस चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी !

मेड़ता शहर में चम्बल योजना से बिजली

९३७. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चम्बल योजना से बिजली जो कि रीयां व जसनगर ग्रामों में मेड़ता से १५ मील दूर आ चुकी है, मेड़ता शहर से कब तक जोड़ दी जावेगी ?

(२) क्या भाखरा-नांगल व चम्बल बिजली का जॉइंट केन्द्र मेड़ता शहर को बनाने का निर्णय सरकार कर चुकी है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते ।

(२) जी नहीं ।

श्री गोरधन सोनी : मेरा ऐसा निवेदन है कि मेड़ता शहर से दो मील दूर कई कुए

(श्री गोरधन सोनी)

आये हुए हैं, वहां बिजली दी जाती है तो सिंचाई के साधन बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेड़ता एक प्रमुख मण्डी है, वहां पर ऑइल मिल और दूसरी मिल चलती हैं। यदि बिजली वहां चली जाती है तो उद्योग भी पनप सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वहां बिजली दी जाय। यह भी मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि क्या चम्बल और भाखरा योजना से इसको कनेक्ट किया जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : वरिराजिये ! आपने जो फर्माया है वह तो सही है किन्तु पन्द्रह मील का कार्य इस वर्ष टेक अप किया जा सके, यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह !

श्री गोरधन सोनी : कब तक हो सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : सम्भव नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : कुछ थोड़ा अन्दाज दे दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : फाइनेन्सेज पर यह निर्भर करता है।

श्री गोरधन सोनी : इलेक्शन के टायम पर शुरू कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : कोशिश करेंगे।

श्री गोरधन सोनी : जरूर करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह !

जयपुर में गिरफ्तार पाक गुप्तचर

९३८. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष फरवरी मार्च के महिनों में पुलिस द्वारा जयपुर में हबिबुल्ला नाम के एक पाक गुप्तचर को गिरफ्तार किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस गुप्तचर को भारत आने में और ठहरने में सहायता देने के अपराध में ८ मार्च के लगभग एक श्योकत अली नामक व्यक्ति को जिला जालोर रानीवाड़ा पर गिरफ्तार किया गया ?

(३) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या २ कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि इन व्यक्तियों की रिहाई के लिए कुछ व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो किन-किन ने और कब-कब ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(४) जी नहीं।

श्री भैरोंसिह : क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार ही नहीं किया हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वह गिरफ्तार नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : प्रिन्ट में, टाइप में गलत लिख गया होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी सूचना चाहते हैं तो मैं मिलने पर सूचना दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सूचना दे दीजिये। नाम को जाने दीजिये। अध्यक्ष महोदय यह तो अन्याय हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मैं सन्तोष दिला दूंगा। अपन मिलकर बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : Taken by surprise.

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

कोटा-बूंदी रोड पर कृषि भूमि पर निर्मित कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री

१३९. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कोटा-बूंदी रोड पर जो कोटा कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री निर्मित हुई है, क्या वह कृषि-भूमि पर बनाई गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री प्रारम्भ हो गई है और माल बेचना भी प्रारम्भ हो गया है। किन्तु अभी तक वह भूमि जिस पर फैक्ट्री बनी है, आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं हुई है ?

(३) सामान्यतया इस बाबत क्या नियम है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम-चौधरी) : (१) जी हां।

(२) बरफ की फैक्ट्री चालू हो गई है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण अभी अधूरा है। भूमि अभी अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही चालू है।

(३) इस विषय से सम्बन्धित नियम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि-भूमि में का अकृषि भूमि में परिवर्तन) नियम, १९६१ है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : माफ करना साहब, मैं सुन नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष : आपने भी सबसे बाद में कहा। ऐसे तो काट देना चाहिए बीच में सुनाई नहीं दे तो।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : दुबारा पढ़ दें।

श्री भैरोंसिंह : अब के काटेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो आप होशियार हैं, भूल कैसे गये। वापिस कह दीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : (१) जी हां।

(२) बरफ की फैक्ट्री चालू हो गई है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण अभी अधूरा है। भूमि अभी अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही चालू है।

(३) इस विषय से सम्बन्धित नियम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तन) नियम, १९६१ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि इस कृषि भूमि पर जो निर्माण किया गया है। वह बिना सरकार की अनुमति के कन्स्ट्रक्शन जमीन पर हुआ है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक अनुमति नहीं दी है, लेकिन विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही हैं कि कृषि भूमि को अकृषि भूमि में कन्वर्शन कराये बिना यदि कोई निर्माण कराये तो वह अवैध है और उसे तोड़ना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वास्ते ही इसे नोटिस दिया गया और अप्रेल से काम बन्द है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इसका उद्घाटन करने स्वयं मंत्री महोदय पधारे थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय इससे अधिक गम्भीर बात क्या हो सकती है कि लैण्ड कन्वर्ट नहीं हुआ और बिना कन्वर्ट कराये उस पर कन्स्ट्रशन हो रहा है, वह इल्लीगल हो रहा है और उसको तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है, लेकिन उसी का उद्घाटन करने के लिए स्वयं राजस्व मंत्री जी पधारते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं उस वक्त राजस्व मंत्री नहीं था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह और भी गम्भीर बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने कानून की अवहेलना की वह जानबूझ कर इस मामले में की या नहीं की यह बतायें ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सार्वजनिक हित में की।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं अर्ज करूं कि उस वक्त तक यह पता नहीं हुआ था कि इसे अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं कराया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत सी जगह पर ऐसे अनाथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन शुरू में ही तुड़वा दिये जाते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने प्रश्न पूछा है उसमें दफा ९१ के तहत सारी कार्यवाही चल रही है।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़): किसी की पराई जमीन हो तो मंत्री महोदय को आमंत्रित करके उसको हजम कर जायं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पराई जमीन नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं क्या यह समझूं, आपके द्वारा इस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, आप निश्चित रूप से उसको बन्द करके इसको रेगुलेराइज कर देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह रेगुलेराइज करने लायक होगा तो रेगुलेराइज हो जायगा। नहीं लायक होगा तो नहीं होगा।

श्री भवनलाल (हिन्डौन): सौदा कितने में हुआ ?

Page No. 24

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री श्रवणलाल : कितने में सौदा हुआ है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह अनुचित समझते हैं कि ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय को उद्घाटन ऐसी जगह का करना चाहिए ? आपके आब्जर्वेशन इस बारे में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ।,

श्री अध्यक्ष : कई बार माननीय सदस्यों को निवेदन किया है कि औचित्य-अनौचित्य का प्रश्न, नियमों के अन्तर्गत, प्रक्रिया के अन्तर्गत आता हो तो मैं उस सम्बन्ध में व्यवस्था दे सकता हूं, अन्यथा नहीं ।

श्री शिवचरण सिंह !

श्री नत्थीसिह : ९४०

श्री बृजसुन्दर शर्मा : शिवचरण सिंह कहां है ?

श्री रामकिशन : हमें कह गये हैं, अध्यक्ष महोदय, इसका दिलवा दीजिये जवाब ।

श्री अध्यक्ष : ९४०

करौली, धौलपुर एवं भरतपुर क्षेत्र में माइनिंग रोयल्टी

९४० श्री शिवचरणसिंह (महुआ) [श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्रों में माइनिंग रोयल्टी की कितनी रकम बकाया है ?

(२) उस बकाया की वसूली कब तक होगी व अब तक क्यों नहीं हुई ?

उप मंत्री, खनिज (श्री मनफूल सिंह) : (१) रुपये १४,९२,६५६. ६९ पैसा ।

(२) इस बकाया की वसूली जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी की जायगी । अब तक वसूली न होने के निम्न कारण हैं :

(१) कुछ मामले एल. आर. एक्ट के तहत चल रहे हैं ।

(२) कुछ मामले विवादास्पद हैं ।

(३) कुछ मामलों में एडजस्टमेंट की कार्यवाही की जा रही है ।

(४) कुछ मामले न्यायालयों के विचाराधीन हैं ।

(५) कुछ मामले सरकार के विचाराधीन हैं, और

(६) कुछ मामलों पर विभागीय कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह आपने १४ लाख की बकाया बताई, इसमें से भरतपुर के हिस्से की कितनी बकाया है ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : १४ लाख नहीं १४ हजार ।

श्री रामकिशन : १४ लाख । भरतपुर की कितनी बकाया है ?

श्री मनफूलसिंह : ५ लाख ८५ हजार २०७ ।

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : नहीं नहीं ।

श्री मनफूल सिंह : ५ लाख ८५ हजार २०७ ।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं नहीं, भाई !

श्री देवीलाल : मास्टर रखिये, अंग्रेजी सिखाने को !

श्री मनफूल सिंह : भरतपुर का, धौलपुर का ?

श्री श्रवणलाल : भरतपुर और धौलपुर का ।

श्री मनफूल सिंह : ५ लाख ८५ हजार २०७ ।

श्री हरिदेव जोशी : ५ लाख ८५ हजार २०७ ।

श्री रामकिशन : इसमें से ऐसे कितने मामले हैं और किन किन फर्म के हैं, जिनका बकाया दस साल से ज्यादा से चली आ रही है ?

श्री मनफूल सिंह : यह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में आ गया है ।

श्री हरिदेव जोशी : यह सारी सूचना पब्लिश हो चुकी है ।

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य चाहें तो उसे देख सकते हैं ।

श्री रामकिशन : पी.ए. सी. की रिपोर्ट में होगा । लेकिन आपने पांच-छः तरह के कारण बताये हैं-कुछ एल.आर. एक्ट के तहत चल रहे हैं, कुछ मामले अदालत में विचाराधीन हैं या कोर्ट में चल रहे हैं । इसमें से १६ हजार की राजस्थान कारवाट कम्पनी में बकाया है, वह कितने दिनों से रुकी हुई है ? उसकी लिस्ट तो आपके पास होगी । (श्री मुकुट बिहारी लाल से) ठहरो ।

श्री मनफूल सिंह : माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, इसकी जानकारी कर ली जायगी ।

श्री रामकिशन : जब आपने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के लिए कहा तो उसकी रिपोर्ट में तो यह होगा ।

श्री हरिदेव जोशी : इन्डीविजुअल केसेज के बारे में मैं नहीं कह सकता । जो लिस्ट मेरे पास है, वह लिस्ट बहुत लम्बी चौड़ी है, इसकी स्क्रूटिनी करना मुश्किल होगा । आप किसी पर्टीक्यूलर केस के बारे में कहें कि उसमें अननेसेसरी डिले हो रही है तो देखकर मैं नोटिस के ऊपर बता सकता हूं ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, कहने का सवाल नहीं है । मैं कह रहा हूं, अब आप कह दें । मैं इसे दूसरे ढंग से कह दूं, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के जब आप चेअरमैन थे तब आपके सामने आया, यह बिल्कुल राजनैतिक मामला है । १६ हजार के मामले को उस तरह तो मुकुट जी कह देंगे, मैं उसे कहना नहीं चाहता ।

Page No. 26

श्री हरिदेव जोशी : आप कहिये ।

श्री रामकिशन : मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कहने में मुकुट जी योग्य हैं ?

श्री रामकिशन : डिटेल्स वह स्वयं जानते हैं । इसमें राजनैतिक कारण है । उस राजस्थान कारबाट कम्पनी में ९६ हजार रुपये की बकाया है । राज बहादुर जी ने १९६७ के अन्दर चुनाव लड़ा, उस समय कांग्रेस छोड़ी तो कम्पनी वाले को कहा कि वापिस कांग्रेस में आ जाओ तो ९६ हजार खत्म हो जायेंगे । इस तरह १९५७ से उसकी वसूली नहीं हुई है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन को भी यह विश्वास दिलाऊंगा कि इस प्रकार के आदमियों से वसूली में डिपार्टमेंट ने काफी सख्ती बरती है और ज्यादा से ज्यादा मुकदमे चलाये जा कर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली की गई है और अब बहुत कम केसेज रहा गये हैं जिनका एक्शन बाकी है ।

इस पर्टिक्यूलर केस के बारे में, राजस्थान कारबाट लिमिटेड के बारे में आपने बताया है, मैं आज ही देख कर जो कुछ एक्शन हो सकता है, स्टर्न एक्शन लूंगा ।

श्री रामकिशन : मैंने आज ही नहीं कहा है, पांच चार साल से बता रहा हूं । जब जब कोशिश की गई वसूली की तो वहां से लिख कर आ जाता है कि इस नाम की फर्म ही नहीं है । १५ लाख के मकानात हैं एक परिवार में १५० आदमी है पर वहां से लिख कर भेज देते हैं कि कोई आदमी नहीं हैं, भाग गये । आप कोई कार्यवाही नहीं करते । यह केस मैं खुद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में लाया था ।

श्री हरिदेव जोशी : इस पर्टिक्यूलर केस में आफीसर्स पर डिपेन्ड नहीं कर के आपकी मदद लूंगा और एक्शन लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ....

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण प्रश्न है तभी तो मन्त्री महोदय ने कहा है कि वे माननीय सदस्य की मदद लेकर शीघ्रातिशीघ्र एक्शन लेंगे ।

श्री श्रवणलाल : एक पर्टिक्यूलर केश के बारे में मैं प्रश्न कर रहा हूं । मैंने भी इसी तरह का प्रश्न पूछा था कि झूमरलाल स्वरूपलाल नाम की एक फर्म है, उसमें १॥ लाख रुपया बकाया आज तक चला आ रहा है, जब कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी वसूल कर लिया जायगा । वह वसूल नहीं किया गया डेढ़ लाख रुपया अभी तक बकाया है ।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जहां तक याद पड़ता है, काफी लम्बे अर्से तक, तीन साल तक, इनकी वसूलात हाई कोर्ट द्वारा स्टे रही थी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६४१ ।

Page No. 27

थानेदार बसेड़ी के विरुद्ध शिकायतें

९४१. **श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल**(बयाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वर्तमान थानेदार बसेड़ी, उप जिला, धौलपुर के विरुद्ध डकैतों से मिले रहने, डकैती कराने, झूठे मुकदमे तैयार करने एवम् जनता के साथ दुर्व्यवहार करने की अनेकों शिकायतें की गई हैं ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त थानेदार के विरुद्ध कलेक्टर भरतपुर, एस. पी. भरतपुर एवं उच्च अधिकारियों के पास लिखित में तथा समाचार पत्रों एवं जनता के इजलासों द्वारा अनेक शिकायतें की गई हैं ?

(३) क्या यह सच है कि किन्हीं विशेष कारणों वश इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(४) क्या यह सच है कि इनके विरुद्ध अदालतों में जनता को उत्पीड़न करने व दीगर प्रकार के अक्षम्य अपराधों में मुकदमे चल रहे हैं ?

(५) क्या सरकार ऐसे अधिकारी को अविलम्ब निलम्बित करके उसके विरुद्ध जांच करने का विचार रखती है ?

श्री रामकिशन : इसका हां ना में जवाब मत दे देना व्यासजी ।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अच्छी बात है ।

(१) जी हां ।

(२) जी हां, ११ परिवाद लिखित में उच्चाधिकारियों के पास जनता द्वारा उचित कार्यवाही हेतु प्राप्त हुए ।

(३) प्राप्त परिवादों में से पांच परिवादों की जांच करने पर ये परिवाद झूठे पाये गये । शेष ६ परिवाद की जांच चल रही है । विशेष कारणों से कोई कार्यवाही न करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(४) जी हां, केवल एक इस्तगासा श्री सज्जनसिंह, उप निरीक्षक, प्रबन्धक आरक्षी, केन्द्र बसेड़ी के विरुद्ध ग्राम मुह गुलाब की के सरपंच द्वारा प्रस्तुत किया हुआ बाबत मारपीट व गाली गलौज का अदालत एडीशनल मुन्शिफ मजिस्ट्रेट धौलपुर में चल रहा है व अदालत स्वयं जांच कर रही है ।

(५) इस स्टेज पर अविलम्ब निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है कि आपने यह बात कही कि एक इस्तगासा चल रहा है पर मेरे पास सूचना तो यह है कि ६ इस्तगासे चल रहे हैं, क्रिमिनल नेचर के अपराधों के केसेज है, आप कहें तो लिस्ट दे दूंगा कि इतने इस्तगासे हैं । आपने कहा कि जांच की गई और ५ डिस्पोज आफ हो गये । मैं निहायत नम्रता के साथ आपके एडमिनिस्ट्रेशन को पाक करने की गरज से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शख्स के खिलाफ डकैतों से मिले रहने की शिकायतें है, चैंकोरा की डकैती में उसका हाथ है, सरेदी की डकैती में, करेदी की डकैती में, समौचा की

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

डकैती में, कोटरा की डकैती में इसका हाथ है, जटपुरा की डकैती में इसका हाथ है, इन सब डकैतियों में इसका प्रत्यक्ष हाथ रहा है, आप जाँच करवा लीजिये। यह सब सिद्ध हो जायेगा। डेढ़ महीने तक प्रह्लाद डकैत का दल इनके संरक्षण में, इनके इलाके मे एक ही स्थानपर रहा है जगनेर कालोनी के थानेदारों की इसमें मिलावट हो सकती है, पर इनकी जानकारी में रहे। ....

श्री **अध्यक्ष** : क्या यह आरोप सही हैं ?

श्री **मुकुटबिहारी लाल गोयल** : इन आरोपों की जांच करायें।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ६ इस्तगासों के चलने का सवाल है, माननीय सदस्य मुझे जानकारी दे देवें, मैं जांच करा लूंगा अगर एक इस्तगासे की गलत इतल्ला दी गई है तो मैं एक्शन लूंगा।

कुछ चार्जेज लगाये कि डेकोइट्स से मिला हुआ है, डेकोइट्स को संरक्षण देता है। आप अगर इस तरह की सूचना देंगे तो मैं यह अर्ज कर सकता हूं, पहले विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट पर भी मैंने कहा था कि अलग इन्डिपेन्डेन्ट एजेंसी से एन्क्वायरी कराने को तैयार हूं बशर्ते कि फक्ट्स दें, डिटेल्स दें।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : यह राजस्थान सरकार का वतीरा बन गया है किसी एस पी. को किसी डिस्ट्रिक्ट. में डेप्यूट कर दीजिये तो देर से अबेर से अपने चहैता थानेदारों का ट्रान्सफर अपने यहां करवा कर ले जाता है। जब किसी थानेदार के खिलाफ शिकायत की जाती है तो आप एस. पी. को मार्क कर देते हैं। एस. पी. सी. आई. को और सी. आई. थानेदार को मार्क कर देता है जाँच का यह तरीका कारगर नहीं है। क्या सरकार उन शिकायतों पर जो डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं, उसकी जांच के लिये क्या कोई निष्पक्ष आदमी को नियत करने के लिये तैयार है। आप सी. आई. डी. से जांच करवा लीजिये।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैं यह उम्मीद करता था कि माननीय सदस्य को यह बात मालूम है कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि सबोर्डिनेट पुलिस स्टॉफ के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच पुलिस आफीसर्स से नहीं सीनियर स्केल के आर. ए एस. आफीसर करेंगे, पुलिस नहीं करेगी। इसके बाद आपको शिकायत नही रहनी चाहिये। पिछली शिकायतों के बारे में जो डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं, उनके बारे में कहा कि उनको रीओपन किया जाना चाहिये तो मैं इस तरह का आश्वासन दे दूं, हो सकता है किन्हीं की लिमिटेशन भी चली गई हों। तो आप इस बात का इतमीनान दिला देंगे कि शिकायत सही थी तो उन शिकायतों को रीओपन करने के लिये तैयार रहूंगा।

श्री **नत्थीसिंह** : आपने कहा कि इनके खिलाफ ११ शिकायतों में से ५ डिस्पोज आफ कर दीं और ६ पेन्डिग हैं तो क्या इसमें आप बता सकेंगे कि कौन से आर. ए. एस. आफीसर ने जांच की है ?

Page No. 29

श्री दामोदर लाल व्यास : इसका ऐलान हुए तीन दिन तो हुए ही हैं, सी. एस. ग्रार. ग्रमेंड होगी, सारा प्रोसीजर ले डाउन होगा, सारे इसके बारे में स्टेप्स लेने होंगे।

श्री नत्थीसिंह : तो जो मामले डिस्पोज ग्राफ हुए हैं उनकी जांच पुलिस के ग्रधिकारियों द्वारा की गई ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जी हां ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यहां कोई इस प्रकार के रूल्स लागू नहीं होते। यह तो क्रिमिनल केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज दर्ज कर के इन्वेस्टिगेशन चालू की जानी चाहिये। लोगों को किडनेप करा देना, डकैतियां करा देना ऐसे चार्जेज इन पर हैं जो सीरियस नेचर के क्रिमिनल केसेज हैं। ग्राप इसकी जांच करा लीजिये ग्रगर इनमें इसका प्रत्यक्ष हाथ साबित नहीं होता है तो मैं जो पैनल्टी हो उसके लिये तैयार हूं। इस तरह की चीजों के बारे में जांच नहीं करवाना....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि जितनी जिम्मेदारी से ग्राप चार्जेज लगा रहे हैं, ग्राप लिख कर दे दीजिये, उतनी ही जिम्मेदारी से मैं जांच करवा लूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : थानेदार डाकुग्रों से मिला हुग्रा है या नहीं इस सम्बन्ध में ग्रगर जांच होगी तो शायद साबित होना ग्रासान नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ग्रापको इस थानेदार के बारे में ग्राशंका है ? एक ही जगह तीन चार साल से है तो इस सम्बन्ध में तबादले के विषय में विचार नहीं कर सकते जब कि इस प्रकार की शिकायतें थानेदार के सम्बन्ध में की गई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ग्रर्ज किया कि ११ शिकायतें पेश हुई थीं, ५ डिस्पोज ग्राफ हो गई ग्रौर ६ पेंडिंग हैं। उस थाने में कब से तैनात हैं, इसकी जानकारी नहीं है लेकिन तबादले के लिये ग्रर्ज करना चाहता हूं कि रीजनेबल ग्राउन्ड्स हों, तथ्यहीन नहीं। थोड़ा सा भी तथ्य हो ग्रौर वह साबित नहीं हो तो भी एक्शन लेने के लिये सजा देने के लिये तैयार हैं लेकिन शिकायतें बिलकुल ही तथ्यहीन पाई जायं, गलत शिकायतें की गई हों तो माननीय नेता महोदय मानेंगे कि सर्विसेज में डीमोरेलाइजेशन होता है ग्रगर हम एक्शन लेते हैं तो।

(१२ मध्यान्ह पश्चात्)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय से इतना निवेदन करूं कि ११ शिकायतें उसके खिलाफ हुई हैं, ग्रगर वे मेलाफाइडी हैं। ग्रापका यह ग्रनुमान है कि मेलाफाइडी हैं तो ठीक है लेकिन जब ११ शिकायतें हुई हैं ६ डिस्पोज ग्राफ हो गईं, ५ पेंडिंग हैं। तो शायद प्राइमाफेसी इसके ग्रन्दर ट्रांसफर करना उचित हो। इतनी सारी शिकायतें होने के बाद ग्रगर ग्राप समझें कि मेलाफाइडी तो नहीं कहना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसको देख लूंगा ग्रौर इस दृष्टिकोण से देखूंगा जैसे ग्रापने सुझाव दिया है।

श्री रामकिशन : जब इतने गम्भीर ग्रारोप हैं, ग्राप कहते हैं कि जिन ग्रारोपों की जांच हुई हैं वे गलत पाये गये हैं। ये जो ११ ग्रारोप बनाये कितने दिनों से पेंडिंग हैं ग्रौर ट्रांसफर तो सजा नहीं है। इन्क्वायरी के सिद्धान्त की दृष्टि से कम से कम

(श्री रामकिशन)

जब इतने गम्भीर आरोप लग रहे हैं तो ऐसे आदमी को दूसरी जगह हटाने में क्या दिक्कत है ?

श्री **दामोदर लाल व्यास** : मैं कब कह रहा हूं कि ट्रांसफर नहीं करूंगा ? मैंने सिद्धान्त की बात बताई कि अगर बेसलेस एलीगेशन्स पर ट्रांसफर करते हैं तो सर्विसेज में डीमोरलाइजेशन होता है, पर ट्रांसफर रूटिन में हो जाय तो आपत्ति नहीं। मुझे उसे ट्रांसफर न करने की जिद्द नहीं है। मगर जो माननीय सदस्य गम्भीर आरोप लगा रहे हैं वे इस तरह के आरोप हैं कि इसमें ट्रांसफर तो क्या, बरखास्त भी नहीं बल्कि जेल जाना चाहिए। अगर ऐसे काम किये हैं तो उसको ईजीली डिस्पोज ऑफ कैसे कर दूंगा ? आप जो कुछ बता रहे हैं कि फलानी डकैती में उसका हाथ है, वह मुझे लिखकर दें, मैं पेंडिंग फाइल्स को मंगाऊंगा, मैं खुद इग्जेमिन करूंगा, अगर जरा सा भी शक हुआ कि वाकई उस आदमी का हाथ है तो लाजमी तौर से एक्शन उसके खिलाफ लूंगा और अगर शिकायतें बेसलेस पाई गईं तो आपको सूचित करूंगा।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : जो आदमी गवाही देने आयेंगे, उनको प्रोटेक्शन का आप इन्तजाम करेंगे कि थानेदार और उनके एजेण्टों द्वारा इनकी हत्या नहीं कर दी जायगी ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मैं आपको उनके नाम दूंगा, उनकी प्रोटेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

श्री **अध्यक्ष** : श्री हंसराज आर्य।

श्री **हंसराज आर्य** : प्रश्न संख्या ९४२।

उपनिवेशन उपमन्त्री (श्री मनफूलसिंह): इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मनोहर सिंह मेहता।

भीलवाड़ा से बिजोलिया तक बिजली लाइन पर व्यय

९४३. श्री **मनोहरसिंह मेहता** : (मांडलगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भीलवाड़ा से बिजोलिया तक बिजली ले जाने में कितनी रकम खर्च हुई ?

(२) भीलवाड़ा से बिजोलिया तक रास्ते में कितने बड़े कस्बे तथा गांव आते हैं और उनमें से किस-किस गांव को इसी वर्ष बिजली दी जा रही है ?

(३) बिजली मांडलगढ़ तथा बीगोद होकर जाये और ऐसे बड़े कस्बों को भी बिजली न मिले, इसका क्या कारण है ?

(४) इतनी बड़ी रकम बिजोलिया तक ले जाने में खर्च हुई इसका रिटर्न क्या मिल रहा है ?

(५) कितने कुओं को बिजली दी जा चुकी है और निकट भविष्य में कितनों को दी जाने वाली है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) अप्रैल १९६७ तक १२, ५१, ५३० खर्च हुए हैं।

(२) भीलवाड़ा से बिजोलिया तक रास्ते में सवाईपुर, बोगोद, मांडलगढ़ तथा लाड़पुरा कस्बे आते हैं। इन ग्रामों का विद्युतिकरण समय-समय पर एप्रूव्ड योजना के अनुसार किया जायगा।

(३) किसी भी ग्राम को बिजली न मिलना केवल धनराशि का अभाव होना है।

(४) बिजोलिया का विद्युतिकरण केवल अप्रेल १९६७ में ही हुआ है। अतः अभी रिटर्न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) अभी तक एक भी कुए को बिजली नहीं दी गई है क्योंकि कुओं को बिजली देने हेतु प्रार्थना-पत्र अब आने लगे हैं। निकट भविष्य में कितने कुओं को बिजली दी जा सकेगी यह प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने, उनके लाभप्रद होने आदि अनेक बातों पर निर्भर है।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : अब यह बिजोलिया मांडलगढ़ लाड़पुरा और बोगोद वहां से होकर बिजली निकली है तो कब तक मिलने की संभावना है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस वर्ष की स्कीम बना रहे हैं। एक आध सप्ताह में तैयार हो जायगी।

श्री **अध्यक्ष** : श्री सूरजमल !

श्री सूरजमल (**सूरजगढ़**) :

प्रश्न संख्या १४४

राजस्व उपमंत्री (श्री गंगाराम - चौधरी) : इस प्रश्न की पूर्ण सूचना अभी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल !

नठारा की पाल में लोहे की खानें

१४५. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) :

क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नठारा की पाल में लोहे की माइन्स की जांच खनिज एवं भूगर्भ विभाग की ओर से कराई गई थी ? यदि हां, तो कब तथा जांच कराने में कुल कितना खर्चा किया गया है ?

(२) क्या यह माइन्स चालू कराने के लिये किसी कंपनी को दी गई है ? यदि हां, तो कितने समय के लिए और कब तक दी गई है ?

(३) क्या माइन्स का कार्य चालू हो चुका है ? यदि हां, तो कब से ?

उपमंत्री खनिज (श्री मनफूलसिंह) :

(१) जी हां। सन् १९५४ -५५ से। १९६२ - ६३ तक। कुल खर्चा रु० १०८५-९४ - ०५ का हुआ।

(२) यह माइन्स मैसर्स पी० पी० सिंघल एण्ड कंपनी उदयपुर को २० वर्ष के लिए दिनांक ३१ - ७ - ६३ से लीज पर दी गई थी बाद में दिनांक १६ - ७ - ६५ से मैसर्स कमानी इन्डस्ट्रीयल कं. लि. बोम्बे को हस्तान्तरित की गई।

(श्री मनफूलसिंह)

(३) जुलाई ६४ से केवल डेढ़ माह के लिए कार्य चालू हुआ जिसके बाद में पिग आयरन प्लान्ट का मसला तय नहीं होने से बन्द है।

श्री देवीलाल : कब चालू हो जायगा ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : पिग आयरन के लिए जो फारमैलिटीज थीं लगभग पूरी हो गई हैं। मैं समझता हूं कि फोरेन कोलेबोरेशन का फैसला हो रहा है तो निकट भविष्य में कार्य शुरू हो जायगा।

श्री देवीलाल : कितना समय लगेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तारीख नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री खेतसिह-८०३।

He is absent.

श्री पृथ्वीसिंह !

ग्राम बाली (जिला पाली) के अस्पताल भवन का बेचान

१४६. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार गांव बाली, जिला पाली में बने सरकारी अस्पताल को बेचकर दूसरा नया अस्पताल बनवाने की सोच रही है ? अगर हां, तो बेचने का क्या कारण है ? क्या यह स्थान अस्पताल हेतु उपयुक्त नहीं है ?

(२) अगर सरकार ने बेचने का निर्णय कर लिया है तो बेचान नीलामी द्वारा किया जायगा अथवा किसी अन्य तरीके से ?

उपमन्त्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह):

(१) जी हां। क्योंकि पुराना अस्पताल भवन जो सन १८९९ में बनवाया गया था वह बहुत हो जीर्ण अवस्था में पुराना होने के कारण अस्पताल के लिए उपयुक्त नहीं है।

२) सरकार ने बेचान करन का निर्णय कर लिया है। यह बेचान नीलामी द्वारा न किया जा कर इस प्रकार होगा कि श्री सागरमल चौपड़ा पुराना अस्पताल भवन ६०,०००) रुपया में लेकर नया अस्पताल १,००,०००) रुपए की लागत का बनवा कर सरकार को सौंप देवें।

श्री पृथ्वीसिंह : तो यह जो नया अस्पताल बनेगा वह उनके पैसों से बनेगा या सरकार बनायेगी तीन लाख से ?

राव श्री धीरसिंह : एक लाख रुपए से बनेगा। ६० हजार में तो जो अभी अस्पताल मौजूद है उसको वे खरीद लेंगे और ४० हजार वह देंगे, एक लाख के अन्दर नया भवन बन जाएगा।

श्री पृथ्वीसिंह : यह जो पुराना भवन है इसको नोलाम यदि किया जाय तो ६० हजार से ज्यादा कीमत नहीं आएगी ?

राव श्री धीरसिंह : नीलामी की कार्यवाही जब की गई तो बोली नहीं लगी और

Page No. 33

(राव श्री धीरसिंह)

न्यूनतम बोली ६० हजार की लगी। यह रिपोर्ट तहसीलदार की है उसके बाद निर्णय लिया गया। पहले देख चुके हैं कोई ओपन ऑक्शन में खरीदने को तैयार नहीं था।

श्री पृथ्वीसिंह : अगर पुनः इसी स्थान पर नया अस्पताल बनवाया जाय तो उपयुक्त होगा। यह तो उत्तम स्थान है।

राव श्री धीरसिंह : जहां नया अस्पताल बना रहे हैं वह भी अच्छे स्थान पर बनेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : यह अस्पताल की भूमि और जो मकान है, आज भी अगर नीलाम द्वारा बेची जाय तो उसकी कीमत एक लाख से ज्यादा आयेगी। आपने ६०,०००) में सागरमल को बेचने का निर्णय किया है, वह किन तथ्यों के आधार पर किया गया है ?

राव श्री धीरसिंह : आप अगर कोई खरीदने वाला बता सकते हैं। तो हम विचार कर लेंगे। हमने सभी डेलीज में नीलाम का नोटिस शाया कर दिया था। तहसीलदार द्वारा किया गया और रिपोर्ट मिली कि कोई खरीदने के लिए नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : आज भी इस भूमि और मकान को नीलाम न किया जाय तो ६०,०००) से ज्यादा अवश्य आयेंगे. लेकिन आपने यदि राजनैतिक तथ्यों के आधार पर बेचा है तो वह बात दूसरी है।

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): खरीदार को आप पेश कर दें, हम देने के लिए तैयार हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : ६१,०००) रुपया तो मैं दे सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी बोली दर्ज करूंगा और कोई आगे बढ़ जायेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : यह जो ६०,०००) में बेचान का सौदा किया गया है, उसको स्थगित कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरी दुविधा है कि आपने यहां ही बोली लगा ली, यह उचित नहीं था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): यह जो इसमें कार्यवाही की गई है, वह स्थगित की जायगी या नहीं, मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने जो बोली लगाई है, वह अपने इन्ट्रेस्ट के लिए नहीं लगाई है, बल्कि सरकार के इन्ट्रेस्ट में है।

श्री अध्यक्ष : ६१,०००) की बोली लगाई है, आगे बढ़ने का प्रयास करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या निश्चित रूप से सरकार इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करेगी कि इस बारे में जो कुछ नीलामी की गई है। या बेचान की व्यवस्था हुई है, वह रद्द की जायगी ?

राव श्री धीरसिंह : नीलामी पहले जब की गई, उस पर बोली नहीं लगी अब वह

Page No. 34

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है। वह लिख दें कि वह ज्यादा बोली लगाने को तैयार हैं तो·······

श्री पृथ्वीसिंह : अगर नीलाम किया जाय तो ६१,०००) में दे सकता हूं। एक लाख तक की उम्मीदकर सकता हूं।

राव श्री धीरसिंह : इसका दुबारा नीलाम करवाया जायगा।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जामसर डाडूसर सड़क कार्य

९४७. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जामसर-डाडूसर सड़क का कार्य वहां के किसी एक मेट के विरुद्ध कुछ शिकायतें होने से बन्द कर दिया है जब कि वहां पर करीब चार सौ व्यक्ति जो कि अकाल से प्रभावित हैं, काम कर रहे थे ? अगर हां, तो कार्य बन्द करके राहत कार्य में लगे मजदूरों को क्यों सजा दी जा रही है ?

(२) क्या सरकार उक्त कार्य को तत्काल शुरू करवायेगी तथा जिस अफसर ने कार्य बन्द करवाया है उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के आदेश देगी ?

उपमंत्री : अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी):

(१) जी नहीं।

(२) जामसर में जिप्सम की खानों पर वैकल्पिक रोजगार मिलने से श्रमिक सड़क कार्य में अभिरुचि नहीं लेते। अतः सड़क पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भीमसेन : सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है गलत जवाब दिया जा रहा है ४०० मजदूर काम कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (अकाल सहायता मन्त्री): जिप्सम खान पर मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर आने केलिये तैयार हों तो विचार किया जा सकता है।

श्री भीमसेन : पांच सौ, छः सौ मजदूर आने को तैयार हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप यहां से जाकर प्रयत्न कीजिये और आप वहां से तार दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल ?

फूड एडल्ट्रेशन के मामलों को रोकने के लिये व्यवस्था

९४८. **रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार अनुभव करती है कि फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिये वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और फूड इन्स्पेक्टर्स द्वारा मिलावट के मामलों में रिश्वत लेने की काफी संभावना रहती है ?

(२) क्या सरकार इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिये किन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उपमन्त्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह): (१) फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिये वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। खाद्य निरीक्षकों द्वारा मिलावट के मामले में रिश्वत लेने की संभावना अवश्य रहती है। किन्तु जब भी कोई रिश्वत लेने की सूचना मिलती है तो इसकी जांच करवाई जाकर संबन्धित फूड इन्स्पेक्टर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(२) खाद्य निरीक्षकों के कार्य पर विशेष निगरानी रखने के लिये तथा अचानक चैकिंग के लिये सहायक संचालक, स्वास्थ्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पहले ही से खाद्य निरीक्षक के अधिकार दिये गये हैं।

श्री विजय सिंह (मकराना): कांग्रेस में जो मिलावट हो रही है उसपर क्या विचार किया जा रहा है?

श्री नत्थीसिंह : उसमें शुद्धि हो रही है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : एक प्रश्न मेरा रह गया।

श्री अध्यक्ष : वह तो बहुत पहले समाप्त होगया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री ने ही इनका प्रश्न समाप्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

देवगढ़ में १०४ किलोवाट का इंजिन लगने की कार्यवाही

६३१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ में १०४ किलोवाट के इंजिन लगाने की कार्यवाही चल रही है?

(२) यदि हां, तो क्या मंजूरी मिल गई है? किस स्थान से इंजिन हटाकर देवगढ़ भेजा जायेगा?

(३) कब तक यह इंजिन एलॉट हो जायेगा?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। कांकरोली से इंजिन शिफ्ट किया जायेगा।

(३) इंजिन एलॉट हो गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भारत सेवक समाज को सहायता

७१६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में भारत सेवक समाज को राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता दी जाती है?

उत्तर

पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा भारत सेवक समाज, जयपुर को राजस्थानमें लोककार्य क्षेत्रों के लिये अनुदान राशि दी जाती है। वर्ष वार अब तक दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार हैं:

(श्री मुख्य मन्त्री)

वर्ष	अनुदान दी गई राशि	लोक कार्य क्षेत्रों की संख्या
१	२	३
१९६१-६२	२५०००	५
१९६२-६३	५००००	१०
१९६३-६४	४७०००	१०
१९६४-६५	५६४००	१४
१९६५-६६	६६९५०	१५
१९६६-६७	५४२६८	१३

अनुदान प्रदान करते समय वर्ष के अन्त में भारत सेवक समाज के पास बची हुई राशि का समायोजन किया जाता रहा है।

इस अनुदान के अलावा भारत सेवक समाज को वर्ष १९६२ व वर्ष १९६३ में १.०० लाख व २.०० लाख रुपये क्रमशः (कुल ३.०० लाख) रुपये निर्माण कार्यों हेतु ऋण दिया गया था जो भारत सेवा समाज द्वारा पांछ वार्षिक किश्तों में वापस चुकाना था। परन्तु प्रथम ऋण १.०० लाख में से केवल दो किश्तें ४०,०००) की ही जमा कराई गई अतः २,६०,०००) रुपये की राशि भारत सेवक समाज में बकाया है। इस राशि को वसूल करने को कार्यवाही की जा रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सेवक समाज, जयपुर को राजस्थान में सामाजिक गतिविधियों के लिए निम्न अनुदान दिया गया है।

सन्	अनुदान या राशि की रकम	
१९५७-५८	रु०	२०,०००
१९५७-५९	रु०	२५,०००
१९५९-६०	रु०	३०,०००
१९६०-६१	रु०	३०,०००
१९६१-६२	रु०	३०,०००
१९६२-६३	रु०	३०,०००
१९६३-६४	रु०	२५,०००
१९६४-६५	रु०	३०,०००
१९६५-६६	रु०	३०,०००
१९६६-६७	रु०	१५,०००

पुरुषार्थियों से किश्तों की वसूली

७२०. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या पुर्नवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गंगानगर जिले में पुरुषार्थियों द्वारा दी जाने वाली कुल किश्तों की कितनी रकम बकाया है और अब तक कितनी वसूल हो चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि नॉन-क्लेमेंट पुरुषार्थियों से गंगानगर जिले ५.०० रु० फी स्टेन्डर्ड एकड़ वसूल होती है, और उसी आधार पर एलॉट शुदा जमीन के लिए अलवर-भरतपुर जिलों में १५० रु० फी स्टेन्डर्ड एकड़ वसूल किया जाता है।

(३) क्या यह सही है कि ब्याज की वसूली भी अलवर, भरतपुर जिलों में १९६३ से की गई है जब कि गंगानगर जिले में

(श्री केदारनाथ)

ब्याज की दरें सन १९५४ से लागू की गई हैं ?

उत्तर

(१) इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत सरकार से है। इसलिए राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दे सकती।

(२) गंगानगर जिले के नान क्लेमेंट पुरुषार्थियों से जमीन की कीमत किस दर से ली जाती है इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है, जहां तक राज्य सरकार को जानकारी है निष्क्रान्त कृषि भूमि की कीमत ४५०) रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से वसूल की जाती है।

यह सही है कि अलवर भरतपुर के जिलों में ली जाने वाली कीमत १५०)रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से वसूल की जा रही है।

(३) जी हां। जहाँ तक गङ्गानगर जिले में व्याज वसूल करने का प्रश्न है इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है। अतः इसकी कोई जानकारी नहीं है।

गंगानगर में डिफेन्स रोड पर व्यय

७२१. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजस्व (भूमि सुधार मन्त्री) यह बताने की कृपा करेंगे :

गंगानगर जिले में डिफेन्स रोड के नाम से अब तक कितना रुपया दिया गया ? और वह रुपया किस-किस रोड पर कितना-कितना खर्च किया गया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भारत-पाक संघर्ष के दौरान मारे गये अपाहिज हुए तथा लापता व्यक्तियों को सहायता

७२२. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ६५-६६ में भारत-पाक संघर्ष के दौरान राजस्थान में कितने नागरिक मारे गये, अपाहिज-हुए और कितने लापता हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन नागरिकों को अब तक राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी और किस किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(१) मृतकों आश्रितों से १५००) रु० अनुग्रहीत अनुदान तथा उनके लड़कों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा।

(२) (अ) स्थाई एवं पूर्णरूपसे विकलांग हुए व्यक्तियों को १५००) रु० अनुग्रहीत अनुदान :

(ब) अस्थाई रूप से विकलांग अथवा हताहत हुए व्यक्तियों को :

Page No. 38

(श्री राजस्व मन्त्री)

(१) २५०) रु० अनुग्रहीत अनुदान

(२) ५०) रु० तीन माह तक अनुदान

(३) निशुल्कः चिकित्सा ।

(३) अपहरण किये गए व्यक्तियों को :

(अ) अपहरण किये गए व्यक्ति जिन्हें मृतक समझ लिया गया १५००) रु० अनुग्रहीत अनुदान ।

अपहरण किये गये व्यक्ति जो भारत वापस आ गये हैं ।

(१) अनुपस्थिति यदि २ माह या अधिक रही हो १०००) रुपये अनुग्रहीत अनुदान ।

(२) अनुपस्थिति यदि दो माह से कम रही हो तो ४००)रु० अनुग्रहीत अनुदान ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील हिंडोली में मुफ्त खाते बांधी गई भूमि

७२३ श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील हिंडोली में दिसम्बर, १९६६ और जनवरी, १९६७ में कितने केसेज में जमीन मुफ्त खाते बांधी गई और कितनों में मपैसे व पेनेल्टी लेकर बांधी गई ? ग्रामवार बतलाने की कृपा करें ।

उत्तर

तहसील हिन्डौली में माह दिसम्बर, ६६ तथा जनवरी ६७ में कोई जमीन मुफ्त खाते नहीं बांधी गई । अलबत्ता ५१२ केसेज ट्रेसपासर्स के नियमन किये गये हैं । सभी केसेज में ट्रेसपासर्स से पेनेल्टी वसूल की गई है । इस संख्या में जिला, नाम, कुओं के स्वामित्व के मामले भी शामिल हैं । जो भूमि कमांड क्षेत्र में आती थी उसमें पेनेल्टी के अलावा भूमि की रिजर्व प्राइस भी वसूल की गई है । ग्राम वार सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

पाली जिले में गैर आबादी भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

७२४. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में गैर आबादी (कृषि आदि की भूमि) भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के कितने व कहां - कहां के मामले कब कब से विचारार्थ पेंडिंग पड़े हैं और उन्हें कबतक निपटा दिये जाने की आशा है ?

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(२) पिछले तीन वर्षों में किस किस वर्ष में कितनी-कितनी व कहां-कहां नई आबादी भूमि तय करदी गई ?

उत्तर

(१) पाली जिलेमें गैर-आबादी भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के ४७मामले विचाराधीन हैं। सूची १ संलग्न है।

(२) वांछित सूचना की सूची२ संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रामों में भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

७ ५. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

ग्रामों में भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन शीघ्र करने के लिए सरकार क्या कोई नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) ग्रामों में भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने के लिए नियमों मे परिवर्तन करने का सरकार विचार रखती हैं और ऐसा शीघ्र किया जावगा।

तहसील पचपदरा में भूमिहीन शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को भूमि का अलाटमेन्ट

७२६. श्री कालूराम (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर जिला की तहसील पचपदरा में आज दिन तक कितने भूमिहीन शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को भूमि एलॉट हुई ?

(२) बाड़मेर जिले की तहसील पचपदरा में गत साल में जिन शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को जो भूमि एलॉट हुई थी, क्या उसका कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है ?

उत्तर

(१) बाड़मेर जिले की तहसील पचपदरा में आज तक ३०१ भूमिहीन शिडयूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई है।

(२) गत साल में जिन शिडयूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को भूमि एलोट की गई थी, उनको कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है।

अजमेर जिले की गिरदावरी

७२७ श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

अजमेर जिले की गिरदावरी इस वर्ष अनावश्यक वर्षा के बाद में की गई थी या पहले ? अगर पहले और बाद में दोनों बार की गई हो तो कृपया इनका फर्क तुलनात्मक रूप से सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान लेंड रेवेन्यू (भू-अभिलेख) नियम, ५७ के नियम ५८ के अनुसार खरीफ,

Page No. 40

(श्री राजस्व मन्त्री)

बी व विशेष रबी की गश्त गिरदावरी के समय निम्न प्रकार निर्धारित हैं—

नाम फसल	दिनांक जब से गिदावरी शुरू की जानी चाहिये।	दिनांक जब तक गिरदावरी की जानी चाहिये।
खरीफ	प्रत्येक वर्ष की १ अक्टूबर	प्रत्येक वर्ष की ३१ अक्टूबर
रबी	प्रत्येक वर्ष की १६ फरवरी	प्रत्येक वर्ष की १५ मार्च
जायद	प्रत्येक वर्ष की १६ अप्रेल	प्रत्येक वर्ष की १५ मई

नियम ५८ (२) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (भूअभिलेख) नियम ५७ के अन्तर्गत जिलाधीशों को शक्ति प्रदत्त की गई है कि वह गश्त गिरदावरी का उपरोक्त समय से खरीफ में १५ दिन पूर्व व रबी में १५ दिन बाद गिरदावरी शुरू करने की आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। इन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले में खरीफ २०२३ में गिरदावरी ब्यावर सब-डिवीजन में १५-९-६६ से शुरू करने की आज्ञा दी गई थी व रबी संवत् २०२३ में २७ फरवरी, १९६६ में प्रारम्भ करने की आज्ञा दी गई ।

समय में परिवर्तन जिले में असामयिक वर्षा होने के कारण किया गया था।

अकालग्रस्त घोषित जिलों में राहत कार्य

७२८. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के किन-किन जिलों में अकाल-घोषित किया गया है और उनमें अलग-अलग कितना २ राहत कार्य शुरू किया गया है ? कृपया सूची सदनकी मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कोटा जिले को किन-किन तहसीलों में अकाल की स्थिति आंकी गई थी और उनमें से कौन २ सी तहसील में राहत कार्य शुरू कर दिये गये हैं ? यह भी बतावें कि इनमें से कितनी तहसीलों में लगान की छूट दी गई है और कितनी ?

उत्तर

(१) खरीफ सं० २०२३ में उत्पन्न हुई अभावस्थिति के फलस्वरूप राजस्थान के जिन जिन जिलों में अकाल घोषित किया गया है और उनमें अलग २ कितने २ राहत कार्य शुरू किये गये इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना अकाल सहायता विभाग द्वारा दि० ३०-४-६७ को प्रकाशित संक्षिप्त विवरण में दी गई है। जिसकी प्रति पहले ही सदन को मेज पर रखी जा चुकी है।

(२) कोटा जिले की तहसील लाडपुरा, पीपल्दा बारां, किशनगंज व रामगंज मन्डी तथा सब-तहसील इन्द्रगढ़ में क्रमशः ३२. ६३, १०, २२, २८, व ८२ कुल २३७ गांव खरीफ सं० २०२३ में अभावग्रस्त घोषित किये गये। इनमें से तहसील पीपल्दा एवं सब तहसील इन्द्रगढ़ में निम्न लिखित राहत कार्य प्रारम्भ करवाये गये : —

(श्री अकाल सहायता मन्त्री)

क्र० सं० तहसील एवं सब तहसील	नाम कार्य
१-तहसील पीपल्दा	१-सड़क खातौली से बागली २-सड़क रामपुरा से नयापुरा गांव ३-तालाब से बोरड़ा
२-सब तहसील इन्द्रगढ़	१-तलाब बलवन २-बांध बेजपुर

उक्त तहसीलों में से किसी भी तहसील में लगान की छूट नहीं दी गई है । नियमानुसार प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में ३० सितम्बर, ६७ तक वसूली स्थगित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, कलन्द्री एवं अनादरा में डाक्टर की कमी

७२६. श्री मदनसिंह (सिरोही) : क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे:

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, कालन्द्री और अनादरा में डाक्टर कब से नहीं है ?

उत्तर

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, कालन्द्री (जिला सिरोही) में डा० नरेन्द्र कुमार शर्मा दिनांक ३१-१-६७ से कार्य कर रहे हैं और अनादरा राजकीय डिस्पेन्सरी में दिनांक १-१०-६० से डाक्टर का पद रिक्त है ।

कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में अकाल ग्रस्त सरकार

७३०. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किऐ गये हैं ?

(२) अकालग्रस्त घोषित गांवों में अकाल सहायता की क्या योजनाएं बनाई गई हैं ।

(३) कितने अकालग्रस्त लोगों को इससे लाभ पंहुचेगा ?

उत्तर

(१) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर गांवों की घोषणा नहीं की जाती है । तहसील कोलायत में खरीफ सम्वत् २०२३ में ८४ गांव अभावग्रस्त घोषित किए गये हैं ।

(२) अकालग्रस्त क्षेत्रों में सड़क-निर्माण कार्य एवं भू-संरक्षण कार्य चलाये जा रहे हैं ।

(३) उपरोक्त कार्यो से लगभग ४००० ग्रामीणों को लाभ पहुंच रहा है ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि श्री बृजेन्द्रपाल ने दिनांक ६-७-६७ से इस सत्र की अवधि समाप्ति तक सदन से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना की है ।

Page No. 42

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, श्री दामोदरलाल व्यास !

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्यसलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करता है ?

(स्वीकृत)

समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य के नगर क्षेत्र में वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमियों तथा भवनों पर करारोपण के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री नाथूसिंह : क्या इस विधेयक को वापिस लेने का तो इरादा नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं, कतई नहीं ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आगामी सत्र से मतलब क्या अगस्त में होने वाले सत्र से है या नेक्स्ट सेशन से है ?

श्री मथुरादास माथुर : नेक्स्ट सेशन ।

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य देंगे ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा स्पष्टी करण

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में एक अखबार की ऐसी चर्चा हुई जो मेरे लिये एक सबसे बड़ा दुःख का कारण है । इस-लिये दुःख का कारण हुई कि इसका मुझे सपने में भी ख्याल न था । मैं सोच नहीं

Page No. 43

(श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद)

सकता ग्रौर न समझ ही सकता था। ग्रखबार में यह मामला जिस प्रकार से ग्राया वह मेरी देशभक्ति का सवाल है। जिसने मेरे दिल ग्रौर दिमाग को बिल्कुल खत्म कर दिया। ग्रध्यक्ष महोदय, कल जिस समय एक ग्रखबार का हवाला देते हुए कहा गया में उसी वक्त बोलने की कोशिश करता, लेकिन उस समय उस बात का मेरे दिल ग्रौर दिमाग पर इतना जबरदस्त ग्रसर हुग्रा कि कल में कुछ नहीं कह सका। ग्राज भी मैं जो कुछ कहूंगा वह बहुत थोड़ा होगा ग्रौर सादा होगा। उसका ग्रसर चेयर पर क्या होता है सदन के ऊपर क्या होता है यह सब कुछ ग्राप पर निर्भर होगा।

इस सिलसिले के ग्रन्दर दो पहलू थे एक पहलू तो जिन्दा रहने का ग्रधिकार है ग्राजादी के साथ इस देश के ग्रन्दर।

दूसरा सवाल था एक फौजी का संबन्ध, उसका संबन्ध जिस के साथ रहा है, जिसके बीच में पला है, बड़ा हुग्रा है, जिसके लिये उसने ग्रपनी जान तक की परवाह कभी नहीं की हो। खैर में इस पहले सवाल को कतई नहीं छेड़ता। एक ग्रादमी को ग्रपनी जिन्दगी में रहने का ग्रधिकार हो सकता है या नहीं जिस सवाल को लेकर मैं चलता हूं मेरा किस तरह का फौज के साथ संबन्ध रहा है ३६ वर्ष का संबन्ध है। मामूली संबन्ध नहीं जो उनके साथ रात-दिन रहा हो, सारी जिन्दगी रहा हो जिनके हर दुःख दर्द में शरीक रहा हो, जिसने यही ग्रपना फर्ज समझा हो ग्रौर फौजी को ग्रपना फर्ज यही समझना चाहिये।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं उन जगहों पर पहुंचा जहां कि मामूली ग्रादमी ग्रपने फौज के हथियार को देखने नहीं पहुंच सकता। उन जगहों पर उन लोगों के शामिल रहा, सलाह मशविरा में शामिल हुग्रा जहां पर इतबार किया गया, एक फौजी के वारिस के नाते, फौजी के नाते जो हमेशा ग्रपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। एक सिपाही यह पसन्द करता है वह मर जाय वह सिपाही गद्दार होना कभी पसन्द नहीं करेगा। ग्रध्यक्ष महोदय, इसी नाते से में प्रेसीडेन्ट का ए० डी० सी० रहा। रईस की हालत नहीं जिससे जब चाहे छुट्टी मिल जाय। जिम्मेदारी की हैसियत से ए० डी० सी० के पद पर गया उनके साथ-साथ रहा उनकी ड्यूटीज में रहा, खाने में, पीने में उनके साथ रहा। उनकी जिन्दगी की जिम्मेदारियां मेरे पर। थी उनकी खिदमत का मौका मुझे रहा। लेकिन इसके साथ-साथ वह भी पहलू था जब चीन का एग्रेशन हुग्रा उस वक्त उसी हालत में ग्रपने रिसाले के साथ सातवें रिसाले के साथ नेफा के फ्रन्ट पर था उन फौजों में मुझे भेजा गया जहां राजस्थान के सिपाही थे। एक राजस्थानी के नाते उस हैसियत से मेरा उनसे मिलने के लिये जाना हुग्रा।

पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई उस समय मेरा पहला तार था जिसमें मैंने ग्रपनी सरविसेज ग्रॉफ़र की ग्रौर सातवें रिसाले के साथ टैंकों के साथ इच्छोगिल केनाल थी वहां में ग्रकेला मुसलमान था ग्रौर सातवां रिसाला था इसलिये वहां धर्म का रिश्ता नहीं था सिपाही का रिश्ता था, नागरिकता का रिश्ता था, एक हिन्दुस्तानी का रिश्ता था।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज जब हम यह

Page No. 44

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

सुनते हैं हमारे बाप दादे इसमें, इस धरती पर खप जाते हैं। मेरे रिश्तेदार इस फौज में रहे, इसी में मरे और जिये यह तवारिख हिन्दुस्तान में हमारी रही। मेरा सगेजात भाई फौज के अन्दर, हिन्दुस्तानी फौज के कमान्ड के अन्दर काश्मीर फ्रन्ट पर गया, पाकिस्तान को फौजों का मुकाबला किया और वह आज कर्नल के ओहदे से रिटायर हुआ। उसके मुकाबले सगा भाई पाकिस्तान की फौजमें था और वहां भाइगिरी का रिश्ता नहीं मुल्क और देश के लिये जोफर्ज है सिपाही का वह फर्ज सिपाही समझता है। दूसरा मेरा चचाजाद भाई अपनी फौज का कमाण्ड करते हुए किस तरह से मारा गया पाकिस्तान की सरहद पर मारा गया। अपने जख्मियों को हटाते हुए मारा गया। जख्मियों को हटाता रहा। वायरलेस करके टैंक मंगाया। अकेले ने सब जख्मियोंको उसमें लादा। जिस समय लाद रहा था तो दुश्मनका एक गोला फटा। उसमें उसका आधा जिस्म उड़ गया। पर आखिरी कमाण्ड उसका यह था कि उसे नहीं ले जा सकते, तुम जख्मी सिपाहियों को वापस ले जाओ। उस हालत में छोड़कर टैंक आया।

(हीयर, हीयर की ध्वनि)

इसी तरह एक दूसरा मेरा रिश्तेदार फौज में मारा गया। पाकिस्तानी सिपाही से लड़ने के लिये सीने में गोली खाकर मारा गया। आज उनकी लाश है पाकिस्तान हिन्दुस्तान की सीमा पर हिन्दुस्तानके खातिर उसका जिस्म खाक हो गया है। उसने सीने में पाकिस्तान की गोलियां खाई हैं। देश की मिट्टी में मिल गई हैं।

(तालियां)

आज हिन्दुस्तान के सरे जमीन में हिन्दुस्तान की खातिर हमारे रिश्तेदारों का किसी का भी हो, हमारा खून जो है उसने हिन्दुस्तान की जमीन को सींचा है, वफादारी से उसकी खातिर लड़कर मुकाबला करके दुश्मनों का। तो इस तरह की मिसालें बहुत हैं।

मैंने तो यह इसलिये कहा कि मेरा क्या दुःख था। जब मुझे पी डब्लू. डी. का महकमा मिलता है तो जिम्मेदारी मिलती है भारी। बोझा मिलता है, इसलिये भी ज्यादा खुश था कि मुझे ज्यादा बोझा मिला। काम करने का मौका मिला और ज्यादा खुश हुआ कि इस महकमें के अन्दर एक ऐसा काम भी है जिसका ताल्लुक देश की सुरक्षा से है, फर्ज से है, जिम्मेदारी से जल्दी करने का है और ईमानदारी से पूरा करने के लिये है। यह मेरी खुशी थी। यह खुशी जो थी मेरी उस पर क्या दुःख पहुंचा ये बातें सुनकर, यह मेरा दिल ही जानता है। पर मैं निराश नहीं हुआ हूं। मेरा दिल ऐसा कमजोर नहीं है कि अपने फर्ज से दब जाऊं या शरमिन्दा होऊं। शरमिन्दा तो वह हो जिसके दिल में खोट हो, जिसको दुनियां का लालच हो। मैं तो उसे सरे जमीन में पैदा हुआ, मेरे बाप दादे पैदा हुए, वे यहां रहे, यहीं मर गये, मारे गये, देश के खातिर मारे गये। फांसी पर लटके। हमारी रियासत जब्त हुई। जो कुछ हुआ पिछली तवारीख में, आज मेरी भी तमन्ना है कि इसी सरे जमीन पर मेरी भी जान कुरबान हो, मैं भी इस सरे जमीन पर फना होऊं।

यह तमन्ना लेकर इस काम को लेकर मन्त्री महोदय से कहकर दूसरे कामों को छोड़कर मैं उनके इम्पलायरेशन के लिये अपनी

Page No. 45

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

सड़क पर रवाना हुआ। जिस तारीख को प्रोग्राम बना उस तारीख को रवाना हुआ। उस वक्त दिमाग में नहीं था कौन रहता है, कौन बचता है, पर जहां कहीं पहुंचता हूं अपने सदन के सदस्य मिल जाते हैं तो मेरी फर्ज हो जाता है कि मैं उनसे मिलूं चाहे वे किसी पार्टी के हों, उनसे बात करूं उनके पास जाऊं। जब हादी जी के यहां जाने का जिकर होता है तो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वहां का प्रोग्राम सड़कों के देखने का था। एक हादी के गांव में जाने का सवाल नहीं था, जो सड़क थी, उसके करीब ही उनका गांव पड़ता था। अगर एक सदस्य ने चाहा कि हम लोग जो कि डेपूटेशन के रूप में टोली की टोली थी, जा रही थी वहां जाएं दोपहर का खाना खा लें तो ऐसा जुर्म नहीं था कि मेरा दिमाग काम करता कि एक सदस्य के यहां न रुकूं। मेरे साथ सरे सदस्य माननीय बिरदीचन्द जी भी थे। गंगाराम जी मेरे साथ थे। तमाम अमला मेरे साथ था। बाड़मेर का जो वहां के हुक्काम थे वे साथ थे। इन्जीनियर साथ थे। वे भी वहां गये।

दूसरा मकसद यह था कि फेमीन को रोड बनाने का सवाल था। वहां एक वह सड़क बनने जा रही थी जिसको महकमा चाहता था, गांव वाले चाहते थे। जब मंजिल में पहुंचे तो यकीन दिलाता हूं कि सपने में भी यह नहीं था कि वह जुम्मे का दिन है। नमाज भी कहीं हो रही होगी। कोई मुसलमान या हिन्दू भी यहां बसता है। वहां जो था, वह भीड़ थी जो मेरे सामने खड़ी थी। सरपंच थे, पंच थे, लोग यह कहने के लिये कि हमको गेहूं चाहिये, हमें अनाज चाहिये, मजदूरी चाहिये, हमें यह चाहिये और वह चाहिये। मैंने उनकी दरख्वास्तें लीं, उनकी बातें सुनीं, जवाब दिया। और एक मन्त्री के नाते उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाया। मैं अपना काम करने आया। इसी को काफी नहीं समझा। मैं अपनी पोस्ट पर भी पहुंचा यह हालत देखने के लिये कि मेरी पोस्टों पर रहने वालों की क्या हालत है। एक मन्त्री के नाते और देश के एक सिपाही के नाते भी एक सिपाही जो हमारी सीमा की हिफाजत कर रहा है उसकी जिन्दगी कैसी है, वह कैसा खाना खा रहा है, कैसा पानी पी रहा है, किसी चीज की कमी तो नहीं हैं, यह देखने गया। वहां से खड़ा हो कर मुकाबले में पाकिस्तानी सिपाहियों को भी देखा। वे भी दूर से नजर आये।

एक माननीय सदस्य : बातचीत भी हुई क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: आप जो चाहें सो कहें आपका जो दिल चाहे सो कहें। आप मालिक हैं आप समझदार लोग हैं। आपके जजबात एक तरफ हो सकते हैं। आपके फरायज दूसरी तरफ होने चाहिये थे। खुदा के लिए जजबात को फरायज को साथ लेकर मत चलिये। एक नागरिक भाई का सवाल है, एक देश का सवाल है। एक देश का जो आपका संविधान है बना हुआ उसका सवाल है, उस पर फरायज पर, जिम्मेदारियों पर कोई धब्बा या दाग नहीं आना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि

Page No. 46

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

में इन्डिविजुअली ऐसी चर्चा के लिये एक आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं, सदन का प्रोटक्शन चाहता हूं। सदस्य के नाते चाहता हूं कि इस नाते चहता हूं कि अखबारने लिखा है। इसकीचर्चा सदन में हुई है और ऐसी चीज मेरे लिये दुख की और चिन्ता की बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! मन्त्रीमहोदय

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस प्रश्न को सदन में जब उठाया गया तो मांग की थी कि जिस अखबारने जिस समाचार को छापा है उससे उसकी सत्यता के बारे में जानकारी ली जाय। यदि चाहे जो अखबार इस प्रकार किसी भी माननीय सदस्य की राष्ट्रीयता के बारे में सन्देह का प्रश्न उपस्थित कर देगा तो किसी भी नागरिक के लिये इज्जत के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जावेगा। हम जानते हैं जिन्होंने पंजाब में शिक्षा पाई। मेरा ननिहाल लाहोर में है। मैंने लाहोर में ही अपनी शिक्षा पाई है। आज मेरा दिल रोता है,वहां की जब याद करता हूं, जब याद करता हूं वहां के विश्व विद्यालय को, वहांके गार्डन्सको और उस माल रोड को जहां पर मैंने अपनी जिन्दगी के अच्छे दिन बिताये हैं। तो क्या इन्सान भी दो इन्सान हो गया। क्या हम अपनी पुरानी जिन्दगी को याद करें नाते रिश्तेदारोंसे मिलें तो इन्सानियत के नाते यह भी शक को निगाहसे देखा जावेगा ? अगर किसी का रिश्तेदार उधर रहता है, आज मेरे दोस्त उधर रहते हैं तो उनसे मिल लूं या वे इधर आकर मिल लें तो इसी वजह से हमारी राष्ट्रीयता में सन्देह पैदा हो जावे या कोई समाचार पत्र छाप दे और हम सीरिय उससे लोले लें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई रुकावट होनी चाहिये और अवश्य जिस अखबारने 'प्रजा सेवक' ने इसको छापा है उसकी सत्यता की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। मैं समझता था कि रिप्लाई के साथ यहां स्पष्टीकरण आवेगा कि इसके पीछे सत्यता है या नहीं। नहीं है तो बहुत सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिये वैसा ही जैसा अराष्ट्रीय तत्व साबित हो गया होता। एन्टी नेशनल केवल वहीं नहीं है जो दुश्मन के साथ मिल जावे, वह भी है जो एन्टी सेक्यूर है और मानवता के विरोध में काम करता है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कल भी कहा था, यह सवाल केवल नवाब साहब और अखबार के सम्बन्ध का ही नहीं है। लोकतन्त्र का अधार भूत जो स्तम्भ खड़ा है, उसकोब चाने का भी है और मामलों में भ्रष्टचार और करप्शन को बचाने के मामलों में तो आप तत्परता दिखाते हैं। पर ऐसे मामलों में तत्परता नहीं दिखाते। होना तो यह चाहिए था कि इसका जवाब मुकम्मल रूप में सदन आना चाहिये था जिससे इस तरह के भ्रम और जजबात सदन में भी और बाहर भी न फैलने पावें। यह एक-दो व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है। पांच-सात करोड़ दूसरे धर्म वाले लोग इस देश में रहते हैं उनका प्रश्न है। अब सभी मुसलमान अराष्ट्रीय नहीं हो सकते और कोई हिन्दू अराष्ट्रीय नहीं हो सकता यह भी सही नहीं है। अराष्ट्रीय कोई भी हो सकता है। अब जो हो उनको कानूनके अन्तर्गत आप दण्ड दें। कानून की व्यवस्था आपने की है। पर अगर इस तरह की भावना फैला दी गई कि फलां धर्म वाले

(श्री रामकिशन)

सभी अराष्ट्रीय हैं तो कोई भी अच्छा आदमी जो अपने देश की सेवा करना चाहता है वह भी संकोच के कारण दृढता मे आगे नहीं बढ़ सकता। इससे राष्ट्र कमजोर होगा।

हमें इस बात को सुनकर अफसोस होता है। आज इस मुल्क में सबसे बड़े राष्ट्रवादी हुए हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। मुसलमान होने की वजह से राष्ट्रवादी नहीं हैं ऐसा नही माना जाना चाहिये। हिन्दुओं को भी ले लीजिये। हिन्दुओं को भी देखा है उन्होंने चीन और पाकिस्तान को सूचनायें दी हैं। बंगाल में बैठे हुए हैं, मुकद्दमे चल रहे हैं। इसलिये हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे सामने प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय तत्वों को उभारा जाय, पनपाया जाय या फिर साम्प्रदायिकता को दुबारा प्रोत्साहन दिया जाय? मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा आपकी गति और मामलों में न हो लेकिन इस मामले में तो जहां हमारे सिद्धांत निहित हैं, उनको आगे आना चाहिये। इस प्रकार के समाचार पत्रों की, चाहे वे राष्ट्रीय विचार के रहे हों, चाहे वे कांग्रेस के अखबार हों, पुरानी राष्ट्रीय विचारधारा के रहे हों, विशेष मुद्दों को उछाल देने की प्रवृत्ति बन गयी है। इसलिये इसकी शीघ्र जांच होनी चाहिये और जो समाचार दिये गये हैं उनका निराकरण होना चाहिये। दोषियों को दंड दिया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : अपोजिशन लीडर!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष-महोदय, मैं दो मिनिट लेना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा वह मैंने ध्यान से सुना। मुझे तो पता नहीं कि अखबार में क्या लिखा गया है। इस सदन में कुछ चर्चा हुई इस सम्बन्ध में। उस सम्बन्ध में भी मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता। कोई भी एक व्यक्ति हो अगर उसकी देश भक्ति के सम्बन्ध में कोई निराधार आरोप लगाये जाय तो मेरे खयाल में उस व्यक्ति के हृदय पर चोट पहुंचना एक स्वभाविक बात है। हमारे तथ्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारी मान्यतायें हैं और आज हम दुनिया की बहुत बड़ी प्रजातन्त्रीय पद्धत्ति के ऊपर शासित विशाल राष्ट्र कहें, एक समाज हैं। माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं और जो भरतपुर से आये हैं उन्होंने जो भावनायें व्यक्त कि उनका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं, और अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस तरह के निराधार आरोप लगाये जा रहे हैं उन पर छान-बीन होनी चाहिये और छानबीन होने के पश्चात् इसका उचित निराकरण होना चहिये ताकि इस तरह के आरोप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर और खास कर के सदन के माननीय सदस्य के ऊपर भविष्य में नहीं लगाये जांय।

श्री वृद्धिचन्द जैन(बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीयमंत्री महोदय के दौरेके समय उपस्थित था और मैं भी साथ में गया था। बाड़मेर से चोहटन, चोहटन से गोदरा और सरपातल होते हुए हम बहराम का ताल पहुंचे थे। यहां सड़के बन रहीं थीं। यह सीमावर्ती सड़के हैं। उन सड़कों का निरीक्षण किया और सड़कों के निरीक्षण करने मे मैंने खास

(श्री बृद्धिचन्द जैन)

तौर से कि मंत्री महोदय ने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। एक स्थिति इस प्रकार की थी। साथ में इन्जीनियर्स थे। हमारे साथ में कोई भी मोहमडन नहीं था। हमारे साथ में कोई एक भी मुसलमान नहीं था। न सरपंच, प्रधान और पंच थे। बहराम का ताल पहुंचे तो लोग थे। दौरे के साथ नहीं थे। पोस्ट पर भी गये तो कोई मुसलमान साथ नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हों तो बुरा नहीं है।

श्री बृद्धिचन्द जैन: मैं तथ्य की बात कह रहा था। मोहमडनहोता तो प्रश्न होता मोहमडन कोईभी उपस्थित नहीं था अखबार ने खबर दी है उसमें हवाला दिया है कि मोहमडन प्रधान, सरपंच, पंच थे। इसलिये अर्ज किया कि बहराम का ताल पहुंचे तो सड़कों के बारे में प्रश्न उठाये। आगे जो सड़क है वह फेमीन की सड़क है। उसको बनाने का प्रश्न था। कलेक्टर साहब इस पक्ष में नहीं थे। जनता इस पक्ष में थी। मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। जो आकर्षित करने का अधिकार था, जो फेक्ट्स मैंने बताये उसमें कोई इस प्रकार के फेक्ट्स नहीं थे।

आजकल के अखबारों का, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, दर्जा न्यूनतम है। अगर वे चाहे उनका कोई कार्य न करें, चन्दा न दें तो वे इस प्रकार की चीजे अपनाते हैं जो प्रजातन्त्र के लिये शर्मनाक बात है। इस चीज की जांच करनी चाहिये। इसकी जांच के लिये मैं भी यह चाहता हूं कि अगर जांच की जावेगी तो सही तथ्य सामने आवेंगे और इस प्रकार का प्रचार करने वाली शक्तियों को सही पनिशमेन्ट मिलेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी पूर्णतया जांच की जाय। मंत्री महोदय का रवैया बढ़िया रहा है। दो दिन साथ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इतना ही पर्याप्त होगा। (विराम) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,....

एक **माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय श्री सतीशचन्द्र को समय दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 'प्रजासेवक' अखबार जो जोधपुरसे निकलता है उसके सम्बन्ध में जो समाचार श्रीमान् पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर साहब के सम्बन्ध में प्रकाशित हुए हैं उस सम्बन्ध उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण का प्रश्न जब खड़ा होता है कि जब उनके ऊपर कोई इस सम्बन्ध का चार्ज किसी के द्वारा हाउस में लगाया जाय। उनके ऊपर कोई चार्ज इस हाउस में नहीं लगाया गया था लेकिन यह कहा गया कि समाचार पत्र में ऐसे समाचार प्रकाशित होते है उनका कन्ट्राडिक्शन होता नहीं, आप अखबार पढ़ते नहीं, नोटिस

Page No. 49

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देते नहीं, कार्यवाही कोई होती नहीं इससे जनता में इस प्रकार की भ्रान्ति पैदा होती है। उनका ध्यान आकर्षित हुआ। मेरी इस प्रकार की कभी भी मंशा नहीं थी कि सेन्सेटिव लगे। कल मैंने जब सदन में इस प्रश्न को उपस्थित किया था तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था कि यह समाचार सही हैं या गलत हैं या नवाब साहब राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियोंमें लीन हैं क्या प्रश्न यहां पर है ? प्रश्न इस बात का है कि सदन की कार्यवाही के सम्बन्धमें किसी व्यक्तिके विरुद्ध, समाचार छपे तो हाउस कॉग्नीजेन्सले सकता है। यदि कोई पत्र सदन की गतिविधियों के बाहर की बातों के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित करता है तो वह सदस्य फ्री है दफा ५०० का मुकदमा उसके विरुद्ध दायर करे, उसको नोटिस दे।

अध्यक्ष महोदय, यह अखबार जिसमें ये समाचार छपे हैं वह ए क्लास का अखबार है। २८ साल की स्टेंन्डिग का अखबार है। राज्य सभा का कांग्रेस का टिकिट संपादक महोदय चाहते हैं। विधान सभा में आने के लिये कांग्रेस का टिकिट चाहते हैं, पालियामेंन्ट में जाने के लिये कांग्रेस का टिकिट चाहते हैं। राजस्थान के माने हुए कांग्रेसी हैं। २८ वर्ष की स्टेंन्डिग का अखबार और हरिदेवजो जोशी द्वारा 'ए' ग्रेडेड अखबार ऐसे समाचार छापे और उसका सरकार की ओर से कोई निराकरण न हो। नवाब साहब मुझे मालूम है आपने चुनाव लड़ा था मेरे विरुद्ध मुसलमानों में मेरे खिलाफ कहने की कोई आपके पास गुन्जाइश नहीं थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य में ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो कलर देने की कोशिश की जा रही है। कम्यूनल एप्रोच और सेक्युलेरिज्म की जा रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् १९६७ ई० के आम चुनावों में, मुख्य मन्त्रीजी को मालूम होगा कि आधे से अधिक वोट मुझे मुसलमानों के प्राप्त हुए थे। हम लोग उनके साथ काम करते हैं। कोई कम्युनल प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह उठाया गया है कि इतना जिम्मेदार अखबार, मैं गैर जिम्मेदार नहीं मानता, बाड़मेर से आये माननीय सदस्य ने प्रश्न खड़ा किया कि आप क्यों ऑबजेक्शन लेते हैं ? टुच्चे--पुच्चे अखबार हैं, चन्दा चाहते हैं नहीं तो ब्लेक मेल करते हैं। इस प्रकार कहना यह जनरल अखबारों के साथ अन्याय करना होगा। कई छोटे-मोटे अखबार होते हैं अखबारों को शोभा की बात नहींहै एन्टेगोनाइज करना, मेलाइन करना और इसलिए आज उनका कहना यह है कि वे ब्लेक मेल करते हैं तो आपको कहना चाहिए था कि यह खबर गलत छपी है और अखबार वाला मंत्रिमण्डल को ब्लेक मेल कर रहा है। यह अखबार छपा है २८ जून को और आज २० तारीख है, २२ दिन तक भी आपकी तरफ से अखबार का कंट्राडिक्शन नहीं निकले, प्रतिवाद जनता के सामने न आए और आपका डी. पी. आर. फिर क्या करता रहता है, क्या यह उसका काम नहीं है, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस प्रश्न है। यह पब्लिसिटि डिपार्टमेंट का काम है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि मन्त्रियों के खिलाफ गलत समाचार हों तो उनका कंट्राडिक्शन निकालना उसका काम है........

श्री अध्यक्ष : आप इसको संक्षेप में कहेंगे। मैं इसमें जनरल डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब आपने इसमें वादविवाद चालू किया है, आपने स्पष्टीकरण के बाद सदस्यों को बोलने का मौका दिया है........

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर पूरा वादविवाद ही हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर वादविवाद होगा तो पूरा ही होगा। यह नहीं हो सकता कि आप एक को कुछ भी कहने का मौका दे दें........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें आप अपनी बात।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन इस बात का है कि अगर मंत्रियों के विरुद्ध कोई गलत समाचार किसी अखबार के द्वारा छापा जाता है तो पब्लिसिटि डिपार्टमेंट का काम यही है कि वह उसके बारे में कंट्राडिक्शन तुरन्त जारी करे और अगर कंट्राडिक्शन नहीं आता है तो यह मानकर चला जाता है कि सरकार को उस समाचार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। मैं तो मुख्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह डी. पी. आर. का काम नहीं है कि मंत्रियों के खिलाफ कोई गलत समाचार छापा जाय और वह गलत समाचार जनता में फैल जाय, जनता में एक प्रकार की भ्रांति पैदा हो जाय और आप का डी. पी. आर. सोता रहे, उसके बारे में कोई कंट्राडिक्शन नहीं छापे, तो क्या यह उसका काम नहीं है? इसके विपरीत यहां पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि वह छोटा मोटा अखबार है, पैसे लेने के लिए इस प्रकार की खबरें छापता है तो मैं कहना चाहता हूं कि वह कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है वह कांग्रेसमैन पेपर है, जिसकी ३० साल की स्टैंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : There is no such imputation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और जिसको ए ग्रेड का अखबार आपने मान रक्खा है उसके लिए इस प्रकार कह कर नहीं चल सकते। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर पेपर के खिलाफ कार्यवाही कराना नवाबसाहब आवश्यक समझते हैं तो वे अदालत में जाकर मुकदमा दायर करें, इसके खिलाफ सूट फाइल करके कार्यवाही कर सकते हैं लेकिन इसके अन्दर सदन की कार्यवाही के आधार पर कोग्नीजेंस नहीं दे सकते हैं। अखबार के खिलाफ इस समाचार के सम्बन्ध में सदन में कोई कोग्नीजेंस नहीं लिया जा सकता यहां पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है और अगर वे चाहें तो अदालत में सूट फाइल करके कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं समझता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हूं कि निर्माण मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है। उससे सारी स्थिति स्पष्ट हुई है और जहां तक इस पत्र का प्रजा सेवक का सम्बन्ध है, गृह मन्त्री जी इसके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी करके जो कार्यवाही की जानी चाहिए, वे कार्यवाही करेंगे कि जिससे इस प्रकार किसी को अराष्ट्रीय कहने वाली बातों को आयन्दा के लिए न प्रोत्साहन मिले। इतना ही में निवेदन करना चाहता हूं।

राज्य के मेडीकल कालेजों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने सम्बन्धी पद्धति पर वक्तव्य

अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय मेडीकल विद्यालयों में प्रवेश के........

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी मेडीकल कालेजों में प्रवेश से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दें इसके पहले में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं और इसलिए वक्तव्य देने से पहले उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

(विराम)

माननीय मन्त्री जी मेडीकल कालेजों के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं उसके पहले........

श्री अध्यक्ष : में उस पर व्यवस्था दूंगा। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है........

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। यहां तो डी. पी. आर. इतना सतर्क हो गया कि स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य होने से पहले ही डी. पी. आर. ने उसको सर्क्यूलेट कर दिया और उधर मंत्री को मेलाईन किया जाय तो भी उसको कंट्राडिक्शन डी. पी. आर. नहीं कर सकता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना....

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर व्यवस्था दूंगा माननीय सदस्य !

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के आधार के संम्बन्ध में सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं देवीदत्त गाड़िया ने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रवेश सम्बन्धी नियमों में जो संशोधन इस साल किये गये हैं उसके कई कारण हैं। एक यह है कि पूर्व के नियम स्पष्ट नहीं थे और उनमें रह रही जटिलता के कारण बहुत से विद्यार्थी प्रवेश न मिलने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लेकर गए और उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ा !

खेलकूद में पारंगत छात्रों को कुछ अंक

Page No. 52

(श्री दामोदर लाल व्यास)

अधिक देकर उनकी योग्यता के लिए प्रतिशत अंक लिये जाते थे। खेल-कूद में पारंगत छात्रों द्वारा कभी-कभी बिना पारंगत हुए भी प्रमाण पत्र बनवा लिये जाते थे और ऐसा भी ज्ञात हुआ था कि विद्यार्थी फर्जी प्रमाण पत्र भी बना कर मेडिकल कालेजमें प्रवेश पाने के लिये प्रयत्न करते थे। गत समय में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें प्रधानाचार्यों को बाद में विद्यार्थियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी थी। इन कठिनाइयों को देखते हुए अब यह उचित समझा गया है कि खेल-कूद सम्बन्धी....

श्री देवीदत्त गाड़िया : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित कर दूं, इस स्टेटमेंट को नहीं देने दूं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स में स्पष्ट अंकित है कि "अध्यक्ष यदि नियम १५७ के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल हैं तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति माँगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा।' इस सम्बन्ध में अभी यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ है उसके....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात को। आपने यह प्रस्ताव एक विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में मेरे सम्मुख रखा है। लेकिन यह प्रोसीजर तो यहां आने के बाद ही तो आरम्भ होता है। यह अभी मेरे पास आया है और आपने तुरन्त खड़े होकर १५७, १५८ और १५९ रख दिया। यदि आप चाहें तो मैं मन्त्री महोदय से कह दूं कि जब तक विशेषाधिकार प्रश्न का निर्णय न हो जाय तब तक बन्द रखें। इसमें सदन की ही हानि होगी। एक स्टेटमेंट आ रहा है। मैंने आपसे कहा है कि मैं उसमें व्यवस्था दूंगा। यह नियम बाद में लागू होता है किन्तु आपने अभी इसे पढ़ दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन कठिनाइयों को देखते हुए अब यह उचित समझा गया है कि खेल—कूद सम्बन्धी कोई अतिरिक्त अंक विद्यार्थियों को न दिये जावें। मेडीकल कालेजों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं में प्राप्त किये जाने वाले प्राप्त अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि छात्र के मानसिक तथा अध्ययन सम्बन्धी विकास का सही अंदाजा हो सके। अतः इस वर्ष से यह सुविधा समाप्त किया जाना न्यायोचित समझा गया है।

डाक्टरों के लड़कों के लिए पूर्व के नियमों में जो सीटें रिजर्व रखी जाती थीं उसे इस आधार पर हटाया गया है कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के लड़कों को इन नियमों में पृथक् से सुविधायें दी हुई हैं इन सीटों को खत्म करने का राज्य सरकार का निर्णय है परन्तु इस साल १० के बजाय ५ सीटें रखी हैं जो मेडीकल, पेरा मेडीकल, वैद्य तथा हकीमों के बच्चों के लिए हैं।

(श्री दामोदर लाल व्यास)

राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को भी पांच प्रतिशत अंकों का फायदा अब दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं रहा है क्योंकि राजस्थान में कई विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और वहां से भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए आते हैं। अतः केवल राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को यह सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

राजनैतिक पीड़ितों के लड़कों व लड़कियों को कुछ विशिष्ट सुविधा देने के सम्बन्ध में जो प्रावधान इस वर्ष से इन प्रवेश सम्बन्धी नियमों में किया गया है वह राजनीतिज्ञों की देश के प्रति सेवा तथा स्वतंत्रता संग्राम में उन द्वारा सही गई यातनाओं को ध्यान में रख कर दी गई है। ऐसी सुविधाएं देशव्यापी स्तर पर दी गई हैं और प्रत्येक राज्य सरकार यहां तक कि केन्द्रीय सरकार भी राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को कुछ विशिष्ट सुविधा देती है। इस प्रावधान से राजनैतिक आधार पर प्रवेश दिये जाने की सम्भावना के बढ़ने का कोई आधार नहीं है क्योंकि राजनैतिक पीड़ितों की परिभाषा नियमों में दी हुई है तथा उसी के अनुसार उनके बच्चों को यह सुविधा दी जाती है।

जहां तक राज्य के मेडीकल कालेजों में इस वर्ष कम विद्यार्थियों के प्रवेश दिये जाने की बात है उस सम्बन्ध में संक्षेप में निवेदन कर दूं कि सन् १९६२-६३ में जयपुर, उदयपुर व बीकानेर में मेडीकल कालेजों में प्रतिवर्ष २९३ छात्र प्रवेश पाते थे सन् १९६३ ६४ में आपतकालीन स्थिति होने के कारण भारत सरकार ने विशेष अनुदान देकर ५०-५० सीटें प्रत्येक कालेज में बढ़वाई अर्थात् सन् १९६३-६४ में ४४३ छात्रों को प्रवेश दिया गया। सन् १९६५-६६ में पुनः ५१ सीटें आपत्कालीन स्थिति के कारण और बढ़ाई गई अर्थात् १९६५-६६ में ४९४ सीटें हो गई।

अजमेर व जोधपुर में दो और नये कालेज खोल दिये गए जिनमें प्रवेश ७५ छात्र प्रति कालेज रखा गया है। अतः इमरजेन्सी की सीटों को निकालने के बाद राजस्थान के मेडीकल कालेजों में ४४३ छात्रों के प्रवेश पाने की क्षमता हो गई। इमरजेन्सी सीट जो भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई उन पर भारत सरकार ने अनुदान देना बन्द कर दिया है। भारत सरकार पहिले एक सीट बढ़ाने पर १५ हजार रुपये आवर्तक व्यय तथा दो हजार रुपये अनावर्तक व्यय के रूप में अनुदान स्वरूप देती थी। इमरजेन्सी सीट्स जब बढ़ाई गई तब इमरजेन्सी होने के कारण स्थान व स्टाफ अपर्याप्त होते हुए भी बढ़ानी पड़ी। अतः जब सामान्य स्थिति उत्पन्न हो चुकी है तो डाक्टरों की हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए व कालेजों से योग्य डाक्टर निकलें इस बात को ध्यान में रखते हुए इमरजेन्सी की सीटों को कम करने का निर्णय लिया गया। आज विभाग में ४४३ डाक्टरों की कमी है। किन्तु फैमीली प्लानिंग की नई स्वीकृति आ जाने से ७०० डाक्टरों की कमी हो गई है। पांचों मेडीकल कालेजों से सन् १९७१ के अन्त में अनुमानतः १७५० डाक्टर उपलब्ध हो सकेंगे। इस दृष्टि से भी यह आवश्यक समझा गया कि कालेजों में शैक्षणिक सामग्री, स्टाफ की कमी को देखते हुए इमर-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जेन्सी सीटें कम कर दी जावें और प्रतिवर्ष जयपुर में १३०. उदयपुर व बीकानेर में १०५ प्रति कालेज व अजमेर व जोधपुर में ७५-७५ छात्रों को प्रवेश दिया जावें। इस तरह से ४९० छात्रों को प्रतिवर्ष प्रवेश मिल सकेगा। मेडीकल कौंसिल व यूनिवर्सिटी भी यही चाहती है कि विद्यार्थियों की संख्या, स्थान व स्टाफ व इक्विपमेंटको ध्यान में रख कर ही प्रवेश दिये जावें ताकि जो छात्र डाक्टर बनें उनकी शिक्षा ठीक ढंग से हो सके और सुयोग्य डाक्टर निकल सकें।

यह भी कहना उचित होगा कि आल इण्डिया बेसिस पर रिक्त स्थानों सम्बन्धी विज्ञापन देने पर भी एनोटोमी, फिजियोलोजी, फारमेकोलोजी, पैथोलोजी, रेडियोलोजी, प्रिवेन्टिव एण्ड सोशियल मेडीसन एवं एनेसथिसिया में डिमोन्स्ट्रेटर व लेक्चरार की कमी है। इस प्रकार क्लिनिकल विषयों में भी समुचित अध्यापन अनुभव के अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य की जनता की आम भावना है कि राज्य के मेडीकल कालेजों में सीटें कम न की जावें ऐसी स्थिति में सारे मामले पर पुनः विचार करके एवं सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए सरकार ने पुनः १६० सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार हैं :

जयपुर	२५
अजमेर	२५
उदयपुर	५५
बीकानेर	५५

कुल सीटें १६०।

जोधपुर में सीटें बढ़ाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि इस कार्यवाही से सदन के माननीय सदस्यों को संतोष होगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, खेतसिंहजोने तो १५ साल से वचन दे रखा है। उनसे वे लोग कहेंगे कि सीटें भी नहीं बढ़ाई जोधपुर को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल इस बात का है कि इस प्रश्न पर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं करें। जो सीटें बढ़ी हैं तो सीटों पर सारे लड़कों का सिलेक्शन तो यहीं होता है। एडमिट हो गये तो एडमिट होने के बाद कौन कहां रहता है यह प्रश्न अलग है। जोधपुर में सीटें नहीं बढ़ीं और थोड़े लड़के हैं तो कितनी ज्यादा सहूलियत होगी। ज्यादा सीटें हो गई और एकोमोडेशन उतनी ही है इक्विपमेंट उतने ही हैं तो दिक्कत होगी। जोधपुर के साथ तो फेवर किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मेडिकल कालेजेज के प्रवेशन के सम्बन्ध में जो स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसके सम्बन्ध में अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, और जिसके सम्बन्ध में १८ तारीख को वक्तव्य देने वाले थे तो उस १८तारीख को उनका रवैया बड़ा सख्त था और वे किसी सूरत में भी सीटें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं इस बात के लिए तो उनको धन्यवाद देता हूं कि इतना सख्त रुख होते हुए भी,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस दिन तो ऐसा लगता था कि मानों कोई सिलिसिट का पत्थर हो जो पिघलता नहीं है लेकिन सदन के माननीय सदस्यों के प्रयास के बाद मुझे इस बात की खुसी है कि उन्होंने राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य की तरफ ध्यान दिया और १६० सीटें बढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने सदन के सामने घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं, अधिक समय नहीं लूंगा एक तो यह है कि जो १९६७-६८का प्रोस्पेक्टस मैडीकल कॉलेज में एडमिशन्स के सम्बन्ध में निकला है वह १९६६-६७ के प्रोस्पेक्टस से कुछ भिन्न है मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इससे कुछेक लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और वह परेशानी यह है कि आपके इस प्रोस्पेक्टस में जो पहले लेंग्वेज थी जिसके आधार पर, अध्यक्ष महोदय, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज या रिजर्व बैंक के एम्प्लाईज या गवर्नमेंट बैंक्स के और रेलवे के एम्प्लाईज जो राजस्थान में एडमिशन से १२ महीने पहले यहां पर रह चुके थे उनके बच्चों को एर्डमिशन दिये जाने के बारे में व्यवस्था थी । १९६७-६८ का जो प्रोस्पेक्टस आपने जारी किया हैं उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था है, और उसमें लिखा हुआ है :

'Children of permanent employees of the Central Govt. Reserve Bank and Railways provided their parents or guardians have been reisding in the State for 12 months preceding the date of application for admission.'

यह प्रोसपेक्टस जारी किया गया और २५ जून तक दरख्वास्तें मांगी गई । लोगों ने इस आधार पर दरख्वास्तें दे दी। मुझे जानकारी मिली है कि इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने या कालेज की आथोरिटीज ने इसमें एक संशोधन किया है रिसाइडिंग की जगह एक दूसरा शब्द के नोटिफिकेशन की गवर्नमेंट ने आज्ञा जारी की है उसमें लिखा है पोस्टेड The word 'resided' be substituted by the word 'Posted' उसका अर्थ यह हो गया कि एडमिशन के समय वह पोस्टेड होना चाहिए। पोस्टेड होना चाहिए इसका अर्थ यह है कि राजस्थान के रहने वाले लोग जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हैं, लेकिन जो राजस्थान में पोस्टेड नहीं है जिनको पिछले २-३ साल या ५ साल से राजस्थान के बाहर पोस्टिंग किया गया है, रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स और रेलवेज में तो उनके लड़कों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वह एडमिशन के पूर्व यहां पर पोस्टेड नहीं हैं। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करें और खास तौर से उस परिस्थिति में जब कि यह एमेंडमेंट इस प्रोस्पेक्टस में एडमिशन की तारीख निकलने के बाद किया हुआ कहा जाता है, यानी यह जो प्रोस्पेक्टस है इस में यह एमेंडमेंट नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने आज्ञा जुलाई के महीने में निकाली है, इस आधार पर ऐसे छात्रों को जिनके ५९ व ६० व ६२ पर्सेन्ट तक के नम्बर हैं और जिनके पेरेन्ट्स राजस्थान के रहने वाले हैं, यहां रहा करते थे,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेकिन बाहर सर्विस में हैं। रेजीडेन्ट यहां के थे लेकिन यहां पर पोस्टेड नहीं है, उस आधार पर हार्ड शिप हो रही है....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : परमेनेन्ट रेजीडेन्ट से कवर हो जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परमेनेन्ट रेजीडेन्ट के अलावा और भी केसेज हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कौन से हैं ?

श्री प्रेमदत्त भाटी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें बोना-फाइड रेजीडेन्ट आफ राजस्थान वह तो एक होगया, और बोना फाइड रेजीडेन्ट के अलावा "Bonafide residents of Rajasthan and Children of the employees of Raj. Govt. who are either permanent or have put in 3 years continuous service." और दूसरा यह है -

"Children of permanent employees of the Central Government, Reserve Bank of India & other Govt Banks and Railways provided their parents or guardians have been rasiding in the state for twelve months .. .."

इसमें संशोधन उन्होंने किया है हैव बीन पोस्टेड। पोस्टेड है तो। अगर पोस्टेड नहीं है और उनका ट्रान्सफर हो गया जून के महिने में तो ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो बाहर के लोगों के लिए है। साल भर पहले रह चुके हो ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाहर के लोगों के बच्चे यहां पढ़ते हैं और खुद रहते हैं और एडमिशन के समय ट्रान्सफर हो गया बाहर तो एलिजिबल नहीं होंगे।

यह कठिनाई है जो कन्सीडर करने के लायक है और खास तौर से इसलिए है कि यह ऐमेंडमेंट प्रोस्पेक्टस जारी करने के पहले नहीं जारी किया ! यह जारी करने से पहले करते तो वाजिब होता। लेकिन एप्लीकेशन दे दी और ५९, ६० और ६२ पर्सेन्ट मार्क्स आ गये और दूसरी जगह गये नहीं और उसके बाद यह एमेंडमेंट ले आये, जुलाई के महिने में ले आये, डेट एडमिशन की निकलगई उसके बाद ले आए, तो यह उनके लिये हार्डशिप है, बडी कठिनाई है। गवर्नमेंट की मन्शा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप प्रोस्पेक्टस के बारे में अगर संशोधन करें तो वह एडवान्स में करें और एडमिशन की डेट से पहले करें तो हार्ड शिप नहीं होगी। इस हार्डशिप के ग्राउन्ड पर मैं इस चीज को रखना चाहता हूं।

एक क्वेश्चन और है, अध्यक्ष महोदय, और वह क्वेश्चन बहुत सीरियस है। राजस्थान की जो युनिवर्सिटी है, उदयपुर की, जोधपुर की और जयपुर की तो उदयपुर और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जोधपुर युनिवर्सिटीज तो रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटीज हैं, लेकिन राजस्थान की जो युनिवर्सिटी है उसका एरिया बहुत बड़ा है ।वह गंगानगर तक जाता है इसके अन्तर्गत दोकरोड़ की पॉपुलेशन होगी, और बाकी की जो दो रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटीज हैं उनके अन्तर्गत ४ - ५ लाख ही पॉपुलेशन होगी ।

(१ म. प.)

दो करोड़ की पॉपुलेशन के स्टूडेन्ट्स का मॉस ज्यादा है. पांच लाख की पॉपुलेशन के स्टूडेन्ट्स का मॉस बहुत थोड़ा है। एक प्रकार से समझना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, कि ढाई पर्सेन्ट का स्टूडेन्ट का मॉस है दो यूनिवर्सिटीज में,बाकी का साढ़े सित्यानवे पसंद स्टूडेन्टस का मॉस है एक यूनिवर्सिटी में तो वह रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी नहीं है तो क्या हैं? इसके साथ ही जो कालेजेज में एप्लीकेशन्सआई है उन एप्लीकेशन्समें से५४५की लिस्ट लगाई है बोर्ड पर उनमें से १४५ लड़कियों की लिस्ट लगाई है और चार सौ की बोयज की लिस्ट लगाई है चार सौ बोयजमें मैंने देखा कि फर्स्ट फिफ्टी स्टूडेन्ट्स में किस प्रकारका कम्पोजीशन है। पहले सत्तर स्टूडेन्ट्स में ३३ राजस्थान यूनिवर्सिटी एरिया के हैं. दो करोड़ की पापुलेशन इन्क्लूडिंग गगांनगर एण्ड ऑल देट, उसके हैं ३३, जोधपुर यूनिवर्सिटी एरिया के हैं २६ और १४ उदयपुर यूनिवर्सिटी एरिया के है। दूसरा है ७१ से १४० का इसमें ३० राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं. २६ जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं, और १४ उदयपुर यूनिवर्सिटी के हैं, तीसरा है १४१ से २०० का, इसमें ३१ राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, २३ जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं, और १४ उदयपुर यूनिवर्सिटी के । इसके बाद है २११ से २८० का, इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं २८, जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं ३२ और उदयपुर यूनिवर्सिटी के हैं १२ । इसके बाद है २८१ से ३५० । इसमें ३०राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, २६ जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं और १४ उदयपुर यूनिवर्सिटी के हैं । इसके बाद है ३५१ से४०० । इसमें २५ राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं. २० जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं और ८ उदयपुर यूनिवर्सिटी के हैं ? इस प्रकार कुल स्टूडेन्ट राजस्थन यूनिवर्सिटी के १७७ हैं. जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं १५३ और उदयपुर यूनिवर्सिटी के ७६ हैं । इस प्रकार २२९ स्टूडेन्ट पांच लाख की पॉपुलेशन एरिया के हैं जिसका ढाई पर्सेन्ट स्टूडेन्ट मॉस है और१७७दो करोड़ की पॉपूलेशन एरिया के हैं जिसका स्टूडेन्ट मॉस साढ़े सित्यानवे पर्सेन्ट है....

श्री खेतसिंह : पर्सेन्टेज आफ मार्क्स ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैं अर्ज करता हूं। यह कहते हैं, मार्क्स का पर्सेन्टेज क्या है ? रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने के कारण वहां मार्किंग लिबरल किया गया है। उसके कारण इतना हाई पर्सेन्टेज आफ मार्क्स है। वैसे सवाल इस बात का नहीं है। राजस्थान में पहले के एडमिशन को स्थिति देख लें दो चार दफा के और उनमें कभी भी इतना पर्सेन्टेज निकाल कर दिखायें । कभी नहीं मिलेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर यह दो करोड़ की जन-संख्या है यह भी राजस्थान की है और वह पांच लाख की जन संख्या है वह भी राजस्थान की है । लेकिन दो यूनीवर्सिटी में इस प्रकार एग्जामिनेशन के मामले में लिबरल मार्क्स दें, लिबरल स्टेन्डर्ड आफ मार्किंग हो और इस

Page No. 58

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार डिस्क्रिमिनेशन हो जिससे स्टूडेन्ट्स के अन्दर, लोगों के अन्दर हार्ट बर्निग हो-कहीं इस प्रकार की फिजा न पैदा हो जाय राजस्थान में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई तरीका निकाला जाय जिससे कि हर जगह के लोगों के अन्दर हार्ट बर्निंग न हो राजस्थान यूनिवर्सिटीके लोगों में हार्ट बर्निंग न हो और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के बीच इस तरहकी भावना पैदा न हो, और रीजनलिज्म राजस्थान में पैदा न हो। इसलिए मैं एडवान्स में निवेदन करना चाहता हूं. यह गम्भीर समस्या है। इसके कारण विद्यार्थी विद्यार्थी, में, स्थान स्थान पर इस प्रकार की भावना पैदा हो रही है कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। एक जोधपुर का लड़का है, लिबरल मार्किंग कन्सीडरेशन से उसका एडमिशन में नम्बर आ गया और एक जोधपुर जिले के ऐसे स्थान का है, जोधपुर डिवीजन के ऐसे स्थान का है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अटेच्ड है तो वह फील करता है कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से अटेच हुआ और यह लड़का जोधपुर यूनिवर्सिटी में चला गया। इसका लिबरल मार्किंग के कारण हो गया और मैं मारा गया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय बाकी की समस्यायें हैं इनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा कुछ लड़कों का रिजल्ट रोक लिया जाता है, वह गलत रोक लिया जाता है और अगस्त, सितम्बर के एण्ड में रिजल्ट डिक्लेअर किया जाता है। उस समय किसी लड़के को पास भी कर दिया जाय तो भी मेडिकल में एडमिशन की व्यवस्था रखी है, उसमें जून की एप्लीकेशन की डेट है, उसके बाद में यदि किसी का रिजल्ट गलती से रोका है और बाद में यूनिवर्सिटी उसको फर्स्ट डिवीजन में भी पास कर देती है तो भी उस लड़के का एडमीशन नहीं हो सकता है। आपके मेडिकल कालेज में कोई लेट फीस की व्यवस्था भी नहीं है। इसमें उस लड़के का कोई कसूर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार उस लड़के को मजबूर करना चाहती है कि वह अदालत में जाय और डेमेजेज की सूट फाइल करे। उसका क्या कसूर है, यूनिवर्सिटी में उसका रिजल्ट रोक लिया गया और इस कारण वह जुलाई के अन्दर एप्लाई नहीं कर सका। मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसे लड़कों को होने वाली हार्डशिप की ओर ध्यान दे और जिनका रिजल्ट यूनिवर्सिटी गलत रूप से रोकती है, उसके लिए यूनिवर्सिटी पर प्रेशर डाला जाय कि इस प्रकार रिजल्ट रोका नहीं जाय और जिनका रिजल्ट रोका जाय तो यह देखें कि कितनी ऐसे स्टूडेन्ट हैं जो इन्जीनियर साइड, मेडिकल साइड में जाने वाले हैं और उसके लिए इन कालेजेज को सूचना दें कि इतना रिजर्वेशन वह रख लें और रिजल्ट के माफिक यदि वह नम्बर पूरे प्राप्त करता है तो उसको एडमिशन दे दिया जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने इसमें पोलिटिकल सफरर के लिए व्यवस्था की है, रूल्स में व्यवस्था की है। उसका मैं विरोध करता हूं। पोलिटिकल ग्राउन्ड्स के ऊपर पोलिटिकल सफरर के लड़के को टेक्निकल कालेज से, मेडिकल कालेज में, इन्जीनियरिंग कालेज में एडमिशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देना, मैं समझता हूं, न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । आज से बीस साल पहले, जो पैंतालीस में सफरर रहा, उसको उसके बाद में बाइस, बीस साल हो गये हैं और उसको कम्पेन्सट पूरा कर लिया है । आज उनके लड़के के लिए, या जिन्दगी भर के लिए उनके लिए कहना कि पोलिटिकल ग्राउन्ड पर, पालिटिकल सफरर होने के कारण प्रॉयोरिटी दी जानी चाहिए, और उनके लिए एडमिशन के मामले में सीट रिजर्व की जानी चाहिए मैं समझता हूं कि जो पोलिटिकल सफरर हैं, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में कुर्बानी की हैं, उनके लिए भी यह लांछन की बात है कि इस प्रकार के कन्सेशन्स को वह अवेल करें और यह सरकार को भी शोभा नहीं देता है कि आजादी के आन्दोलन में जिन्होंने अपना हिस्सा अदा किया है, उनको बीस साल के बाद भी उसका डिविडेण्ड दे और बीस साल के बाद भी एडमिशन में कन्सेशन दे । मैं समझता हूं कि आप उनको जमीन दें, स्कालरशिप दें, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, आप उनको ग्रान्ट दें, उसमें भी हमें आपत्ति नहीं है लेकिन पोलिटिकल ग्राउन्ड पर, पोलिटिकल सफरर होने के नाते उनके लड़कों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाय-यह उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : हाई कोर्ट जज पोलिटिकल सफरर नहीं हो सकते । हाई कोर्ट के जज भी मेडिकल कालेज में अपने लड़कों को पोलिटिकल सफरर होने के नाते भरती करवाते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इस व्याज का कितना दुरुपयोग हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी !

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि मेडिकल प्रेक्टीशनर्स के लिए रिजर्व) सीट रखी गई है या नहीं । मेडिकल कालेजेज में पहले रिजर्वसीट होती थी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले प्रोफेशनल्स के लिए थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सीट बढ़ा दी हैं । आपने सुना नहीं ।

श्री ओमदत्त भाटी : उनको मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के अनुसार बराबर बढ़ा दें ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर, उदयपुर यूनिवर्सिटी ने रेजिडेंशियल होने के नाते लिबरल मार्किंग किये है । मैं समझता हूं कि पोलिटिकल कारणों से तीन यूनिवर्सिटी बनाई हैं । यदि यह एक होती तो झगड़ा नहीं होता, जैसा कि अब जोधपुर, उदयपुर और जयपुर का झगड़ा होता है । मैं तो कहूंगा कि क्या यह नहीं है कि जोधपुर और उदयपुर के लड़के इन्टेलीजेन्ट हैं इसलिए नम्बर उनके ज्यादा हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य को सोचना चाहिये ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात !

श्री अध्यक्ष : श्री सहदेव !

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल ; अध्यक्ष महोदय,.......

Page No. 60

श्री अध्यक्ष : श्री सहदेव ! उसके बाद आप ।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर): अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री ने बताया कि सीटें और बढ़ा दी हैं उसके लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूं । इसके साथ-साथ यह चाहता हूं कि १९६६ ६७ का जो मेडिकल कालेज का प्रोस्पेक्टस था उसमें और अब के में काफी भिन्नता है । लास्ट टाइम स्पोर्ट्स कौंसिल और नेशनल केडेट कोर के विद्यार्थियों को सुविधा दी गई थीं,कन्सेशन दिया गया था लेकिन इस साल उनको इस सुविधा से डिबार कर दिया गया है। यह बात अखरने वाली बात है। लास्ट ईअर जो असफल होते थे उनके एक पर्सेन्ट को डिडक्ट कर दिया जाता था इसके साथ ही मेडिकल बाला सफल नहीं हो तो एक पर्सेन्ट मार्क काट देते थे। दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री में पास हो जाता था तो उसको अलाऊ कर देते थे। उसके बाद में सप्लीमेन्ट्री को सैकिन्ड अटेम्प्ट मान लेते हैं कि उसे एडमिशन के लिए उप युक्त मानना चाहिए । मेरा निवेदन है कि स्पोर्ट्स कौंसिल और एन० सी० सी० के विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिकता देते हैं वह अब भी देते रहना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टरों के लड़कों को जो सुविधा देते थे पहले उसको चालू रखा जाय, यही मेरा निवेदन था।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय.... ... ...

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य और उसमें जो १६० सीट बढ़ाने की यहां घोषणा की है, उसका तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं । प्रश्न यह है कि १६० सीट बढ़ाई हैं और जो प्रेशर मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए आ रहा है उसको मद्दे नजर रखते हुए और हमारे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था मेडिकल फेसेलिटीज की है, कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में काफी लड़के हो गए हैं और जो डाक्टरों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति साल दो साल में कर देंगे....

मगर जिस प्रकार की फैसिलिटी मेडीकल कालेजेज में एडमीशन की हर एक को प्राप्त है उसको १६० सीटें बढ़ा कर रेस्ट्रिक्ट किया है इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये । ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स उपलब्ध करा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा । सीटें अधिक बढ़ाई जानी चाहिये ।

अभी माननीय भाटी साहब ने कहा कि कि डॉक्टरों के लड़कों के लिए ५ सीटें रिजर्व करनी चाहिये । मैं कहता हूं कि डॉक्टर्स तो पहले से ही ऐसी केटेगरी में रहते हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है । सीटें तो गांवों में रहने वाले लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिये, क्योंकि वहां शिक्षा कम है. उनके पास साधन कम हैं । इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, कम पढ़े-लिखे है उनके लिए सीटें रिजर्व करनी चाहिये न कि ऐसे लोगों के लिए जो कि समाज में इन्फ्लुएन्स रखते हैं ।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दूसरे अभी एक माननीय सदस्य ने पोलिटिकल सफरर्स के लिए कहा कि इनके लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि दर असल इन लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए काफी कुर्बानियां की हैं, काफी काम किया है, जो लोग इस तरह से गलत फायदा उठाते हैं उनको रोकना चाहिए........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट मे जज बने हुए हैं पोलिटिकल सफरर्स साढे तीन हजार को तनख्वाह लेते हैं........

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए पर जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की हैं जो वास्तव में पोलिटिकल सफरर्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए।

तो मेरा मुख्य मुद्दा तो यह है कि मेडिकल कालेजेज में गांव वालों के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : No more debate.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): इसको लेकर आपके कार्यालयमें एक प्रकार को अव्यवस्था चल रही है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। जिन लड़कों और लड़कियों को बुलाया जा रहा है, उनको वक्त पर सूचना नहीं दिये जाने से बड़ी अजीब मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उदयपुर से एक लड़की को १९ तारीख के इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया उसको कॉल लेटर १८ को पोस्ट किया है। वह लड़की आज आई है, इसको रिसीट पेश कर सकती हूं........

श्री अध्यक्ष : पहले नाम तो बता दीजिए। शायद कुछ हो जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्यों ? नाम से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : नाम तो आखिर रसीद पेश करेंगी तो आयेगा ही।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : वह कॉल लेटर १९ तारीख को पहुंचा है ऐसी हालत में वह १९ तारीख को कैसे हाजिर हो सकती है, आज सबेरे २० तारीख को आई। अब उसे कह दिया जायगा कि लेट आई हैं इसलिए दाखला नहीं हो सकता। तो ऑफिस में सबसे पहले यह व्यवस्था करें कि चार-पांच रोज पहले कम से कम जिनको बुलाना हो इन्टरव्यू के लिए उनको सूचना दें वह अगर उदयपुर से एरोप्लेन में भी आना चाहती तो नहीं आ सकती थी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है और एप्रोच अन्डरस्टेन्डिंग दिया है वह तारीफ के काबिल है। एक अन्डरस्टेन्डिंग बढ़ रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टेन्डर्ड के बराबर जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी

(श्री केदारनाथ)

का स्टेन्डर्ड नहीं है। अगर ४५ पर्सेन्ट वालों को लेते हैं तो उदयपुर यूनिवर्सिटी ६० पर्सेन्ट दे सकती है, यह प्रेक्टिस बुरी हो रही है. इससे स्टुडेन्ट्स में एक धारणा घर कर रही है। इसलिए यूनिवर्सिटीज के स्टेन्डर्ड में जब फर्क हो तो एड्मिशन के मामले में इन्टेलिजेंस का टैस्ट हो जाना चाहिये। मेरा सजेशन है कि एडमिशन टैस्ट होना चाहिये। उस एडमिशन टैस्ट में ५० पर्सेन्ट से कम मार्क्स वाले शामिल नहीं हों। इस तरह से इनका टैस्ट लेकर एडमिशन किया जाय। इन यूनिवर्सिटीज के स्टेन्डर्ड में फर्क है, इसके पीछे कारण है। उदयपुर और जोधपुर यूनिवर्सिटीज में इन्टरनल वाले पेपर ज्यादा रखते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी इन्टरनल पेपर कम रखती है। जहां ज्यादा इन्टरनल पेपर्स हैं, वहां ज्यादा मार्क्स आते हैं और जहां कम इन्टरनल पेपर्स हैं वहां कम नम्बर आते हैं। जहां ज्यादा मार्क्स देते हैं वहां स्वाभाविक है कि उन यूनिवर्सिटीज में दूसरी जगह के स्टुडेन्ट्स जाते हैं। यही वजह है कि जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटीज में स्टुडेन्ट्स का रश बढ़ता जा रहा है। इस तरह से यह एज्यूकेशन मोनोपोलाइज होती जा रही है। यह एज्यूकेशन मोनोपोलाइज होती जा रही है इसलिये मेरा निवेदन है रिजर्वेशन के बारे में कि बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन दें। एक मेरा सजेशन है कि जो स्टूडेन्ट्स खेल कूद में अच्छे हैं, राजस्थान से बाहर जाकर नया रेकार्ड कायम करते हैं, राज्य की इज्जत बढ़ाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए ५ सीट्स रिजर्व रखें. इससे इनको एप्रेसियेशन मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में सर्विसेज के मामले में ऐसे स्टुडेन्ट्स को प्रिफरेंस दें। उनको उत्साहित नहीं करेंगे तो हमारे स्टूडेन्ट्स में स्पोर्ट्स की तरफ रुचि को धक्का लगेगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! मैं अर्ज करूंगा। वाद-विवाद के समय हाउस के बिजिनेस का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसके बाद वक्तव्य बृजसुन्दरजी का है, वो निर्माण विभाग पर हैं, फिर सतीशचन्द्रजी का ध्यान आकर्षण है इस तरह से और हैं और अन्त में गैर सरकारी संकल्पों पर विचार है। महत्वपूर्ण विषय तो इसके बाद रह जाते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, बाद में एक घण्टा रहेगा तब आप महसूस करेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि इसे समाप्त किया जाय। बृजसुन्दरजी का वक्तव्य ले लिया जाय इस पर भी आप बोलेंगे तो मैं यहां मौन बैठा रहूंगा और आपको बोलने दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : विरोधी दल की तरफ से एक माननीय सदस्य ने कहा कि पोलिटिकल सफरर्स के लिए रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिये, मेरे लिए यह चुभने वाली बात है। जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया वे लोग पोलिटिकल सफरर्स की हालत को नहीं समझ सकते। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाइयों में कुर्बानियां कीं, उनके बच्चे भूखों मरे, वे रैचेड कन्डिशन में रहे, उनकी विधवा औरतों की दयनीय दशा होती है तो ऐसे देश भक्तों के बच्चों के लिए ५ नहीं १५ सीट्स का

Page No. 63

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

रिजर्वेशन होना चाहिये जिन लोगों ने देश की आजादी के लिये, देश के उत्थान के लिये कुर्बानियां की हैं उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं वह हमें करना चाहिये । हां,जो इसका गलत फायदा उठाते हैं उनको रोका जाना चाहिये ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : मै एक बात निवेदन करना चाहता हूं जो मेडिकल कालेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड हैं, ऐसी प्रेक्टिस चली आ रही थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास होने वालों को ५ नम्बर का ग्रेस दिया करते थे ..

श्री दामोदरलाल व्यास : जब दूसरी यूनिवर्सिटीज नहीं थी तब । अब बन्द कर दिया है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : शिक्षा का जितना विस्तार करें कम है, इसमें आपत्ति किसी को नहीं हो सकती । आप ३ की बजाय ३० यूनिवर्सिटीज की स्थापना राजस्थान में कर सकते हैं, अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार करें, इसमें आपत्ति नहीं, पर यह मान कर चलना पड़ेगा कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज का स्टेन्डर्ड, नम्बर देने का माप-दण्ड भिन्न है । साइन्स के विद्यार्थियों को, उदयपुर यूनिवर्सिटी का, जोधपुर यूनिवर्सिटी का और राजस्थान यूनिवर्सिटी का नम्बर देने का क्राइटेरिया क्या है ? आखिर इनके पर्सेंटेज में इतना अन्तर क्यों है ? एक छात्र जो विशेष रूप से परिश्रम करता है, नम्बर देने के उस यूनिवर्सिटी के स्टेन्डर्ड की वजह से उसको कम नम्बर मिल जाते हैं, इसकी वजह से उसे नुकसान नहीं होना चाहिये । ५ नम्बर का ग्रेस पहले देते आये हैं, उसे नहीं हटाया जाना चाहिये और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को ५ नम्बर का ग्रेस देते आये हैं, वह पुनः शुरू करना चाहिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा भी प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो पहले निवेदन किया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया । जब एक मिनट के लिए माननीय सदस्य कहते हैं तो उसका मतलब १० मिनट और १० मिनट का मतलब है २० मिनट सदन के लिए ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): १९६७-६८ का जो प्रोस्पेक्टस है मेडिकल कालेज का उसमें बोनाफाइडी रेजीडेंट की जो परिभाषा है उसने स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि कोई बच्चा स्वयं राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके अलावा उसके माता पिता १० साल तक राजस्थान में रहे हों तो जिस प्रकार का सेन्टेन्स है उसका इन्टरप्रिटेशन गलत लिया जा रहा है 'Who is either born in Rajasthan and he/she or his/her parents have resided in Rajathan for a period of ten years. मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट मन्शा है कि किसी बच्चे के माता पिता अगर राजस्थान में १० साल से रहते हैं या स्वयं राजस्थान में पैदा हुआ है तो उसको एडमिशन का अधिकार है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not या 'और' शब्द है । अदरवाइज बच्चा

Page No. 64

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ट्रान्जिट में पैदा हो सकता है, जा रहा हो कोई ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : वे व्यक्ति जो देश के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से भारत में आये, उनका कोई रिश्तेदार पंजाब में रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा राजस्थान मे पैदा नहीं हुआ, पंजाब में पैदा हुआ और उसके माता पिता १०-१५ साल से या २० साल से राजस्थान में रहकर कारोबार कर रहे हैं और कलेक्टर का प्रमाण पत्र है कि १०-१५ साल से राजस्थान में रहता है और बच्चे की हाइएस्ट क्वालीफ़िकेशन्स हैं जिसके पर्सेंटेज के आधार पर वह मेडिकल कालेज में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन राजस्थान के कालेज में प्रवेश उनको नहीं मिल पा रहा है। जिन बच्चों ने हायर एजूकेशन राजस्थान में ली हो, जिनको जिलाधीश का सर्टीफिकेट हो, लेकिन क्योंकि वह पंजाब में पैदा हुआ है, इसलिए उनको एडमिशन नहीं मिले तो उचित नहीं होगा।

दूसरी बात राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यह मानकर चलना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वे अशिक्षित हैं, उनके बच्चे बहुत बड़ी उम्र में जाकर एडमिशन ले पाते हैं। जिस प्रकार पिछले का प्रोसपेक्टस था उसमें आपने प्रिन्सीपल को डिस्क्रेशन दिया था कि २१ साल के ऊपर के बच्चे को भी पर्सेन्टेज के आधार पर एडमिशन दे देता था लेकिन आजजो इस प्रकार का बच्चा है जो साढ़े इक्कीस का है या २२ का है या साढ़े बाईस का है या २३ का है लेकिन उसका पर्सेन्टेज ५८, ६० या ६१ है तो इस प्रोसपेक्टस के आधार पर वह एडमिशन नहीं ले सकता अगर २१ साल की उम्र को क्रास कर ली है।

तो इस दृष्टिकोण को सामने रख कर कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, खास तौर से काश्तकार लड़कों को बड़ी उम्र में एडमिशन दिलाते हैं, न मालूम कैसी हालत में वह उसको पढ़ाता है तो उस पर मैक्सीमम एज लिमिट लागू करना उचित नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, जैसी मेरी जानकारी है अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के लिए पहले एक या दो स्थान सुरक्षित थे और उसी तरह से इंजनीयरिंग कालेज में भी एक या दो स्थान सुरक्षित थे लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, वे स्थान शायद सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यदि दो स्थान सुरक्षित हैं तो उनको ५ कर दें। जब एक तरफ मानते हैं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की संख्या कुल आबादी के चौथाई के करीब है तो फिर उनके लिए आप दो स्थान सुरक्षित रखें तो ठीक नहीं है। इसलिए प्रार्थना करूंगा कि यदि दो स्थान सुरक्षित हैं तो उनकी जगह ५ स्थान इन जातियों के लिए मेडिकल कालेजों में रखें। यदि दो स्थान भी सुरक्षित नहीं हैं तो भी ५ स्थान सुरक्षित रखने की अगर राजस्थान में सरकार व्यवस्था करेगी तो अच्छा होगा और इन लोगों की भलाई होने में प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उनके अलावा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शिड्यूल्ड कास्ट्स या आर्मी परसोनेल या राजनैतिक पीड़ित अगर जनरल काम्पीटीशन में आ जाते हैं इन लोगों के मार्क्स ज्यादा होते है तो उन लोगों को जनरल सीट्स में कन्सीडर किया जाय तो जो दूसरे लोगोंने एप्लाई किया हो जिनके थोड़े नम्बर हों वे भी एडजस्ट हो सकें। अभी ऐसाकिया जा रहा है कि जिन लोगों के ५६ प्रतिशत नम्बर हैं वे लोग भी रिजर्व्ड सीट्स के अंदर लिए जा रहे हैं। वे लोग तो जनरल सीट्स के अंदर भी आ सकते हैं जो आर्मी परसोनेल के हैं, या राजनैतिक पीड़ित हैं या शिड्यूल्ड कास्ट्सके हैं शिड्यूल्ड की जो रिपोर्ट हमने कल स्टडी की,उसमें संदेहनहीं कि इन्जीनियर और डॉक्टर शिड्यूल्ड कास्ट्सके कम हैं इसलिए ४५ प्रतिशत के बगैर आप किसी को नहीं लेंगे। लेकिन उसके ऊपर वालों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए सीटें ज्यादा रिजर्व्ड होनी चाहिए। ताकि इन जातियों के लोगों की संख्या इनमें बढ़ सके।

तीसरी बात कि इस समय तक जो सेकंड ईअर टी. डी. सी. का हाउस एग्जामिनेशन होता था और इसलिए सैकंड ईअर टी. डी. सी. की परीक्षा के बाद लड़के कालेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते थे परन्तु इस साल से सेकंड ईअर टी० डी० सी० यूनिवर्सिटी एक्जॉमिनेशन हो गया। तो मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह घोषणा करें कि अगले साल से जो सैकंड ईअर टी० डी० सी० पास करके जो लड़के आयेंगे वे भी एलिजिबल होंगे इन कालेजों में भर्ती के लिए और वे दूसरोंके साथ कम्पीटेशन में बैठ सकेंगे।

चौथी बात जोधपुर विश्वविद्यालय के स्टैंडर्ड के बारे में कही गई है उस सम्बन्ध में एक सजेशन प्रि-मेडिकल टेस्ट के बारे में आया। मैं एक और आल्टरनेटिव सजेस्ट करता हूं कि स्टेट के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के दिमाग में नई परीक्षा से तबियत से ही घृणा होती है और एक ही परीक्षा से उनकी जिन्दगी तय हो जाय, यह चीज वे पसन्द नहीं करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि तीनों यूनिवर्सिटीज के टीचर्स इस परीक्षा के एक्जामिनर्स बनें तो इससे गलत नम्बर देनेकी सम्भावना उसमें नहीं हो सकेगी।

आपने इस समय जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिज के अन्दर आपकी संख्या करीब४५० है। फर्स्ट ईअर में ज्यादा दाखले नहो कर सकते। आपके नियमों के अनुसार एम.बी. बी. एस. करने के तीन साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। और आप रिलेक्स करके मौका दे रहे हैं। इसलिए लोग जयपुर में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं। आपने फर्स्ट ईअर टी० डी० सी० में तो १६० सीट्स बढ़ायी इसके लिए तो आपको धन्यवाद लेकिन ३७ सीट्स कम क्यों कर रहे हैं ? पिछले साल ६८७ एडमिशन्स दिये थे अगर ज्यादा नहीं बढ़ाते तो अब के साल उतने तो लेंगे ?

आखिरी बात यही कहनी है कि पिछले साल आपने आश्वाशन दिया था कि जो परिवार नियोजन के लिए विद्यार्थी आयेंगे उनको स्कॉलरशिप दी जायगी। बुनियादी तौर पर उन लोगों को ऑप्शन दिया था लेकिन आपने आश्वासन देने के बावजूद

Page No. 66

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोई स्कालरशिप नहीं दी। इसका क्या कारण है ? और इस साल जो २५ विद्यार्थी एडमिट कर रहे हो उनको स्कालरशिप देंगे या नहीं, इस बारे में आप नीति घोषित करें।

पोलिटिकल सफरर्स की सीटें डिजरविंग उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष (श्री विजयसिंह रावत के खड़े होने पर): अब कोई आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सब को एलाऊ किया, में बार-बार कह रहा हूं............

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने बार-बार सदन से निवेदन किया है कि मैं किसी माननीय सदस्य को समय नहीं देता हूं तो वह आसन के हित में नहीं, अपितु सदन के हित में होता है। आज का विनिनेस मैंने बार-बार सदन के सामने रखा है। पूरा प्रयत्न करने पर भी एक दो सदस्य रह जाते हैं तो मैं विवश हूं।

श्री विजयसिंह रावत : अजमेर के मेडिकल कालेज के बारे में........

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, ऑर्डर प्लीज। मैंने बार-बार सदन से यह निवेदन किया है कि यदि किसी माननीय सदस्य को समय नही देता हूं तो वह आसन के हित में नहीं है सदन के हित में है। मैंने सदन को अवगत भी किया है कि यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा फिर भी एक दो सदस्य रह जाते हैं तो मैं विवश हूं।

श्री विजयसिंह रावत (खड़े हो जाते हैं)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

श्री विजयसिंह रावत : हमारे हित में मेडिकल कालेज....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : ऑन ए पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वादविवाद चल रहा है और मन्त्री महोदय जो व्यक्तव्य दे रहे हैं उससे आसन की तरफ से यह खास छूट दी गई है, रिलेक्सेशन किया गया कि हरएक माननीय सदस्य जो हैं वे दो-दो मिनट इस पर बोलें, और इस आदेश पर मैंने आपसे बार-बार कहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !! दिस इज नो पॉईन्ट आफ ऑर्डर।

श्री विजयसिंह रावत : अगर समय नहीं देना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं फिर सदन का सहयोग चाहता हूं मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सदन के हित में ही कह रहा हूं। मैं सदन का सहयोग लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य इसे डिसऑर्डरली नही बनायें। मैं

Page No. 67

(श्री अध्यक्ष)

मैं नहीं छोड़ने वाला हूं मैं सदस्य को सेन्सर करना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी विवशता है। रेगुलर बिजिनेसस को ट्रांजेक्ट करने का मेरा फर्ज है-इसको भी देखा जाय। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहता हूं कि वे उत्तर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मन्त्री): अध्यक्ष महोदय इस एडजोर्नमेंट मोशन के जवाब देने के बाद कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है प्रोसपेक्टस सम्बन्धी और दूसरी दिक्कतें हैं मेडिकल कालेज में भरती होने सम्बन्धी। कुछ सुझाव तो इस तरह के हैं जिनका सम्बन्ध एडजोर्नमेंट मोशन से नहीं है परन्तु जो भी सुझाव आये हैं उसके लिए मैं कुछ अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां है नहीं परन्तु उन्होंने एक सुझाव रखा था खास तौर से सेन्ट्रल गवर्नमेंट सरवेन्ट्स के लिये और उन्होंने यह भी कहा था कि पहले ऐसी व्यवस्था इस प्रोसपेक्टस में थी कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्वेन्ट रिसाइड करते थे एक सालसे उनको अधिकार था कि वे अपने बच्चों का एडमिशन करा लिया करते थे। दरअसल जो रिसाइड है वह मिसप्रिन्ट हो गया। पिछले सालों के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई सेन्ट्रल गवर्नमेंटका एम्लॉइज या बैंक का एम्लॉइज राजस्थानके अन्दर किसी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के दफ्तर में हो तो उसके बच्चों को एडमिशन कराने का अधिकार है। पिछले साल केसेज सामने आये थे। उनके अन्दर ऐसा देखा गया था कि रिजर्व बैंक के एम्लॉइज केवल एडमिशन के लिये ट्रान्सफर १० दिन से पहले करा कर ले आते हैं और एडमिशन होने के बाद वापिस चले जाया करते थे। उन पर रोकथाम नहीं है इसलिये इस तरह की दिक्कतें सामने आईं, महज एडमिशन के लिये वे अपने ट्रान्सफर करा लिया करते थे और एडमिशन के बाद वापिस ट्रान्सफर हो जाता था। चुनाचे इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह नहीं होना चाहिये यह प्रोविजन रखा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्लॉइज अगर यहां पर पोस्टेड हों, कहीं भी किसी भी दफतर में या किसी शिड्यूल बैंक में तो कम से कम एक साल की मयाद रखी है। वहां वर्ड 'रिसाइड' होना नहीं चाहिये इसकी जगह 'पोस्टेड होना चाहिये, यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है और उससे उन लोगों को कोई सम्बन्ध नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और बाहर पोस्टेड हो गये हैं तो उनका कोई नम्बर नहीं आयगा। इस तरह कोई बोनाफाइड नहीं है यह तो मैं उन लोगों से निवेदन करूं कि जो राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं, और उनको एक विशेष सुविधा दी गई है कि वह राजस्थान के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों या बैंकों के अन्दर पोस्टेड हो इसलिये राजस्थान के रहने वालों के लिये करटेलमेंट हुआ हो, यह बात नहीं है। राजस्थान के लिये बर्थ राईट है कि वे अपने बच्चों को कालेजों के अन्दर एडमिशन करायें। माननीय सदस्य जो जयपुर से आने वाले हैं, उनको जो कुछ दिक्कतें महसूस हो रहीं हैं, मेरे ख्याल से ठीक नहीं हैं।

दूसरी बात इस प्रोसपेक्टसके अन्दर एक माननीय सदस्यने यह कहा किजो पैदाइशके लिहाज से यहां पैदा हो गया है और दस साल से रहा है उस मामले को लेकर एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो रिफ्यूजीज पंजाब में पैदा हुये और १०-११ साल से उनके लड़के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लड़की पढ़ते हैं, उनके बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे बोनाफाईड है । इसको यहां डिफाईन किया गया है उसमें क्लाज बी साफ है कि चाहे वह कहीं का रहने वाला हो यह हमने इस बात को ध्यान में रखकर ही किया है । जो ५ १०साल से आबाद हो गये हैं उनको भी सुविधा देना चाहते हैं ।

Clause (b) is clear "Children of the employees of Rajasthan Govt., who are either parmanent or have put in three years' continuous ser vice"

इसलिये यह आपको जो ख्याल है कि १०- १५ साल से, चाहे वह पंजाब में रहा हो या गंगानगर में रहा हो बच्चे यहां पढ़ाये हो और अगर उसने बच्चों को यहां पढ़ाया है तो उनको एडमिशन का पूरा अधिकार है । चाहे वह पंजाब के हों, यू० पी० के हों, कहीं के भी हो उनको अधिकार है कि उनके बच्चे यहां प्रवेश पा सकते हैं । यह सब बातों को ध्यान में रखकर ही किया गया है । जो राजस्थान में आ गये हैं आखिर उसका मापदन्ड होना चाहिये जैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज के लिये अगर कोई कहता है कि १०-साल राजस्थान में आबाद हुए हो गया है - एक मर्याद तक तो उनके बच्चे राजस्थान में पढ़ने चाहिये और अगर उसने पढ़ाया है तो उनको पूरा अधिकार है यह बहुत मुश्किल है । पिछले साल एक केस आया था कि उसके कोई मकान नहीं, दुकान नहीं और ठेले पर ही काम करता है..........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह क्लाज इवेकुअल रीजनेबिली कवर करता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : धन्यवाद । अब रहा सवाल इस बात का कि माननीय सदस्य जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राईब्स के हैं मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उनके लिये ६ - ६ सीट्स रिर्जव्ड हैं । परन्तु ये पूरी नहीं होती । दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज चाहे अगर वे ऑन मेरिट आ जायं तो वह उनके अलावा होनी चाहिये । यह प्रोविजन जनरल सीट्स का है, हम उनको नहीं गिनते हैं । परन्तु जो ६ सीट्स रिर्जव्ड हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स नहीं आते हैं, कम आते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी जानकारीके अनुसार आर्मी पर्सोनल और पोलिटिकल सफरर जो मेरिट में आ सकते हैं, उन लोगों को रिर्जव्ड सीट में लिया गया है। इसमें सच्चाई कहां तक है आर्मी पर्सोनल ५६ परसेन्ट आने पर उनको ....

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर ऐसा किया गया है तो मेरे नोटिस में लायें । मेरिट में जो आ जाते हैं उनको हम रिर्जव्ड में नहीं गिनते ।

अब रहा सवाल एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ रिजल्ट रोक लिये जाते हैं, युनिवर्सिटी में गलत तरीके से। अगर युनिवर्सिटी की गलती से रिजल्ट रोक लिया गया हो तो उसके लिये मैं कोई प्रोविजन करने को तैयार हूं और अगर रिजल्ट दरअसल युनिवर्सिटि की गल्ती से रोका गया है तो उसकी एडमिशन की दरख्वास्त को बाद में कन्सीडर कर लिया जायगा । स्टुडेन्ट की गलती से अगर रिजल्ट रुका हो तो मैं उसके लिये कहूंगा कि स्टुडेन्ट को सफर करना चाहिये ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जोधपुर, उदयपुर और जयपुर युनिवर्सिटीज में अब तक मार्क्स देने में इतना फर्क बताया जाता है कि यहां का रिजल्ट १३ परसेन्ट, ६० परसेन्ट या ५० परसेन्ट है। यह डिसक्रिमिनेशन जरूर है। इसके लिये कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि प्री-एडमिशन टेस्ट हो जाय। एक सुझाव अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है, वह मेरे समझ में नहीं आता है कि वे किस तरह करना चाहते हैं। इसके सिवाय कोई तरीका नहीं है और यह बात सही है कि यू० पी० में जब बहुत सी युनिवर्सिटीज हो गईं तो उनको भी मार्क्स सिस्टम से एडमिशन बन्द करना पड़ा। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग-अलग स्टेण्डर्ड हैं और पास फेल करने का भी। तो उन्होंने भी सारे कालेजों के लिये प्री-मेडिकल टेस्ट कर लिया है और जितने लेने हैं उनमें से फर्स्ट ५०० ले लेते हैं अलबत्ता उसके लिये मिनिमम मार्क्स प्रेस्क्रायब कर रक्खे हैं। यह एक तरीका हो सकता है जिसमें दो तीन या ज्यादा यूनिवर्सिटियां हों तो उनके कोर्स की शिकायत नहीं हो सकती है। जनरल टेस्ट होगा वह। यह एक सुझाव है जिस पर सरकार विचार करेगी।

श्री रामानन्द : कामन एग्जॉमिनर्स हों।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुझाव देते हैं यह मुमकिन नहीं है। इम्प्रेक्टिकेबल है। उनके अपने तरीके होते हैं इन्टरनल एग्जामिनर्स उनके ज्यादा होते हैं। उनके अपने अपने सिस्टम हैं। पर वह जरूर महसूस करता हूं कि जब अधिकांश माननीय सदस्य शिकायत करते हैं तो यह तो स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न यूनिवर्सिटियों के रिजल्ट्स में काफी डिस्पेरिटी है। इसके कारण राजस्थान यूनिवर्सिटियों के रिजल्ट्स में काफी डिस्पेरिटी है। इसके कारण राजस्थान युनिवर्सिटी को बहुत बड़ा डिसएडवान्टेज है। तो प्री मेडिकल टेस्ट में सबको बराबर का मौका मिलेगा और किसी को शिकायत का अवसर नहीं रहेगा। इसलिये इस सुझाव पर मैं समझता हूं कि पूरी गम्भीरता से हम विचार करके निर्णय लेंगे।

गेम्स और स्पोर्ट्स की बात आई। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि गेम्स और स्पोर्ट्स को एनकरेजमेन्ट मिलना चाहिये। ज्यादा स्पोर्ट्समैन कालेज और स्कूलों में आने चाहिये। इसमें दो राय नहीं हैं।

पर, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारा पिछले वर्षों का अनुभव है कुछ लड़के गलत तरीके से इस प्रोवीजन का उपयोग करते हैं पर मुझे इसमें ऐतराज नहीं, अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो। गेम्स और स्पोर्ट्स के लिये रिजर्वेशन की बात सोच सकते हैं पर इसके लिये छानबीन भी उतनी ही सख्ती से की जावेगी जितनी मजबूरी से यह प्रोवीजन रखा जावेगा। इसमें फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिये कि छानबीन में सख्ती क्यों की जा रही है।

श्री रामकिशन : यह अधिकार हमारा आप कैसे ले सकते हैं? राज आप करेंगे तो शिकायत तो रहेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत आपको इस बात की रहेगी कि आपके पास फिर एप्रोचेज बहुत होंगे।

Page No. 70

श्री नत्थीसिंह : आपने पहले से ही ऐसा दिमाग बना लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि लड़के लड़कियों को देरी से इत्तला मिलती है। इसको कन्सीडर किया जा रहा है। पर देरी से इत्तला भेजने पर रोका नहीं जाता।

फेल्योर के दो परसेन्ट मार्क काटे जाने की बात कही गई। इसमें ऐसा है कि जो दो बार फैल हो जाते हैं तो फिर दो परसेन्ट मार्क काटे जाते हैं।

श्री सहदेव शर्मा : मन्त्री जी चार परसेन्ट काटते हैं। दो नहीं। आपके नीचे का कोआर्डिनेट स्टाफ है वह मिलकर ४ परसेन्ट तक काट लेता है। यह ज्यादा है खास कर युनीवर्सिटी आफ राजस्थान के रिजल्ट में।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रोस्पेक्टस है मेरे पास। एस साल में वह नहीं काटते, दूसरे में भी नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में होता है तो दो परसेन्ट काटा जाता है।

श्री सहदेव : सप्लीमेन्टरी वाले को आप फिर दाखिला नहीं दें। यह कैसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सप्लीमेन्टरी अलाऊ नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर दाखिला होता है। इस पर मेरा खुद का विचार है कि यह सप्लीमेन्टरी वाले के साथ न्याय नहीं है। और उसी साल पास हो जाता है ड्यूरिंग एग्जॉमिनेशन्स रिजल्ट निकल जाता है तो उसे मौका मिलना चाहिये। इस मामले को मैंने युनिवर्सिटी को रेफर किया था। वाइस चान्सलर की चिट्ठी आई है कि इस पर एकेडेमिक कौंसिल विचार करके फैसला करेगी। सप्लीमेन्टरी का जहां तक सवाल है एडमिशन मिलना चाहिये, में इससे सहमत हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप डिस्पेरिटी की बात कहते हैं। सप्लीमेन्टरी वाला फेल नहीं माना जाता। दो महीने बाद पास हो जाता है तो फेल कैसे मान लें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मान कर चलें कि जो एक साल का फेल्योर होगा उसके एडमिशन में नम्बर नहीं काटे जावेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कालेज में एडमिशन, सप्लीमेन्टरी आ गया तो सेकण्ड अटेम्प्ट में पास करने के बाद उसे सेकण्ड अटेम्प्ट मानेंगे क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फेल इज फेल।

श्री सहदेव शर्मा : फेल्योर है एक लड़का दूसरे साल उसने पास कर लिया तो क्या डिडक्ट किये जावेंगे उसके नम्बर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं स्पष्ट कर दूं एक फेल पर कोई मार्क्स नहीं काटे जाते। सेकण्ड पर भी दो परसेन्ट मार्क कटेंगे।

श्री मदनसिंह : एज के रिलेक्सेशन के सम्बन्ध में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २१ साल की उम्र है। पर बोर्ड आफ एडमिशन को डीस्क्रशनरी पॉवर दिये गये हैं कि वह २२ साल तक को भी भरती कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : गांवों से आने वालों को मालूम नहीं पड़ता कि आइन्दा गवर्नमेन्ट क्या एज रख रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो अरसे से चला आ रहा है। नया नहीं निकला है।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर मेडिकल कालेज।

जोधपुर मेडिकल कालेज के स्टाफ, स्थान और सामान के अभाव में विद्यार्थियों में असंतोष पर वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास : जोधपुर मेडिकल कालेज में स्टॉफ, स्थान और सामान के अभाव में विद्यार्थियों में असन्तोष बताया जाता है ऐसा रामानन्द जी ने अपने स्थगन प्रस्ताव में सूचित किया है उसकी वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है।

जितना स्टाफ आवश्यक था मन्जूर किया गया। चूंकि अध्यापन स्टाफ ज्यादा नहीं मिल सका। तलाश करते रहे। उस समय दो नये आइटम अनाटोमी और फिजियोलोजी और दूसरे एक विषय में जो शिक्षक मौजूद थे उनसे काम चलाया गया। इसके बाद सरकार द्वारा ६६ में और स्टाफ स्वीकार किया गया। इस कालेज में इस वक्त स्टाफ की स्थिति इस प्रकार है :

अनाटोमी में	प्रोफेसर	१	
	रीडर	१	
	लेक्चरार	१	
	डिमान्स्ट्रेटर	२-२	स्थान रिक्त
फिजियोलोजी	प्रोफेसर	१	
	रीडर	१	
	लेक्चरार		
	डिमांस्ट्रेटर	२	२ स्थान रिक्त

बायोकैमिस्ट्री में रीडर का स्थान रिक्त है। क्योंकि मिल नहीं रहा है।

जो स्टाफ इस कालेज में उपलब्ध था उससे विद्यार्थियों को नियमित अतिरिक्त क्लासें लेकर पढ़ाया गया।

दिसम्बर ६६ में इस कालेज के विद्यार्थी प्रथम खण्ड की परीक्षा में बैठे इस परीक्षा का रिजल्ट माननीय सदस्य सुन लें। इसके अन्दर अनाटोमी में ६८ परसेन्ट रिजल्ट रहा। एक लड़के को डिस्टिंक्शन, विशेष योग्यता मिली।

फिजियोलोजी में७६परसेण्ट रहा और दो को विशिष्ट योग्यता मिली।

फर्स्ट ईयर पास करनेके बाद जुलाई ६६, में एम. बी.बी. एस प्रथम खंड में ८८ विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। उस समय एम. बी. बी. एस द्वितीय खंड के कोर्स के लिए। निम्न लिखित विभाग खोले गये औरस्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है।

विभाग		कार्य कर रहे	रिक्त
फारमेकोलोजी	प्रोफेसर	१	....
	लेक्चरार	....	१
	डिमान्स्ट्रेटर	१	१
पेथोलोजी	प्रोफेसर	१	....
	रीडर	....	....
	लेक्चरार	....	१
	डिमान्स्ट्रेटर	२	२
प्रिवेन्टिव एण्ड सोशल मैडिसिन			
	लेक्चरार	।	१
क्लिनिकल	ट्यूटर	१	....
	डिमान्स्ट्रेटर	....	१

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एम. डी. इन मेडिसिन के अध्यापक से कार्य लिया जा रहा है।

फोरेन्सिक मेडिसिन लेक्चरार		....	१
	डिमान्स्ट्रेटर	....	१

टीचिंग स्टाफ को नियुक्ति नहीं हुई है इसलिये कार्य को नुकसान न हो इस के लिये एक सी. ए. एस. जो हॉस्पिटल में जूरिस्ट हैं, उससे कार्य लिया जा रहा है।

मेडिसिन-	प्रोफेसर	....	१
	रीडर	१	....
	लेक्चरार	१	....
	सी. एल. ट्यूटर	२	....

प्रोफेसर मेडिसिन की नियुक्ति की जा रही है एवं वर्तमान में मौजूदा स्टाफ से कार्य लिया जा रहा है।

सर्जरी	प्रोफेसर	१
	रीडर	१
	लेक्चरार	१
	ट्यूटर	१

रीडर के स्थान पर डा. एम.एस. शर्मा की नियुक्ति हो चुकी है।

ओफ्थालमोलोजी	रीडर	१	....
	ट्यूटर	१	....
पेडिएट्रिक	लेक्चरार	....	१
	ट्यूटर	१	....
रेडियोलोजी	लेक्चरार	....	१
ई.एन.टी.	लेक्चरार	....	१
	ट्यूटर	१	....

इसमें टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिये पढ़ाने का नुकसान न हो इसलिये एक सी. ए. एस. मेडिकल जूरिस्ट काम कर रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। मेडिसन मे प्रोफेसर की नियुक्ति हो गई।

	रीडर	
	लेक्चरार	
	ट्यूटर	२
सर्जरी में	प्रोफेसर	१
	रीडर	१
	लेक्चरार	१

ट्यूटर १

पेडिएट्रिक्स में ट्यूटर १।

इ. ए. टी में ट्यूटर एक।

रेडियोलाजी लेक्चरार १ रिक्त

कुछ जगह खाली रही हैं क्योंकि योग्यता और अनुभवी व्यक्ति नहीं मिल सके। लड़कों की पढ़ाई में हर्ज नहीं होने दिया गया और प्रथम वर्ष एम. बी.बी.एस. का रिजल्ट रहा वह इस बात का साक्षी है। जो स्टाफ उपलब्ध होता है अतिरिक्त क्लास लेकर परीक्षार्थियों का पूरा ध्यान रखा गया है।

परीक्षाओं के रिजल्ट जैसा मैंने बताया:

The result in Anatomy in December, 1966 examination was 68.5% with one distinction.

Result in Anatomy in April, 1967 supplementary examination was 87%.

Page No. 73

(श्री दामोदरलाल व्यास)

The results of remaining students in Anatomy is expected to be 80% for the students who appeared in June, 67

Result in Physiology in December, 66 was 78. 4% with two disctinction.

Result in April, 67 supplementary examination in the same subject was 86.7%

Result of the students who appeared in this subject in June 67 is expected to be 100%.

Out of the merit list of 10 prepared by the Raj. University the Medical College, Jodhpur students secured 2nd, 4th, 6th, 7th and 9th positions.

यह मालूम होगा कि माननीय सदस्यों को जोधपुर कालेज में यदि पढ़ाई का बराबर इन्तजाम न होता तो जो रिजल्टस आये हैं वे किस प्रकार उलब्ध होते। आपको जानकर खुशी होगी कि जो मेरिट लिस्ट बनायी है उस में जोधपुर से ५ लड़के मेरिट लिस्ट में आये हैं योग्यता वाले स्टाफ की, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि सारे देश में ही इसकी कमी है। अवेलिबिलेटी का सवाल था। हमें नहीं मिल रहे थे फिर भी पढ़ाई का हमने एल्टरनेटिव इन्तजाम कर रखा था। जो इम्तिहान के रिजल्ट्स मैंने बताये उनसे आपको यह विदित हो जावेगा।

दूसरा पॉइन्ट कालेज में स्थान का अभाव। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर का मेडीकल कालेज एक नयी संस्था है जो १९६४-६५ में ही प्रारम्भ हुई है। इस कालेज के लिये भवन तथा होस्टल आदि के निर्माण के लिये १११.५० लाख रुपये की योजना तैयार की गयी है जिसे प्रति वर्ष आवश्यकता के अनुसार चरणों में पूरा किया जाना है। १९६५-६६ में ४.५० लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। १९६६-६७ में १४ लाख रुपया तथा १९६७ ६८ में १५ लाख रुपया व्यय करने प्रावधान रखा है। जून १९६७ तक कालेज के मुख्य ब्लाकों का निर्माण हो जाना चाहिये था जिनमें प्रथम व द्वितीय वर्ष की कक्षा में वर्तमान भवनसे स्थानान्तरित कर दी जाती लेकिन बन कर तैयार नहीं हुए। यदि तैयार हो जाते तो स्थानान्तरण कर दिया जाता और वर्तमान भवन में तृतीय वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ होती। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य निश्चित समय पर पूरा नहीं किया जा सका। इसके लिये मुख्य अभियन्ता को लिखा गया है कि वे इस ओर ध्यान देकर मुख्य ब्लाकों को पूरा कराने की कोशिश करें। काम थोड़ा बाकी है। अगले माह, उम्मीद है, पूरा हो जावेगा। आवास की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो जावेगी। प्रिन्सिपल साहब से सूचना चाही गई है और यह विषय सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिल कर तय कर लिया जावेगा। फिलहाल काम चलाने के लिये अन्य सरकारी भवन का इन्तजाम कर दिया गया है।

मेडिकल कालेजों में पाठ्य पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता होती है। १९६५-६६ में १० हजार रुपये, १९६६-६७ में ३० हजार

Page No. 74

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तथा १९६७-६८ में ४० हजार रुपये की पुस्तकें खरीदने का प्रावधान किया गया है और अब तक लगभग ६०० पुस्तकें खरीदी जा चुकी हैं। अध्यापन के लिए जितनी पुस्तकों की आवश्यकता होगी उनकी खरीद के लिये प्रावधान किया जावेगा। पुस्तकों की खरीद पर गत वर्ष १० हजार रुपया उस राशि में से व्यय किया गया था जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ५ छात्राओं के अधिक प्रवेश करने के एवज में भारत सरकार ने आवर्तक व्यय के रूप में स्वीकार किया था।

जहां तक प्रयोगशालाओं का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रयोगशालाओं में पर्याप्त सामान होना आवश्यक है, यह कालेज निर्माणावस्था में है उसमें थोड़ा समय लगेगा जिन-जिन विषयों की प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है उनकी शीघ्र व्यवस्था की जा रही है। प्रयोगशालाओं के समान की खरीद के लिये १९६५-६६ में १.७६ लाख रुपया, १९६६-६७ में १.६२ लाख रुपया तथा १९६७-६८ में ६ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक ६ लाख रुपये से अधिक राशि के साज सामान खरीदे जा चुके हैं। वर्तमान में प्रशिक्षण के लिए एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्मकलोजी, तथा पेथोलोजी से सम्बद्ध प्रयोगशालाओं में लगभग समस्त आवश्यक सामान खरीदा जा चुका है। तथा शेष छोटे मोटे सामान की कमी है उसकी खरीद की कार्यवाही की जा रही है। तृतीय वर्ष के अध्ययन में आने वाले शेष सामान की खरीद के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रयोग शालाओं में उपलब्ध राशि के व्यय होने के बाद भी यदि आवश्यक सामानों की खरीद के लिये अधिक धनराशि के प्रावधान की जरूरत होगी तो इस दिशा में प्रयत्न किये जावेंगे।

मोटर बस का प्रबन्ध गत वर्ष इस कालेज के विद्यार्थियों के लिये किराये की बस की व्यवस्था की गई थी यह शिक्षण सेशन समाप्त होने तक उपलब्ध थी। इस वर्ष कालेज की बस खरीदने के लिये हाल ही में स्वीकृति दी जा चुकी है। चूंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा इसलिये प्रिन्सिपल को यह अधिकार दिया गया है कि किराये पर एक बस कर ले जो होस्टल, लगभग तीन मील दूर है, से अस्पताल ले आये और वापिस पहुंचा दे। यदि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भी बस की सहूलियत चाहें तो किराये के भुगतान पर उनको भी दिला दी जाय। किराये पर बस मिल जायेगी और उनकी आवश्यकता पूरी हो जावेगी।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये केन्टीन, साइकिल स्टेण्ड तथा खेल के मैदान आदि के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बस वाली बात समझ में नहीं आयी।

श्री दामोदरलाल व्यास : थर्ड ईयर के स्टूडेन्ट्स का अस्पताल में आना जरूरी होता है। किराये की बस का इन्तजाम कर दिया है। फर्स्ट इयर और सेकिन्ड ईयर वालों को आने की आवश्यकता नहीं है। आना चाहें तो सिटी बस का इन्तजाम हो जावेगा। आ

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सकते हैं। केन्टीन वगैरह के लिये माननीय सदस्य खुद महसूस करेंगे लोकल इन्तजाम करना है। उनको हिदायत कर दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर मेडिकल कालेज के विषय में सबसे बड़ी गलती यह मालूम पड़ती है कि कालेज अस्पताल के सम्मुख नही बनाया गया है जिस कारण यह बड़ी समस्या पैदा हो गई। अस्पताल शहर के पास है और कालेज दो तीन मील दूर, जैसा माननीय मन्त्रीजी ने कहा, बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी और मार्च महीने में भी स्टाफ लेबोरेटरी आदि की विद्यार्थियों को दिक्कत हल नहीं हुई उनको हड़ताल पर जाना पड़ा था और वहां पर कलेक्टर और प्रिन्सिपल थे उनके इस आश्वाशन देने पर कि नया सेशन शुरू होगा ये दिक्कतें दूर कर दी जावेंगी तब कालेज शुरू हुआ था वापिस। यह सेशन शुरू होने वाला है। पिछले सप्ताह में जोधपुर गया था। वहां पर उन्होंने बताया गया था कि स्टाफ में जहां ३८ मेम्बर होने चाहिये थे ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उन विद्यार्थियों से मिले हो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

(२ म. प.)

अध्यक्ष महोदय, आप केवल प्रिंसिपल की बात पर कह रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब मैं समझ गया कि क्या बात थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां पर ३८ का स्टाफ होना चाहिए, उसमें २० का नहीं था वल्कि १८ का ही स्टाफ था। अब मंत्री महोदय ने कुछ नियुक्तियां की हैं लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त नहीं हैं, पूरी नहीं हैं। और वे सारी जितनी भी नियुक्तियां की हैं वे सब लोग जायेंगे या नहीं जायेंगे यह कहा जा नहीं सकता क्योंकि इस सरकार के हुकुम को उनके नीचे के अधिकारी पूरा मानें या नहीं मानें, इसकी भी कोई गारण्टी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर है फिजियोलोजी में डाक्टर जैन, उनका तबादला वहां से कर दिया गया और उनकी जगह डाक्टर लुहाड़िया को बीकानेर से जोधपुर कर दिया गया लेकिन वहां के प्रिंसिपल ने उनको रिलीव नहीं किया और इस तरह से वे वहां पर पहुंचे नहीं। इसलिए मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो आपने नई नियुक्तियां की हैं वे लोग वहां पहुंचेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारण्टी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने वहां की मेरिट लिस्ट बताई है और उसमें स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स हासिल किये हैं वे इस बात की दलील नहीं होने चाहिए कि वहां पर वे स्टाफ नही भेजें। अब आप इन पांच कालेजों में बेस्ट मेडिकल आफिसर्स, डाक्टर्स को आप रिजर्व रख रहे हैं, इसके बारे में मेडिकल कालेजों के पास स्टाफ नहीं दे पायें तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ और जूनियर डाक्टर्स के साथ न्याय नहीं करेंगे और इससे नेचुरली स्टेंडर्ड गिरेगा। तो मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि यह जो २० डाक्टरों की कमी है, डिमांस्ट्रेटर्स की, ट्यूटर्स की, रीडर्स की,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की कमी है, इस सब को शामिल कर के अब आप नई नियुक्तियां करेंगे तो भी इनके बाद में कितनों की कमी बाकी रह गई है और कितनी कमी बाकी और रह जायेगी और ये लोग नई क्लासेज शुरू होने से पहले ये सब डाक्टर्स वहां पर पहुंच जायेंगे।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो स्थान के बारे में माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि दूसरी बिल्डिंग का इन्तजाम उन्होंने कर दिया है तो यह तो एक खुशी की बात है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो बिल्डिंग बन रही है कालेज की और होस्टल की, मेरी जानकारी के अनुसार होस्टल की बिल्डिंग पी.डब्ल्यू.डी. बना रहा है और कालेज की बिल्डिंग एक कांट्रेक्टर को दी गई है और न जाने किन कारणों से यह कालेज की बिल्डिंग का काम बन्द पड़ा हुआ है और जिस बात का आश्वासन दिया गया था कि अगस्त १९६७ में यह कॉलेज का भवन मिल जायेगा, उसकी अब कोई सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती। उधर पी.डब्ल्यू.डी विभाग इस बात के लिए चिंतित नहीं है। प्रिंसिपल और लड़कों से कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, पी. डब्ल्यू. डी. है वह सहयोग नहीं करती। इसमें मामला क्या है, इन दो डिपार्टमेंटों के बीच में क्या मामला है जिसका सामाधान करना चाहिए। कांट्रेक्टर से कह कर यह जो काम बन्द पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात वहां पर लेबोरेट्री के अन्दर इक्वीपमेंट की भारी कमी है। मैं समझता हूं कि मेडिकल कॉलिजों के अन्दर अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को शुरू करते हैं तो यह बहुत आवश्यक चीज है कि आप पूरी लेबोरेट्री, फुल्ली इक्वीप्ड लेबोरेट्री सप्लाई करें। तो आपको यदि इसमें फाइनेंशियल एड ज्यादा देनी हो तो वह भी दीजिए, और ज्यादा प्रावधान करें और दूसरी चीजों में से काट लें लेकिन चूंकि आपने कॉलेज बना लिया है तो आपको इनको पूरी इमदाद देनी पड़ेगी। अभी वहां पर स्टूडेंट्स और स्टाफ की मीटिंग हुई थी पिछली १० जुलाई को स्टूडेंट्स और स्टाफ की, उसमें उन्होंने इस बात को रीटेट किया है और गवर्नमेंट से कहा है कि प्रजेन्ट फण्ड्स इस बात के लिए काफी नहीं है इसलिए लेबोरेट्री को फुल्ली इक्वीप्ड करने के लिए आपको और फण्ड्स देने चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, अन्त में जो बस का का सवाल है जब आप इतनी दूर कॉलेज बनाते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि लड़कों के ले जाने का आप प्रबन्ध करें। आप किसी टसल में पड़े रहें कि फर्स्ट ईयर और सैकिंड ईयर का इन्तजाम नहीं करेंगे। मेरे पास उनके मिनिट्स मौजूद हैं उस मीटिंग के अन्दर उन्होंने यूनमिसली डिसाइड किया है इसके लिए, क्लिनिकल क्लासेज के बारे में कि इनके लिए भी बस की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्होंने गवर्नमेंट को इस बात के लिए प्रेस करने का तय किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके कलेक्टर ने और आपके प्रिंसिपल ने इस बात का आश्वासन दिलाया था तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फिर आप इन बातों को पूरा क्यों नहीं करते है। एक छोटी सी बात को लेकर जिद् करते है और बस की व्यवस्था नहीं करना चाहते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वैसे भी पढ़ाई काफी मंहगी पड़ती है, अब यातायात का खर्चा भी अपनी जेब से किया जाय यह नामुमकिन होगा। वहां पर एम्बुलेंस की एक बस खाली पड़ी हुई है। उसके अन्दर आप ड्राईवर का इन्तजाम कर दीजिए, उसकी तनख्वाह आप दे दीजिए तो उससे ही काम हो जाएगा। यह इन्तजाम आप कर देते हैं तो नॉन-क्लिनिकल, क्लिनिकल और इन तीनों का इन्तजाम दो बसेज से हो सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस बात पर बसेज का इन्तजाम करने के बारे में विचार करेंगे। वहां के जो प्रिंसिपल साहब हैं····

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो वहां पर प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी लड़के संतुष्ट नहीं हैं। जो वहां के प्रिंसिपल हैं ऋषि साहब, वे पहले बीकानेर में थे। वहां पर भी लड़कों में भारी असंतोष रहा और इस लिए मैं समझता हूं कि किसी भी कालेज में ये प्रिंसिपल साहब फिट नहीं हुए हैं। आल इण्डिया मेडिकल एसोसियेशन ने इसका इंस्पेक्शन किया और उन्होंने अपना नोट दिया है कि यह मिस्टर ऋषि अनुपयुक्त हैं, अयोग्य प्रिंसिपल हैं....

श्री अध्यक्ष : Why do you cast unnecessary reflections ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके पास बहुत सी जगह मेडिकल डिपार्टमेंट हैं इनको आप कहीं और जगह एब्जोर्ब कर दें और किसी एफिशियेंट आदमी को वहां पर प्रिंसिपल भेजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया है।

जनसंघ दल को सदन में मान्यता

श्री अध्यक्ष : अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लेता हूं।

पहले मैं एक सूचना देना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनसंघ दल के नेता श्री भैरोंसिह ने मुझे यह सूचित किया है कि उनके दल के सदस्यों की संख्या अब १९ हो गई है जो विधान सभा में जनसंघ दल को विरोधी दल की मान्यता देने के लिये निर्धारित संख्या से ऊपर है। अतः उनके दल को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाय। उनके दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:

(१) श्री भैरोंसिह शेखावत, (२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,(३)श्री देवीदत्त गाड़िया, (४) श्रीमती महारानी शिवकुमारी, (५) श्री हरलालसिंह, (६) श्री प्रेमसिंह, (७) श्री मदनसिंह, (८) श्री महेन्द्रसिंह, (९) श्री केसरीसिंह, (१०) श्री नन्दलाल, (११) श्री बृजवल्लभ, (१२)श्री लक्ष्मण टानीवाल,(१३)

(श्री अध्यक्ष)

श्री श्रवणलाल, (१४) श्री गंगासहाय, (१५) श्री लाभचन्द वैद, (१६) श्री भगवानदास शास्त्री, (१) डा० अम्बालाल, (१८) श्री कृष्णकुमार गोयल (१९) श्री ओमदत्त भाटी। किसी पार्टी को मान्यता दिये जाने से पूर्व ए. आर. मुकर्जी की पुस्तक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन इण्डिया के पृष्ठ १९ पर उल्लिखित निम्नांकित आधारों की पूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया जाना आवश्यक है-

पहला—पार्टी या दल के सदस्यों के सिद्धान्त और कार्यक्रम में एकता।

दूसरा—पार्टी या दल के सदस्यों की संख्या, और तीसरा पार्टी का संगठन।

लोकसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा भी जो निर्देश इस सम्बन्ध में जारी किए गए है उनमें मुख्यतः ये ही शर्तें रखी गई हैं। चूंकि उपरोक्त तीनों आधारों की पूर्ति जनसंघ पार्टी द्वारा होती है, अतः इस दल को में मान्यता देता हूं।

अब केवल प्रश्न सदन में विरोधी दल के नेता को मनोनीत करने का अवशेष रह जाता है। इसके लिए उपरोक्त पुस्तक से इस संदर्भ में निम्नलिखित अंश पढ़ना उपयुक्त समझता हूं-

"The test of determining which party has a right to be called the official opposition, and its leader the Leader of Opposition, has been laid down by Mr. Speaker Fitz Roy as follows:

'It must be a party in opposition to the Government from which an alternative Government can be formed."

Where there are more parties in Opposition than one, the party which is numerically the largest of the all cannot necessarily be recognised as the official opposition.

Three things are, therefore, necessary before a party can be recognised as, and given the privileges referred to above as of the official Opposition It must be an organised Opposition in the House; it must have the largest numerical strength and it must be prepared to assume office. Where there are numerous small parties or groups, it cannot always be said that these three tests are satisfied. In such circumstances the party which has the largest numerical strength among the opposition parties need not necessarily be recognised as the official Opposition and its Leader given the status of the Leader of the Opposition unless all the parties unite as a single Parliamentary Opposition Party."

माननीय मंत्री महोदय दूसरा स्टेटमेंट देंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या रहा साहब तो फिर।

एक माननीय सदस्य : कुछ समझ में नहीं आया!

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : कुछ फोलो ही नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष : यह अंग्रेजी में ही लिखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सार ही बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने जनसंघ पार्टी को रिकोग्नाईज किया है। as a party in the House. यही इसका सार है और दूसरे अपोजीशन के लीडर के प्रश्न पर जो मान्यता उद्धृत है पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस से की है यह पुस्तक अंग्रेजी में है और उसी में से मैंने कुछ अंश उद्धृत किया है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : रिकानीशन आफ अपोजिशन के लिए क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने इस प्रश्न को निर्णय के लिए अवशेष रखा है

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख तक यह मानकर चलें कि हमारे इस हाउस में लीडर आफ अपोजिशन नाम की चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कुछ ऐसी भी बात नहीं है। वह अभी विचारणीय है। यस मन्त्री महोदय। (श्री मुकट बिहारीलाल के उठने पर) मैंने व्यवस्था दे दी है। आप आर्डर रखें। आगे और पीछे उसके में कुछ नहीं कहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : स्वतन्त्र पार्टी के कितने सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : I am not to be interrogated.

महारावल भीमसिंह अस्पताल, कोटा में एक ८ वर्षीय बालिका की मृत्यु पर वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि ३ जुलाई, १९६७ को सुनीता, आयु ५ साल पुत्री श्री बंजरग लाल अकाउन्ट्स क्लर्क वन विभाग नाम की हिन्दू लड़की जो उसकी जांघ से कैलोइड (हापेर ट्रोफिक स्कार) को निकालने के लिये एम० बी० एस० चिकित्सालय कोटा में प्रविष्ट किया गया था। डा० राजेश्वरी माथुर जो उक्त चिकित्सालय के महिला शल्य वार्ड के इन्चार्ज हैं, के वार्ड में डा० जे० एम० माथुर, प्रधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ने भी रोगी का निरीक्षण किया और परामर्श दिया कि कैलोईड को निकालने तथा त्वचा ग्रेफिटिंग करने के लिये लड़की की शल्य क्रिया की जाये। डा० जे० एस० माथुर का भी यही मत था कि यह आपरेशन बहुत बड़ा तथा गंभीर नहीं था। डा० राजेश्वरी माथुर के द्वारा इस प्रकार के एक दर्जन आपरेशन सफलतापूर्वक किये जा चुके थे। आपरेशन के लिये दिनांक ६ जुलाई का दिन निश्चित किया गया, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। इसका उल्लेख रोगिणी के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रेकार्ड में भी है। जो केस सीट तथा नाड़ी तापमान चार्ट के ऊपर तैयार किया गया है। डा० मुरली मनोहर एम एस० जो चेतना शून्य औषधियों के प्रयोग करने का पर्याप्त अनुभव रखते हैं को इस रोगिणी को भी चेतना शून्य औषधि देने का कार्य सुपुर्द किया गया। सामान्य चेतना शून्य औषधि देने से पहले ऐट्रोपाइन का इन्जेक्शन जो कि अक्सर दिया जाता है इस रोगिणी को भी लगाया गया। यह इन्जेक्शन म्यूकस को सुखाने के लिये दिया जाता है। यहां तक यह सूचित करना आवश्यक होगा कि शिकायत में जैसा कि उल्लेख किया गया है, रोगिणी को लोकल एनेसथीसिया नहीं दिया गया था यानि जिस अंग का आपरेशन किया जाना था, उस पर लोकल एनेसथीसिया का प्रयोग नहीं किया गया था। इस केस में रोगिणी को ही मूर्छित किया गया था जब कि लोकल एनेसथीसिया के मामलों में नोवोक्वाइन तथा ऐसी अन्य औषधियों द्वारा आपरेशन किये जाने वाले अंग को ही चेतनाशून्य कर दिया जाता है। क्योंकि प्रभावित अंग को चेतना शून्य बनाने की विधि का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिये शल्य चिकित्सा प्रारम्भ करने से पहले शुलता की जांच करने का प्रश्न ही नही उठता। हो सकता है कि रोगिणी चिल्लाई हो लेकिन ऐसा जब कभी सामान्य एनेसथीसिया का प्रयोग किया जाता है, होता ही है।

आपरेशन बिना किसी कठिनाई के सफलता पूर्वक चलता रहा तथा पूर्ण होने को ही था कि डा० मुरली मनोहर माथुर जो कि एनेसथीसिया दे रहे थे को मालूम हुआ कि हृदय की स्वांस की नाड़ी धीमी होती जा रही है और बच्ची को स्वांस लेने में कठिनाई हो रही है अतः तुरन्त ही इन्टराकारडिक एवं मिकोरेन तथा कौरामाइन (जो कि हृदय तथा स्वांस नाड़ी को शक्ति प्रदान करता है) का प्रयोग किया गया तथा हृदय की बाहर की ओर से मालिश आरम्भ की गई'। प्रधान चिकित्सा अधिकारी एवं फिजीसियन डा० जाजू को भी सहायता के लिये बुला लिया गया। ये लोग लगभग ५ मिनट की अवधि में आ पहुंचे। इनके अलावा डा० वी० पी० सूद जो कि चिकित्सालय के मुख्य ऐनेस्थेसिस्ट है, डा० एन० के० शर्मा शल्य चिकित्सिक तथा डा० अरोड़ा भी आ गये। स्वांस नली में एक ट्यूब लगाकर कृत्रिम स्वांस दिया गया। लगभग १५-२० मिनट में रोगिणी सम्भलने लगी तथा हृदय गति आरम्भ हो गई। नाड़ी को भी चलते हुये पाया गया तथा स्वाभाविक स्वांस क्रिया झटके के साथ आरम्भ हो गई। क्योंकि त्वचा का ग्राफिटिंग कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका था, आपरेशन समाप्त करने के पहले मरहम पट्टी की गई लेकिन रोगिणी को शल्य कक्ष में लगभग आधा घण्टे तक निगरानी में रखा गया।

लगभग १ बजे दोपहर बाद जब कि रोगिणी की स्वांस क्रिया तथा हृदय गति स्वाभाविक स्थिति में आ चुकी थी, उसे वार्ड में डा० के० वी० मेतवाल के साथ भेज दिया गया। डा० मुरली मनोहर तथा डा० राजेश्वरी भी वार्ड में गये। इस समय रोगिणी के पिता ने डा० मुरली मनाहेर से हाल पूछा। उनको बताया गया कि लड़की

(श्री दामोदरलाल व्यास)

संभल गई है तथा उसकी श्वांस क्रिया तथा हृदय गति स्वाभाविक दशा में आ चुकी है। अन्य सम्बन्धी भी रोगिणी के पास वार्ड में गे और उन्होंने उसको स्वाभाविक रूप में श्वास लेते हुये देखा था। तत्पश्चात् प्रधान चिकित्सक अपने कार्यालय में लौट आये। लेकिन लगभग १५-२० मिनट पश्चात लड़की के पिता या कोई अन्य सम्बन्धी ने आकर प्रधान चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया कि बच्ची को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। प्रधान चिकित्सा अधिकारी तथा डा० जाजू वार्ड की तरफ दौड़े गये और बच्ची को बचाने का भरसक प्रयत्न किया। लेकिन उसका लगभग १ बज कर ४५ मिनिट पर प्राणान्त हो गया। मृत्य शरीर उसके माता पिता को सौंप दिया गया।

ऐनेसथीसिया के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक होगा कि बच्ची को क्लोरोफार्म नहीं दिया गया था क्योंकि क्लोरोफार्म शल्य चिकित्सा में महत्वहीन हो गया है। जो ऐनेसथीसिया दिया गया था, वह ईथर था तथा ओपन मैथड़ द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकार कितना क्लोराफार्म दिया गया, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

जब कभी ऐसी दुखद स्थिति आपरेशन के समय उपस्थित होती है, आम तौर पर सीनियर फिजिशियन और यदि सीनियर सर्जन हो तो उन्हें बुलाया जाता है अनुभवी तथा वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में चलने वाले बड़े बड़े अस्पतालों में भी जब कभी ऐसा अवसर आता है, यह आम तौर पर होता है कि अन्य सर्जन तथा फिजिशियन भी आपरेशन करने वाले डा० की सहायता के लिए दौड़ते हैं। डा० राजेश्वरी, प्रधान चिकित्साधिकारी कोटा की पुत्री हैं तथा उन्हें कैलोईड को निकालने एवं त्वचा ग्रेफिटिंग सम्बन्धी शल्य क्रिया के मामलों में आपरेशन का कार्य संभालने लायक पर्याप्त अनुभव एवं योग्यता प्राप्त है। यद्यपि इस आपरेशन में प्लास्टिक सर्जरी कार्य भी था लेकिन यह गम्भीर आपरेशन नहीं था इसको बड़ा (मेजर) आपरेशन तो किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता है। रोगिणी की मृत्यु आपरेशन टेबिल पर नहीं हुई थी। उसकी हृदय की गति रुक गई और विभिन्न तरीकों से उसकी हृदय गति पुनः चालू करने का प्रयास किया गया और वह फिर चालू हो गई।

आपरेशन के समय तथा उसके बाद रोगिणी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया और प्राप्त सूचना के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि किसी भी अनुभवी सर्जन द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की उदासीनता, लापरवाही तथा रोगिणी को उचित तरीकेसे संभालनेमें असावधानी बरती गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह मैं निवेदन करूं कि मंत्री महोदय से यह जानकारी जानना चाहूंगा कि किस सूचना के आधार पर उन्होंने सदन में उत्तर दिया है वह जानकारी किस सूत्र या किस अधिकारी द्वारा उनको प्राप्त हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डाइरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासनी)

Page No. 82

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रश्नों के द्वारा और कुछ जानकारी मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। क्या यह सही है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में अगर कोई शंका हो कि जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है वह गलत है तो मैं कभी इन्सिस्ट नहीं करूंगा कि इस रिपोर्ट को सही माना जाय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, आप पहले मेरी बात सुन लें। आप इस बात को यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह सूचना जो मुझे रिपोर्ट में दी गई है वह गलत है, तो मैं आपकी बात को मान लूंगा और आप किसी भी आफिसर से एन्क्वायरी कराना चाहेंगे कराऊंगा। आप चाहें बोर्ड आफ रेवेन्यू के सीनियर मेम्बर का कहेंगे तो उनको भेज दूंगा एन्क्वायरी करने के लिए और वे एन्क्वारी कर लेंगे। आप यह कह दें कि आप विश्वास रखते हैं कि यह सूचना गलत है। तो मैं इस बात को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों ही आप देख लेना।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार की सूचना है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सिर्फ एक बात आप से यह पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट गलत है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिपोर्ट आई और मेरे स्थगन प्रस्ताव के पश्चात में कोटा गया तो कोटा जाने पर इस प्रकार की सूचना ज्ञात हुई उस सूचना के आधार पर जो सूचना दी गई है वह सूचना गलत है। उस अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार द्वारा।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है मैं समझ गया, तो मैं इसके लिए चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड से कहूंगा कि वे सीनियर मेम्बर को जांच के लिए भेजें।

डा० श्रीमदत्त भाटी (सरदारपुरा जोधपुर): क्या कोटा में क्वालिफाइड एनेस्थेटिसस्ट हैं मंत्री महोदय बताने की कृपा करें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I think this chapter should be closed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनावों के बाद तब्दीली कैसे आगई है एटीट्यूड में।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी सोबत कम हो गई है।

श्री करनसिंह, सरपंच देवपुरा पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार गोयल द्वारा सरपंच देवरी श्री करणसिंह की हत्या के विषय में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है। इस मामले में जानकारी प्राप्त की गई है उसके आधार पर यह पाया जाता है कि २१-६-१९६७ को प्रातः ८ बजे श्री करन सिंह व उनके एक साथी देवरी से ग्राम पीपरानी शादी में गये थे और उसी शाम ७-३० बजे के लगभग वापिस अपने गांव अकेले लौट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रहे थे। रास्ते में जब वे पहाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे और कुछ अंधेरा हो गया था तो उन पर डाकू दल ने जो सम्भवतः वहां पहले से छुपा हुआ था, श्री करनसिंह पर गोली चलाई। करनसिंह ने शीघ्र ही वहां से कुछ दूर एक पत्थर की दीवार के पीछे छुप कर पोजीशन ली और उनके पास जो १२ बोर बन्दूक थी उससे ३ फायर किये। किन्तु इसी बीच श्री करनसिंह की पीठ में गोली लगी जो घातक सिद्ध हुई। उनको एक गोली सीने में भी लगी थी।

कुछ गांव वाले फायर की आवाज सुनते ही घटनास्थल पर पहुंचे व करनसिंह का कत्ल हुआ देख कर आर. ए. सी. पोस्ट पर सूचना दी। फायरिंग लगभग १५-२० मिनट तक होना बताया जाता है। आर. ए. सी. दल इसके पश्चात् घटना स्थल पर पहुंचा किन्तु अंधेरा हो जाने के कारण तथा पहाड़ी में डाकुओं के घुस जाने पर रात को खोज लेकर पीछा करना सम्भव नहीं था। दूसरे दिन प्रातः डिप्टी सुपरिटेंडेंट धौलपुर व करौली ने भी आर. ए. सी. व पुलिस पार्टियों सहित वहां पहुंच कर सारे इलाके का जंगलों का कोम्बिंग किया। एस. पी. भी घटना स्थल पर पहुंचे व डाकू दल की तलाश के लिये आवश्यक निर्देश दिये। दिनांक १ जुलाई, १९६७ की रात को मालूम हुआ कि डाकू दल चम्बल घाटियों में होता हुआ मध्य प्रदेश एरिया में निकल गया है। पुलिस दल द्वारा इस गेंग का काफी पीछा किया गया व अभी भी सभी तरफ सतर्कता रखी जा रही है। थाना मासलपुर पर इस मामले में एक मुकदमा हस्ब दफा ३०२ आई. पी. सी. दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है व आगे तफतीश जारी है। डी. आई. जी. रेंज भी इस इलाके के दौरे पर गये थे।

जो खाली कारतूस मौके पर मिले उनमें से २ पर पी. ओ. एफ. व ग्यारह पर के. एफ. मार्कड हैं। पी. ओ. एफ. मार्कड कारतूस पाकिस्तान के व के. एफ. मार्क कारतूस किर्की फैक्ट्री के बने हुए बताये गये हैं।

इस गांव में पहले से ही एक आर. ए. सी. पोस्ट कायम है जिस पर एक सैक्शन स्ट्रेन्थ है और ग्राम रत्तीपुरा में भी एक पोस्ट कायम कर दिया गया है। श्री करनसिंह के परिवार की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया जा चुका है।

इस घटना के होने पर आर. ए. सी. पोस्ट देवरी से फोर्स मौके पर शीघ्र नहीं पहुंची व तुरन्त कार्यवाही करने में ढिलाई के कारण इन्चार्ज हैड कान्स्टेबिल आर. ए. सी. पोस्ट को मोअत्तिल किया जा चुका है व विभागीय कार्यवाही की जा रही है। बाकी सैक्शन को भी वहां से हटा कर उसके स्थान पर दूसरा आर. ए. सी. का सैक्शन लगा दिया गया है। एक प्लाटून कमाण्डर को विशेष रूप से गांव देवरी में इस समय तैनात किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय ध्यक्ष महोदय, जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सबसे पहला प्रश्न है, जैसा कि स्वयं सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि मौके पर जो खाली कारतूस पाये गये हैं उन खाली कारतूसों पर पाकिस्तानी आर्डीनेन्स फैक्ट्री का नाम मिला है। यह अहम् विषय है कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आज जो राजस्थान के अन्दर डाकू काम कर रहे हैं और जो डकैतियां वह डालते हैं, यह जो पाकिस्तान आर्डीनेन्स फैक्ट्री के बनाये हुए कारतूस हैं, यह किस प्रकार से, किस साधन से उन डाकुओं के पास आये। यह जांच का अलग से विषय बनता है।

दूसरे यह कत्ल हुआ सरपंच का, करनसिंह का, यह पहला कत्ल नहीं है। १९६४ के अन्दर, आज से तीन साल पहले इस करन सिंह के तीन भाई और दो नौकर-पांच का एक साथ कत्ल किया गया गेंग द्वारा। जमीन का झगड़ा था, उस जमीन के सवाल को लेकर करनसिंह के तीन भाई और दो नौकरों का कत्ल किया गया, उसके पश्चात् यह सारे लोग फरार हुए और फरार होकर डाकुओं के गेंग में शामिल हो गये। तब से लेकर आज तक डकैती ये डाकू डालते चले आ रहे हैं।

तीसरा प्रश्न यह है कि यह कत्ल की २६ तारीख को घटना हुई है। केवल २६ तारीख को डाकू गांव में आये, और उन्होंने डाका डाला हो और कत्ल किया हो-ऐसी बात नहीं है। डाकू वहां चार पांच, छः दिन से थे। यह डकैत मय गेंग के उस इलाके में घूमते रहे थे। स्वयं डकैत ने, जो अपनी बहिन को भात देना चाहिए, वह भात कत्ल के दो दिन पहले दिया था। सरकार की आर. ए. सी. की ओर से और पुलिस विभाग की ओर से आज तक सतर्कता बरती जा रही थी तो यह डकैत बहिन को भात देने के लिए उस इलाके में कैसे आ गये?

उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के पूर्व इस डकैत ने, डकैत के गेंग ने एक फारेस्ट गार्ड को पीटा, बुरी तरह से पीटा था। इस गांव के अन्दर, उसके बारे में सरकार मौन है। मैं यह सारे तथ्य दे रहा हूं यह तथ्यों को देने का मेरा निवेदन केवल यह है, मन्शा केवल यह है कि २६ तारीख को डकैत आये हों और करनसिंह का मर्डर किया हो ऐसी बात नहीं है। छः दिन के पहले से डकैत मय गेंग के धौलपुर इलाके में, करौली इलाके में घूम रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सूचना है, आज धौलपुर के इलाके के अन्दर डी.एस पी. और बाडी के सर्किल आफिसर हैं इन दोनों के अन्दर एक राजनेतिक वैमनस्य चल रहा है, गुटबाजी चल रही है और यह सर्किल इन्सपेक्टर है इसके द्वारा डकैत को पूरा संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार की मेरी सूचना है उस सूचना के अनुसार यह डकैत सर्किल इन्सपेक्टर से मिला हुआ है और मिले हुए होने की दशा में यह गड़बड़ियां हुई हैं। जिस प्रकार यह देवरी से पीपरानी गांव है जिसके अन्दर यह सरपंच एक साथी के साथ में शादी अटेन्ड करने जाता है, उसका इस डाकू और उसके गेंग को पता चल जाता है और जब सरपंच शादी अटेन्ड करने के बाद में पीपरानी से देवरी लौट रहा था उस समय देवरी से एक फर्लांग की दूरी पर दो सौ गज की दूरी पर डकैतों ने एक स्थान पर छुप कर पोजिशन ले ली थी और जैसे ही सरपंच गांव को लौट रहा था, उसके लौटने के समय उस पर फायरिंग किया गया। फायरिंग के अन्दर स्वयं जो सरपंच थे इनके पास में बन्दूक थी, उसका मुकाबला हुआ, लगभग ढाई घण्टे तक सरपंच और डाकुओं में डटकर मुकाबला हुआ। जो आपको सूचना दी गई है विभाग

Page No. 85

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के द्वारा, वह सूचना गलत है कि मौके पर आर.ए.सी. पहुंच गई थी....

श्री दामोदरलाल व्यास : कब कहा ? यह बात नहीं कही। आप गलत सूचना के लिए कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि आर.ए. सी.पहुंच गई थी। आर.ए. सी. पास में ही लगी हुई थी, उसके मकान पर और आर.ए. सी.पोस्ट के हजार गज पर यह वारदात हुई है। यह वक्त पर नहीं पहुंची इसलिए ही इन्चार्ज को सस्पेन्ड किया गया है और डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू किया है। यह कब कहा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कह रहा था, जो पोस्ट आर.ए.सी. की देवरी में तैनात है, उसको सरपंच के द्वारा सूचना दी जा चुकी थी कि उसका डाकुओं से मुकाबला हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। लेकिन सूचना पहुंच जाने के बाद भी वहां आर.ए.सी. नहीं पहुंची। और जब कत्ल हो गया और डाकू फरार हो गये, उस समय पुलिस के द्वारा यह प्रयास नहीं किया गया कि डाकुओं का पीछा किया जाय या डाकुओं को पकड़ा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि इस फेमिली के जो लोग थे, इस परिवार के छः व्यक्ति, तीन भाई दो नौकर और एक स्वयं सरपंच कत्ल हो गया है, जहां पर आपकी आर.ए.सी. की पोस्ट तैनात है और जहां पर आर.ए. सी. की पोस्ट लगी हुई है। गांव से एक हजार कदम पर, जैसा आप कहते हैं वह मान लें, वहां मुकाबला हुआ, तो भी वहां आर.ए.सी. समय पर नहीं पहुंचती है। मैं समझता हूं इससे अधिक गृह विभाग और पुलिस का निकम्मापन नहीं हो सकता। और इस कारण हमारी जान और माल सुरक्षित है यह कहा नहीं जा सकता। आज राजस्थान में रहने वालों की जान और माल सुरक्षित नहीं है (शेम शेम) जिस प्रकार की यह घटना हुई है और जिस प्रकार पुलिस और आर.ए. सी. की लापरवाही से सारे डकैत घूमते रहे, तीन, चार, पांच दिन पहले से....

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या सुझाव है, वह कह दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन है कि जितने लोग आर.ए.सी. के तैनात हैं, उनको मौअत्तिल किया जाय। साथ ही जो सर्किल इन्सपेक्टर वहां मौजूद था, क्या उसको सूचना थी कि इस इलाके में डकैत घूम रहे हैं, और यह कि उसने अपनी बहिन को भात दिया और एक दिन पहले डकैत और गैंग ने फोरेस्ट गार्ड को पीटा....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कह चुके हैं। दुबारा कह रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने पूछा कि क्या सुझाव देना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, वह कह दीजिये।

श्री मदनसिंह : सुझाव चाहते है तो मैं निवेदन करूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सर्किल इन्सपेक्टर, आर. ए. सी. की टुकड़ी, डी. एस. पी.

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

श्रोर एस. पी. जो भी अधिकारी हैं, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तर पर जांच कराई जाय श्रौर उनको मोअत्तिल किया जाय क्योंकि जान बूझ कर डाकुश्रों को इस इलाके में आने का प्रवेश दिया गया श्रौर वह सरपंच की हत्या करके चला गया।

श्री मदनसिंह दांता (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव का फरमाया उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा, मैं समझता हूं मन्त्री महोदय ने फरमाया कि वाकई में श्रार. ए. सी. वालों की गलती है अगर गलती साबित हो गई तो इसमें जांच की जरूरत नहीं है। एक हजार गज के फासले पर मुकाबला हुश्रा है। श्रफसर नहीं थे तो भी आर. ए. सी. का अगर एक भी नौजवान वहां मौजूद था तो उसका फर्ज था कि राइफल ले कर जाता श्रौर मुकाबला करता। यह कहना कि उनको मालूम नहीं था यह विश्वास करने की बात नहीं, फायरिंग हो रहा है। एक हजार गज फासले पर फायरिंग हो रहा है। गोलियों की आवाज भी उन्हें सुनाई नहीं दी जहां से कि सब कुछ दिखता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जितने श्रार०ए० सी० के लोग वहां तैनात थे उनको सस्पेन्ड कर देना चाहिये। श्रौर उनको वापिस सर्विस में नहीं लेना चाहिए। जो लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर सकते श्रौर चला कर नहीं कर सकते ऐसे लोगों को रखते हैं तो इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो डाकुश्रों को राइफलें भी दे दें।

जब मन्त्री महोदय समझते हैं कि उनकी गलती है तो सबको सस्पेन्ड करना चाहिए इस तरफ फाइरिंग हो श्रौर एक भी श्रादमी पोस्ट पर नहीं हो तो इससे तो साबित होता है कि कुछ न कुछ मेल-जोल की बात हुई है।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी कहा जा चुका है।

श्री श्रवणलाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र के नजदीक का मामला है। वहां की डकैतियों के सम्बन्ध में मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था........

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझसे कोई जानकारी करना चाहें तो कर लें That is the only procedure otherwise long speech will not matter much.

श्री उपाध्यक्ष : श्रापके पास, अभी जो मामला है, इसके सम्बन्ध में नये तथ्य हों तो उनको रख सकते हैं दूसरे केसेज का अभी कहेंगे तो मन्त्री महोदय को उनकी इस समय जानकारी नहीं है, वे कुछ भी उत्तर नहीं दे सकेंगे।

श्री श्रवणलाल : उसी से सम्बन्धित है श्रौर मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उनकी भी एन्क्वायरी करेंगे कि जो आज इस तरह से आतंक फैला हुश्रा है यह मामला आज का नहीं है। आज से कई साल पहले का है, जमीन को लेकर झगड़ा फैला था........

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले वाले माननीय सदस्य कह चुके हैं।

श्री श्रवणलाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, उस मामले को लेकर जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया तीन भाई और दो नौकरों की हत्या कर दी उसके बाद गवर्नमेंट को कहा कि मेरी जान और बच्चों की रक्षा की जाय, क्योंकि डाकुओं ने चैलेंज कर के कहा कि तेरे पूरे परिवार का, चाहे छोटा या बड़ा, बिल्कुल सारे कुटुम्ब का नाश करके रहेंगे। चैलेंज के रूप में कहा, यह मन्त्री महोदय को मालूम होना चाहिये. इसकी व्यवस्था के लिए आर० ए० सी० लगाई जो व्यवस्था की वह नहीं के बराबर है। जब कोई डकैती पड़ती है तो मुकाबले के लिए तैयार रहना उनका कर्त्तव्य था पर जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा एक हजार गज के फासले पर गोलियाँ चलीं, आर०ए० सी. के जवान ४०० गज पर खड़े तमाशा देख रहे थे उनकी आवाज सुनकर तमाशा देखते रहे उन्होंने यह नहीं देखा कि डाकू किधर से जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नये तथ्य हों तो उनको सामने रख सकते हैं, यह तो सब कुछ माननीय सदस्य कह चुके हैं, इन पर मन्त्री महोदय को क्या कहना है यह सुन लीजिए।

श्री श्रवणलाल : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बुरा हुआ है·······

श्री उपाध्यक्ष : यह मानते हैं कि बुरा हुआ है, कत्ल हुए. मन्त्री महोदय को क्या कहना है, वह सुनिये। जो बहुत बुरा हुआ उस को कम या ज्यादा कहें उससे कोई फर्क नहीं।

श्री श्रवणलाल : अब भी उसके एक ७ साल का बच्चा है, डाकुओं ने चैलेंज दिया हुआ है कि कहीं रहे, राजस्थान के किसी कौने में रहे, जब तक उसको खत्म नहीं कर देंगे, हम चैन नहीं लेंगे। इस प्रकार का अल्टीमेटम दिया है, इसलिए यह बड़ा विचारणीय है। आर० ए० सी० की व्यवस्था पुलिस की व्यवस्था नहीं के बराबर है, आए दिन वहां डकैतियां पड़ती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि सवाई माधोपुर, धौलपुर, डिस्ट्रिक्ट में डकैतियां पड़ती हैं, पुलिस के एस० पी., डी० एस० पी० होते हैं वे इनको सामान सप्लाई करते हैं, उससे धन आता है उसका बटवारा करते हैं।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहूंगा। ६४ में दो घरों में आपसी तनाजा होने के कारण मर्डर हुए। लज्जाराम नामका व्यक्ति था वह डाकुओं के गेंग का मुखिया बना। उसका बड़ा भाई प्रभु जो मर्डर में शामिल था वह इसमें गेंग के पास बराबर आता जाता रहा। बावजूद इसके कि लज्जाराम ने चैलेंज दिया कि मैं करणसिंह और उनके कुनवे के सारे लोगों को मार दूंगा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि प्रभु के खिलाफ जो कि धौलपुर करौली सब डिविजन के इन डाकुओं से बराबर मिलता रहा. इन डाकुओं को बराबर सूचनाएं देता रहा, इसके खिलाफ २१६ की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? और इसके खिलाफ करणसिंह के भाइयों को मारने के बारे में आई० पी० सी० की दफा ३०२ के अन्दर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? किडनेपिंग वगैरह में प्रभु

(श्री शिवचरणसिंह)

बराबर डाकुओं के इस गेंग को मदद करता रहा, प्रभु रेगुलर गेंग के पास आता जाता है, सारी सूचनाएं देता है, ऐसी दशा में स्थानीय पुलिस वालों ने उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ?

हमारे धौलपुर सब डिविजन में बाडी सर्किल है, जहां यह डाकुओं का गेंग पनाह पाता था। इस डेकोइट्स के गेंग ने गङ्गापुर जिले में किडनैपिंग किये, डकैतियां डालीं, धौलपुर में मर्डर किये,डकैतियां डालीं करौली में अनेकों बारदातेंकीं पर मैं पूछना चाहता हूं कि बाडी के इलाके के अन्दर बाडी तहसील और थाने के इलाके के अन्दर, जहां यह गेंग पनाह पाता था वहां एक भी वारदात इस गेंग ने नहीं की।बाडी में छः-छः महीने तक डाकुओं का यह गेंग लगातार रहा है, बावजूद इसके कि एम० पी० और डी० एस० पी० सबको मालूम था मैंने एस० पी० और डी० एस० पी० को सूचना दी है कि फलां गांव में डाकुओं का कैम्प है मैंने अपनी इत्तलाओं से इस गेंग से मुकाबला भी करवाया लेकिन हमारे सोर्स की गलती से गेंग को इत्तला मिल गई और मुकाबला नहीं हो सका।

मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसी क्षेत्र में करौली में रतियापुर है, वहां के मीणों में पार्टीबाजी है। मीणों के दो दलों में झगड़ा है।

मर्डर के बाद रतियापुर गांव के लोग, सुनारी तहसील बाड़ी के लोग हैं वे इस गेंग के रेगुलर मेम्बर बने हैं। करणसिह के मर्डर के बाद इस गेंग के लोगों ने गङ्गा उठाई है कि हम १५ आदमियों को मर्डर करेंगे और मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, यह सूचना दे देना चाहता हूं कि १५ दिन के अन्दर अन्दर १५ आदमियों के मर्डर होंगे। ६४ में करणसिह को मारने का चैलेज दिया, मैं प्रधान था, वह सरपंच था। मैंने का कहा करणसिह मारा जा रहा है, इसके और इसके बच्चों के पीछे डकैत लगे हुए है। मैं मन्त्री महोदय की इत्तला के लिए यह बात बताता हूं कि करणसिह ने खुद रायफल का लाइसेंस मांगा था, पुलिस ने उसको राइफल का लाइसेंस नहीं दिया............

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम शेम की ध्वनि)

१२ बोर का लाइसेंस भी नहीं दिया। हम लोगों ने नाजायज १२ बोर उसकी जान बचाने के लिए रखने को कहा पर एस. पी. ने उसे राइफल का लाइसेंस नहीं दिया। बारह बोर का लाइसेन्स नहीं दिया। उसके तीन भाई मरे हैं उनके १२ बच्चों की आजीविका का कोई रास्ता निकालने का कहा पर कुछ नहीं हुआ।

१००० गज की दूरी पर पुलिस पोस्ट के आदमी खुद-हिफाजत अधिकार में भी गोली नहीं चला सके तो आम लोगों की वहां क्या हालत होगी। यह गेंग अब बड़ा मजबूत हो चुका है! इसको पाकिस्तान से ओटोमेटिक लेटेस्ट वैपन्स मिले हैं जो आधुनिक हथियार हमारी पुलिस के पास भी नहीं है। हमारे भूतपूर्व आई० जी० पी० करनेडकर साहब ने यह कर रखा था कि जिसके क्षेत्र मे डकैती होगी, मर्डर होगा

(श्री शिवचरणसिंह)

उसको सस्पेन्ड किया जायगा, उनके खिलाफ़ एन्क्वायरी की जायगी उनको चार्ज शीट दी जायगी यह कर रखा था तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े अधिकारी मौजूद हैं जिन पर जनता की जान माल की जिम्मेदारी है कि जनता की जान माल की हिफाजत करें, यदि वे जनता के जान माल की हिफाजत के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो वे अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिये, उनको चार्जशीट देकर जुडिशियल अधिकारी से जांच करवाइये। आपको मालूम होगा कि इसके अन्दर कितनी बड़ी कन्सपायरेसी है। किस प्रकार से लोगों को तंग किया जाता है, कैसे अधिकारीगण बारगेनिंग करते हैं। इसी के दौरान में निवेदन करूं कि वहां मासापुर का थानेदार और एस.पी. है, मैं १५ दिन पहले की बात कहता हूं। जो फूला डकैत है जो चीफ लेफटीनेन्ट है गैंग का, वह उसका चचेरा भाई है। थानेदार ने तीन दिन पहले अस्पताल में एडमिट होने की कोशिश की, यह करौली की सूचना है। लेकिन बीमार न होने के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका और फिर जब मर्डर हुआ तो बाहर चला गया। अकोला का अग्रवाल सेठ है उसको गैंग ने किडनैप किया और यह गैंग १८ तारीख को मध्य प्रदेश से राजस्थान में आई। धौलपुर के डी. एस. पी, मोरेना के एस. पी. और आगरा के एस. पी. ने सूचित किया कि गैंग राजस्थान में मौजूद है, प्रिकाशन्स लिए जायं, गैंग शादी के अन्दर शामिल होगी लेकिन मैं निवेदन करूं कि उसी गैंग के जरिए इस बनिए का इस सेठ का ७०,०००) में बारगेनिंग हुआ, रैन्जम लिया और ७०,०००) का पेमेंट हुआ जिसके अन्दर भी पुलिस कर्मचारी शामिल हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इनको कहने दीजिए। अगर हम लोग कहते हैं तो बुरा लगता है। वे आपको बतायेंगे कि किस तरह से गैंग आया है, लसेरी के थानेदार का क्या उससे रिश्ता है। सब चीजें आने दें मसलपुरा का सर्किल इन्सपेक्टर....

श्री शिवचरण सिंह : इस बारे में सब से अच्छा यह होगा कि उस इलाके में कोई जुडीशियल आफिसर भेजना चाहिए। पुलिस आफिसर्स की ऊपर से नीचे तक एक लिंक है। इससे पहले जितने वहाँ पर आपस में मुकाबले हुए हैं, उनके अन्दर फर्जीगिरी की गई। एक मामले में सही बात सामने आती है तो सारे मामले खुलते हैं इसलिए न ये मामले सरकार के पास आते हैं और न ही मंत्री महोदय के पास आते हैं। तथ्यों के बारे में अगर जानकारी करेंगे तो वास्तविक ज्ञान आपको होगा कि वहां ला एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है। मंत्री महोदय अपने किसी व्यक्ति विशेष से जानकारी कराएं तो मालूम हो जायगा। वहां पर जमीनों के मुकद्दमे, सगाइयों के और सारे मामले डकैतों के माध्यम से हल हो रहे हैं।

करौली इलाके में दूसरा रूपा गैंग है। वह गैंग के जरिए सूचना देते हैं कि ५,०००) दो, मरसरी गाड़ियों के टायर्स को फोड़ देते हैं। यह गैंग ट्रक में बैठ कर आया। २८

Page No. 90

(श्री शिवचरणसिंह)

तारीख को सरवाथा से एक फर्लांग पर रहा और सेठ की ट्रक में देवली गए। २०-२०-३०—३० गैंग के मेम्बर्स इल्लीगल वेपन्स को लेकर इस तरह से घूमें और स्थानीय पुलिस कोई एक्शन नहीं ले। मैंने स्थानीय एस. पी को डेढ़ महीने पहले रिपोर्ट दी। उससे तीन महीने पहले सारी सूचनायें दीं, उसका नतीजा यह निकला कि मेरी खुद की जान खतरे में पड़ गई। मेरी खुद की और तीन आदमी और हैं जिनको इन्डाइरेक्टली पुलिस के माध्यम से धमकी दी गई है और मंत्री महोदय चाहें तो मैं ऐसा पत्र भी बता सकता हूं कि किस प्रकार से मुझे मर्डर करने की धमकी दी है। यह इलाके की जनता का प्रश्न है और अगर ठीक तरह से इनकी व्यवस्था नहीं की गई तो लोग व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। इससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजकर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किसी जुडिशियल अधिकारी को भेजा जाय जिससे वास्तविक ज्ञान हो जाय और आपको पता लगेगा कि कौन अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं।

दूसरी बात यह है कि इस मर्डर के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं चाहे सिपाही या थानेदार हों, मैं मानता हूं कि आर. ए. सी. को हेड कान्सटेबल को सस्पेंड किया जा चुका है, ठीक है लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस इलाके के सीनियर अधिकारी की है जिसने सूचना के बावजूद प्रिकाशन्स नहीं लिए। सूचना मिलने के बावजूद गैंग को नहीं रोक सके, गैंग से एसोशियेट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। गैंग के रेग्यूलर मेम्बर्स हैं जो वेपन्स सप्लाई करते हैं, सूचना लाते हैं, उनके बारे में २१६ तक की कोई कार्यवाही नहीं कर सके। पिछली बार करणसिंह के भाई की हत्या हुई थी, तो डी. वाई. एस. पी. ने आश्वासन दिया था कि जांच कराऊंगा और कानूनी कार्यवाही करेंगे लेकिन खेद की बात है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई। आखिर में लज्जाराम और भगवान सिंह गैंग में मिल गए। लज्जाराम को पता लगा कि सरकार इस प्रकार से करती है, कोई कार्यवाही नहीं करती तो आम जनता यहां तक उतारू हो सकती है कि राज्य कोई व्यवस्था नहीं करता तो लोग बदले की भावना से प्रेरित होकर डकैत बनने में मजबूर हो जायेंगे।

धौलपुर के अन्दर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : उस इलाके का सारा पर्दाफाश हो रहा है।

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : देवीसिंह और शंकरसिंह का इस तरह से खातमा किया था....

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं कि बहुत ही संगीन आरोप हैं पुलिस अधिकारियों

(श्री उपाध्यक्ष)

के खिलाफ और भी उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं लेकिन जो मुख्य आरोप थे, माननीय सदस्यों ने सामने रख दिए। इस बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं, उनको सुनिए।

श्री शिवचरणसिंह : जब उस इलाके में शंकर सिंह डकैत थे १०-१० हजार आदमियों को राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को एक एक महीने तक बंद रखा और जायज और नाजायज तरीके से लोगों को डंडे लगाए, औरतों को नंगा करके लूटा गया, मैं भी पुलिस आफिसर था उस जमाने में, आज नहीं हूं। तो पुलिस के अधिकारी ये ज्यादतियां कर रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को चेक नहीं कर पा रहे हैं तो यह बहुत ही बुरा रंग लाएगी और इसके असर समाज और राज्य पर पड़ेंगे। आपके पुलिस के अधिकारी ही डकैतों से सलाह लेते हैं और उसके बावजूद किडनैपिंग के मामले होते हैं और रैन्जम पे करते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता और कोई एक्शन होगा भी नहीं। मुझे मालूम है कि १९६४ में गेंग मारी गई, सारी घटनायें घटी और आज दूसरी घटना फिर तीसरी घटना। चौथी की लिस्ट में आपको बनाकर दूंगा और अगर नहीं घटी तो मैं सदन से इस्तीफा दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : यह घटना जो घटी है करणसिंह वाली उस पर राज्य सरकार को बहुत अफसोस है। इसके भाई का कत्ल हुआ था उस समय बराबर हमने उसकी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, मकान पर आर. ए. सी. गार्ड लगा रखा था और इस बात का पूरा विश्वास था कि इसकी रक्षा की जा सकेगी। परन्तु करणसिंह वहां बगैर पुलिस की गार्ड के एक दिन दूसरे गांव में चला जाता है और इत्तफाक से वह रोज करीब करीब जाया करता था। जिस रास्ते से आता था उससे डराता तो खतरा नहीं था परन्तु उस दिन उस रास्ते से न आकर शार्ट कट के लिहाज से पहाड़ी से नीचे जो रास्ता था, अंधेरा हो गया था, जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि गोली चलती रही और देखते रहे। देखते तो नहीं रहे। गोली की आवाज सुनने के बाद आर. ए. सी. नहीं पहुंचती तो गलती होती। अब डी. आई. जी. ने इन्चार्ज को सस्पेंड किया है।

महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी वारदातें सुनायी वे सब बातें वही हैं जो पुलिस डिमान्ड पर कही गई थी और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कही गई थीं उनका जवाब दिया जा चुका है। मैं समझता हूं उसको बार-बार दोहराना आवश्यक नहीं है। कुछ बात यह भी कहा कि सी० ओ० बाडी का मामला था इसलिये इस बारे में कार्यवाही नहीं की गई। यह सूचना जब आपने पहले पहल दी थी तब उसी रोज जयपुर रेन्ज के डी० आई० जी० को भेजा था सारी जांच करके रिपोर्ट दे। कोई वजह मालूम नहीं पड़ती उन्होंने इस बात को सही क्यों नहीं माना; जिसकी इत्तला बाडीके सी०ओ० को मध्य प्रदेश से मिली तो उसके लिये मध्य प्रदेश को चेक कर लिया, धौलपुर से चेक कर लिया कि लज्जाराम की बहिन की शादी थी उसमें इतला थी कि लज्जाराम अपनी बहन का भात करने के लिये जरूर आयेगा। पुलिस फोर्स को भेजा गया लज्जाराम वहां नहीं मिला।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन कर दूं लज्जाराम ने

(श्री शिवचरणसिंह)

अपनी बहिन के लिये सोने की अंगूठी दी है जिस पर लज्जाराम नाम खुदा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी सूचना गलत नहीं मानता। यह बात सही है कि वहां पुलिस फोर्स गयी। लज्जाराम गया होगा लेकिन उसका वहां होना पुलिस को पता नही लगा। आपकी सूचना सही हो सकती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लज्जाराम अपनी बहन का भात चढ़ाने के लिये सर मथुरा से भात देने के लिये वहां आया। पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी उसकी ताक के अन्दर लज्जाराम यहां आयगा तो पकड़ लेंगे। किस तारीख को पुलिस मौजूद थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी तारीख का मुझे मालूम नहीं।

एक बात मेरी सुन लीजिये। आप उत्तेजित मत होइये जो गलती होगी उसको मैं मान लूंगा। लज्जाराम की बहन का भात जिस तारीख को था उस तारीख को फोन पर इत्तला कर के डी०आई०जी० को बुलाया। डी० एस० पी० धौलपुर और सी० ओ० बाडी को इत्तला दी। उस वक्त फोर्स भेज दी गई वह वहां रही रात भर लज्जाराम का पता नहीं लग सका।

श्री शिवचरण सिंह : सी० ओ० बाडी वहां से कहां चला गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी पुलिस आफिसर या सी०ओ० बाड़ी के लिये आप बराबर कहते आ रहे हैं कि ये डकैतों से मिले हुए हैं। हो सकता है माननीय सदस्य की जानकारी सही हो लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं आपको मौका दिया, आपके कहने से जांच करवाई, इन्क्वायरी करवाई लेकिन कोई सामने तो आये।

श्री प्रेमसिंह : इनकी जान को खतरा हो जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : रहा सी०ओ० बाडी के खिलाफ जितनी शिकायतें आयी हैं.....

श्री शिवचरण सिंह : डी० एस० पी० करौली, एस०पी०सवाई माधोपुर के बार-बार कहने के बावजूद कि यह पनाह देता है कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री मुकुटबिहारी गोयल : सी०आई०बाडी के खिलाफ मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्यवाही नहीं कर सकता इसका भी एक विशेष कारण है।

माननीय सदस्य : क्यों नहीं कर सकते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बहरहाल जानता नहीं कि वह बात कहां तक सही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है यहां रिश्तेदारियां निभाने का सवाल नहीं हुआ करता ? वे सी० आई० कहते हैं ? कि मैं आई० जी० का रिश्तेदार हूं। मुझे पता नहीं यह कहां तक सही है लेकिन दुनियां में यह बात फैला रखी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या रिश्तेदारी है यह मैं नहीं जानता आपने यह पहले पहल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कहा उसकी इन्क्वायरी करूंगा फिर आप क्यों पीछे हटते हो ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हैं सबूत पेश करेंगे आपको उनको प्रोटेक्शन देना होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको पूरा प्रोटेक्शन है ।

श्री प्रेमसिंह : करनसिंह की तो जान बचा लेते । आपसे क्या आशा करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा महुआ से आने वाले माननीय सदस्य की जान का खतरा है । मैं तो उनसे रोज मिलता हूं पांच दस मिनिट बैठ कर बातें करता हूं उनकी जानको कहां खतरा है । उनका खतरा मिटाने के लिये उनकी हिफाजत के लिये जानकारी लेकर के पूरा इन्तजाम मैं करूंगा ।

श्री प्रेमसिंह : कहीं शिवचरण की जगह बाई इलेक्शन का मौका न आ जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप लोगों को बहुत दुख देगा ।

तहसील नोहर गंगानगर में भूमि आवंटन को रोकने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामचन्द्र आर्य ने नोहर तहसील की भूमि आवंटन को रोकने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा है । उस प्रस्ताव में यह बताया है भूमि आवंटन के रोकने के आदेश जारी किये गये, वर्षों हो चुकी है अब तक आवंटन न होने से वहां के किसानों को परेशानी का बायस बना हुआ है ।

इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां तक प्रोजेक्ट एरिया का ताल्लुक है, भाखरा प्रोजेक्ट के तहत जो आराजियात आयी हुई हैं उसके बारे में कई दफा शिकायत आयी कि इसके आवंटन को रोक देना चाहिये । इसमें बहुत दिक्कत आयगी यहां पर टेम्पररेरी लीजेज नहीं दी जानी चाहिये। इस प्रकार की जब शिकायतें आयीं तो हमने सोचा कि प्रोजेक्ट एरिया की आराजियत को कुछ दिनों के लिये यह आवंटन रोक देना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह शिकायत किसने की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभी ने की थी एम० एल० एज० ने भी की । उसके बाद गंगानगर से कलेक्टर महोदय को बुलाया गया । गंगानगर जो प्रोजेक्ट एरिया है उसके बारे में यह निश्चित हुआ कि गंग केनाल से परमानेन्ट अलॉटमेन्ट की कार्यवाही चालू की जाय ।

(३. म. प.)

जहां तक प्रोजेक्ट एरियाज नोहर तहसील में है, उनके बारे में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है और टेम्परेरी लीजेज कन्डीशन के आधार पर एलॉटमेन्ट किया जावेगा ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जो नान प्रोजेक्ट एरिया में है, जहां तक मेरा इस प्रश्न से सम्बन्ध है और मैं समझता हूं माननीय सदस्य का भी यही मतलब है, नोहर तहसील में कोई आदेश ऐसा जारी नहीं किया गया है कि आवंटन रोक दिया हो। सिर्फ वरबली यहां यह चर्चा आई कि यदि एम. एल. एज. जो हैं मौजूद हों और अगर असेम्बली के दौरान में यह आवंटन हो जावेगा तो गड़बड़ी हो जावेगी। इसलिये अभी तो यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि जहां जहां आवंटन होना है और एम. एल. एज. नहीं पहुंच पाये हैं तो उनको वापिस रिव्यू किया जावे और इस कारण से ही नोहर तहसील में नान प्रोजेक्ट का आवंटन रुका है। जब एम. एल. ए. यहां से पधार जावेंगे तो फौरन आवंटन उनकी मौजूदगी में होगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि विधान सभा का विधायक चूंकि मीटिंग में नहीं पहुंचा इसलिये अलॉटमेन्ट कैंसिल कर दिया जाता है।

वर्षा हो जावे, खेती का समय आ जावे और किसान एम. एल. ए. की प्रतीक्षा करता रहे कि कब वे पधारें और कब हमें अलॉटमेन्ट हो और फिर हल जोतें। तो यह तो अबुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। वर्षा विधान सभा सदस्य की प्रतीक्षा नहीं करती। हल लेकर किसान विधायक का इन्तजार नहीं कर सकता। आपके आदेश के मुताबिक तो ३० जूनसे पहले २ आवंटन हो जाना चाहिये था। अधिकारियों ने इसे नहीं माना और उसी तरीके से वहां नोहर में २६-५-६७ से १-७-६७ तक २० मीटिंगों का कार्यक्रम जारी किया। पर उसे कैंसिल कर दिया। फिर ७-६ से दूसरा प्रोग्राम रक्खा। वह भी कैंसिल कर दिया। अब फिर दूसरा प्रोग्राम रक्खेंगे। रोज पचायतों को सूचना दें पंचायतें गांव वालोंको सूचना दें गांव वाले प्रार्थना-पत्र लेकर हाजिर हों जब वे पहुंचें तो कहा जावे उनको कि आज की तारीख तो कैंसिल हो गई। रोज रोज फिरते रहो। नतीजा यह आता है या तो वे हैरान होकर आवें नहीं, बोने की खेती करने की घड़ी निकल जाने का डर हो तो वे बिना इजाजत काश्त करें फिर आप उन पर तावान लगाते हो कुरकियां ले जाते हो। खाली तावान से ही आप नहीं छोड़ते। फसल कुर्क कर लेते हैं और इस तरह से किसान को सजा मिलती है अब अगर वह काश्त नहीं करे तो उसके भी रोजगार का सवाल है। अब यह किसान का खुद का ही सवाल नहीं है, यह देश के अन्न उत्पादन से भी सम्बद्ध है। इसलिये इसे आप यों ही न टालें, इसे गम्भीरता से लेना चाहिये। जिस तरीके से आपने इसको सोचा है उतना साधारण मामला नहीं है। ३० जून से पहले आपने क्यों नहीं आवंटन किया ? जबकि आपका आदेश था। परम्परा तो यह होनी चाहिए कि बरसात या मौसम आने से पहले ही अलॉटमेंट हो जाय। पर हर वर्ष यही होता है। फसल का मौसम निकल जाने पर तो अलॉट होता है। आप पिछले वर्षों का भी रिकार्ड देखेंगे तो यह पावेंगे कि हर साल मीटिंग उस समय बुलाई जाती है जब वर्षा होकर फसल बोई जा चुकी होती है। फिर मीटिंग बुलाते हैं और अलॉटमेंट करते हैं। यह गलत तरीका है।

(श्री दौलतराम सारण)

इस प्रकार मनमाने तरीके से काम चलता रहता है तो किसान को नुकसान होता है। देश के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तर में बताया था कि ४८ लाख ७७ हजार ७१६ बीघा कृषि योग्य भूमि है उसमें से केवल २६ लाख ६८ हजार तीन सौ २६ एकड़ जमीन बोई गई। बाकी बारानी रह जाती है। बेकार रह जाती है। इसलिए यह बेकार रह जाती है कि आप उसका समय पर अलॉटमेंट नहीं करते। अगर समय पर ठीक-ठीक अलाटमेंट कर दें तो इस सारी जमीन पर काश्त हो सकती है। एक बीघा भी बिना काश्त नहीं रह सकती। पर हर वर्ष अलॉटमेंट की गड़बड़ी से जमीनें बेकार रह जाती हैं। बंजर रह जाती हैं। देश का लाखों मन अनाज का नुकसान होता है, किसान को रोजगार नहीं मिल पाता। वह बेकार रहता है, भूखमरी की हालत में चलता है. लगान नहीं मिलने से सरकार के खजाने का भी नुकसान होता है। हां अलबत्ता इस गड़बड़ी में अलॉटमेंट करने वाले आपके स्टॉफ वालों को, अधिकारियों को कुछ मिल जाता है रिश्वत खोरी के रूप में। आप गम्भीरता से इस मसले को हाथ में लीजिये और मेरा निवेदन है कि इस अलॉटमेंट के मामले में जैसा आप कहते हैं वैसा नहीं है।

अफसर लोग बार-बार स्थगित इसलिए करते हैं कि अलॉटमेंट में रिश्वत चले और वे अपनी जेबें भरें, मानमाने तरीके से अलॉटमेंट किए जाते हैं इस तरीके से कि एम. एल. ए. साहब को खसरा का नम्बर का पता नहीं होता! जो सर्विस गुट होता है वह खास जगह पर के अलाटमेंट नम्बर को रखते हैं। इस प्रकार इसे वे बड़ा जटिल बना देते हैं और इस तरह कई घोटालों की शिकायतें हुई हैं। जांच इसकी आपको करवानी चाहिए। पर जांच भी आप अपने हो उन अफसरों से करवाते हैं जो अपनी जेबें भरने में उनके साथ हो जाते हैं और लीपा पोती करके मामले को समाप्त कर देते हैं। आप इस मामले को गम्भीरता से लेकर अलॉटमेंट करावें।

अब तक अक्षय तृतीया से पहले-पहले हो जाते थे। और हो जाने भी चाहिए जैसे कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य में परम्परा थी। ताकि किसान वर्षा से पूर्व अपने खेत तैयार कर लें। लेकिन आप अपने राज्यकाल में पिछले कई वर्षों से यह करते आये हैं कि जब फसल बोने का समय निकल जाता है तो अलॉटमेंट करते हैं। यह अनियमित भ्रष्ट और बेहूदे तरीके की कार्यवाही है। इसलिए निवेदन करूंगा कि सारी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझकर इसमें सुधार लाने की कोशिश करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानकारी चाहता हूं कि नोहर तहसील में कौनसी ऐसी खामी है जो सरदार शहर से कम हो, भूमि उससे मिलती जुलती न हो। सरदार शहर तहसील की तरह घटिया भूमि है, और उपजाऊ नहीं होने से वह इलाका पिछड़ा है। ६० हजार आदमी ऐसे हैं उनको एक साल जमीन अलॉट की जाती है। इसका क्या कारण है? गङ्गानगर जिले में ही वे गांव होने से ही वह सजा उनको मिलती है। जब कि यह अलॉटमेंट दस साला होनी चाहिये।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इस जमीन का अलॉटमेंट दस साला होना चाहिए काश्तकारों के दस-दस साल से कब्जा है । फिर भी उनको सालाना दर्ख्वास्त देनी पड़ती है और मौके पर अलॉट न होने पर उनको तावान देना पड़ता है । फसलें कुर्क हो जाती हैं । और फिर उन्हें अदालतों के चक्कर खाने पड़ते हैं ।

पटवारी का भ्रष्टाचार करते हैं और जिनको अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा अलॉटमेंट मन्जूर हो जाती है उनको फार्म नहीं देते, बल्कि फार्म निकाल दिये जाते हैं । फिर कोई प्रमाण उनके पास नहीं रहता। जिस तरह से पिछले साल अलॉटमेंट हुआ और फिर भी किसी भी काश्तकार को पट्टा नहीं दिया गया । यह प्रमाणिक बात है । रिकार्ड मंगाकर आप देख लें । एक भी काश्तकार को पट्टा नहीं दिया गया और अक्टूबर में हजारों की तादाद में तावान के चक्कर में लोग आये, कुरकियां हुई और काश्तकार अदालतों के चक्कर काटते फिरे ।

इसके अलावा यह भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि नोहर तहसील में इन गांवों में अब भी हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी है । सरकारी भूमि है और भूमिहीन किसान बेचारे हमेशा आस लगाये बैठे हैं कि अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग होगी और उस वक्त जमीन प्राप्त करेंगे । पर उनकी आशा धूल में मिल जाती है इसलिए यह सोचने की बात है कि जमीन एक तरफ तो फालतू पड़ी है दूसरी ओर काश्तकार बेकार रह जाते हैं । तो उनकी हालत क्या होगी । कितनी भयंकर भूल है कि विधान सभा की मीटिंग होने से अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग न हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़े में कह दीजिये । बहुत लम्बा भाषण हो गया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बहुत गम्भीर मसला है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : सभी गम्भीर होते हैं । समय का ध्यान आप जरूर रखें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं कह रहा था कि इस इलाके में आप को फौरन काश्तकारों को दस साला अलॉटमेंट करना चाहिए । पट्टे दे देने चाहिए । जो भूमि बंजर पड़ी है उसे भूमिहीन काश्तकारों को देने के लिए ऑर्डर जारी करना चाहिए । सारी जमीन उनको बांट देनी चाहिए । भूमि क्यों पड़ी रहती है ? मौके पर दी नहीं जाती । इसका असर उत्पादन पर तो पड़ता ही है, सरकारी खजाने को भी हानि होती है किसान बेकार और भुखमरी का सामना करते हैं । मीटिंग में मैं, विधान सभा की बैठक चलते हुए भी, सात तारीख की मीटिंग में शामिल होने गया था । आगे जाकर देखा तो मैं लेट पहुंचा तो पता लगा कि तहसीलदार ने कहा कि कलेक्टर साहब के आदेश आ गये हैं कि अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग रद्द हो गई है । दुबारा सूचना देंगे । इसकी सूचना आज तक नहीं आई । आप यहां फरमा रहे हैं कि विधान सभा समाप्त होने के बाद मीटिंग होगी । वर्षा हो गई है और बोवनी निकल गई है । अब भी आप १५ दिन का नोटिस देंगे । अलॉटमेंट की सूचना देंगे तो इस तरह से अगस्त महीना भी समाप्त हो जावेगा । फिर काश्त का टाइम नहीं रहेगा । उस इलाके के अन्दर सिर्फ एक फसल होती

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है। रबी की फसल वहां पैदा नहीं होती है। खरीफ की फसल पैदा होती है और घटिया जमीन काश्त करने से अनाज कम होता है और दूसरी फसलें पैदा नहीं होती हैं। जो नियम हैं उनको देखकर उस जमीन को अलॉट करना चाहिये और पड़त जमीन को सारी की सारी अलॉट कर देनी चाहिए। यह निवेदन कर देना चाहता था इसीलिये यह स्थगन प्रस्ताव रखा है। पिछले साल पट्टे नहीं दिये गये। अलॉटमेंट कर दिया। लोगों के सामने भारी समस्या खड़ी हो गई है। उन पर तावान लगेगा। इस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक बात स्पष्ट कर दूं। जैसा मैंने कहा प्रोजेक्ट एरिया के बाहर भूमि आवंटन का किसी प्रकार का यहां से आदेश रोकने का नहीं है! प्रोजेक्ट एरिया का आपने प्रश्न उठाया कि दस साल के लिये दे देनी चाहिये। इस बारे में नियम बने हुए हैं उसी के अन्तर्गत पांच साल के लिये दी जाती है। प्रोजेक्ट एरियामें दो तीन तरह की जमीन है। ऐसी जमीन जिनमें कुछ दिनों में पानी आयगा जो प्रोजक्ट एरियाके अन्तर्गत अलॉट की जा चुकी हैं। आपने कहा अलॉटीज को तावान देना पड़ेगा, यह उसके लिये है कि जिसको पांच साल के लिए जमीन दी गयी है कोई कन्डीशन पूरी नहीं की है तो तावान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुबारा नीलाम की जावेगी। पांच साल वहां है जहां प्रोजेक्ट एरिया नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उन एरियाज को भी प्रोजेक्ट एरिया में ले रखा है जहां पर सौ साल में भी पानी नहीं पहुंचेगा। १० हजार एकड़ रकबा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : शिकायत वास्तव में यह है कि प्रोजेक्ट एरिया में पानी कब आवेगा।

श्री दौलतराम सारण : आवेगा ही नहीं। प्रोजेक्ट एरिया से बाहर का प्रश्न है। सौ गांवों का प्रश्न है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रोजेक्ट एरिया के बाहर का आवंटन नहीं करने के कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। सदन में चर्चा आयी उस पर जरूर एक ऑर्डर जारी किया गया था। माननीय सदस्यों ने एतराज किया कि गलत तरीके से आवंटन हो रहा है। उसी दिन आदेश जारी किये कि एम. एल. ए. उपस्थित न हों और भूमि आवंटन कर दिया हो तो एम. एल. ए. के कहने पर रिव्यू कर देना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : भाखड़ा एरिया की सारी जमीन नीलाम हो गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सदन सर्वोपरि है। जिस प्रकार के आदेश हुए उसी माफिक आज्ञा जारी की गई।

श्री दौलतराम सारण : इस सदन की यह भावना नहीं थी कि अलॉटमेन्ट बन्द हों। यह भावना थी कि जमीनों का पूरा उपयोग हो। भूमिहीनों को भूमि दी जायं। गलत तरीके से जबाब दे रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप हो सकते हैं, आप उस राय के न हों! दूसरे माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रश्न उठाया उन्हीं ने उस चीज के लिये कहा। सदन में चर्चा होने पर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

और ज्यादा एम्फेसिस होने पर आदेश जारी किये गये। विधान सभा का अधिवेशन खत्म हो रहा है नोन प्रोजेक्ट एरिया और प्रोजेक्ट एरिया में ऐसी स्थिति पैदा हुई है तो आवंटन शुरू कर दिया जावेगा। लेकिन मैं हरगिज इस बात के लिये तैयार नहीं हूं कि जो सौ गांव प्रोजेक्ट एरिया में शामिल किये गये हैं उनको आपके कहनेपर फिलहाल नॉन प्रोजेक्ट एरिया में शामिल कर लूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक साल के लिये या पांच साल के लिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रोजेक्ट एरिया में एक साल और नोन प्रोजेक्ट एरिया मे पांच साल।

श्री महेन्द्रसिंह : प्रोजेक्ट के एरिया में जितने एलॉटमेंट हुए हैं, एम. एल. ए. नहीं थे वहां उन सारे अलाटमेंट्स को रद्द माना जावेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन एम. एल. ए साहब के एतराज करने पर रिव्यू हो सकेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गम्भीर मसले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्षजी, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने मिलकर बड़ा भारी षडयन्त्र........करके....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़े शर्मनाक तरीके से षड्यन्त्र करके लोकतन्त्र पर जबरदस्त प्रहार करके उसकी हत्या की है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : सारे देश का सवाल है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी असेम्बलीज का प्रश्न यहां कतई नहीं उठाया जा सकता।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संविधान पर कुठाराघात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी असेम्बलीज का प्रश्न यहां नहीं उठाया जा सकता।

(अनवरत शोरगुल)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : सुनिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्री और केन्द्रीय सरकार ने मिल जुल कर एक षड्यन्त्र करके वहां पर गैर कांग्रेसी सरकार न बनने देकर और विधान सभा को प्रोरोग करके जनतन्त्र की हत्या की है। इस देश में जनतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है यह

(अनवरत व्यवधान)

सार्वजनिक लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सबसे पहले चर्चा की जानी चाहिये। सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही स्थगित

Page No. 99

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करके इस पर पहले चर्चा की जानी चाहिये। हस्ताक्षरकर्ता :

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ।

२. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

३. श्री भैरोंसिंह ।

४. श्री रामकिशन।

५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मानता हूं कि नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव सदन में नहीं आ सकता। यह जानते हुए भी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन के अन्दर नियमों के अनुकूल न होते हुए भी चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने रखने को मजबूर होना पड़ा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आॅन ए पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर सर....

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनतन्त्र की हत्या की जा रही है। विरोधी पक्ष आंख मींच कर नहीं चल सकता।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर उठाया है।

(शोरगुल)

आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर ! आॅर्डर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसकी इजा

जत दी जाय। बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपकी, माननीय उपाध्यक्षजी, व्यवस्था चाहता हूं। जो प्रक्रिया दूसरी विधान सभा में होती है उसका कोई प्रश्न इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। जो कुछ वहां होता है वह वहां के सदन के देखने की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संविधान की धारा का उल्लंघन होता है तो हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर)

(अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय सरकार ने मिल कर गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनने देकर संविधान और जनतन्त्र की हत्या की है। ये जनतन्त्र के हत्यारे हैं। आॅपोजिशन के एम. एल. ए. कांग्रेस में चले जायें तो सुखाड़ियाजी राजस्थान में सरकार बना लें और मध्यप्रदेश के कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिये सहयोग करें और विरोधी पक्ष में मिल जायं वहां षड्यन्त्र करके विरोधी सरकार न बनने दिया जाय यह जनतन्त्र की हत्या है। (विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाजें) यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मसला और अधिक नहीं हो सकता। इस देश में इस प्रकार के कार्यों से जनतन्त्र और लोक तन्त्र को खतरा पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : बात तो सुनिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संविधान की

Page No. 100

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हत्या का जो तरीका अपनाया गया है हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें सोचना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका जवाब दे लेने दें।

श्री नाथीसिंह : यहां पर व्यवस्था का प्रश्न तय करने से पहले सदन के सदस्यों की राय ली जानी चाहिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : हम व्यवस्था के प्रश्न पर ही अपने तर्क दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो व्यवस्था का प्रश्न है.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जो व्यवस्था का प्रश्न होता है वह सबसे अर्जेन्ट माना जाता है, इसलिए पहले उस पर निर्णय किया जाना चाहिये। आप पहले उस पर बहस कर लीजिए, फिर उस पर निर्णय दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने (राजस्व-मंत्री) जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि इस प्रश्न पर.........

श्री रघुनाथ विश्नोई : वित्त मंत्री नहीं राजस्व मंत्री।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस विधान सभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध इस विधान सभा से है। यह विधान सभा.......

(कांग्रेस पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ — नहीं है, नहीं है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा — है है।)

(भयंकर शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह राजस्थान की दो करोड़ जनता भुक्तभोगी रही है, और कोई प्रान्त की जनता भुक्तभोगी नहीं हो सकती है। लेकिन इस भारत सरकार के द्वारा अपनी इसी प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से यहां पर १४ मार्च को जब असेम्बली का सेशन होने वाला था और जब कांग्रेस का बहुमत १३ तारीख तक नहीं हो सका तब यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके किस तरह से प्रजातन्त्र का हनन किया गया, आज वही पुनरावृत्ति मध्यप्रदेश में हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए यह कहना कि राजस्थान की दो करोड़ जनता ने उसका मुकाबला किया है और कांग्रेस के नेता जिस तरह से गलत परम्पराएं डालकर प्रजातन्त्र की हत्या कर रहे हैं।

(श्री मथुरादास माथुर ने खड़े होकर कुछ कहा पर अश्रव्य)

और किसी भी तरह से शासन में आ बैठे हैं। आज वही तरीका कांग्रेस के लोग मध्यप्रदेश में अपनाना चाहते हैं और मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की जनता इस सदन के अन्दर बैठने वाले माननीय सदस्य जो जन-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वाद में विश्वास रखते हैं, जनतन्त्र की प्रणाली को जिन्दा रखना चाहते हैं. वे चाहे जनतन्त्र की हत्या कहीं पर की जाती हो, इस भारत सरकार के द्वारा किसी जगह पर भी संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयत्न किया जाता हो, हिन्दुस्तान के एक एक कोने में उसके विरुद्ध आवाज उठाई जानी चाहिए।

(विपक्ष की ओर से हियर हियर की आवाजें)

इस राजस्थान की शानदार परम्परायें रही हैं। इस सदन के माननीय सदस्य जो भुक्तभोगी हैं इस जनतन्त्र की हत्या के और हमारे भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा और कांग्रेस के शासन के द्वारा भारत में जनतन्त्र को हत्या की गई है उसके ये भुक्तभोगी हैं और भुक्तभोगी होने नाते हमारी सिस्टर स्टेट मध्यप्रदेश में आज उसी की पुनरावृत्ति हो और हम चुपचाप उसको सहन करें और माननीय राजस्व मंत्रीजी यह कहें इस सदन से उनका कोई तल्लुक नहीं है, मैं कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है, आज इस सदन के लिये भी जीवन मरण का प्रश्न है और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि किस तरीके से कल शाम को, कल वहां पर विधान सभा की जब मीटिंग हो रही थी तो वहां पर कांग्रेस दल के ३६ सदस्यों ने कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद करके और विरोधी दल के अन्दर जाकर मिल गये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर व्यवस्था दी थी कि इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को इधर से उधर जाने का या इधर से उधर आने का उनका अधिकार है, चाहे इसका मोरल असर कुछ भी हो, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इसी कारण से कि कांग्रेस से लोग बाहर निकल जायं.......

श्री रोशनलाल : अभी तक तो गये नहीं हैं।

(शोरगुल) (दोनों तरफ से माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ जोर-जोर से बोलते रहे) (बिल्कुल अश्रव्य)

(अनवरत शोरगुल)

(३. २५. म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पीठासीन)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर। जो उद्विग्नता सदन में हो गई है इस सम्बन्ध में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्यों ठण्डा पानी डालते हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई ठण्डे पानी का सवाल नहीं है। मुझे भी एक बात निवेदन करना है, आप सुन लीजिए उसको। मेरे पास स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ

(व्यवधान)

मुझे एतराज नहीं है इसमें, आपका अधिकार है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो घर पधारो साहब, साढ़े तीन बजे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव आज आया है। जो आप आज का समय लेना चाहते हैं वह कल भी ले सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बहुत अर्जेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसको आप थोड़ा सुनिये। मैंने इधर के माननीय सदस्योंसे जो बात की है स्थगन प्रस्ताव के आने के बाद और कल हम हाउस को एड्जोर्न नहीं कर रहे हैं। यह मैं सदन को विश्वास दिला रहा हूं कि कल सदन की बैठक होगी। मैं इस पर विचार करूंगा कि इसको यहां शान्ति से ला सकें ऐसे समय में जिससे आपकी अभिव्यक्ति को, आपके विचारों को आपकी भावनाओं को सदन भी सुन सके और राज्य भी सुन सके, जनता भी सुन सके। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि बिना टेम्पर हाई हुए सदन के अन्दर यह प्रश्न कल लिया जाय मेरी व्यवस्था के बाद, तो मेरा ख्याल है कि उसमें सदन की परम्परा भी रह सकेगी। और जैसा अभी माननीय सदस्यों का रवैया मैं देख रहा हूं। दोनों तरफ के टेम्पर हाई हैं। मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य ऐसा कोई प्रसंग आए तो उसमें अपना टेम्पर हाई होने दें। अभी जैसा माननीय सदस्य विरोधीदलके ने कहा कि यहमहत्वपूर्ण एडजोर्नमेंट मोशन है तो इस पर आज मेरे सामने आने के बाद में विचार करके और कल भी सदन है, आप उसमें जैसे चाहें वैसे सदन में अपनी अभिव्यक्ति जिस रूप में रखना चाहें रख सकें लेकिन मेरी व्यवस्था को सुनने के बाद में यह सदन को विश्वास दिला देना चाहता हूं मैंने जो मनोवृत्ति देखी है उसमें दोनों तरफ से कोलाईड होने का अन्देशा है। इस पर आप मनन करें चिन्तन करें। आप इस प्रश्न को महत्वपूर्ण कहते हैं इसलिए इसका महत्व खराब न हो यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सलाह दी है उसके बारे में हम लोग बहुत गम्भीरता से इस बात पर विचार करके और उस बात को करने के बाद ही यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। अध्यक्ष महोदय जैसा माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने इसको मूव करते समय ही यह कहा है कि यद्यपि नियमों के अनुसार यह इस स्टेट में नहीं आ सकता और इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हुए कि आप रूल्स को रिलेक्स करें कि जिस एक्स्ट्रा आर्डीनरी सिचुएशन में यह घटना हुई है और जिस एक्स्ट्रा आर्डीनरी महत्व का यह प्रश्न है। उसमें आपने जैसे और मामलों के अन्दर रूल्स को रिलेक्स किया है, उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रश्न का महत्व केवल एक औपचारिक ढङ्ग से यहां बहस करने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न हिन्दुस्तान की करोड़ों......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने मेरे ख्याल से मेरी मान्यता को समझा है। मैंने इसको किसी दूसरी मनोवृत्ति से आपसे निवेदन नहीं किया है, मैंने आपको सहूलियत और उधर की सहूलियत दोनों ओर की उद्विग्नता और उग्रता को देखा है और वह और आगे न बढ़े उसे हिसाब से जिस

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न को आप महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी दृष्टिकोण से मैंने निवेदन किया है। मैं यह भी नहीं चाहता कि दोनों ओर से उत्तेजना पैदा हो और मुझको विवश होकर के आपके सहयोग से कहीं विदाई लेनी पड़े, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इस पर बड़ी गहराई से, शान्ति से सोचने का मुझ को भी अवसर दें। कल का अभी तक बिजनेश है, ज्यादा देर तक भी बैठ सकते हैं।

श्री नरसींसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि आपने यह जो बातें कहीं हैं वह बिल्कुल ठीक हैं। आप समझते हैं कि सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद कल इस विषय पर विचार लिया जाय लेकिन हम यह जानबूझ कर जानते हुए कि यहां के हमारे नियम और प्रक्रिया के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाने का मौका नहीं मिलेगा परन्तु जहां सम्विधान की हत्या होती हो वहां सम्विधान के अन्तर्गत काम करने वाले राज्य हों जिनका सम्विधान से सम्बन्ध है तो उनमें और हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर यह नहीं होती है तो फिर इस तरह से सम्विधान को हत्या होती रहेगी और इसलिए प्रश्न यही नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि इसको आज लिया जाय या कल लिया जाय। प्रश्न यह है कि हमारी प्रक्रिया के अनुसार.......

(व्यवधान) (शोरगुल) अश्रव्य ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

संविधान की हत्या कैसे हुई ?....

श्री गिरधारीलाल व्यास : पंजाब में हुई है।

श्री अध्यक्ष : (तीव्र स्वर में) ऑर्डर प्लीज़।

किन्तु यदि आप यहां पर यह ऑर्डर रख सकते हैं, संविधान की प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को रखते हुए कोई बातें कहें उस वक्त तक मेरा विश्वास है कि आप संविधान की रक्षा करते हुए, उसकी गरिमा को बढ़ाते हुए जो सुझाव रखेंगे वह ज्यादा उचित होगा। मैंने फिर से आपसे निवेदन किया कि मैं आपके सहयोग के बल पर चलता आ रहा हूं, और सहयोग चाहता हूं और उदारता के साथ मैं सहयोग देता रहा हूं, और इस प्रश्न पर आपने आज सूचित किया और कल....

श्री मदनसिंह दांता : (दांता रामगढ़) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि आपने इस चीज को स्वीकार किया है और बहुत बहस गरमागरम रही है तो इस गरमी को आज ही निकाल दें तो अच्छा हो, फिर कल के लिए क्यों मौका देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप इसको गन्दगी मानें मैं तो विशुद्ध परम्परा मानता हूं।

श्री नरसींसिंह : गन्दगी नहीं गरमी।

श्री अध्यक्ष : गरमी भी नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ मनुष्य का भावावेश मानता हूं

Page No. 104

श्री मदनसिंह दांगा : अगर यह डिस्कशन आपको पसन्द नहीं आता है और डिस्कशन से बढ़कर सदस्यों में उत्तेजना आती है तो उस उत्तेजना को कम के लिए रोका जा रहा है क्या या तो यह फर्मा दें....

श्री अध्यक्ष : अगर आप इसको आप पर छोड़ते हैं तो आप कह दें और मुझ पर छोड़ते हैं तो मैं कह देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें तथ्यों का महत्व तो होता ही है लेकिन उसका सम्बन्ध भावनाओं से भी होता है अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जिन लोगों ने इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र के लिए, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, कुर्बानियां की हैं, उनके लिए इससे और कोई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता है कि उन तमाम उपलब्धियों को, उन तमाम प्राप्तियों को, जो देश के असंख्य लोगों ने कुर्बानियों के द्वारा हमारे देश में प्राप्त की हैं, उसकी मूर्ति को कोई भी अलग करने की कोशिश करता है उस जनतन्त्र को किसी तरह से कमजोर करने की कोशिश करे। अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को आगे के ऊपर स्थगित करने का मतलब यह है कि जैसे कहीं आग लगी हो और हम कहें कि फायर ब्रिगेड को भेज देंगे (विरोधी पक्ष की ओर से हियर, हियर) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कहे कि कोई महान् आत्मा की दुर्घटना हो जाय तो क्या कोई भी सोच सकता है कि हम इस बात के लिए आज उसको नहीं लें और कुछ दिन के बाद करें। इसी तरह से कहीं पर कोई बात हो जाय तो उसकी प्रतिक्रिया लाजमी तौर पर होती है। उसके ऊपर मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं, यह लाजमी हो जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने यह आपत्ति उठाई थी पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये, और जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि वह यह कह रहे थे कि इस प्रश्न का सम्बन्ध इस सदन से नहीं है चूंकि यह घटना मध्यप्रदेश में हुई है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी तो यह प्रश्न प्रिमेच्योर उठा रहे हैं। अभी तो मेरे पास है प्रश्न

श्री भरोसिंह : पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी प्रिमेच्योर था। उसको भी प्रिमेच्योर करार दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अभी कहा है कि पाइन्ट आफ आर्डर रहता ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आर्डर रह जाय सदन की गरमी को सामने रखते हुए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी बात हुई है। इसलिए जब कि प्रश्न ही नहीं आया फिर भी माननीय सदस्य ने भाषण शुरू कर दिया यह पाइन्ट आफ आर्डर उस समय उठना चाहिए. कल जब मैं आपके सामने समस्या रखूं। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य जयपुर से आने वालों ने यह सवाल उठा कर अब अपने विचार व्यक्त करने शुरू किये और अपने आर्गुमेंट पेश करने लगे तो उस वक्त यह पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है और बिल्कुल वाजिब है।

Page No. 105

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम पाइन्ट आफ आर्डर का विरोध करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते है उसके कारण बता रहे हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : और आपने यह कहा कि सामान्य प्रक्रिया में नहीं आता है, रूल्स के खिलाफ है, फिर भी इस बात को कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाइन्ट आफ आर्डर पर आज बहस हो जाय और एडजोर्नमेंट मोशन पर कल हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर को मैं अभी समाप्त कर देता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप समाप्त कर दें ।

श्री अध्यक्ष : चूंकि प्रश्न सदन के सामने नहीं था इसलिए पॉइंट ऑफ आर्डर समाप्त हुआ पॉइंट आफ आर्डर इज आउट ऑफ आर्डर ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : Therefore, there should be no discussion.

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारे सामने अव्यवस्था पैदा करने के हालात पैदा हो गये हैं उस समय व्यवस्था का सवाल पैदा हुआ । हमारी भावनाओं और हमारी प्रतिक्रिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे नहीं समझेंगे । मैंने व्यवस्था को समाप्त कर दिया ।

श्री दौलतराम सारण : संविधान के प्रावधानों का हनन करते हैं और प्रहार करते हैं । उस प्रहार को निर्मूल करने के लिए, उस प्रहार को रोकने के लिए हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, माननीय अध्यक्ष, करना चाहते हैं, हमें यह अधिकार है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रूल्स के अन्तर्गत यह प्राप्त होना चाहिए ।

श्री दौलतराम सारण : हमारी मान्यताओं, भावनाओं, हमारे विचारों का हनन करते हैं तो हमारी भावनाओं की रक्षा करेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : किस रूल में आता है ?

श्री दौलतराम सारण : पूरी सामर्थ्य के साथ हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, भावनाओं के आधार पर, शक्ति के आधार पर, उसको पूरा कर दिया । पॉइंट ऑफ ऑर्डर चूंकि कोई ऑर्डर सदन के सामने नहीं था, इसलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर का भी प्रश्न निरस्त है । मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया है कि आप इस डिबेट को रेग्युलेट करना चाहेंगे तो कुछ इसका अर्थ निकलेगा । फिर बार-बार कहता हूं, आज ही इसको समाप्त

Page No. 106

(श्री अध्यक्ष)

करना चाहते हैं तो मैं भी धैर्य के साथ बैठ जाऊं इस आसन पर।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था और आपके निर्देश का स्वागत करते हुए और उसको मानते हुए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री हरिदेव जोशी : मानते हुए भी नहीं मानना चाहते।

श्री दौलतराम सारण : जो आग लगी है और आग में सारी संविधान के प्रक्रियाएं होम हुई जा रही हैं और उस समय कहा जाता है कि कुआ खोदेंगे, पानी निकालेंगे और आग में डालेंगे और आग....

श्री अध्यक्ष : कुआ खोद लिया गया। पानी खींचना बाकी है।

श्री दौलतराम सारण : कुआ जो खुदा है वह संविधान को उसमें डालने के लिए है. उस कुए को हम पूरना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण . एक तरफ तो इस आसन से यह व्यवस्था होती है....

श्री अध्यक्ष : मैं यह मानकर चलता हूं कि इस पर विरोधी दल की ओर से चर्चा शुरू हो गई, यह मानकर चलें ताकि मैं कुछ चिन्तन कर सकूं, बैठ सकूं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आपने मेरे प्रश्न को ध्यान से सुना और जिस भावना से सुना है। उसका कुछ अर्थ है। फिर आप जैसा उचित समझें करें। मैं विरोधी नेताओं से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को व्यव-के आधार पर, संविधान के आधार पर, व्यवधान अधिक नहीं हो इस सन्दर्भ में देखें तो अच्छा हो, और जो कुछ भी मैंने कहा है उस सन्दर्भ में देखें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है कि कल विचार किया जायेगा....

(श्री मथुरा दास माथुर और श्री हरिदेव जोशी द्वारा नकारात्मक रूप में सिर हिलाना)

श्री अध्यक्ष : एक-एक शब्द को तोल कर रखा है फिर भी आप किधर से किधर रख देते हैं।

श्री रामकिशन : इसीलिए हम शान्ति से बैठे हैं सब कि अगर कल विचार हो तो बिल्कुल सही बात है। संविधान की हत्या हुई है तो इन्तजार २४ घंटे नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी यह मान्यता है कि इधर बैठने वाले लोग, सरकारी पक्ष के लोग भी संविधान के ढंग से सोचते हैं इसलिए वे भी इसको गम्भीरता से लेते हैं। इसलिए यह निर्देश सदन के लिए, या संदेश हो सदन के लिए किसी न किसी रूप में विचार हो जावेगा, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जितनी चिन्ता हमें है उससे ज्यादा चिन्ता सदन के माननीय सदस्यों को है, क्योंकि लोकतन्त्र की प्रक्रिया जब समाप्त होती है तो आवश्यक हो जाता है....

(श्री रामकिशन)

उसका सारा इतना विशाल क्षेत्र हो जाता है कि उसके एक हल्ले में देश में लोकतन्त्र समाप्त हो जाता है. वह सारे देश में जोर पकड़ लेता है। अध्यक्ष महोदय, नाईजिरिया में लोकतन्त्र समाप्त हुआ और एक तरह की तानाशाही वहां कायम हुई। वर्मा में भी लोकतन्त्र समाप्त हुआ तो एक तरह की तनाशाही में परिवर्तित हुई...

श्री अध्यक्ष : यह सब है।

श्री रामकिशन : इसलिए यह प्रश्न कोई मामूली नहीं है कि इस सदन में इस पर बहस न की जा सके। वैसे हम मानते हैं कि इस विषय पर बहस नहीं की जा सकती। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्य भी इस तानाशाही को सहन नहीं करेंगे और लोकतन्त्र की परम्परा को कायम रखने के पक्ष में होंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको....

श्री रामकिशन : मैं, अध्यक्ष, आश्वासन चाहूंगा कि इस पर कल चर्चा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था ठीक कर देता हूं। मेरा निवेदन यह है कि आपका अन्देशा है, स्थगन प्रस्ताव जो मुझे आज दिया गया है उस पर माननीय सदस्यों का यह अन्देशा हो सकता है कि मैं उसको लेऊं नहीं। यह बात नहीं है। मैं उस पर निश्चित रूप से कल व्यवस्था दूंगा—व्यवस्था देने का अर्थ आप माननीय स्वयं समझते हैं। इसकी व्यवस्था में दूंगा और प्रश्नोत्तर काल के बाद ही व्यवस्था दूंगा यह बात मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को मंजूर होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, आपका सुझाव स्वीकार है। Now let us Proceed.

श्री अध्यक्ष : Let us move.

श्री हरिदेव जोशी : Let us move.

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री रामकिशन : अगला बिजनेस। बृजसुन्दर जी, हो गया आपका ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था।

श्री रामकिशन : अभी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी आ रहा हूं। अभी वक्तव्य दे रहे हैं। आपको कुछ बोलना है अभी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सैकिंड स्टेटमेंट है ?

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द से) सैकिंड स्टेटमेंट आ जाने दीजिए। बीच में क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी,

(श्री राम नन्द अग्रवाल)

जो कल प्रश्न यहां पर नक्शे के बारे में, छटी, आठवीं क्लास की किताब में आया है।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, आपका है। मैंने अत्यन्त आवश्यक आज शाम को जानकारी प्राप्त की है, उस पर व्यवस्था कल दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, केवल एक दिन का सदन और बाकी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आपकी उद्विग्नता को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, एक दिन बाकी है इसीलिए अत्यन्त आवश्यक मानकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायगा। जानकारी नहीं आई तो मैं कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न, नक्शा छप गया, उसको सूचना दो है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं क्या करता। आपने जैसे ही मुझको दिया, आजकी तारीख में तो मेरे पास आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज भी उसके ऊपर उत्तर आ सकता था।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं ले जाकर देता तो हो सकता था। माननीय सदस्य ! थोड़ी सुविधा को समझें !

श्री हीराभाई : आप स्वयं क्यों जायें, थोड़ी व्यवस्था कड़ी रखें।

श्री अध्यक्ष : देखिये, देखिये ! हीराभाई! मैं कल व्यवस्था दे दूंगा। श्री बृजसुन्दर शर्मा।

आयुर्वेद विभाग में नियुक्त वैद्यों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित न किए जाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर आयुर्वेद मन्त्री का वक्तव्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (राजस्व मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, माननीय दुर्गालाल जी बाढ़दार ने एक स्थगन प्रस्ताव इस विषय में रखा है कि आयुर्वेद विभाग द्वारा ३० वैद्यों की नियुक्ति ५-७-६७ को की जा चुकी है किन्तु इन व्यक्तियों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं, यद्यपि····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माइक से थोड़ा दूर रहें।

श्री अध्यक्ष : माइक की शिकायत रफा कर देता हूं। थोड़ा माइक की शिकायत को रफा कर दीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माइक की शिकायत माइक से हो सकती है, मुझसे क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : वह है, थोड़ा उधर हो जाइये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आयुर्वेद····

श्री हीरा भाई : शिकायत तो माइक से है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका कसूर···

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं है, माइक का डण्डा उनके पेट से भिड़ जाता है!

श्री अध्यक्ष : क्या करें वे, विवश हैं। प्रकृति का है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पुराना हो चुका है माइक असल में।

श्री अध्यक्ष : हो गया है, वह परिवर्तन का कसूर है।

श्री रामकिशन : परमानेन्ट व्यवस्था होनी चाहिए। सारे दिन पेट अड़ता रहता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यद्यपि आयुर्वेद विभाग ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सूची प्रकाशित करने के लिये लिख दिया है। इस प्रकार ३ युवक वैद्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सूचि प्रकाशन के अभाव में इनकी नियुक्तियां निरस्त हो जाने का भय है, यह एक लोक महत्व का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में कानूनी स्थिति जो है उसका पहले अध्ययन कर लेते। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कोई भी महकमे को जब एपॉइन्टमेंट कराने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां से सूचि मंगवाते हैं और सूचि मंगवाने के बाद ही उनका एपॉइन्टमेंट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो स्थिति मुझे इस बारे में प्राप्त हुई है वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

संचालक, आयुर्वेद विभाग ने अपने पत्रांक एफ २ (बी) । ६७ । ३२४६–६४, दिनांक २०-६ ६७ द्वारा सी ग्रेड वैद्यों की रिक्तियां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सूचित कीं जिसमें उन्होंने भिषगाचार्य की योग्यता रखने वाले वैद्यों की मांग की थी। इसके अनुपालन में जयपुर नियोजन कार्यालय ने तारीख २६-६–६७ को ४ भिषगाचार्य आशार्थियों के नाम आयुर्वेद विभागको प्रेषित किये उस समय इस कार्यालय के चालू रजिस्टर पर इस योग्यता वाले ये ४ आशार्थी ही उपलब्ध थे। इस लिस्ट को भेजने के बाद और भिषगाचार्य वैद्यों ने अपने नाम इस कार्यालय में पंजीकृत कराये। इसलिये नियोजन कार्यालय, जयपुर ने तारीख ११–७-६७ को संचालक, आयुर्वेद विभाग को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या अब उनको इस योग्यता वाले और नामों की सूचि जो कि उनके पास उपलब्ध है भेजी जा सकती है? तारीख १२–७-६७ को आयुर्वेद विभाग के संचालक का पत्र उनके जयपुर केम्प से लिखा इस कार्यालय को और प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जो आशार्थी भिषगाचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों उनके नाम भी भिजवाये जायें। इनके इस पत्र के अनुपालन में तारीख १३-७-६७ को १७ अशार्थियों की एक सूचि आयुर्वेद विभाग को और भेज दी गई है। इन आशार्थियों का पंजीयन तारीख २६-६ ६७-आई एम सॉरी, १३-७-६७ के बाद भिषगाचार्य के रूप में हुआ था।

जिन आशार्थियों के नाम २६–६ ६७ को भेजे गये थे उनकी नियुक्ति आयुर्वेद विभाग के संचालक द्वारा तारीख ५-७-६७

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

को आदेश क्रमांक एफ २ बी । ६७ । ४११३-४२ द्वारा करदी गई और इसकी सूचना उनके द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी भिजवा दी गई थी।

उपरोक्त परिस्थिति जयपुर नियोजन कार्यालय के रेकार्ड को देखने पर पाई गई है। अजमेर नियोजन कार्यालय की २२-३-६७ की चिट्ठी के मुताबिक कुछ नाम विभाग को भेजे गये थे, इनको ५-७-६७ को एपॉइन्टमेंट दिया गया।

(३.४१ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो आदेश ३० वैद्यों की नियुक्ति का है, इस आदेश की प्रति नियोजित व्यक्तियों को एक अन्य पत्र द्वारा भेजी गई थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने नाम उस नियोजन कार्यालय से प्रस्तावित करावें जहां वे पंजीकृत हैं।

इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में आयुर्वेद विभाग ने नियोजन कार्यालयों को कुछ सूचना नहीं दी है। ऐसी परिस्थति में नियोजन कार्यालयों द्वारा सूचि भेजने अथवा अन्य कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आयुर्वेद विभाग द्वारा इस तरह को सीधी नियुक्तियां किये जाने से यदि इन वैद्यों को यदि कोई असुविधा हुई उसकी जिम्मेदारी नियोजन कार्यालयों की नहीं है।

जिनके नाम अन्डर दी एक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नहीं गये हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती और उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अपना नाम फारवर्ड कराना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में डिटेल्स में जवाब दे सकते हैं तो आयुर्वेद मंत्री दे सकते हैं कि नियुक्ति कैसे हुई, रजिस्ट्रेशन का नम्बर आ गया था या नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे इस प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी करते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि यह एक कानूनी मसला है और जब तक कानून का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं कर लिया जाय तब तक इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव मुझे प्रस्तुत नहीं करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय भी कानून का अध्ययन कर चुके हैं, वकील रह चुके हैं पर वे तो कभी के वकालत छोड़ चुके हैं और मैं अब भी वकालत करता हूं, तो कानून को वे नहीं देखते हैं या मैं नहीं देखता हूं यह पृथक चीज है। पर मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट में यह कह कर अलग हो जायं कि आयुर्वेद मंत्री हैं, वे ही इसका स्पष्टीकरण करेंगे। एक तरफ तो जॉइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी राजस्थान सरकार के मंत्री मानते हैं, दूसरी तरफ राजस्थान की यह स्थिति है कि जहां कहीं डाक्टरों, वैद्यों की तकर्सरी का प्रश्न आता है, कई प्रश्न मंत्री महोदय के सामने आपके द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके हैं और राज्य सरकार से मांग की जा चुकी है कि औषधालयों में वैद्य नहीं हैं, डिस्पेन्सरियों में डाक्टर्स नहीं हैं वहां वैद्यों को और डाक्टरों को रखा जाय तो कहा जाता है कि इनकी कमी है। दूसरी तरफ वैद्यों द्वारा भिषगाचार्य की परीक्षा दी

Page No. 111

(श्री दुर्गालाल बाददार)

जाती है, भिषगाचार्य की परीक्षा में पास हो जाते हैं, उनको नियुक्ति दे देते हैं, और तकसंरी का सवाल आता है तो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज से फॉरवर्ड नहीं कराया इसलिए उचित रूप से नियुक्ति नहीं हो सकती । यह सारे प्रश्न हैं, जिनका सम्बन्ध राज्य सरकार से है । इस प्रकार की टेक्निकल डिफिकल्टीज क्यों आती हैं ? मेहनत करके भिषगाचार्य की परीक्षा पास की, उनका क्या कसूर है कि विभाग ने एपॉइन्टमेंट लेटर जारी कर दिया फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। आपकी तरफ से आपत्ति उठाई जाती है कि एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज से नाम नहीं भेजा गया । एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज किस के नाम भेजता है, किसके नाम नहीं भेजता है, यह देखना बड़ा मुश्किल है। यह आपके देखने की चीज है कि कितने वैद्यों ने, कितने डाक्टरों ने एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज में नाम लिखाया, कितने टैक्निकल हैं इस हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज में नाम लिखवाया, कितनों के नाम दर्ज किये गये, कितनों को काम दिलाया, कितनों को काम नहीं दिलाया । अमूमन यह देखा जाता है कि लोगों ने अपने नाम दर्ज करा दिये पर कुछ को नौकरी मिल जाय और बाकी को नहीं मिले तो किसके सामने चिल्लायें ? अपने ग्रिवेन्सेज को सरकार के सामने रख सकते हैं । आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यहां लीगल मसला आता है. उनको एपॉइन्टमेंट लेटर मिल जाय और एपॉइन्टमेंट नहीं हो। राजस्थान सरकार ने, डायरेक्टर ने एज ए सर्वेन्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उनका एपॉइन्टमेंट किया है, इसकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी सारी केबिनेट की है, उससे आप बच नहीं सकते । अगर कोई टैक्निकल डिफिकल्टी है तो उसका निवारण करना चाहिये। आप इस तरह से नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि वे लोग भिषगाचार्य की परीक्षा पास करते हैं और उनको एपॉइन्टमेंट नहीं मिलता । यदि यह उत्तर राजस्थान सरकार देती है, अगर इस प्रकार का रवैया राजस्थान सरकार रखती है तो मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता के हित की रक्षा की ओर ध्यान नहीं देती । वे तो यह सोचते हैं कि किस प्रकार अपनी कुर्सियों को बनाये रखा जाय । कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं, संविधान की हत्या के प्रश्न सामने आते हैं, तो आप ध्यान नहीं देते, विचार करने का मौका नहीं देते । आपको एक ही चिन्ता है कि आप अपनी स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ बनाये रखें ।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लीगल टेक्निकल किसी प्रकार की आपत्ति उठ सकती है पर ईश्वर के नाम पर प्रजातन्त्र में जो आपको अधिकार मिला है, आप मिनिस्टर बने हैं, आपका यह पुनीत कर्त्तव्य होता है कि इस प्रकार की बेजाब्तगियां गलत कार्यवाहियां राजस्थान के किसी विभाग में होती हैं तो उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये, इसका निराकरण आपको करना होगा, इसका उत्तरदायित्व आप पर हैं ।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो नियुक्तियां की गई हैं, आयुर्वेद विभाग द्वारा जो नियुक्तियां की गई है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में

Page No. 112

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियोजन कार्यालय अजमेर का दिनांक ७-७-६७ का पत्र है उसे पढ़ कर सुना देता हूं ....

"विषय : वैद्यों की नियुक्ति

सम्बन्धित विषय में लिखा जाता है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या........ जिसकी प्रति संलग्न है....

(अश्रव्य)

लिखा जा सकता है, अतः जब तक इनके नाम नियोजन कार्यालय से नहीं आवें तब तक उन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया जाय, तथा नियोजन कार्यालय से इनके नाम प्राप्त होते ही इनको ड्यूटी पर लिया जाय।"

नियोजन कार्यालय से जैसा कि मैंने निवेदन किया भिन्न २ तारीखों को १७ और ४ इस तरह २१ के नाम भेजे जा चुके हैं। जो वैद्य परीक्षा पास हैं उनको चाहिये कि नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करायें और एप्लीकेशन दें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आयुर्वेद विभाग ने नाम भेज दिये नियोजन कार्यालय को।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : १७ और २१ के नाम रजिस्टर करवाये थे, उनकी सूची आयुर्वेद विभाग को भेज दी, उनका प्रश्न नहीं बाकी का प्रश्न है। उनको रजिस्टर करवाना चाहिये। उनके नाम नियोजन कार्यालय से आयेंगे तो आयुर्वेद विभाग अपने आप उनको नियुक्ति करेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह तो बेचारे जो उन्हें करना है वह करेंगे पर जिनको एपॉइन्ट किया, सरकार उनकी लिस्ट दूसरे विभागों को भेजती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज को भी उनकी लिस्ट भेजी है तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते, इसमें कहां दिक्कत रही है? Where there is a wrong, there is a remedy, provided you want to remedy it, पर सवाल है कि आप करना नहीं चाहते । वे तो करायेंगे पर आप क्या हेल्प कर सकते हैं पब्लिक के लोगों की ? इस का प्रकार की दिक्कतें आती हैं उनके लिये लोगों को क्या राहत देना चाहते हैं ? आपने तो 'मघवा मूल बिड़ौजा टीका' वाला कर दिया । सारी दिक्कतें सामने रखी और 'रांडी रोजणां' कर दिया कि हम क्या करें ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह रांडी रोजणां' क्या पालियामेंट्री है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : महा पालियामेंट्री है, यह तो साहित्यिक भाषा है पर दुःख की बात है कि आपकी साहित्य में रुचि नहीं।

श्री रामकिशन : राणी का रमणी हो! यह तो नारी का अपमान है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका एक तरीका निकल सकता है । जिनको एपॉइन्टमेंट लेटर मिले हैं उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्टर करा लेना चाहिए । आयुर्वेद डिपार्टमेंट रेगुलेराइज कर सकता है, वैसे तो इल्लिगल होगा।

श्री रामकिशन : इन्होंने इतना कहा है, आश्वासन तो दीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनको रजिस्टर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

करना चाहिए, जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको लिया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जीपों तथा अन्य मशीनरी की खरीद आदि से सम्बन्धित मामले पर थोड़े समय के लिए चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा ।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस सम्बन्ध की चर्चा सदन में करना चाहता हूं, यह एक ऐसा विषय है जिसका राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान को सारी सुरक्षा से सम्बन्ध है। वैसे इस सदन में और लोक सभा में इस प्रश्न को कई तरह से उठाया गया है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस सारे मामले को एक साधारण सा मामला मान कर साधारण सा जवाब देकर टालने का प्रयास किया है।

१५ तारीख को सार्वजनिक निर्माण मंत्री का इस पर बहस के बाद जवाब हुआ, भूतपूर्व पी० डब्ल० डी० मिनिस्टर ने कह दिया कि यह जीपों की खरीद जनरल टूल्स में आती है; इस तरह कह कर अपनी टेक्निकल नॉलेज को सदन के सामने जाहिर किया।

मैं यह नहीं कहता कि जनरल टूल्स एन्ड मशीन्स की तारीफ में जीपें आती हैं या नहीं विवाद इस बात का है कि एक तरफ मशीन्स खरीदने के लिए केन्द्रीय सरकार रकम दे, उसका उद्देश्य जीपें खरीदने का नहीं था, बल्कि हमारी सुरक्षा से सम्बन्धित मामला है सड़कों का, उससे यह मामला जुड़ा हुआ था।

(४ म.प.)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इसी सदन में आज से तीन दिन पहले जोर से यह बात बताई थी कि ४०० मील सड़क का निर्माण हुआ, सरकार का पहला जवाब है उसके अनुसार केवल २८५ मील सड़क का निर्माण हुआ। अगर यह मान भी लें कि ४०० मील सड़क का निर्माण हुआ तब भी मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से चीन-पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा पैदा करते हैं, जिस तरह से परसों गृह मंत्री चह्वाण ने कहा है कि हो सकता है कि अक्टूबर के आस-पास पाकिस्तान हमारे पर आक्रमण कर दे, तो राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि जो इतना भारी संकट हम पर आने वाला है, मैं नहीं चाहता कि वह आए, लेकिन अगर आ जाय तो क्या आज हमारी स्थिति उससे अच्छी हो गई है जो दो-तीन साल पहले थी ?

सरकार का विभाग और निर्माण मंत्री शायद इस बात से संतोष कर लें कि काम ठीक चल रहा है; लेकिन जिन देशों की सुरक्षा का सवाल होता है, जहां युद्ध के खतरे होते हैं, उनके कार्यक्रम साधारण विभागों की तरह नहीं चलते। उनके कार्यक्रमों के लिए और साधारण कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकतायें तय करनी होती हैं। मैं नहीं कहता चाहता कि निर्माण मंत्री और भूतपूर्व निर्माण मंत्री में कोई योग्यता नहीं थी, मुझ से तो कम से कम ज्यादा थी! लेकिन आखिर इन लोगों का दिमाग किस प्रकार में बन गया है कि आज सारे देश में

(श्री रामकिशन)

एक तरफ संकट की बात चल रही है। एक बार हम चीन से पराजित हुए दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारी सीमा में घुस आया, दोनों कारण हैं। मिलिटरी की कमजोरी, नए हथियारों का न होना या इच्छा शक्ति की कमी हो, इन तीन चीजों की कमी हो, लेकिन चौथी वजह जिसके कारण नुकसान हुआ वह थे आवागमन के साधन। चीन ने जब हमला किया तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राज्य सरकार को तो १८०० मील सड़क बनानी है, पर भूतपूर्व निर्माण मंत्रीजी, ल्हासा से पीकिंग कितनी दूर है? जिस समय चीन ने हमला किया ल्हासा से पीकिंग सड़क तैयार थी और पीकिंग से टैंक्स और हथियारों की सप्लाई बराबर होती रही और हमारी हालत क्या थी? नेफा में तेजपुर से तवान तक ३२ मील की सड़क थी लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यही हालत राजस्थान सरकार की है। राज्य सरकार निर्माण विभाग पर रकम खर्च करती है। ३५ करोड़ का बजट है उसमें कितनी कटौती हुई है, यह सवाल नहीं। सवाल इस बात का है कि सरकार को जिस काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए था, उसको न करके राज्य सरकार निर्माण विभाग और उस समय के मंत्रीजी ने केवल राजनैतिक स्वार्थों के लिए सरकारी मशीनरी और सरकारी धन का उपयोग किया। मुझे जानकर दुःख होता है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्दर जब स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी तब यह बात साफ थी कि सरकार और पार्टी अलग-अलग चीज हैं। मैं समझता हूं कि जितना कोई निष्ठावान् पार्टीवाला होगा मेरे मन में ज्यादा कदर है उसके लिए। मैं नहीं कहता कि पार्टी के लिए काम नहीं करे लेकिन पार्टी का काम जब सरकार के माध्यम से करेंगे तो उस समय लोकतन्त्र नहीं रहेगा तानाशाही कायम हो जायगी। आज निर्माण मंत्री सोचें कि जीपों की मदद से दो-चार उम्मीदवार जिताकर लाएं। जब सरकार अपने कर्मचारियों का राज्यकोष का, पार्टी के हित में इस्तेमाल करती है तो इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं जहां लोकतन्त्र कायम हुआ हो। आखिर जो नियम बने हुए हैं, वे आज के नहीं हैं। पुराने राजा-महाराजा जिनके लिए हम कहते हैं कि शोषण के प्रतीक हैं, कई तरह के विशेषण देते हैं, उन्होंने भी राज्य भर में नियम बना रखे थे कि किस पैसे को राज्य के काम में लेंगे और किस पैसे को निजी काममें लेंगे. लेकिन इन २० साल में लोकतान्त्रिक परम्परायें जो स्पष्ट होनी चाहिए थीं उनको हम धीरे-धीरे अपने कार्यों से नष्ट करते चले जा रहे है और इस बात का किसी मन्त्री को कोई अफसोस नहीं, मुख्यमंत्री को अफसोस नहीं और सदन के सदस्यों को अफसोस नहीं। इन मामलों को केवल पार्टी के आधार पर देखते हैं।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो कुछ काम किए, वर्तमान निर्माण मंत्री को शायद जानकारी नहीं, इंजीनीयर कहां से सड़क बनायें? चुनाव के दिनों में चीफ इन्जनीयर, एडीशनल चीफ इन्जनीयर और एग्जीक्यूटिव इन्जनीयर्स कांग्रेस के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। दफ्तर में ठेकेदारों को बुलाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। अब तो इन्जनीयर निर्माण मन्त्री के लिए चंदा देंगे, वे समझते हैं कि सड़क चाहे

(श्री रामकिशन)

१० मील बने चाहे २० मील बने, उसका उन पर पड़ने वाला नहीं है। तो आपने राज्य की मशीनरी और सरकारी धन का ही उपयोग नहीं किया बल्कि सरकारी कर्मचारियों की आत्मा गिराकर राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया है। उसका नतीजा यह हुआ कि आज सारे देश में खतरा नजर आता है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे, पंजाब में हो। धीरे-धीरे कहीं ऐसा न हो कि जिस लोकतन्त्र की रक्षा के लिए, जिस लोकतंत्र के निर्माण के लिए हमने इतना संघर्ष किया है उसकी जगह तानाशाही न आजाय। इसलिए आप इन मामलों को पार्टी के हित से न देखें। जो गलती हुई है सदन में कहें कि हम भावनाओं में बहकर, इस चुनाव के चक्कर में अन्धे बन गए। दिमाग में न सिद्धांत् था न पाकिस्तान का हमला था दिमाग में सिर्फ यह बातें थीं कि चुनावमें कैसे दो-तीन उम्मीदवारोंको जिताथा जाय जिससे मन्त्रिमंडल की कुर्सी मिल जाय। यह प्रवृति ने देश के लिए अच्छी है न कि पार्टी के लिए।

भूतपूर्व निर्माण मंत्री ने एक किताब पढ़ी होगी "रेड स्टार ओवर चाइना" पर्ल बक ने लिखी है। उसने कम्यूनिस्टों की संभावना के सम्बन्ध में जिक्र किया कि कम्यूनिस्ट आयेंगे, और उन्होंने एक चेप्टर दिया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चांगकाई शेक, उनकी पत्नी राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, उनके व्यक्तिगत प्रभाव में आकर, सरकारी गाड़ी में बैठकर मुर्गियां, मछलियां खरीदने जाती हैं और इस तरह से इस देश में जो असंतोष बढ़ रहा है इससे क्रांति आएगी। जब पर्ल बक समझ सकती थी कि क्योंकि चांगकाई शेक इस देश में लोकतन्त्र को समाप्त कर सकता है और कम्युनिस्ट आ सकते है और उसके कारण गिनते गिनते चागकाई शेक के दूसरे पुत्र का भी जिक्र किया है। इनमें खास तौर से बड़ी घटनाओं का जिक्र न करके छोटी-छोटी घटनाओं के द्वारा बताया है कि देश में लोकतन्त्र समाप्त हो जाता है। उसका कहना सही हुआ और नतीजा यह रहा कि न चांगकाई शेक रहे न वह फारमोसा में है न उसकी पत्नी रही, अमरीका में चली गई और लड़का फ्रान्स में बैठा हुआ है। माथुर साहब कहीं इस चक्कर में मत बैठना कि आप देश छोड़कर भागेगें। आपको न फ्रान्स मिलेगा न अमेरीका, जोधपुर से भागकर उदयपुर जाओगे और उदयपुर से जयपुर। मैंने छोटी चीजों का जिक्र किया है लेकिन आपको में पूछना चाहता हूं कि आप लोकतन्त्रवाद स्थापित करना चाहते हैं या अधिमायकवाद? अगर अधिनायक वाद स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप लोग चाहे कितना भी दंभ करें कि आप लोकतन्त्रवादी हैं तो आप बताइए कि बोर्डर रोड्स बनाने के बजाय इंजीनियरों को चंदा इक्ट्टा करनेके काम में क्यों लिया? अगरआप कहें कि यह नहीं है, तो एकही मिसाल देना चाहता हूं कि जनवरी के महीने में ट्रंक काल रजिस्टर देखिए। चीफ इंजनीयर ने बाड़मेर और जैसलमेर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को दिन में चार-चार बार किया। आप सड़क की प्रगति भी देखें और टेलीफोन भी देखें। जनवरी और फरवरी में एक-एक दिन में ट्रंक काल्स देखें, तो ४-४ बार किया गया। क्या चीफ इंजीनीयर पूछते थे कि निर्माण कितना हुआ? पूछते थे कि क्या लेवी इक्ट्टी हो रही है, किस ठेकेदार ने दिया क्योंकि निर्माण मन्त्री

(श्री रामकिशन)

के फोन जाते रहते थे कि चन्दे की रकम में कितनी प्रगति हुई। अगर फोन सड़क के लिए किए गए हैं तो उन दिनों में कितनी प्रगति हुई ? उन दिनों में जोधपुर हैडक्वार्टर से १०—१० बार फोन हुए हैं। सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो यह बात छिप नहीं सकती, क्योंकि तथ्य रजिस्टर में दर्ज हैं। उससे आप देखेंगे सरकार का दिमाग क्या बन गया है ? विरोधी दल सहयोग करे आप हमारा सहयोग चाहते हैं। देश के निर्माण में वे जितना योग देते हैं उनसे कम हम भी नहीं देते है, जितना वे देश से प्यार करते हैं उनसे भी ज्यादा प्यार हम अपने देश से करते हैं। जो तरीका और जो प्रणाली यह शासन इस्तेमाल कर रहा है उससे उनका न जनता में विश्वास है और न उनका विश्वास हम भी करते हैं। जवाब देंगे तो इस तरह का हमने इसमें कुछ नहीं किया लेकिन जब उनके जवाब को बाड़मेर के लोग पढ़ेंगे, जैसलमेर के लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे ? वे कहेंगे हमें जोपें मिली है, चुनाव में हमने उसका उपयोग किया फिर यह सदन में झूठ क्यों कहा जा रहा है ? अतः आप से हम और जनता यह अपेक्षा करते हैं कि आप जो कुछ सत्य है उसको स्वीकार कीजिये। गलती होती है इन्सान से होती है अगर आप गलती को स्वीकार करते हैं तो मैं समझूंगा आप में राजनेता के गुण हैं। अगर इसमें लीपापोती की तो हम समझेंगे न तो आप राजनेता हैं और न साधारण पुरुष ही। इसको न राजस्थान की जनता और न भारतवर्ष की जनता ही स्वीकार करने वाली है। यह सदन आखिर है क्या ? यहां पर कोई बात कही जाय उसका क्या महत्व है ? जब कभी मैं माथुर साहब के बारे में किसी से कहता हूं वे तेज आदमी है, बुद्धिमान हैं। आपका तेजस्विता का गुण तभी प्रखर हो सकता है जब आप सत्य का पक्ष लें। आपमें सत्यता होगी तो आपकी तेजस्विता ज्यादा चमकेगी। अगर आपने सदन में वही जवाब दिया जो १५ तारीख के बयान में दिया था जिसमें आपने कहा था कि जीपों की खरीद राजनैतिक कार्य के लिए नहीं की तो आप यह सही मानिये दुनियां में लोकतन्त्र भले ही रहे लेकिन भारत में रहने वाला नहीं। आखिर कीलर काण्ड क्या था। प्रोफ्यूमो के साथ उसके जो सम्बन्ध थे वह सबको विदित थे। स्त्री-पुरुषों के इस प्रकार एच्छिक संबंध होते हैं तो मेरी राय में मैं इसको बुरा नहीं मानता सहमतिसूचक सम्बन्ध के लिए समाज को भी एतराज नहीं है लेकिन, यही सम्बन्ध स्वच्छन्दता का रूप धारण कर लेता है वह बुरा है। एच्छिक संबंध भी अगर मर्यादित रखे जायं तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये, लेकिन उनका प्रदर्शन न किया जाय। पार्लियामेंट में विवाद इस बात पर हुआ कीलर के साथ जो प्रोफ्यूमो के सम्बन्ध थे उसका उसने पार्लियामेन्ट में इन्कार किया। उसके संबंध के बारे में विवाद नहीं था लेकिन उसने सदन में झूठ बोला आखिर उसको स्तीफा देना पड़ा और वह सारे संसार में चमक उठा। इसी प्रकार आपका संबंध इन जीपों से वास्तविक रूप से रहा है, इसलिए आपको यहां सत्य ही कहना चाहिये। कहीं आपकी भी यहां झूठ बोलकर स्तीफा देना पड़ जाय, दुबारा चुनाव होंगे, इससे आपकी प्रतिष्ठा घटेगी नहीं बढ़ने ही वाली है। वित्त मंत्री महोदय आप इस समय कीलर कांड

Page No. 117

(श्री रामकिशन)

को ग्रपने दिमाग में रक्खे प्रोफ्यूमों बनकर झूठ बोलने की कोशिश न करें । कीलर साफ तौर से कहती थी कि मेरा संबंध प्रोफ्यूमों से है । इसी तरह से माथुर साहब ग्रगर ग्रापने सत्य बात कही तो ग्रापने जितने भी पाप किये राजनीति के लिए उन सब को राजस्थान की जनता क्षमा कर देगी । ग्रगर ग्रापने गलती पर गलती ग्रौर कर दी ग्रौर ग्रसत्य बात कह दी तो जैसलमेर बाड़मेर ग्रौर बीकानेर के लोग ग्रापको छोड़ने वाले नहीं । ग्रापने चुनाव के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग किया मैं जानना चाहता हूं ग्राखिर ग्रापने जब जीपें खरीदी, ट्रेक्टर खरीदे ग्रौर ग्रौर सामान खरीदा यह तो सही मान सकते हैं लेकिन ग्रापने जो पचास जीपें खरीदी वे भी चुनाव के दिनों में केवल बाड़मेर ग्रौर जैसलमेर के लिए, ग्रौर फिर उन्हीं दिनों सुपरवाईजिग स्टाफ को न देकर ठेकेदारों को दी ? यह तो सड़कों का काम तीन साल से चल रहा था तो स्पेसिफिक तौर पर जनवरी ग्रौर दिसम्बर में ही ये क्यों खरीदी ? उसके पहले के साल भी ग्राप खरीद कर दे सकते थे उस समय देते तो गलत काम होते हुए भी हम उसका विरोध नहीं करते । ग्रगर इस बात को लेकर किसी मूर्ख से भी पूछा जाय तो वह यही कहेगा चुनाव में जीपों का देना ठेकेदारों को सुपरवाईजिग के लिये न होकर उनका दृष्टिकोण यह था कि इसका चुनाव में उपयोग हो ।

माननीय मंत्री महोदय एक बात है ग्राप यह बता दें कि क्या उन ठेकेदारोंने जीपों की मांग की थी ग्रौर उस पर ग्रापने उनको दी, इस तरह की कितने ठेकेदारों की दरख्वास्तें हैं । मैं ग्रापको दसों ऐसे नाम बताऊं जिनका बोर्डर पर कोई काम नहीं जिनकी कोई दरख्वात नहीं थी लेकिन उनको भी जीपें इसलिए दी कि वे भी चुनाव में ग्रापको पैसा दें । मैं ग्रापको एक नाम बताना चाहता हूं बीकानेर का जो ठेकेदार है भवरलाल पूरणाराम उनको ग्रापने जीप किस लिए दी, बोर्डर रोड़ का इनके पास काम नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप ग्रगर इस लिस्ट को देखेंगे तो ग्रापको यह पता चलेगा कि हम जो ग्रारोप लगाते हैं वह शत-प्रतिशत सही है कि इन जीपों का उपयोग चुनाव के ग्रन्दर करने के लिए यह उन दिनों खरीदी गईं । इस तरह के ठेकेदारों की मेरे पास लम्बी चौड़ी लिस्ट है सारी जीपें जनवरी माह में उनको दी गईं, ठेकेदारों के पास कोई सुपरवाईजिग का काम नहीं । जब जीपों का ट्रान्सफर उनके नाम हुग्रा तब तक हायर परचेज के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं था जब जनवरी में जीपें लीं ग्रौर चुनाव प्रचार में उन क्षेत्रों में भेज दी गईं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बातें ऐसी होती हैं यदि इसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से होता है तो कुछ ग्रापत्ति नहीं थी लेकिन ग्रापने इनका उपयोग राज्य के कोष से रुपया लेकर ग्रपनी राजनीति के लाभ के लिये किया ग्रापने जो हमारे देश की ईमानदारी की ग्रौर सत्यवादिता की परम्परा रही उसको तोड़ा । इतना राजनैतिक गिराव ग्रापमे ग्राजाय मैं नहीं समझता ग्राप ग्रपने स्वार्थ के लिये इस तरह से सरकारी धन का

(श्री रामकिशन)

दुरुपयोग करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे भले ही माथुर साहब आपने राजनैतिक सत्ता प्राप्त करली हो लेकिन आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा । आप डूबोगे तो डूबोगे ही लेकिन आप आपके पीछे बैठे ये लोग जिनका इस पाप में कोई हाथ नहीं था उनको भी लेकर डूबोगे । आप तो डूबते हुए भी यह कहते जाओगे हमने तो बीस साल राज्य कर लिया लेकिन जो निर्दोष लोग आपके साथ डूबेंगे जिन्होने राज्य का कोई ओहदा नहीं लिया उनकी भी तो कुछ सोचिये । आज मौज तो कौन उड़ा रहा है और गालियां कौन खा रहे हैं । आज जो आपके साथ बैंक बेन्चर्स बैठे हैं उनको भी आपकी खातिर इस तरह के पाप में भागी होना पड़ रहा है । माथुर साहब आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं आप तो हवाई जहाज द्वारा जिस तरह से बाहर के शासक कटंगा से वेल्जियम चले जाते हैं आप भी हवाई जहाज से उड़कर बाहर जा सकते हैं लेकिन आपके पीछे बैठने वाले जिनके पास बैलगाड़ी तक नहीं उनको आपके किए हुए मुकद्दमों का दण्ड भोगना पड़ेगा । कांग्रेस में बैठने वालों से मैं निवेदन करूंगा । इसको आप दलीय प्रश्न न समझें और इस पर अपने स्पष्ट विचार रखें । मैं इस लिस्ट में से दस-पांच नाम आपको बताऊंगा जिनका बोर्डर रोड्स पर कोई काम नहीं था फिर भी उनको दी गई ।

भंवरसिंह ठेकेदार को४-१-६७को दी गई

सुशीलकुमार बीकानेर २-१-६७ को दी गई ।

श्री लीलाधर ठेकेदार ३-१-६७ को

श्री बुद्धिदीपसिंह एन्ड को गङ्गानगर २-१-६७

श्री बुद्धाराम ठेकेदार बीकानेर ३-२-६५

गणराज्य ठेकेदार सहकारी समिति २-१-६७

सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी २-१-६७ बीकानेर

भंवरलाल पूरणाराम जिनके पास बोर्डर रोड का कोई काम नहीं इनको २-१-६७ को जीप दी गई ।

पृथ्वीराज टालूराम २ १-६७ । इन सबको जनवरी महीने में जीपें दी गई । तीन दिसम्बर और १ नवम्बर के बीच ये पचास जीपें खरीदी माथुर साहब ने, खरीदकर ठेकेदारों को दे दी । कहा अब तुम काम करो चुनाव के अन्दर लग जाओ पाकिस्तान का यदि हमला होता है तो मैं खुद देख लूंगा हिन्दुस्तान गुलाम हो गया तो कोई बात नहीं मैं तो जोधपुर में जा छिप जाऊंगा ठेकेदारोंको कह दिया काम बन्द करो और चुनाव में लग जाओ । बीकानेर, जोधपुर बाड़मेर में कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार करो । आखिर आपकी नैतिकता का भी कुछ सम्बन्ध है । वे सदन में नैतिकता की बात करेंगे कानून के आधार पर टालमटोल करने का चेष्टा नहीं करेंगे । चीफ इन्जीनियर जिसने इसमें सहयोग दिया चन्दा इकट्ठा किया उनको भी दन्ड मिलना चाहिए । इस सदन के द्वारा भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले की इन्क्वायरी की जावे अगर राजस्थान बचा तो देश बच सकता

(श्री रामकिशन)

है। इस प्रदेश में सड़कें बनेंगी नहीं चीफ इन्जीनियर कांग्रेस के चुनाव के लिए चन्दा इकट्ठा करते हैं। इनसे देश का निर्माण हो जाय यह बात जंचने वाली नहीं।

ये तीनों अपने-अपने तरीके से राजस्थान को लूटने और बरबाद करने पर तुले हुए हैं।

मैं दूसरा सवाल उठाना चाहता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। १५ तारीख को जवाब दिया था मन्त्री ने कि भारत सरकार की इजाजत से ली है। क्या भारत सरकार ने इजाजत दी थी ? पांच करोड़ की रकम मिली थी मशीनें खरीदने के लिये। और निश्चत तौर से कहा था कि जीपें मत खरीदिये। लम्बी कोरस्पोंडेन्स भी चलाई है। जब उन्होंने इन्कार कर दिया तो माथुर साहब तो बहुत बड़े क्लेवर हैं। इस तरह नहीं तो उस तरह से लेंगे। इस नाम से नहीं तो और नाम से। पहले दिन से ही सरकार के नाम से जीपें खरीदी गई थीं। और वे सब चुनाव प्रचार में काम आईं। लोगों ने आवाज उठाई कि सरकारी जीपें चुनाव प्रचार में काम आ रही हैं। तो ठेकेदारों के साथ एग्रीमेंट किये गये। कभी हायर परचेज की बात की। कभी कुछ। कैबिनेट की मीटिंग होती है। टेलीफोन से चीफ इन्जीनियर को कहा गया कि हायर परचेज पर लेना चाहें तो हायर परचेज पर नहीं तो सीधी दे दो क्योंकि जब तक ठेकेदारों को ओब्लाइज नहीं करेंगे तब तक जीपें नहीं मिल सकतीं। तो इसके बाद सरकार के सभी नियमों को तोड़ा गया। भारत सरकार की सलाह को भी ठुकराया गया। निर्माण के पैसे को राजनीति के खातिर अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए देश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया। अपने राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिये चुनाव जीतने के लिये सरकारी जीपों को इस तरह से ठेकेदारों के नाम करके उनका पूरा उपयोग किया गया। वे कहने के लिये कहते हैं कि वे ठेकेदार हमें भी दे सकते थे। मैं इससे कब इन्कार करता हूं। दे सकते थे। पर आज ये जो सेठिया लोग करोड़ों रुपया आपको देते हैं ये बिड़ला, डालमिया, साहू जैन ये आपको ही क्यों देते रहते हैं। क्योंकि सत्ता आपके पास है। सत्ता से ये लोग भी अपना उल्लू सीधा करते हैं। मुफ्त में दान ये भी आपको नहीं देते हैं। इसके बदले में सत्ता का दुरुपयोग आपसे यह करवाते हैं। ये भी अपने स्वार्थ साधने के लिए देते हैं। आपको देते जावेंगे, देते जा रहे हैं और जनता को लूटते जावेंगे और लूटते जा रहे हैं। आप भी ठेकेदारों की मदद लेते रहे हैं और आगे भी जब तक सत्ता पर रहेंगे लेते जावेंगे और वे देते जावेंगे। सत्ता से हटने के बाद ये एक पल भी आपको नहीं पूछेंगे। पर चुनावों के दिनों में ऐसा करने से भारत सरकार ने भी मना किया। तो आपने दुरुपयोग किया है सरकारी पैसे का जीपें खरीद कर। जीपें खरीदना, फिर उनको ठेकेदारों में बांट देना, सेल्स टैक्स वसूल करने न करने तक की परवाह नहीं करना। ये सब आपकी हरकतें मेरे आरोप को प्रमाणित करती हैं कि आपने यह सब कुछ राजनीति के लिये, अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धी के लिये किया। सड़कों की मुरम्मत/मंजूरी के लिए कतई नहीं। यह तो एक आड़ थी, बहाना मात्र था। जिसकी आड़ में इन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, अपना स्वार्थ पूरा किया। यह

(श्री रामकिशन)

तो हुआ इसका एक राजनैतिक पक्ष ।

इसका दूसरा आर्थिक पक्ष भी है । जब इन्जीनियरों ने देखा कि मन्त्रीजी खुद बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वे भी बहती गंगा में क्यों हाथ धोने से पीछे रहें । उन्होंने भी क्या किया । मन चाही मशीनरी खरीद ली । जिसकी जरूरत नहीं वह भी खरीद ली । उनके भारी-भारी कमीशन से अपनी जेबें गरम कीं । बहती गंगा में उन्होंने भी डटकर हाथ धोया । वे जानते थे कि मन्त्रीजी हम से कुछ कह नहीं सकते । वे कह सकते थे कि एक अनियमितता आप हमारे हाथ से करावेंगे तो हम भी अपने लिये कुछ करेंगे अब अगर आप हमें पकड़ेंगे तो हम भी आपकी कलई खोल देंगे ।

तो उन्होंने भी यह सब किया । जिन मशीनों की जरूरत नहीं थी उनको खरीदा । निर्माण मन्त्रीजी बाड़मेर गये होंगे । वहां पाइप पड़े हैं । तीन लाख के । जरूरत नहीं थी उनकी सड़कें बनने के बाद उन पाइपों के खरीदने का कोई अर्थ नहीं था, कोई सड़कों पर कोई फव्वारा तो लगाना नहीं था या ठंडी सड़क नहीं करनी थी । सड़कें बनने से पहले इनकी जरूरत समझ में आ सकती थी, पर सड़कें बनने के बाद तो आवागमन के साधन पानी पहुंचाने का साधन अपने आप ही बन गया । तो इस तरह से सड़कें बनने के बाद पाइप खरीदे गये । उनका उपयोग नहीं ।

इसी तरह ट्रैक्टर खरीदे गये । गंगानगर की फर्मों सौदे किये । बड़ी बड़ी रकमें उनको मिलीं । ठेकेदार और मन्त्रियों की जब चले तो अधिकारियों ने भी यह रास्ता निकाला । इनसे उनको इतना कमीशन मिला की दस साल के अन्दर भी पी. डब्लू. डी. में उनको नहीं मिला होगा । ३० चालीस करोड़ का बजट । जो ट्रैक्टर साधारण तौर पर २३ हजार में मिल रहा है उन्हीं को गंगानगर की फर्म से परचेज किया गया २५-२५ हजार में खरीदा गया । सारी लिस्ट को और इसकी पूरी कहानी को अगर बताऊं तो हर जगह भ्रष्टाचार स्पष्ट नजर आता दिखाई देगा । कहीं स्वदेशी कम्पनी है कहीं गंगानगर की अग्रवाल कम्पनी है । उन्होंने जितनी रेटें चार्ज कीं वे साधारण से कहीं ऊंची थीं । और इसका यह कारण था कि इन्जीनियरों को छूट मिल गई । निर्माण मन्त्री महोदय ने ठेकेदारों के साथ मिलकर जो जीप काण्ड किया तो इसको इन्जीनियर जान रहे थे तो उनको भी मन्त्री महोदय से न डर रहा न शंका रही । आप भी फायदा उठाओ, हम भी फायदा उठावें ।

मैंने एक बार निवेदन किया था । ये सारे काम सरकार ने किये । पर मजदूर, जिनके क्वार्टरों के निर्माण लिये पैसा आया था, वे मजदूर तो धूप में मरते आये हैं, मरते रहेंगे, अपन अपने बंगले बना लो इन्जीनियरों ने उस पैसे से अपने बंगले बना लिये ।

भारत सरकार ने इसलिए धन दिया था कि खुले में काम करने वाले, रहने वाले मजदूर लोगों के लिये हटें बना दी जावें । छोटे मोटे आवास बना दिये जावें जहां वे अपना मुंह छिपा सकें । पर उन पर कोई रहम नहीं किया गया । एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस पैसे से अपने लिए भवन बना लिया । कूलर और रैफ्रीजरेटर खरीद लिये । किसी को पता नहीं । मन्त्री को भी पता नहीं । मैं बताऊं सारा कानून में किया । साढे सात परसेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लिया । उस सारी

(श्री रामकिशन)

रकम को दूसरे लोगों से मिल कर हजम कर गये। सरकार के बड़े बड़े कर्मचारी इसमें शामिल हैं। मैं हरेक को बेईमान नहीं मानता। ईमानदार भी होंगे उनमें बहुत से। पर जिन्होंने जो कुछ किया उसके इतिहास में जावें तो जो करप्शन चीन में एक बडी सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति का कारण बना। उससे अधिक मात्रा में वह करप्शन यहां चल रहा है। वह किस क्रान्ति का सूत्रपात करेगा यह तो भविष्य ही बतायेगा।

पर अगर चीनके उस समय शासक चांग काई शेक भी अगर हिन्दुस्तानमें आकर यहांके इसकरप्शन को देखें,हम चाहते हैं उनको यहां आप बुलावें तो वे आश्चर्य में पड़ कर कहेंगे कि मेरे टाइम में इतना करप्शन तो चीन में भी नहीं था जितना राजस्थान सरकार ने अपने यहां पर पनपा रखा है। आप यहां चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग ले लें। ट्रान्सपोर्ट ले लें और कोई विभाग ले लें, पुलिस ले लें, यहां व्याप्त करप्शन का कोई सानी मिलेगा नहीं।

आखिर क्या होगा? हमारी चिन्ता नहीं हमको। हमें चिन्ता है कि भावी सन्तति पर आज को हिन्दुस्तान की राजनीति का क्या असर पड़ने वाला है। हमारे ये कारनामें इतिहास में जाने वाले हैं। नाम आपका रह जावेगा, वैसे तो आप भी चले जावेंगे, हम भी चले जावेंगे। पर हमारे ये कारनामें मुल्क की परम्परा को डालते हैं, सुधारते है, बिगाड़ते हैं। एक तरफ एक मुल्क है जिसकी परम्पराएं हैं जिसमें बिना लिखे हुए संविधान के छः छः साल काम चला रहे हैं। हर चीज के नियम बने हैं। हमारे यहां हर दिन रात कानून और नियम बनते हैं कागजों में लिखे जाते हैं हर दिन [illegible] और पास होते हैं। इस तरह से इतने कानूनों का जंगल खड़ा कर दिया पर ये जंगल जैसे जैसे कानूनों के खड़े होते जा रहे हैं वैसे ही काटने वाले मन्त्रियों को संख्या भी बढती जा रही है। वगैर किसी दुविधा के वे काटते जा रहे हैं। न परम्परा का खयाल न कानून का खयाल रहता है।

तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिये निष्पक्ष जांच कराने को तैयार है? मैं जानता हूं, आपका जवाब क्या होगा। इसकी जांच कराने को जरूरत नहीं, यह आपका जवाब होगा। पर इससे सन्तोष नहीं होगा। भारत सरकार को सन्तोष नहीं होगा। जनता को सन्तोष नहीं होगा। अगर आप जानकारी करावेंगे तो बेहतर होगा।

आप ये काम करते क्यों हैं? इसका भी कारण है। जेल में तो रहे हुए हैं माथुर साहब, और कोई रहा हुआ है या नहीं मुझे पता नहीं, पर माथुर साहब रहे हुए हैं। वे जानते हैं। शोभा रामजी भी रहे हुए हैं। वहां हैड वार्डन होता है। उसका कर्म बड़ा विलक्षण है। सुखाड़ियाजी उस हैड वार्डन की तरह हैं। जेल में हम भी रह रहे हैं। हमारा भी हैड वार्डन से सामना पड़ा है। वह क्या करता है, खुद जुर्म करता है और वार्डनों को भी उनको अधिक पसन्द करता है जो जुर्म करते हैं। तो हैड वार्डन ने अपने वार्डनों से जैसे कहा वैसे सुखाड़ियाजी माथुर साहबसे कहते रहते हैं तुम मेरी गुलामी करते रहो। तुम पाप करते रहोगे तो मेरे पैरों पड़ते रहोगे। तो इस तरह से यह पाइप की जिम्मेदारी इन जीपों के काण्ड की जिम्मेदारी निर्माण मन्त्री पर नहीं है। मुख्यमंत्री

(श्री रामकिशन)

पर है। वे चाहते हैं कोई न कोई चपेट में आता रहे ताकि कहने का मौका उनके पास भी रहे कि एक यह तुमने गलती की नम्बर बाई नम्बर उनको दबाये रखने के लिये। अफसोस हमें इतना ही है कि माथुर साहब सरीखे बुद्धिमान आदमी भी उनके चक्कर में आ गये जो बुद्धि के मामले में उनके मुकाबले नहीं हैं। पर आ गये माथुर साहब भी उनके चक्कर में और दे बैठे अपनी नकेल उनके हाथ में केवल अपनी राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिये। मुख्य मन्त्री पर दबाव डालने के लिये ले आये टूटे फूटे वे भी चार पांच आदमी अपने साथ। दो एक अच्छे समझदार चमकदार। इसी का नतीजा है मन्त्री पद पर बैठ गये। मुझे इससे नाराजी नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि वे काम करें।

वे बड़ी सिद्धांत की बात करते हैं। पर कहीं सिद्धांत के दर्शन तो हों। कारण हर जगह गड़बड़ी। जीप खरीद में गड़बड़ी। मशीन खरीद में गड़बड़ी, इन्जीनियरों की गड़बड़ी, हर जगह गड़बड़ी और गड़बड़ी में नहीं कह रहा हूं। व्यक्तिगत गड़बड़ी का तो जवाब व्यक्तिगत रूप में दे दिया जावेगा जब सरकार बदलेगी। पर राजनैतिक गड़बड़ियां ऐसी हैं जिनका निराकरण करना मुश्किल है। इन राजनैतिक गड़बड़ियों का निराकरण तो देश की जनता और यह सदन ही कर सकते हैं इन राजनैतिक गड़बड़ियों का निराकरण करना हमारा पवित्र कर्त्तव्य होना चाहिये इसलिये कठोर बातें होते हुए भी इनको सदन में उठाना ही पड़ेगा। खासकर कांग्रेस के उन सदस्यों से जो कांग्रेस के सिद्धांतों में थोड़ी बहुत आस्था रखते हैं। वे मजबूर करें मन्त्रियों को ऐसे काम नहीं करने के लिये। नहीं करेंगे तो द्वारकाप्रशाद मिश्र को पता लग गया। आप निश्चित रहें ऐसे कारनामे करते रहे तो पांच वर्ष आपके दल की सरकार भी कायम नहीं रह सकती। (तालियां)

कल मैंने मैन काइन्ड में एक आर्टिकल पढ़ा। विदेशी लोगों की अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं हिन्दुस्तानियों की लिखी अंग्रेजी नहीं पढ़ता इसमें खास तौर से इंगित किया गया है कि पांच वर्ष तक दिल्ली की सरकार भी नहीं रह सकती। इसका कारण उस लेखकार ने काफी विस्तार से बताया है। वह कटिंग मैं माथुर साहब आपको पढ़ने के लिये भेज दूंगा आज कांग्रेस सरकार के पीछे बैठने वाले जो लोग हैं जिनमें कुछ कांग्रेस के सिद्धान्तों के प्रति थोड़ा मोह बचा रह गया है जो पुराने हैं जिन्होंने उस युग में थोड़ा त्याग किया है आज सरकार की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। वे भी समझ रहे हैं कि सरकार गलत दिशा में जा रही है। वे भी समझ रहे हैं कि आज अनर्थ हो रहा है। अगर पीछे बैठने वालों को यह विश्वास हो जावे कि आज तो पाप का वजन ढो रही है यह कांग्रेसी सरकार तो देश की जनता को इस पाप से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो कांग्रेस के उन माननीय सदस्यों से जिनसे मेरे दोस्ती के सम्बन्ध भी हैं, भाई चारा भी है, उनसे मेरा कहना है कि इन मन्त्रियों को वे स्थायी नहीं समझें देखा कितने आये, चले गये। मुख्य मन्त्री कितने आये चले गये। नाम भी नहीं जानते लोग आज उनके समय आ सकता है जब आप विरोधी वर्ग में बैठेंगे। सीधे सादे लोग थे जोश में कुछ कह गये।

आपने जोश में कह दिया। वे भी गायब हुए। नवाब साहब माथुर साहबसे बचे नहीं। चार छः महीने से अधिक नहीं रहने वाले।

(श्री रामकिशन)

हैं। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारे तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा टूटता है एक और तुम्हारे टूटेंगे ४६। बालू की दीवार है। हमारी पक्की दीवारमें से सीम निकलती आपकी दीवार तो बालू की होने से ढह जावेगी। हमारी दीवार की एक ईंट जाती है लेकिन आपकी दीवार तो ढहने ही वाली है। इसलिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सारे मामले इस ढंग से सोचें। निर्माण मंत्री जवाब देने वाले हैं, वे वित्त मंत्री के चक्कर में न आवें। इनके चक्कर में आये सब गये। आप खुदा से डरते हैं। मेरे लिये ईश्वर का सवाल नहीं है। आप हिम्मत रखें। आप इसकी निष्पक्ष जांच करायें। जो दोषी हों उनको सजा दें चाहे माथुर साहब दोषी हो, सुराणा साहब दोषी हों, में दोषी हूं। हम हटा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जावेगी। देश में मंत्रिमंडल तो बनेंगे ही। इसलिए आप दबें नहीं नवाब साहब। हम सब आपका साथ देंगे। आप दब गये और माथुर साहब की पगडंडियों में आकर फंस गये तो कुछ नहीं। आप सच्चाई के साथ कहें कि इन इन चीजों का मुझे पता है। बाकी की सब चीजों का भूतपूर्व निर्माण मंत्री जी को पता है। लोकतन्त्र में परम्परायें रहेंगी। मंत्रिमंडल तो बनते हैं और बिगड़ते हैं। मंत्री बनते हैं और चले जाते हैं। लोकतन्त्र रहेगा तो आप भी मंत्री रहेंगे। लोकतन्त्र नहीं होगा तो असेम्बली और मंत्री कहां से रहेंगे। मंत्री बनने का कहीं नम्बर नहीं आवेगा। मुझे बाडमेर से मतलब नहीं। ठेकेदार से मतलब नहीं। परिवार से ठेकेदार का सवाल ही नहीं है। चुनाव में हार गये या जीत कर आ जावेंगे उससे भी कोई सरोकार नहीं है। निर्माण मंत्री जी कहते हैं कि चुनाव में हार गये। इसलिये चर्चायें लाते हैं इस प्रकार की। इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। चुनाव में हार जीत तो होती ही रहती है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ठेकेदारों को जीपें दी। नाम बताऊं तो क्या वे इन्कार कर देंगे? करणसिंह सांखला। इन्होंने कोई दरख्वास्त दी हो तो बता दीजिये। गुलाराम ठेकेदार इसने कोई दरख्वास्त दी हो तो बता दीजिये, बुधाराम इन्होंने कोई दरख्वास्त दी हो तो बता दीजिये, सुरेश कम्पनी इन्होंने कोई दरख्वास्त दी हो तो बता दीजिये। इन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। इनको दो दो जीपें दीं। चीफ इन्जीनियर ने मजबूर किया। मंत्री जी को चुनाव जीतने के लिये जीपें दी। न तो ठेकेदार के लिये इनकी आवश्यकता थी। ये चुनावों के लिये लीं। और माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में बोलने वाले हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। वे भी तथ्य लाये हैं। कीमत के लिए अर्ज किया खरीद के लिए नियम उपनियम बने हुए हैं उनकी अवहेलना की गई। मनमाने ढंग से सामान खरीदा गया ट्रेक्टर सबके सब बेकार पड़े हैं। दो हजार ज्यादा दिये। जितने ठेकेदारों ने खरीदे ७० परसेन्ट पहले ही दिन खराब हो गये। मरम्मत के लिये आये तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही बहुत चन्दा दे दिया है। चन्दा ले लो या मरम्मत करा लो। यह सारी अपराध पूर्ण कार्यवाही की उसके लिये राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं कर सकती। पी. डबल्यू. डी. में भ्रष्टाचार थोड़ी मात्रा में बढ़ गया तो क्या। असिस्टेन्ट इन्जीनियर दस परसेन्ट लेता है। माथुर साहबने चुनावके लिए ले लिया तो क्या सीमा का सवाल है। सीमा नहीं रही तो माथुर साहब आप मंत्री नहीं रहेंगे।

(श्री रामकिशन)

सीमा के लिये अपराधपूर्ण कार्यवाही की गई है उसकी खुले रूप में जांच हो जानी चाहिये। जांच नहीं होगी तब तक संतोष नहीं होगा। उत्तर तो आपके हमसे बहुत सुन लिये हैं। सेल्स टेक्स का कह दें पेमेन्ट कर दिया। जीपों की कीमत वापिस नहीं होने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार पर दबाव डाल कर भारत सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय। यह जीपें केवल राजनैनिक लाभके लिये खरीदी गईं। सीमावर्ती सड़कों की क्वालिटो को खराब किया गया। मंत्री महोदय ने गड़बडो को तो इन्जीनियर ने सोचा, ठेकेदारों ने सोचा बहती गंगा में हाथ धोग्रो। जैसलमेर बाडमेर रोड की हालत देखी है ? क्या हालत हो रही है ? व्यक्तिगत कोई भी मेरा उनसे द्वेष नहीं है, न हो व्यक्तिगत कोई मामला है उनका। यह तो राजनैतिक मामला है। राजनैतिक मामलों की सफाई जनता के द्वारा ही होगी २५ तारीख का रटा रटाया जवाब हमने आपका सुन रखा है। बोर्डर रोड पर काम होना था। उनकी जानकारी में क्या ये जीपें खरीदी ? भारत सरकार की बगैर इजाजत के क्यों खरीदीं ? भारत सरकार ने मना किया था फिर किस फन्ड से खरीदी थीं ? इन सबका उत्तर देकर लोकतन्त्र की परम्परा का निर्वाह करें। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में ऐसा प्रावधान तो नहीं है। पूर्व सूचना....

श्री भैरोंसिंह : सूचना दी है।

श्री रामकिशन : आप यकीन रखिये कि बगैर नियमों के हम लोग चलने वाले नहीं हैं। आमतौर हमारा दल बगैर नियमों के चलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में परसों विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया था कि राजस्थान की सरकार अकाल के पैसे का राजनैतिक आधार पर किस प्रकार से दुरुपयोग करती है। आज यह सौभाग्य की बात है कि विरोधी दल को पूरा अवसर मिला है कि वह सदन में इस बात को भी स्पष्ट कर दे कि सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में सरकार किस प्रकार राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा और उसमें विशेष तौर से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र संचार व्यवस्था के कारण इतने अनडेवेलप्ड हैं कि इसको यहां कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक मानी हुई बात है कि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत ने पिछले २० वर्षों में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर इन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की है और उसी उपेक्षा का लाभ पाकिस्तान ने समय समय पर उठाया है और १९६५ में संघर्ष में तो पाकिस्तान ने हमारे इस अभाव का, कमी का किस प्रकार लाभ उठाया वह राजस्थान और हिन्दुस्तान का प्रत्येक बच्चा जानता है। हम यह मान कर चलते थे, १९६५ में हमें जिस प्रकार का सबक मिला उससे हम शिक्षा लेंगे और उस शिक्षा के

(श्री भैरोंसिंह)

आधार पर सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति को सुदृढ़ बनायेंगे। हम आज तक यह कहते आ रहे थे कि हमारे पास धन का अभाव है इस कारण हम सड़कों का निर्माण नहीं करवा सके। इसी प्रश्न को लेकर भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच भी कई दिनों तक बात-चीत चली और अन्त में यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां २७ सड़कों का निर्माण कराया जाय और उस निर्माण के लिये भारत सरकार ने लगभग ३० करोड़ की स्वीकृति दी। अब इस स्वीकृति के पश्चात् प्रश्न यह पैदा हुआ कि यह काम भारत सरकार की मार्फत यह काम कराया जाय। राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच इस सम्बन्ध में समझौता हुआ। और उसी समझौते के आधार पर निर्णय लिया गया। निर्णय यह हुआ था कि भारत सरकार सड़कें बनायेगी राजस्थान के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में और सड़कें बनाने का दायित्व होगा राजस्थान सरकार का। राजस्थान की सरकार ने उसी के आधार पर एक बोर्डर रोड आर्गेनाईजेशन का निर्माण किया और कई अधिकारियों को उसमें नियुक्त किया और रोड्स का जिस प्रकार से जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, रोड्स के निर्माण का कार्य संतोषजनक शीघ्रातिशीघ्र किस प्रकार से शुरू हो, उस संबंध में उस बोर्डर रोड आर्गेनाईजेशन को आवश्यक हिदायतें थी, वे हिदायतें जारी की गई। इन सबके बावजूद आज से कुछ दिनों पहले जब भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने लोक सभा में यह बताया कि १८५६ माईल सड़क जिसका निर्माण इस बोर्डर रोड आर्गेनाईजेशन के जरिये किया जाना था उसके स्थान पर केवल ३२५ माईल रोड का ही निर्माण हुआ है। उस स्टेटमेंट के बाद हिन्दुस्तान के लोगों को नजरें राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ी हैं और उस हालात को देख कर राजस्थान सरकार को उलाहना भी दिया है, आलोचना भी की और बदकिस्मती तो यहां तक रही कि राजस्थान सरकार की इस अकर्मण्यता कहें या अयोग्यता कहें, इन सबके कारण पूरे राजस्थान स्टेट का जो नक्शा लोक सभा में प्रस्तुत हुआ उससे लोक सभा में बैठने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के दिमागों में भी निश्चित रूप से यह इम्प्रेशन पैदा हुआ कि हमने राजस्थान सरकार को राजस्थान बोर्डर रोड आर्गेनाईजेशन को जो काम बोर्डर रोड्स के कंस्ट्रक्शन का दिया है उसमें संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, हमने कोई इसमें गलती तो नहीं कर दी है। उसका परिणाम यह हुआ है कि जहां हमें छः करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई थी उसकी जगह केवल साढ़े तीन करोड़ की धनराशि मिली है। यह भी राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता का बहुत बड़ा सबूत है और यदि मैं यह कहूं कि इस अकर्मण्यता और अयोग्यता के कारण भारत सरकार ने छः करोड़ रुपये से घटा कर साढ़े तीन करोड़ की धनराशि निर्धारित कर सजा तो राजस्थान सरकार को दे दी है। राजस्थान सरकार के बारे में भारत सरकार की यह धारणा रही है कि राजस्थान सरकार निकम्मी रही है, राजस्थान सरकार का पी. डब्ल्यू. डी. निकम्मा रहा है। राजस्थान की सरकार के अन्दर करप्ट एलीमेंट्स हो सकते हैं। राजस्थान सरकार में सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन यह प्रश्न तो सीमा का प्रश्न है। हम केवल राजस्थान सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें

Page No. 126

(श्री भैरोंसिंह)

सीमा सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर काम करना है और छः करोड़ रु० से घटा कर केवल साढ़े तीन करोड़ कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने भी दूरदर्शिता से काम नहीं लिया है और राजस्थान के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं चाहूंगा इस सदन के मार्फत हम भारत सरकार से निवेदन करें कि भारत सरकार स्वयं अपने कारनामों को देख ले। नेफा का बोर्डर रोड़ आर्गेनाईजेशन बना था। नेफा में जिस समय लड़ाई हुई उस समय वे रोड्स किस प्रकार लाभदायक और किस प्रकार से सहयोगी बन सकीं वह तो भारत सरकार ने जो जांच कराई थी उस जांच रिपोर्ट से पता लगेगा। इसका मतलब यह नहीं था कि भारत सरकार ने नेफा में सड़कें बनाने का काम धीमा कर दिया हो या वहां की धनराशि कम कर दी हो। यह दुर्भाग्य की बात है की राजस्थान की सरकार इन-इफेक्टिव रही है सुरक्षा के मामले में और राजस्थान की जनता भी इतनी सेंसेटिव नहीं है। यदि राजस्थान की सरकार थोड़ी रेसपोंसिबल होती और जनता इस प्रश्न पर थोड़ी सेंसेटिव होती तो मैं यह मानकर चलता हूं कि भारत सरकारकी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि हमारे जो प्रोजेक्टेड प्लान हैं उन प्रोजेक्टेड प्लान के अन्दर जो धनराशि निर्धारित की थी उस धनराशि को कम कर दे। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन कम से कम एकमत से भारत सरकार से प्रार्थना करे कि जिन रोड्स की धनराशि को भारत सरकार ने कम किया है वह कमी की हुई धनराशि वापिस राजस्थान सरकार को रेस्टोर की जाय ताकि सड़कों के निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इन रोड्स के कन्स्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ मशीनरी खरीदने का प्रावधान किया। मशीनरी खरीदने में दो सौ रोड रोलर्स के लिए १ करोड़ २७ लाख की स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार से राजस्थान की सीमा सड़कों के निर्माण के लिए मशीनरी को खरीदने के लिए ५ करोड़ ९२ लाख रुपये की स्वीकृति भारत सरकार से मिली। १९६५-६६ के अन्दर ५ करोड़ ९२ लाख में से केवल २ करोड़ २४ लाख ७० हजार रुपये खर्च हुए और ६६-६७ में ८८ लाख खर्च किये गए। इसी प्रकार से रोड रोलर्स के लिए १ करोड़ २७ लाख की धनराशि मिली थी उसमें से हमने केवल ६५-६६ में ६ लाख ३५ हजार का खर्चा किया। जहां तक मशीनरी को खरीदने की जो स्वीकृत धनराशि थी, जो खर्चा करने को हमें मिला था वह सारी धनराशि हम किस प्रकार से खर्च कर पाये हैं, अब उसका नक्शा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की सरकार ने मशीनरी खरीदी बीकानेर की सड़कों के लिए ४८ लाख रुपये की और जोधपुर सेक्टर के लिए १ करोड़ ४ लाख की मशीनरी खरीदी, इस प्रकार कुल मिलाकर १ करोड़ ९३ लाख की मशीनरी राजस्थान सरकार के बोर्डर रोड आर्गेनाईजेशन से खरीदी और ७८ लाख का माल भारत सरकार के ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट से मिला। इसी प्रकार से एक अप्रेल, १९६७ के बाद हमने १४ लाख ४ हजार रुपये की

(श्री भैरोंसिंह)

मशीनरी और खरीदी है। उस हिसाब से, उपाध्यक्ष महोदय, सारी मशीनरी जो हमने खरीदी है वह आती है २ करोड़ ३१ लाख रुपये की। यह मशीनरी के आंकड़े में दे रहा हूं वह तो मेरी स्वयं की जानकारी पर आधारित हैं लेकिन इस बजट के आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस २ करोड़ ३१ लाख की जो मशीनरी खरीदी गई है, बजट के आंकड़ों के आधार पर यह २ करोड़ ३१ लाख का कोई प्रावधान नहीं मिलता, वह प्रावधान है केवल १ करोड़ ११ लाख रुपयों का, अब जो १ करोड़ ११ लाख का प्रावधान जो बजट में बताया गया है उसके अगेंस्ट में हमने २ करोड़ ३१ लाख की मशीनरी खरीदी। इसका मतलब यह है कि बजट के आंकड़ों के अन्दर और वास्तविक एक्सपेंडीचर जो हुआ है उस एक्सपेंडीचर के अन्दर ९८ लाख का अन्तर आता है। अब यह मोटा अन्तर किस प्रकार से पैदा हुआ है वह तो माननीय मंत्रीजी बतायेंगे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमने सामान खरीदा है और जितना अमाउन्ट इसमें बताया है इसका कारण यही हो सकता है कि शायद कुछ ज्यादा अमाउन्ट दिखाने से जनता उसकी एक एक डिटेल में जाने की कोशिश करेगी, जनता पता लगायेगी कि किस किस जगह पर घपले हुए हैं, जनता पता लगायेगी कि कहां कहां पर स्कण्डल हुए हैं और बजट के आधार पर फिगर्स चेक करेगी। ये सारी चीजें सामने थीं। तो मैं चाहूंगा कि यह बताया जाय कि इस सारे मामले के अन्दर बजट के अन्दर जो फिगर्स दिखाये गये हैं और जो एक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ है उसके अन्दर यह ९८ लाख का अन्तर कैसे आता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इसके अन्दर इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किस प्रकार से सामान खरीदा है जैसा मैंने आपको कहा कि इस १ करोड़ ९३ लाख के सामान में ७८ लाख का सामान जो हमें भारत सरकार से मिला है। वह शामिल नहीं है, अब इसमें से ५१ लाख का सामान ठेकेदारों को दिया गया है जिसमें जीप्स, ट्रेक्टर्स, ट्रक्स और ट्रोलीज भी शामिल हैं, ये सारा सामान उसमें शामिल है। तो इस १ करोड़ ९३ लाख के सामान में से ५१ लाख ८४ हजार का माल ठेकेदारों को दिया है, अब बाकी के माल का उपयोग किस प्रकार से हुआ है उसका अन्दाजा आपको लगाना पड़ेगा। बाकी का माल कहां पड़ा है और बाकी के माल के उपयोग के लिए सरकार ने कौन से नियम बना रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो हमारी राजस्थान सरकार कहती है कि हमने हायर परचेज सिस्टम के आधार पर ठेकेदारों को सारी मशीनरी दी है। तो फिर आज जो सामान बचा हुआ है उसको हायर परचेज सिस्टम के आधार पर क्यों नहीं लोगों को देते। आज एक करोड़ का सामान बचा हुआ है उसको हायर परचेज सिस्टम के आधार पर क्यों नहीं दे देते। यह हायर परचेज सिस्टम को इलेक्शन के टाइम पर ही इण्ट्रोड्यूस क्यों किया गया ? इस हायर परचेज सिस्टम को क्यों इण्ट्रोड्यूस किया है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है उस राज को भी मैं सदन में रखना चाहूंगा।

Page No. 128

श्री उपाध्यक्ष : में एक सूचना दे दूं । आज ५ बजे के बाद कामन वेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसियेशन की बैठक है वह भी यहीं पर होगी। यह में माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कह रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो डिबेट खत्म होने के बाद होगी।

श्री उपाध्यक्ष : में आपको इत्तला दे रहा हूं। उसके बाद में सदन की अनुमति हो तो कुछ समय बढ़ाया जाय। डिबेट तो हर हालत में रेगुलेट करनी हो पड़ेगी। इसलिए सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भैरोंसिहजी ठीक ५ बजे समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत इम्पोर्टेंट है असेम्बली की बैठक होने वाली नहीं है अब।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद में मीटिंग है इसलिए आधे घण्टे तक का समय बढ़ाया जाता है। ५ बजे तक आप बोलेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न आता है कि यह सामान खरीदा वह किस प्रकार से खरीदा ? सामान खरीदने के दो तरीके हैं—एक सामान डी० जी० एस० डी० के रेट्स पर खरीदें और दूसरा सामान खरीदा आपने टेन्डर से। डी० जी० एस० डी० की रेट्स से जो सामान खरीदा और आपने टेन्डर से जो सामान खरीदा, उस सामान को यदि आप देखें और उसका यदि आप कम्पेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करें तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कुछ सामान ऐसा था कि जिसकी भारत सरकार द्वारा निर्धारित रेट्स, डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एण्ड डिसपोजल है उसके द्वारा निर्धारित रेट्स हैं उन रेट्स के आधार पर हमने सामान नहीं खरीदा, बल्कि उसके लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये, उसके लिए कोटेशन्स इन्वाइट किये गये। जब डी० जी० एस० डी० का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो भी मशीनरी खरीदी जाय वह डी० जी० एस० डी० की रेट के आधार पर खरीदी जाय। इसलिए हमने चीफ इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० को, सेन्ट्रल परचेज ऑफ स्टोर्स आर्गनाईजेशन जिसका फाइनेन्स कमिश्नर चेयरमैन होता है और राजस्थान की सारी ब्लाक परचेजेज वह उस आर्गेनाईजेशन की मार्फत होती है, उसके पास यह अधिकार नहीं रखकर चीफ इन्जीनियर को यह अधिकार दिया है, और चीफ इन्जीनियर को डी० जी० एस० डी० को निर्धारित रेट्स के आधार पर सामान खरीदने का अधिकार दिया है, तो दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि बाकी कितने मूल्य का सामान चीफ इन्जीनियर के द्वारा क्या टेन्डर के आधार पर खरीदा जा रहा है ?

मैं माननीय उपाध्यक्ष, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या टेन्डर का नोटिस आपने जारी किया ? क्या टेन्डर का नोटिस अखबारों में छाया कराया ? क्या टेन्डर का नोटिस गजट में छाया कराया ? क्या आपने टेन्डर का नोटिस आपका जो सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय है उस कार्यालय ने अखबार वालों के पास भेजा ? केवल एक काम हुआ कि कुछ अधिकारियों ने मिलकर पी० डब्ल्यू० डी० के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया, और उस नोटिस को देखकर जो

(श्री भैरोंसिंह)

इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति थे जिनको पता लगा कि सुबह नोटिस लगने वाला है, उस नोटिस के आधार पर उसको देख लिया और देखने के बाद रेट्स कोट कर दिये, और रेट्स कोट करने के पश्चात् अधिकारियों ने उस सामान को खरीदा। उस खरीद में भी आज यह स्थिति है मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारियों ने जो रेट्स दी हैं, जिन रेट्स पर मशीनरीज को खरीदा गया है तो नाम कम्पनियों का दिया गया है जो कि उनको मैन्यूफैक्चर करने वाली हैं कि इस कम्पनी का यह माल है मैं दावे के साथ कह सकता हूं और माननीय मंत्रीजी इस चुनौती को स्वीकार करें कि जिन कम्पनियों के नाम से ये एसेसरीज और छोटा-मोटा सामान, जैसे हुड है, जैसे हुक है, इस प्रकार का जो समान खरीदा गया है वह सामान उन कम्पनियों का बना हुआ है नहीं। वह यहां निर्मित हुआ है और उस सामान को कम्पनियों का बताकर दिया गया। एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि हुक की रेट कम्पनी की ४५० रुपया है, मगर ४५० रुपये के आधार पर हुक खरीदा है वह जोधपुर का हुक है और वह वहां पर ७५ रुपये में बनाते हैं। वह हुक सरकार को बेचा गया है जो ७५ रुपये में बनता है और सरकार से ४५० रुपये वसूल किये गये हैं। इसी प्रकार आर० टी० ओ० हुक जोधपुरके बाजारमें आज कोई बनवाना चाहे तो वह बनवा सकता है वह हुक कम्पनी से नहीं आया है। उस हुक के २५० रुपये कम्पनी की रेट के दिये गये हैं। इसी प्रकार से ३०० रु० के पोमे की कीमत ९०० रुपये कम्पनी की रेट दी गई है। लेवलर २००० का था उसकी कीमत २८०० रुपये दिये गये। यह छोटा-मोटा सामान जो डी० जी० एस० डी० की निर्धारित रेट्स में नहीं है वह टेन्डर से खरीदा जाना चाहिए था तो टेन्डर के अन्दर हैल्दी कम्पीटिशन नहीं था, और हैल्दी कम्पोटिशन होकर आज सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है व नुकसान पहुंचाया गया है।

मैं उदाहरण के तौर पर इस सदन के सामने ट्रेक्टर्स का मामला रखना चाहता हूं। हमारी राज्य सरकार ने ट्रेक्टर्स खरीदे तो डी० जी० एस० डी० की निर्धारित रेट्स पर नहीं खरीदे, मगर ट्रेक्टर्स खरीदे गयेटेन्डर के आधार पर। हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स की कीमत जो भारत सरकार ने निर्धारित की है एक लैटर भारत सरकार का इस सम्बन्ध में है। तो यदि सदन के माननीय सदस्य जानना चाहें तो भारत सरकार का लैटर भी मेरे पास है, जिस लेटर के आधार पर इन ट्रेक्टर्स की कीमत २१,८८८) रु० निर्धारित की गई है। राजस्थान सरकार ने ५१ ट्रेक्टर्स खरीदे और ५१ ट्रेक्टर्स की कीमत प्रति ट्रेक्टर २३,११२) रु० का भुगतान किया। (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) वह किस प्रकार ? भारत सरकार द्वारा रेट्स निर्धारित की गई हैं और राजस्थान सरकार ने जिस रेट से खरीदा तो एक ट्रेक्टर पर १२३२ रु० का अन्तर आता है और ५१ ट्रेक्टर पर ६७ हजार रुपये का अन्तर आता है।

इसी प्रकार एक दूसरी कम्पनी से, अग्रवाल ट्रेक्टर से २९ ट्रेक्टर खरीदे वहां पर उनकी कीमत दी २५,५०७)रु. जब कि इनकी अनुमन देना चाहिए भारत सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार २१,८८७) रु०। इस प्रकार एक ट्रेक्टर पर ३२२७ रुपये का

(श्री भैरोंसिंह)

अन्तर रहा और २६ ट्रेक्टर्स पर १४,३०२) रु० का अन्तर रहा (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) । आज राजस्थान सरकार कहती तो

(४.५५ म.प.)

(श्री जसवन्तसिंह नाहर, सभापति, पदासीन)

है कि हमने ईमानदारीसे सब चीजों को खरीदा है । उदाहरणके रूप में मैंने दो बातें आपके सामने रखीं हैं । मैं यही कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि सामान डी० जी० एस० डी० की रेट लिस्ट पर नहीं था, सामान निर्धारित रेट पर खरीदा नहीं गया । सामान मनमाने ढंग से खरीदा गया है जैसे सरकार किसी में इन्ट्रेस्टेड हो, हरेक में इन्ट्रेस्टेड नहीं है महकमे में यह चलता है कि उस आदमी से खरीदना है । मैंने, सभापति महोदय, वह लिस्ट देखी है । इस लिस्ट में डी० जी० एस० डी० की रेट्स नहीं हैं वह सारा अधिकांश सामान जोधपुर से खरीदा गया है । यह इसलिए मैं समझता हूं कि कि जोधपुर के लोगों से खरीदा गया है ! जब ब्लॉक परचेजेज होती हैं तो साधारणतया एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है । उसका विज्ञापन कराया जाता है । समाचार पत्रों, बजट के माध्यम से जो कि सामान्य प्रक्रिया है एडवर्टाइजमेंट की. वह एडवर्टाईजमेंट की प्रक्रिया हम करते हैं । दुर्भाग्य की बात है कि यह जो प्रक्रिया है उसका हमने इसमें पालन नहीं किया । सारा अधिकांश सामान उन फर्म्स से खरीदा गया है जिन फर्म्स के माननीय मंत्री महोदय का, भूतपूर्व निर्माण मन्त्रीजी नाराज नहीं हों तो मैं यह कहूं, उनसे सम्बन्ध है, उन लोगों को प्लीज करने की गरज से यह सामान आपने उनसे खरीदा है । यदि आप यह कहें कि कम्पेरेटिव स्टेटमेंट तैयार हुआ था । लोएस्ट रेट को मन्जूर नहीं करने के बारे में सभी प्रार्थना पत्रों को रेकार्ड किया गया था, एडवर्टाइजमेंट समय पर कराया गया था, तो मैं अपनी भूल को स्वीकार करने को तैयार हूं । लेकिन माननीय मन्त्री महोदय इस बात के लिए तैयार हो जायं कि राजस्थान सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के नियम बना रखे थे आपने उनकी अवहेलना की है । अवहेलना करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की गरज से इस एडवर्टाइजमेंट के काम के अन्दर कोताई की है । कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के आधार पर कुछ फर्म्स के ही कोटेशन्स और टेन्डर आयें इस नियत से उनसे सामान खरीदा है ।

मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय यह कहने लगें कि जो जीप्स परचेज हुई हैं उन जीप्स की परचेजेज हमने सुपरवीजन के लिए की थीं । इसमें जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से गलती हो गई है, शायद उन्हें मालूम हो कि नहीं हो, उन्होंने कहा कि ५० जीपें खरीदी गईं । वह ५० जीपें नहीं बल्कि १०५ जीपें हैं वह खरीदी गई हैं....

श्री रामकिशन : नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास लिस्ट है । आपके पास भी कागज सरकारी हैं और मेरे पास भी सरकारी कागज हैं । घर के कागज

(श्री भैरोंसिह)

तो मेरे पास भी नहीं है। १०५ जीपें खरीदी गई, पर उन १०५ जीपों के अन्दर, सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जीपों की रेट्स भारत सरकार द्वारा डी० जी० एस० डी० की रेट्स निर्धारित हैं, लेकिन एक्स्टेन्डेड जीपों की नहीं हैं। खास तौर से चूंकि एक्सटेन्डेड जीपों की रेट्स निर्धारित नहीं हैं इसलिए राजस्थान सरकार ने एक्स्टेन्डेड जीपों की खरीद की। उन एक्स्टेन्डेड जीपों की कीमत तय करने की क्या प्रक्रिया थी ? क्या टेन्डर इन्वाइट किये गये ? क्या कोटेशन्स इन्वाइट किये गये ? न टेन्डर इन्वाइट किये गये और न कोटेशन्स इन्वाइट किये गये, बल्कि सरकार ने अपनी स्वीट विल से कि एक्स्टेन्डेड जीपों की इतनी कीमत दी जायगी यह तय किया और कीमत दे दी गई। इतना ही नहीं, इन जीपों के अन्दर से ५० जीपें कान्ट्रेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई। माननीय सदस्य ने कहा था कि जनवरी और फरवरी के इन दो महीनों के अन्दर अधिकांश रूप में इन जीपों का वितरण किया गया, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आज माननीय मंत्री महोदय कहते हैं अपने स्टेटमेंट के अन्दर कि जीपों की खरीद सुपरवाइजरी काम के लिए की गई है, उनके कहने में कन्ट्राडिक्शन है। मैं सदन को सुनाना चाहूंगा। आपने कहा, "मैं निवेदन करना चाहता हूं" माथुर साहब का स्टेटमेंट है। "मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्योरली ठेकेदारों की प्रोपर्टी है। जिसका पैसा था जिसको देना चाहिए था। राज्य सरकार ने ये जीपें बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट के अन्दर रोड्स के प्रोग्रामको एक्सपीडिशियसली एक्जीक्यूट कराने के लिए ठेकेदारों को दी थीं। उनसे पूरा पैसा जितना जीपों पर लगना चाहिए था मय ब्याज के वसूल किया। पैसा वसूल करने के लिए जो प्रक्रिया थी हमने यह प्रक्रिया अपनाली।" तो मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है, "यह एक आदमी का सवाल नहीं है कि जो ठेकेदारों की जीपें थीं जो बोर्डर रोड्स की तरफ थे उनसे जीपें मंगाकर चुनावों में काम में लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी में नहीं ले सकता हूं। यह तो ठेकेदार की मरजी है कि अपनी जीप किसी को दे दें।"

(५ म० प०)

तो वह अपनी जीप किसी को चुनाव में दे दें। इसका मतलब यह है कि जीप खरीदने के पीछे जो आडम्बर बनाया कि हम केवल सुपरवीजन के काम को करने के लिए जीप कान्ट्रेक्टर्स को देना चाहते हैं, जीप देने के पीछे सुपरवीजन का सवाल नहीं था बल्कि उसकी स्वीट बिल पर छोड़ने का सवाल था। उसकी मर्जी आये तो वह जीप को बेच दे, उसकी मर्जी आये तो वह जीप के ब्लेक से पैसा कमाये, उसकी मर्जी आये तो जीप को किराये पर चलाये और उसकी मर्जी आये तो वह चुनाव के काम के लिए किसी को मुफ्त में दे दे। तो जो आपका सुपरवीजन के काम के लिए जीप देने का परपज था, वह क्या केवल आपके शब्दों से ही सम्पन्न हो जाता है। आपने यह भी कहा कि हमने जीप ठेकेदार की रिक्वेस्ट पर दी। लेकिन आपने किसी ठेकेदार को तो दो दो जीप दे दीं, कई को एक एक जीप दी।

अब में थोड़ा सदन को यह कहना चाहूंगा कि किसी कांग्रेसी ने ठेकेदार के पैसे से चुनाव लड़ा, जैसा कि भरतपुर से आने

(श्री भैरोंसिंह)

वाले माननीय सदस्य ने कहा, तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। मैं तो मन्त्री महोदय को चेलेंज करके कह सकता हूं कि सरकारी जीपों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है। जो गाड़ियां चुनाव में दौड़ रही थीं, वह ठेकेदारों के नाम पर रजिस्टर नहीं थीं। चुनाव में जो एम॰ आर॰ डब्ल्यू की गाड़ियां राजस्थान के निर्वाचन क्षेत्रों में दौड़ रही थीं, वह ठेकेदारों के नाम से रजिस्टर नहीं थीं वह गाड़ियां राजस्थान के नाम पर थीं। कुछ गाड़ियां उनमें ऐसी भी थीं कि जिनका राजस्थान सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थी और समय पर रजिस्ट्रेशन न होने के कारण कई गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के रह गई थीं। उनका रजिस्ट्रेशन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियरों के नाम पर हुआ और इस प्रकार रजिस्टर की हुई गाड़ियों का चुनाव में दुरुपयोग किया गया। इसमें कोई प्रमाण देने की बात नहीं है। आप उनकी डेट ग्रॉफ रजिस्ट्रेशन मालूम करें कि कितने दिन चुनाव में दौड़ीं और कितने दिन में चुनाव खत्म हुआ यह सब टेली कर लें। इससे आपको मालूम हो जायगा इस सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं है और न प्रमाणों की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आखिर यह जीपें क्यों खरीदी। मैं यह जानता हूं कि कई ठेकेदारों के पास जीप थीं। और आज मैं यह भी जानता हूं। कि कई ठेकेदारों ने चुनाव के मौके पर अपनी जीपें बेच दीं इससे मालूम होता है कि ठेकेदारों के पास सुपरवीजन का काम नहीं था, और इसलिए ही उन्होंने अपनी जीपें दे दीं। इसके अलावा सभापति महोदय, जो कान्ट्रेक्ट से रजिस्टर्ड नहीं थे जिन कान्ट्रेक्टर्स से गवर्नमेंट का काम करने के लिए कान्ट्रेक्ट एग्रीमेंट नियमों के मुताबिक फाइनल नहीं हुआ था, ऐसे ठेकेदारों को जीपें दी गई। यह देख यहां पर यह रहे थे कि कान्ट्रेक्टर किन २ कामों को कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वह जीपें ले लें, और काम के टेन्डर बाद में इन्वाइट होते रहेंगे। और बाद में आवश्यकता पड़ी और कुछ के नाम ठेका नहीं हो पाया तो जिनके नाम ठेका नहीं हो पाता है उनको जीप वापिस दे देने को कह देंगे। सरकार कहती है कि हमने सबके टेन्डर इन्वाइट कर लिये थे। मैं आपको बताऊं कि टेन्डर इन्वाइट करने की प्रक्रिया है, जो सिद्धान्त है और नियम है उनके आधार पर राज्य सरकार के सामने तो कान्ट्रेक्टर्स की लिस्ट होगी, मेरे सामने भी लिस्ट है कि जिन लोगों को जीपें दी हैं, उनमें कौन कौन से रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, किस किस को ठेका मन्जूर हुआ था। किसके साथ में फाइनल एग्रीमेंट एक्जीक्यूट हुआ। आप इनको टेली कर लीजिये, इसमें एक नहीं दस उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि ठेकेदार को वास्तव में ठेका नहीं दिया था लेकिन उसको सरकार ने जीप प्रोवाइड कर दी। ऐसी हालत में, सभापति महोदय, यह कहा था कि जीप के मामले के अन्दर स्केन्डल हुआ है, जो सामान खरीदा गया है उसके अन्दर स्केन्डल हुआ है। और सामान की खरीद के अन्दर एक एक मसला ऐसा आया है सदन की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक एक आइटम के अन्दर डी.जी.एस.डी. की रेट कुछ और थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने किसी

(श्री भैरोंसिंह)

ग्रौर रेट पर वह खरीदी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डी.जी.एस.डी. की रेट होती है वह इतनी होती है कि उन रेट के आधार पर आज अगर मर्सीडीज ट्रक खरीदा जाय, वह यदि डी.जी.एस.डी. की रेट्स के अनुसार खरीदा जाय तो डीलर को उसमें आठ सौ रुपये का मुनाफा होता है लेकिन मार्केट से ही कोई खरीदे. ओपन मार्केट से कोई आदमी खरीदे तो उसमें छब्बीस सौ रुपये का डीलर को मुनाफा होता है। यानि डी.जी.एस.डी. की

(५.०१ म.प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

रेट्स खरीदने पर डीलर को आठ सौ नौ सौ रुपये का लाभ होगा और ओपन मार्केट से खरीदे तो उस पर डीलर को दो हजार का लाभ होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि डी. जी. एस. डी. को रेट्स से लेकर ठेकेदार को मुनाफा देने की कोशिश क्यों की? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने रोड कन्स्ट्रक्शन के लिए टेण्डर इन्वाइट किये, तब क्या आपने यह घोषणा की थी कि हायर पर्चेज के ऊपर जीप ठेकेदार को देंगे, ट्रक ठेकेदार को देंगे और ट्रालीज ठेकेदार को देंगे और बाकी का सामान प्रोवाइड करेंगे। इस रेट पर प्रोवाइड करेंगे कि जो नो पर्सेन्ट का इन्ट्रेस्ट लिया जायगा वह ठेके के अग्रीमेन्ट में कम होगा और इन्स्टालमेंट्स के आधार पर वसूल होगा। हायर पर्चेज के आधार पर सरकार सामान देने वाली है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो ५७ लाख रुपये की दी हैं, यदि टेन्डर इन्वाइट करने से पहले निश्चित रूप से सरकार यह घोषित कर देती तो आज शिड्यूल्ड रेट्स कॉन्ट्रेक्टर्स को पैसा देना पड़ता और लाखों रुपये की आमदनी सरकार को होती। लेकिन भूतपूर्व निर्माण मंत्री ने लाखों रुपये का नुकसान सरकार को पहुंचाया है। और यह कहा जाय कि इस नुकसान को पहुंचाने के वह दोषी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि किसी कान्ट्रेक्टर को कान्ट्रेक्ट देते हैं तो उसकी सारी कन्डीशन्स क्या हैं, वह कन्डीशन्स डेस्क्राइब करते हैं, उनका गजट नोटिफिकेशन करते हैं, वह समाचार पत्रों में छापा करते हैं। जो कान्ट्रेक्टर्स को रोड कन्स्ट्रक्शन का कान्ट्रेक्ट दिया उसमें यह कहीं शर्त नहीं थी कि जिसके अनुसार राज्य सरकार के ऊपर यह दायित्व आता था कि सरकार जीप देगी, ट्रक देगी और डी. जी. एस. डी की रेट्स पर सामान खरीद कर देगी और बम्बई आगरे से जो सामान आ जायगा उसके ऊपर सरकार सेल्स टैक्स में गड़बड़ी कर देगी। मंत्री महोदय कहेंगे कि सेल्स टैक्स हमने वसूल किया है। लेकिन दो तीन दिन पहले मैंने भी कुछ लोगों से बातचीत की थी और सारे कागजात को चैक किया था, और चैक करने के बाद यह पाया है कि सेल्स टैक्स में काफी गड़बड़ी हुई है। जो सामान यहां पर मैन्युफेक्चर किया गया है, उसके लिए बताया है कि बम्बई से इम्पोर्ट किया है, बंगलोर से इम्पोर्ट किया है, मद्रास से इम्पोर्ट किया है और जो बाहर से सामान लाने पर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स तीन पर्सेन्ट लगता है वह तीन पर्सेन्ट का सेल्स टैक्स लिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बाहर से माल इम्पोर्ट होता है उस पर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के रूप में तीन पर्सेन्ट टैक्स देना होता है। खरीददार राजस्थान सरकार थी, वह कान्ट्रेक्टर को

(श्री भैरोंसिंह)

माल सप्लाई करती है तो उसको दस पर्सेन्ट सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार को वसूल करना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि उन आइटम्स पर, जो इम्पोर्ट हुए हैं जिन पर केवल तीन पर्सेन्ट सैन्ट्रल सेल्स टैक्स वसूल किया है, उस पर राजस्थान सरकार ने उन कान्ट्रैक्टर्स से राजस्थान का सेल्स टैक्स वसूल क्यों नहीं किया है और उसका अमाउन्ट कितना आता है? मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने टैन्डर इन्वाइट करने में और डी. जी. एस. डी. की रेट से माल खरीदने में यह सारी गड़बड़ी की है।

उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि इस मसले के ऊपर एक जुडिशियल इन्क्वायरी करायें। यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है कि इसे आप विजिलेंस कमीशन को दे दें। इससे काम चलने वाला नहीं है। कोई विधान सभा की समिति बनाकर मामला उसके सुपुर्द कर दें, इससे काम चलने वाला नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि एक जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय जिससे भारत सरकार को यह पता लग जाय कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इससे भारत सरकार को तसल्ली हो जायगी कि जो पैसा राजस्थान सरकार को दिया गया है वह सुरक्षित है और वह इस बात से संतुष्ट हो जायगी कि राजस्थान सरकार जांच करने के लिए तैयार है। मैं माथुर साहब और निर्माण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला गम्भीर है। आज इस विभाग को देखा जाय और इसके जो कुछ कागजात हैं उनको देखने की कोशिश करें कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं—इस बात की जरूरत नहीं है। राजस्थान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इन पर्चेजेज के अन्दर भारी अनियमिततायें हुई हैं, राजस्थान सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया गया है और राजनैतिक लाभ उठाया गया है। ट्रैक्टर्स की हालत यह है, मैं उदाहरण के रूप में ट्रैक्टर्स के बारे में कह सकता हूं कि दो प्रकार के ट्रैक्टर हैं, इसी प्रकार बाकी का जो सामान है, इस सारे सामान की खरीद में, उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं कहूं कि गड़बड़ी का अनुमान क्या है तो आज मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इन सारी रेट्स के अन्दर वास्तव में कम से कम जो घोटाला है वह कम से कम दस लाख रुपये का होगा। आप एक एक आइटम का हिसाब लगा लें, दो ट्रैक्टर का हिसाब लगाया था वह हजार से ऊपर चला गया। मैंने कुछ आइटम्स का हिसाब लगाया है, मैं बाकी के आइटम्स की जानकारी नहीं कर पाया हूं। और जयपुर से बाहर भी मैं नहीं जा पाया हूं लेकिन जो इन्फोर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस सारी पर्चेजेज के अन्दर दस लाख का सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। यह नुकसान केवल इसलिए पहुंचाया गया है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के मौके पर जीप मिलें और कान्ट्रैक्टर्स को फायदा हो जाय और कांग्रेस की जीत चुनावों में हो जाय। मैं इस सदन से और राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं कि राजस्थान को भूख के लिए, रोटी के लिए, जो अकाल राहत के कामों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय देशों से पैसा मिलता है, भारत सरकार से पैसा मिलता है, इटली और जर्मनी से, हिन्दुस्तान भूखा है, इस नारे पर एक एक पैसा इकट्ठा

Page No. 135

(श्री भैरोंसिंह)

करके यहां पर भेजा जाता है उस पैसे का राजस्थान सरकार दुरुपयोग कर सकती है। इसी प्रकार सीमा सुरक्षा के मामले पर भारत सरकार हमें पैसा दे उसका राजनैतिक दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इस सदन को और राजस्थान की जनता को यह विश्वास करके नहीं चलना चाहिए कि हमारी सीमाओं के ऊपर यदि पाकिस्तान का आक्रमण होता है तो इस सरकार के हाथों में हमारी सीमायें सुरक्षित है

यदि राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति और भी भयंकर हो जाती है तो राजस्थान की सरकार के हाथों में राजस्थान की जनता सुरक्षित नहीं है।

अन्त में मैं यही कहते हुए कि माननीय निर्माण मंत्री जो जवाब दे दें, जवाब दें तो इन पौइन्टस को कवर कर लेवें और जवाब के साथ साथ इस मामले की जूडिशियल एन्क्वायरी करायें जिससे कि सारी स्थिति स्पष्ट होकर बंगलिंग करने वाले सभी लोग गिरफ्त में आ जायेंगे, उनको सजा भी दिलाई जा सकेगी।

(वित्त मंत्री श्री मथुरादास माथुर बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री मत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रश्न उठाया गया है, उसका सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से है, नोटिस भी उनसे सम्बन्धित है। माननीय वित्त मंत्री जी खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब देना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये हैं। सार्वजनिक जीवन में शुद्धि लाने के लिये सीधी सी सार्वजनिक बातों को कहा है। मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री जी सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को काबिल नहीं समझते, हम मानते हैं कि उनमें काबलियत है, इसलिए उनके द्वारा जवाब दिलाया जाना चाहिये। कोई व्यक्तिगत आक्षेप हो तो बाद में उनके द्वारा उत्तर दिला दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था के प्रश्न की तारीफ में आता नहीं है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : व्यवस्था देने से पहले सुन लें। इस वक्त माननीय वित्त मंत्री जो खड़े हो रहे हैं, उनका नाम भी बहस में आया है तो क्या वे व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं, यह साफ हो जाय तब हम नियमों की बात करेंगे।

श्री खेतसिंह : जवाब दे सकते हैं।

श्री रामकिशन : आप मंत्री नहीं है खेतसिंह जी, अभी वेटिंग लिस्ट में है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में ऐसी बाधा नहीं आती कि जिसके अनुसार एक मंत्री जी के विभाग के बारे में दूसरे मंत्री जी जवाब नहीं दे सकें। इसके अलावा जिस विषय पर चर्चा हुई है, उसमें वित्त मंत्री जी का नाम बार बार लिया गया है। चाहे सफाई के तौर पर, चाहे तो सरकार की ओर से उत्तर वे दे सकते हैं और ठीक समझेंगे तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी भी इसका जवाब दे सकेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी हाउस में नहीं हों तो दूसरे मंत्री उत्तर दे सकते हैं पर सार्वजनिक

Page No. 136

(श्री देवीदत गड़िया)

निर्माण मंत्री जो हाउस में उपस्थित हैं तो उन्हीं को जवाब देना चाहिये, वित्त मंत्री जी नहीं दे सकते।

श्री श्रवणलाल : यह उनके लिये लज्जा की बात है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो बैठे रहें और उनके विभाग का जवाब दूसरे मंत्री दें।

श्री रामकिशन : व्यक्तिगत आरोप हो तो वित्त मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में हमने कहा है। नोटिस में भी दी मिनिस्टर लिखा है केवल मिनिस्टर नहीं लिखा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी योग्य नहीं हैं जो वित्त मंत्री जो जवाब देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही नहीं, आपकी बात मैं समझ गया।

श्री रामकिशन : या उनमें विश्वास नहीं है या उनमें बोलने की योग्यता नहीं है, इन तीनों बातों में से क्या बात है। यह नहीं तो नियम साफ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह दो घंटे की चर्चा है, इसमें जितने माननीय सदस्य भाग लेना चाहें वे पूर्व सूचना के साथ भाग ले सकते हैं। पूर्व सूचना माननीय भैरोंसिंह जी ने नहीं दी थी, क्योंकि वे कुछ ऐसी बातें कह सकते थे इसलिए आसन ने उनको बोलने की इजाजत दी। वित्त मंत्री जी नियमों के अनुसार इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी अगर सरकारी पक्ष से उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो उनको बाध्य आसन नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य : सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को जवाब तो देना ही होगा।

श्री श्रवणलाल : नहीं तो यह कहदें कि मैं इस लायक नहीं हूं!

श्री रामकिशन : अभी चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं न ?

श्री उपाध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी भी बोलना चाहेंगे, वे भी हिस्सा ले सकेंगे। पहले चर्चा होगी।

आॅर्डर।

उस विभाग के मंत्री महोदय को सबसे आखिर में जवाब देने का अधिकार है। अभी चर्चा हो रही है, दो माननीय सदस्य बोले हैं। तीसरे वित्त मंत्री जी हिस्सा लेना चाहते हैं, इसमें नियमों में कोई रुकावट नहीं है।

श्री नत्थूसिंह : राज्य की ओर से जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं सफाई के तौर पर?

श्री श्रवणलाल : यह तो बेइज्जती की जा रही है सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान के वित्त मंत्री के नाते और सरकार में मंत्रियों की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलटी होने के नाते मैं निर्माण मंत्री जी की राय में

Page No. 137

(श्री मथुरादास माथुर)

जो कुछ आज सदन में वाद विवाद हुआ है, इस प्रश्न को लेकर उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं और माननीय सदस्यों के दिमाग में कोई संशय हो तो उसको राज्य सरकार की तरफ से साफ करने की कोशिश करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो नहीं बोलेंगे ।

श्री नाथूसिंह : इसका मतलब है कि उनको नहीं बोलने देना चाहते ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि जो मंत्री चालाक हैं वे सभी का जवाब देंगे, फिर यह मंत्रियों की फौज क्यों बैठा रखी है ?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में बाधा हो तो बता दीजिये । नियमों में बाधा नहीं है तो मिनिस्टरों की रेस्पोन्सिबिलिटी जोइन्ट होती है ।

श्री नाथूसिंह : नियमों के साथ साथ परम्परा भी है ।

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री रामकिशन : खुदा को हाजिर नाजिर रख कर कहना....

श्री अमीनुद्दीन : यह कोर्ट थोड़े ही है, सदन है ।

श्री नाथूसिंह : संविधान की कसम ली है ।

श्री अमीनुद्दीन : खुदा तो हर वक्त दिल में है । सवाल ऐसा है कि जब चर्चा बोर्डर रोड्स की पहले आई थी, मशिनरी की खरीद वगैरह की तफसील से जो मेरी मालूमात थी, वह मैंने सदन के सामने रख दी थी । मालूमात आज भी उतनी ही है जो अर्ज की है उस जवाब दे चुका दौरान में जो में अपना बयान दे चुका,बोर्डर रोड्स की मशीनरी और दूसरी चीजोंकी खरीदके बारेमें तो उसके बाद इतफाक से पहले मंत्री साहब भी हाउस में आये, उनका नाम शामिल किया गया था । उन्होंने इस हाउस में अपने मुताल्लिक जो एक्स्प्लेनेशन देना था वह दिया । उसी के ऊपर चर्चा पर माननीय सदस्य ने जोर दिया कि मेरे कहने पर, सदन को पूरे तरीके पर, वाजिब तरीके पर मशीनरी की खरीद का मामला साफ नहीं हो सका तो यह दो घंटे की चर्चा की इजाजत चाही गई और जैसा कि यहां दो बयानात में कहा गया है मशिनरी की खरीद के ऊपर तफसील के ऊपर, रोड्स के टेन्डर के ऊपर, उन चीजों पर जितनी चर्चा यहां हुई है, वह इस किस्म की है कि उसकी जानकारी जो कि हो सकती है, उनको हो सकती है जो उस जमाने में उससे डील करते है....

श्री नाथूसिंह : वह मिनिस्टर हार जाय तो ?

(शोरगुल)

श्री अमीनुद्दीन : सुनो भाई, सुनिये मेहरबान । जो आप तकसीर तफसील बयान कर रहे हैं, जो बातें निकाली हैं,

Page No. 138

(श्री ग्रमीनुद्दीन)

टेन्डर हुए, वह हुए, ग्रखबार चिपेका या नहीं चिपेका, वह तकसीर उसी को हो सकती है जो उस दौरान डील करते थे।

श्री मस्थीसिंह : आप जानकारी करें, आपकी जिम्मेदारी है....

श्री ग्रमीनुद्दीन : यह बिल्कुल गलत है, जिम्मेदारी दूसरी बात है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं, ग्रापके विभाग के वरिष्ट इन्जीनियर हैं, उनको इस बात की जानकारी है।

क्या इन्जनीयर्स से पूछकर जवाब नहीं दे सकते ? क्या इस प्रकार से ग्रापके विभाग में खरीद—फरोख्त सम्बन्धी कोई जांच नहीं हुई है ?

(शोरगुल)

श्री भगवान दास शास्त्री : जब यह प्रस्ताव ग्राया तो ग्रापको पुराने कागजात को देखना चाहिए था।

श्री ग्रमीनुद्दीन : जितनी जानकारी मुझसे हो सकती थी में बयान कर चुका हूं। इससे ग्रागे चाहे सही या गलत मेरी जानकारी उतनी डिटेल में नहीं हो सकती, मेरे ख्याल से सदन को तसल्ली तब हो सकती जब डिटेल में कहा जाय। जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर मैंने दिए हैं। अब दूसरे मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं जो इन मामलात से पूरी तरह से वाकिफ थे जिनके जमाने में काम हुआ है, वह इसका बहुत ग्रच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं बजाय मेरे। मन्त्रियों में फर्क नहीं है। जो मन्त्री मण्डल में हैं तो एक के बजाय दूसरा जवाब दे तो कोई बात नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न·······

श्री बिजयसिंह रावत : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर। जैसा मन्त्री महोदय ने ग्रभी कहा कि जितनी जानकारी उनको है उतनी जानकारी वह दे रहे हैं तो पहली चीज तो यह है कि कैबीनेट का सदस्य होते हुए ग्रौर राजस्थान की जनता के टैक्स को तनख्वाह लेते हैं, ग्रपने कर्त्तव्य से विमुख होकर कहें कि जितनी जानकारी है उतनी ही दूंगा ग्रौर दूसरी बात सरकारी ग्रधिकारी यहां पर हैं, सब सरकारी नौकरी नहीं छोड़ गए ग्रौर तीसरी बात ग्राज खाद्य मन्त्री नाथूरामजी हार गए तो उस विभाग की कई पुरानी समस्याएं हैं तो वही हल करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर कौनसी है ?

श्री विजयसिंह रावत : जो मन्त्री एक पोर्टफोलिया को होल्ड करते हैं, उनका काम है कि जानकारी करें ग्रौर सदन को जानकारी दें। जानकारी नहीं है तो सुखाड़ियाजी से लें ग्रौर ग्रापके द्वारा हमको जानकारी मिलनी चाहिए ग्रगर ग्राप नहीं देते तो सदन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री भैरोंसिंह : कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि ग्रापको खरीद के सम्बन्ध में फाइल्स ही नहीं दी गई। ग्रापके विभाग द्वारा फाइल्स ही नहीं दी गई हों, ऐसी स्थिति तो नहीं है ?

श्री ग्रमीनुद्दीन : मैंने कह दिया कि जो जानकारी मेरे पास थी, वह मैं दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी फाइल्स अवेलेबुल हुई या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : आप बताते रहेंगे तो में हासिल करता रहूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : मन्त्री महोदय जो कहते हैं इसका यह अर्थ निकालें कि जिस समय राष्ट्रपति शासन हुआ उस समय फाइलें जला तो नहीं दी गई ?

श्री रामकिशन : पुरानी जानकारी इसलिये काम नहीं आयेगी, क्योंकि हमने कई पॉइन्ट्स उठाये हैं ठेकेदारों को जीपों के बारे में और नोटिस आपके पास था पहले तो कैसे कहते हैं कि जानकारी नहीं है। या तो साफ कहें कि मन्त्री मण्डल के दबाव की वजह से जवाब नहीं दे सकते। हम सहानुभूति से सोच सकते हैं। अगर आप सच्चे आदमी हैं तो निर्भीक होकर जवाब दें, क्यों दबते हो, आपको क्या मतलब है ?

श्री अमीनुद्दीन : जो कुछ मेरे पास जानकारी थी मैंने सदन को दे दी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह : सेक्रेटरी ने फाइल्स आपको नहीं बताई ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी कान्सटीच्युएन्सी से अगर कोई आदमी आए हुए हैं तो प्रसंग बात है नहीं तो बार-बार खड़े होकर बाधा उपस्थित न करें। पहले वित्तमन्त्रीजी जवाब देंगे और बाद में उचित समझेंगे तो निर्माण मन्त्री भी बयान देंगे।

श्री रामकिशन : वित्तमन्त्री तो केवल यह जवाब दे दें ईमानदारी से कि राजनीति के लिये जीपें खरीदी या.........

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है उसमें.....

श्री भैरोंसिंह : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्तमन्त्री जवाब दें उसके बाद निर्माण मन्त्री।

श्री दौलत राम सारण : वित्तमन्त्रीजी सदन के उपनेता हैं, जवाब दें कोई आपत्ति नहीं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि निर्माण मन्त्री स्थिति स्पष्ट कर दें कि उनको इस सम्बन्ध में ज्ञान है भी या नहीं।

श्रीमती कांता कथूरिया : मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आप दोनों मिलकर ही स्पष्टीकरण दें।

श्रीमती कांता कथूरिया : सरकार की तरफ से कोई भी जवाब दे सकता है कोई मनाही नहीं है। इसलिए भावना ऐसी प्रतीत होती है कि एलीगेशन्स का स्पष्टीकरण वे नहीं चाहते, वाश आफ करना चाहते हैं।

श्री हीराभाई : कोई भी मन्त्री दे सकता है, लेकिन जो सम्बन्धित मन्त्री है, उनको जवाब देने की जरूरत है। वह नहीं दे सकता तो सुखाड़िया साहब और माथुर साहब देते रहेंगे। बाकी मन्त्रियों की जरूरत नहीं है।

Page No. 140

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज।

वित्तमन्त्रीजी।

श्री जयनारायण सामोदिया : पिंजरापोल गऊशाला फिर क्यों बना रखा है ?

श्री विजयसिंह रावत : अगर आप वित्तमन्त्री की एसिसटेंस लेना चाहें तो ले लें, सदन को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हीराभाई : श्रीमती कांता कथूरिया ने तो यह कह दिया कि उनके बजाय वित्तमन्त्री जवाब दें यह तो में मानने के लिए तैयार हूं लेकिन मन्त्री तो ये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : (वित्तमन्त्री) : सदन के माननीय सदस्यों ने जो मुझे इस प्रश्न पर बोलने की इजाजत दी है उसके लिए तो मैं आभारी हूं और यह प्रश्न एक बहुत बड़े महत्व का प्रश्न बन जाता है। सदन में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार पेश किये हैं उन्होंने इस तरह का वायुमण्डल पैदा करने की कोशिश की कि सरकार द्वारा जो चुनाव से पहले, उनके शब्दों में जीपें और मशीनरी खरीदी गई, वह कोई राजनैतिक काम के लिए खरीदी गई। मैं उसका निराकरण करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे कभी आपत्ति नहीं होती, गलती होती तो मैं स्वीकार करता लेकिन जिस प्रकार से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ शब्द राज्य सरकार की जबान में डालने चाहे, मुझे खेद है कि मैं उनको इस विषय पर अप्रूलाइज करने में अपने को असफल पाता हूं। मैं अपने उत्तर में तीन बातों के जवाब दूंगा। पहले तो पार्लियामेंट में जो प्रश्न पूछा गया था और उस पर भारत के रक्षा मंत्री ने जो कुछ राज्य सरकार और पी. डब्ल्यू. डी, और बार्डर रोड्स पर कहा है और जो कुछ भी....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जब तक यह मामला डिस्पोज ऑफ न हो जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं और माननीय सदस्य भी मेरा साथ देंगे कि राजस्थान पी.डब्ल्यू.डी. को यह जिम्मेदार मिली है उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं की है, भारत की सुरक्षा रहे राजस्थान की सुरक्षा रहे, बारडर रोड्स की सुरक्षा रहे, इसके लिए राज्य सरकार की जो वैधानिक जिम्मेदारियां हैं जो भी काम करने के लिए कहा गया है, हमने पूरी तरह से काम किया है। अगर इसमें त्रुटि रही है तो सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के किसी मंत्री को या भारत सरकार को उलाहना देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। रक्षा मंत्री कहते हैं कि सड़कें जितनी बननी चाहिये थीं नहीं बन सकी और पी. डब्ल्यू. डी. जिम्मेदार है तो उसका निराकरण सदन में करना चाहिये। सदन के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह काम हमें सोंपा गया है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हमने किया है और उसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसमें कहीं कमी रही है तो भारत सरकार की तरफ से हमको

(श्री मथुरादास माथुर)
धनराशि उपलब्ध करने की रही है। भारत सरकार के पत्र पेश करूंगा, राज्य सरकार की मांग को पेश करूंगा। माननीय सदस्य जानते होंगे जो १९६२ से हैं, कि १९६० से लगातार हमने बराबर मांग की है कि राजस्थान का जो इतना बड़ा बारडर है, वहां सड़कें बननी चाहिए। १९६२-६३ में हमारा कार्यक्रम था, हम मांग करते रहे और आखिर १९६३ में फैसला हुआ कि इस तरह की सड़कें बननी चाहिए। आज जो सड़कें बना रहे हैं, उसकी भारत सरकार की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी व डिफेंस मिनिस्टरी में प्रायोरिटीज फिक्स की जाती हैं, वे लोग फिक्स करते हैं कि लिंक रोड बननी चाहिए, यहां हाई वे बनना चाहिए। एक एक सड़क को फइनंशियल टेक्नीकल सेंक्शन होती है। भारत सरकार के दो बड़े अधिकारी राजस्थान में तैनात रहते हैं जो इस सड़क के काम को देखते है और उसके बाद सेंक्शन एक एक सड़क की आती है। बजट के मेमोरेंडम के अन्दर तारीखवार ब्योरा दिया हुआ है। उसके आधार पर सड़क पर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने को रजिस्टर करवाया है, उनको टेन्डर मंगाकर काम सौंपते हैं, वह काम करते हैं। हमारे यहां पर टारगेट डेडलाइन मुकर्रर की गई है। मैंने भारत सरकार से कह दिया है और आज भी कह देना चाहता हूं कि दो बातें नहीं हो सकतीं। आप सड़क पूरा करने की तारीख मुकर्रर कर दें। मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान उस तारीख का इन्तजार नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान जब तक सड़कें बन जायं तब तक देश पर हमला करना चाहता है तो रुकेगा नहीं। इसलिए हमने बराबर मांग की है कि जल्दी से जल्दी इसको खतम करना चाहिये और इन सड़कों को बनाने के लिए जो धनराशि जो १०-१२ करोड़ है वह मिलनी चाहिए। अगर वह नहीं मिलती है तो डेडलाइन मुकर्रर की जाय, पैसा नहीं मिले, तो हम तो भारत सरकार की तरफ से कमीशन एजेंटस के रूप में हैं भारत सरकार कहती है कि हम खुद काम करेंगे, भारत सरकार यह काम कर सकती थी, ये जीपें हैं, माननीय सदस्य खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत से मसलों का जिक्र करते हैं, भारत सरकार से इस प्रकार के पत्र आये हैं और कोरेसपोंडेस के बेसिस पर कह रहा हूं। उसके बाद तय किया गया कि बीकानेर डिवीजन के अन्दर बारडर पर जो काम होगा राजस्थान सरकार करेगी हमारा निर्माण विभाग करेगा और जोधपुर डिविजन का जो काम होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांस्पोर्ट करवाएगी। केन्द्रीय पी.डब्ल्यू.डी. के मारफत कई वादविवाद चले और अन्त में यह फैसला हुआ कि यह भी काम राज्य सरकार करें। काम करते हुए आज एक साल पूरा हुआ है। आरगेनाइजेशन जून १९६६ में क्रीएट हो गया। हमने काम शुरु किया। उस समय भारत सरकार से उस काम के लिए जो उस साल बजट में सेंक्शन है ७ करोड़ की सेंक्शन मांगी थी। उसके बाद में भारत सरकार ने कुछ दिनों बाद लिख दिया कि ५ या ५॥ करोड़ देंगे। उसके बाद में यह काम पूरा हो गया। उस साल ७ करोड़ खर्च हो गए। उस साल में ६०) लाखकी रेमिटेन्स राज्य सरकार भारत सरकार से मांगती है।

दूसरा साल शुरू हुआ। ३,१५५

(श्री मथुरादास माथुर)

करोड़ देने के लिए उन्होंने कहा । हमने पत्र लिखा, में दिल्ली गया, रक्षा मंत्री के स्टेट मिनिस्टर और ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टरी से मिला और मैंने कहा कि यहां कि सड़कें पूरी करानी चाहिए । हमने कह दिया कि ७ करोड़ के लिए आरगेनाइजेश क्रीएट कर ७ लाख एक साथ खर्च कर दिया और सड़कों का जो माइलेज जो बताया गया है वह गलत है ।

श्री भैरोंसिह : इसका मतलब जो लोकसभा में माइलेज बताया वह गलत है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जो बता रहा हूं, ठीक है । उनके स्टेटमेंट की ट्रू कापी मेरे पास नहीं है, जो अखबार में आया है उसके अन्दर फिर मैं कहता हूं कि हमारे जो फिगर है वे मैं सदन में दे चुका हूं । पहले ५८७ मील की सड़कें नई बनाने के लिये कहा गया । उसमें ४१ मील सड़कें इम्प्रूव करने के लिये कहा गया । फिर एक चेनल को डबल चेनल करना है । जैसा आपको बताया इसके बगैर बड़ी मशीनें उन पर से पार नहीं हो सकतीं । यह १०॥ करोड़ का काम था ।

हमने ५८७ में से २१० मील की नई सड़कें बना दी । १७ मील सड़कों को इम्प्रूव कर दिया ।

यह तो हुआ मेन रोड़ के लिये ।

लिंक रोड़ के लिये ७८२ मील के लिये कहा गया नई बनाने के लिये । जिसमें से १७७ मील को इम्प्रूव करने के लिये कहा गया, इसके अगेन्स्ट १७० मील कम्पलीट की । इस तरह कुल मिलाकर ४३७ मील की सड़कें जिनमें से ३७९ मील की सड़कें थीं हमने नई बनाई और ५८ मील को इम्प्रूव किया ।

यह काम हमने किया । इसके लिये धनराशि उपलब्ध की । वह सब हमने खर्च कर दी । उसमें भी सात लाख रुपया हम डिविडेण्ड का और मांगते हैं ।

नये साल में सारे काम को पूरा करने के लिये हमने मांग की कि दस करोड़ दिया जावे । इतने में हम पूरा कर देंगे । हमारे में क्षमता है । पहले साल तो नया रास्ता था, नया काम था, शुरुआत थी, इसमें कई मशीनरी आने में टाइम लग गया । डबल गेयर के ट्रक नहीं मिले । वहां फोर व्हील ड्राइव काम कर सकते हैं, दूसरे ट्रक नहीं कर सकते, तो उन सबके मिलने में टाइम लगा । देर भी लगी । हमने बहुत कोशिश की । कुछ हमारी मदद इसमें डिफेन्स मिनिस्ट्री ने की । अब डवलपमेंट हो गया । हम आज सब तरह से वेल इक्विप्ड हैं । अब बहुत जल्दी कर सकते हैं । पूरा पांच करोड़ का काम बताया गया । उसमें से तीन करोड़ देकर भारत सरकार काम पूरा कराना चाहती है । यह सम्भव नहीं है । और भारत सरकार यह सोचती हो कि राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर सकती, राजस्थान के पास आर्गेनाइजेशन नहीं है, उसकी क्षमता इतनी नहीं है, काम नहीं कर सकती है तो मैं भारत सरकार के सामने नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनकी गलतफहमी है, भ्रम है उनकी । हमारा भी पी. डब्लू. डी. का विभाग सेन्ट्रल

(श्री मथुरादास माथुर)

पी. डब्लू. डी. से कार्य की क्षमता में किसी तरह से कम नहीं है । बल्कि हम उनसे रास्ते में और अच्छा काम राजस्थान के बोर्डर के बोर्डर पर कर सकते हैं।

मेरा यह निवेदन है । यह भ्रम सरकार को नहीं रहना चाहिये हमारा आर्गेनाइ-जेशन बोर्डर पर काम करता है वह किसी तरह से इफीशियेन्सी में दूसरे से कम नहीं है । भारत सरकार से में मांग करता हूं कि अगर देश की सुरक्षा के लिये आपकी हमारी जवाबदारी है, तो हमारी मांग पूरी करें । जितना काम शार्टेस्ट टाइम में आप चाहें हम पूरा कर सकते हैं । उस काम का टारगेट और डेट आप फिक्स कर दो, स्पेसिफिकेशन आप हमें दे दो, पर पैसे पर कन्ट्रोल मत करो । हम ज्यादा भी नहीं मांगते । जो आपने सेंक्शन किया, जो आपने इस काम के लिये मन्जूर किया उतना ही दे दो । फिर आपके अफसर देख सकते हैं, चैक कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं । पहले भी आप हर तरह से देखते रहे हैं, आपके अफसर आते रहे हैं । तो यह जो चार्ज लगाया जाता है कि हमने काम नहीं किया, उसका में निराकरण करता हूं ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने समर्थन दिया है भ्रमपूर्ण बातों को जैसा अमूमन वे किया करते हैं । में उनका शुक्र गुजार हूंगा आपका अगर आप भारत सर-कार से मांग करें कि हमें रुपया पूरा मिलना चाहिये । रुपया वे हमें दे दें, अपने स्पेसिफि-केशन दे दें, सेंक्शन दे दें हम उस काम को पूरा कर सकते हैं । यह बड़ा प्रश्न है । पार्लियामेंट में जब कहा गया इस मामले पर तो मेरे दिल पर चोट पहुंची । आज के दिन सरकार हमें पैसा दे नहीं, तो हम, फिर क्या करें । हम पैसा अधिक मांगते नहीं, रोड्स वे अपने स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक इम्प्रूव कराते हैं, स्पेसिफिकेशन, एस्टीमेट्स वेरीफिकेशन सब वे करते हैं । टैकनिकल सैंक्शन फाइनेन्शियल सैंक्शन दे देते हैं । हमें तो एजेन्सी का कमीशन मिलता है कोरा । हमारा कमीशन भी काट लें बाबा । मुझे यह मन्जूर हो सकता है । स्टेट मिनिस्ट्री के नाते हमारा भी यह कन्ट्रीब्यूशन हो सकता है । पर रुपया तो वे ही देंगे तब होगा । सुरक्षा के लिये संविधान का तकाजा है यह उनके लिये । उनकी पूरी जिम्मेदारी है ।

दूसरे प्रश्न उठाये गये । दो प्रश्न मुख्य है । एक तो मशीनरी खरीदी गई और एक जीप खरीदी गई जीप और मशीन अलग ।

श्री रामकिशन : जीप के साथ करप्शन और उसके साथ सियासत ।

श्री मथुरादास माथुर : सियासत को साथ लेकर इस सियासत के सवाल पर जिस तरह माननीय सदस्यसे बातें करता हूं सदनके बाहर, में भी क्वोट कर दूं । मेरी आदत नहीं है । यहां तो पोलिटिकल मामला है या नहीं है, कहना पड़ेगा ही । वरना ऐसे मौके सरकार पर चोट करने के हमारे हाथ में नहीं आ सकते । बोट करने के लिये उसे । उन्होंने कहा, मैंने भी सुना ।

में निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जीप के मामले पर आता हूं, फिर दूसरी मशीनरीज पर आ जाऊंगा । में निवेदन करना चाहता हूं कि जब भारत सरकार

(श्री मथुरादास माथुर)

और मेरे बजट के डाकूमेंट्स को आपने देखा होगा। उसके ऊपर परचेज ग्राफ मशीनरी के लिये ३ हैड्स हैं और आपने भी परचेज ग्राफ २०० रोड रोलर्स कह दिया। यह भारत सरकार ने इसके लिये स्पेसिफिकली सेंक्शन दी है। और इन्डेन्ट भी इसके लिये डाइरेक्टर जनरल ग्राफ सिविल सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल्स को दिया, उनको लिखा और वे वहां से मिले। इसके बाद में परचेज ग्राफ मशीनरी पर ५ करोड़ १० लाख का है जिस पर कन्ट्रोल भारत सरकार का है। इसके लिए भी मशीनरी किन-किन से से खरीदी जा सकती है उसके लिए भी भारत सरकार ने हुक्म भेजा ५'६२ का। अपेन्डिक्स में लिस्ट दी है। यह मशीनरी खरीद सकते हो इसकी यह कीमत होगी। उसके बाद भी तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस के अन्तर्गत जो सामान कन्स्ट्रक्शन के काम आता है वह कान्ट्रेक्टर को एडवान्स दिया जाता है। यह हमेशा करते आये हैं। राजस्थान केनाल के काम में लाखों रुपये के ट्यूब टायर्स और दूसरा सामान हमने कान्ट्रेक्टर्स को दिए हैं जिनको हम उनके रनिंग बिल में से काट लेते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. के जो फाइनेन्शियल रूल्स हैं उनके मातहत ये सब चीजें होती हैं। उनमें भी प्रावधान है कि कॉन्टेक्टर को काम दिया गया तो पूरा काम करने के लिए एडवान्स दिया जा सकता है वह केश और काइन्ड में हो सकता है। पाइप लाइन देनी है, सीमेन्ट के लिए रुपया एडवान्स दिया जा सकता है। मशीनरी रोड़ रोलर्स एडवान्स दिए जा सकते हैं, किराए पर दिए जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पी. डब्ल्यू. डी. के मेन्युअल में लिखा हुआ है कि एडवान्स दें वह एग्रीमेन्ट में रिफलेक्ट होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : एग्रीमेन्ट में जब रिफ्लेक्ट होगा जब कन्सेशनल रेट पर दें। यह चुनाव की चीजें नहीं हैं। जो चीजें हमने दीं कहीं नहीं मिल सकती। मिलिटरी के डिस्पोजल से ट्रक्स मिले थे वे दिए।

श्री रामकिशन : वह ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : सब ठीक कर दूंगा। अभी जीपों के कन्फ्युजन में मत पड़ो। जीपें कान्ट्रेक्टर को गयी। जयपुर से आये माननीय सदस्य ने लिस्ट पढ़ दी। कान्ट्रेक्टर को ४५ से अधिक नहीं दी।

श्री रामकिशन : ४८ दीं।

श्री मथुरादास माथुर : तीन बाद में हो गयी। ऑफिसर्स को दी हैं। एक्जीक्युटिव इन्जीनियर उस काम को देखते हैं तो उसको जीप दी जाती है। दातासर से आगे सेडवास, आगे गुडा का तालाब और चोहटन से आगे जीप के सिवाय और कोई साधन नहीं हो सकते। एक्जीक्युटिव इन्जीनियर कैसे देखने के लिए जावेगा। इस साइड से लें या कमीशन मिलता है उसमें से लें यह अलग प्रश्न है। जीपें दी गई ४५, ४८। माननीय उपाध्यक्ष।

(४.४२ म.प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय वही जीप कान्ट्रेक्टर को हर एक वर्क के नीचे मिली है उसके वर्क

(श्री मथुरादास माथुर)

को देखते हुए किसी को पांच मील का एक काम है किसी को दस मील का एक काम है, किसी को दस मील के दो काम हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिली हैं। आवेदन पत्र भी मैं जानता हूं। जबानी भी कहा गया।

श्री नत्थीसिंह : पहले तो आपने जबानी की बात नहीं की। आपने कहा कि हमने उनकी मांग पर दी।

श्री मथुरादास माथुर : उनकी मांग पर दी। मांग मेरे पास लिखित रूप में, चीफ इन्जीनियर के पास एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के पास आई हो और मांग न आकर कान्ट्रेक्टर रूबरू आ गए हों। एग्रीमेन्ट कराये जब दे दीं। माननीय सदस्य लोबी में आकर कह दें, घर पर आकर कह दें, फिर आप असेम्बली में आते हैं कई दफा कहते हो, माननीय मन्त्री महोदय को कहा उन्होंने यह काम नहीं किया। मैं नहीं कह सकता मुझे कौनसा लिखकर दिया है। मैं आपको एक-एक बात का जवाब दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : गलत इस्तेमाल हो चुके हैं....

श्री मथुरादास माथुर : यह कहा गया कि जनवरी में खरीदी गयी, फरवरी में खरीदी गई। जीपों के नम्बर किस महीने में खरीदी गई वह मैं बता दूंगा।

श्री रामकिशन : ३ ठेकेदारों को दिसम्बर में दी और बाकी को जनवरी में दी। यह देख लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : आपके पास है वह सेकिन्ड हैंड मामला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अक्टोबर के महीने में ५ जीपें खरीदी गई नवम्बर में १२ खरीदी गई, नाम बता दूंगा, दिसम्बर में ७, जनवरी में ११ और फरवरी में ५ और मार्च में और एप्रेल में एक एक।

श्री रामकिशन : यही तो है। हमने यही कहा।

श्री मथुरादास माथुर : यह सब जीपें हमने आपको बतायीं।

श्री भैरोंसिंह : कुल कितनी हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : ४५ या ४४ हुई ?

श्री भैरोंसिंह : यह सही नहीं है। गाड़ियां खरीदी गई १०५

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुन लीजिये। नयी जीपें खरीदी गई स्टाफ के लिए खरीदी गई वह अलग है। ठेकेदार के लिए अलग भैरोंसिहजी तसल्ली रखें। जो अफसर रिटायर होता है वही देता है यह आपको। असली तो देता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि यह सरकार आंकड़ों को ही गलत बता रही है। जो सरकार के आंकड़े हैं और मंत्रीजी के दस्तखत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : टोटल जीप्स

(श्री मथुरादास माथुर)

पर्चेज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, अफसरों को दी रिसर्च प्रोफाइल और तीसरी कांटेक्टर को ४४,४५ जीपें दी गई। हमारा यह काम शुरू हुआ जून महीने में। टेन्डर मांगे जून जुलाई में काम चला। हायर पर्चेज पर जीपें और ट्रक्स दे दिये। लोगों को मांग बढ़ी। सड़कों से धोरों की तरफ जरूरत हुई तो कान्ट्रेक्टर्स की मांग बढ़ती गयी। कान्ट्रेक्टर्स बढ़ते गये और काम बढ़ता गया। काम बढ़ता गया तो जीपें भी बढ़ती गई। बदकिस्मती से चुनाव आ गया इसलिए आपके दिमाग में जीपें आगयीं। अक्टोबर में ५ नवम्बर में १२, दिसम्बर में ७, जनवरी में ११ दी गई। यह सरकारी रिकार्ड के आंकड़े हैं। इनसे साबित है कि हमने जनवरी और फरवरी में चुनाव के लिये जीपें खरीद कर नहीं दी हैं। कोई कान्ट्रेक्टर चुनाव के लिये अपनी जीपें नहीं खरीदता है और कोई अफसर अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालता है। यह सब माननीय सदस्य समझ लें कि कोई अफसर पोलिटिकल पार्टी को चन्दा इकट्ठा कराये....

श्री नत्थीसिंह : क्या कह रहे हो ? रोज चन्दा करवाते हो और झूठ बोलते हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : कांग्रेस का झंडा लेकर गाड़ियां घूमती हैं जिसमें सरकारी अफसर होते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य....

श्री रामकिशन : मुझे इस तरह का ये बयान करें उसका अफसोस नहीं है लेकिन राजनीति की दृष्टि से जितने नीचे जा रहे हो उसका अफसोस है।

श्री मथुरादास माथुर : आपका भी स्तर उठा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो चीज कह रहा हूं, वह ठीक कह रहा हूं। आप भी ठण्डे दिमाग से घर जाकर सोच लें। कोई भी सरकारी आफिसर अपनी नौकरी को रिस्क में नहीं डालता है। वह जानता था कि चुनावों के बाद क्या हो और फिर यहां तो चुनावों के बाद में जिस तरह का हंगामा हुआ है, राजस्थान में कौन सी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी यह निश्चित नहीं था तो कोई भी आदमी अपनी नौकरी को खतरे में डालने को तैयार नहीं होगा। और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अधिकारी अपना काम करे तो मुश्किल और नहीं करे तो मुश्किल। इस तरह से इधर भी चित्त, और उधर भी चीत्त, यह कैसे हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों को कि वे मेरी बात पर ईमानदारी से विश्वास करें कि जहां कहीं भी जीप ठेकेदारों को दी गई हैं वे वर्क्स इन प्रोग्रेस के अगेंस्ट में दी गई हैं। इसके अलावा जो जीपें खरीदी गई हैं वे डी. जी. के. से खरीदी गई हैं, अगर उनको पब्लिक का कोई आदमी खरीदता तो उसे सात सौ रुपये अधिक देने पड़ते लेकिन उसी जगह गवर्नमेंट के खरीदने से सात सौ रुपये कम लगे फिर भी ठेकेदारों को जो जीपें दी गई हैं वे सात सौ रुपये ज्यादा लेकर ही दी

(श्री मथुरादास माथुर)

गई हैं। इसलिए भैरोंसिंह जी मैं आपको कहता हूं....

श्री भैरोंसिह : आप तो इतना बता दीजिए कि जीपों का जो सेल्स टैक्स लिया गया है वह पूरा नहीं लिया गया है। बाकी के सेल्स टैक्स का क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको कहता हूं....

श्री भैरोंसिह : आप तो मुझे यह बता दीजिए कि जिस समय जीपें दी, सेल्स टैक्स ले लिया था। मेरी यह निश्चित जानकारी है कि जिस समय जीपें दी गई सेल्स टैक्स नहीं लिया गया, बाद में लिया गया है। बाद में जब असेम्बली में चर्चा हुई, यहां पर चर्चा हुई तो उसके बाद में पेमेंट हुआ है।

श्री माथुरदास माथुर : मैं आपके समक्ष, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने जो कुछ कहा है उसके सम्बन्ध में हमारे एडीशनल सेक्रेट्री का पत्र जो उन्होंने चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट को २७ दिसम्बर को लिखा था उसको पढ़कर सुनाता हूं और उससे आपको साफ मालूम हो सकेगा कि माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह सही है या जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सही है। इस पत्र की आप कहें तो मैं कापी दे सकता हूं, मैं इसको सदन की मेज पर रख सकता हूं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं हैं। इस पत्र में उन्होंने कहा है।

श्री भैरोंसिह : एक्चुअली आपने सेल्स टैक्स कब किया है वह भी कुछ लिखा है या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह कहते हैं कि सेल्स टैक्स वसूल नहीं हुआ है तो मैं आपको गवर्नमेंट का रिकार्ड बता दूंगा।

श्री भैरोंसिह : गवर्नमेंट का रिकार्ड तो यह कहता है कि जिस समय जीप्स डिलीवर हुई हैं उस समय सेल्स टैक्स वसूल नहीं हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आप जरा ठण्डे दिमाग से सुन लें। यह अगर नहीं लिया गया है तो लेंगे. बाद में लिया जा सकता है। मैं यह कहता हूं कि हमारा इरादा सेल्स टैक्स छोड़ने का नहीं था। हमने साफ लिखा है। "The price should also include the sales tax paid by the Gevernment........

श्री भैरोंसिह : सेल्स टैक्स शुरू में वसूल नहीं किया गया है, यह तो माननीय मंत्रीजी स्वीकार करते हैं और फिर हाउस को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आप पहले माननीय मन्त्री महोदय को सुन लीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : यह चिट्ठी २७ दिसम्बर की पढ़ रहा हूं जो हमारे एडी-

(श्री मथुरादास माथुर)

शनल सेक्रेट्री ने चीफ इंजीनियर को लिखी है - 'The price should also iuclude the sales tax paid by the department at the time of purchase and carrying charges from the supplies to Jodhpur, Bikaner, Jaipur wherever delivery has been given." यानि यहां से ७ तारीख को ही साफ लिख दिया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लिया जाएगा, पैट्रोल का पैसा लिया जाएगा ड्राईवर का पैसा लिया जाएगा, सैल्स टैक्स वसूल किया जाएगा और जीपें सात सौ रुपये कम में नहीं दी जायेगी बल्कि पूरे पैसे वसूल किये जायेंगे। इसलिए जितना भी रुपया खर्च किया गया है वह सब क़ायदे के अनुसार खर्च किया गया है। और जितना रुपया वापिस वसूल करना है उसमें से ५० परसेंट तो वसूल भी किया जा चुका है मय इन्टरेस्ट के। तो अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि जीपों में हमने दखलन्दाजी की और चुनावों में पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए इनका उपयोग किया है, यह बिल्कुल गलत है।

(राजकीय पक्ष की ओर से हियर हियर)

इसके अलावा पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी है वह देख ले इसको और यदि पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की तरफ से या सदन की जो दूसरी कमेटीज हैं उनको तरफ से कोई इस तरह की रिपोर्ट आवे कि जिनमें इस तरह की गड़बड़ी होना पाया जावे तो हम रिपोर्ट पर कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय रोड्स कन्स्ट्रक्शन के टेंडर इन्वाईट किये गये तो क्या कॉन्ट्रेक्टर्स को यह बताया था कि उनको एग्रीमेंट के बाद में जीपें भी प्रोवाईड की जायेंगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह आपसे निवेदन करता हूं भैरोंसिह जी कि इसकी आवश्यकता नहीं थी....

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता थी। इससे कॉन्ट्रेक्ट की रेट कम आती। गवर्नमेंट अगर कोई कंसेशन देती है तो उससे कॉन्ट्रेक्ट की रेट कम आती....

श्री मथुरादास माथुर : आप अपने ही शब्दों को पकड़ लें भैरोंसिह जी, कंसेशन की जो आप बात कह रहे हैं तो अगर कोई कंसेशन दिया जाता तो टेंडर मांगते समय बताना आवश्यक था लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कंसेशन नहीं दिया है।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

मेरी बात सुनिये आप, मैंने कहा है कि मोटर्स दी गई है वे किसी कंसेशन पर नहीं दी गई हैं बल्कि हमको तो सात सौ रुपये कम में मिली और हमने कॉन्ट्रेक्टर्स से सात सौ रुपये ज्यादा वसूल किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप ऑडिट रिपोर्टस उठा कर देख लीजिए, उसमें पब्लिक वर्क्स के बारे में ए. जी. ने इस बात की आपत्ति उठाई है कि अगर किसी कॉन्ट्रेक्टर को किसी चीज को देना हो तो टेंडर इन्वाईट करने से पहले उसको बताया जाय ताकि इससे टेंडर की रेट कम आए। कॉन्ट्रेक्टर को कोई भी चीज देने की बात हो, किसी प्रकार का कर्ज देने की बात हो, एडवांस रुपया देने की बात

(श्री भैरोंसिंह)

हो, कोई और चीज देनी हो तो उसको पहले बताया जाय, इस प्रकार का ए. जी. का ओब्जेक्शन होता है। और उसमें गवर्नमेंट माफी मांगती है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूं कि अगर ए. जी. का ओब्जेक्शन होगा तो हम उसका जवाब देंगे, आडिट ओब्जेक्शन को मीट आउट करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री नत्थीसिंह : आप अपने पाप को छिपाने के लिये ए.जी. को जवाब देंगे, सुरक्षा मन्त्री भारत सरकार को जवाब देंगे, इस सदन को भी आप जवाब देंगे लेकिन इससे पाप नहीं छुपेगा, पाप तो बोलेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर : आपको कहने का हक है, मुझे जवाब देने का हक है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। जब माननीय मन्त्री महोदय बोल लें तब आपकी कोई शंका रह जाय तो आप पूछ लें, मैं आपको वक्त दूंगा क्लेरिफिकेशन का।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत नम्रता से और अत्यन्त विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि यह जीपों के मामले में जो कुछ भी राजस्थान सरकार ने कदम उठाये हैं वे इस रोड्स इन प्रोग्रेस के इन्टरेस्ट में उठाये हैं। ....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि जीपों का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंह जी तसल्ली रखिये, मैं आपको सब कुछ जवाब दूंगा। आज जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा और जब तक आपको तसल्ली न हो जाय जवाब देता ही रहूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी इस डेमोक्रेसी में रहने वाले हैं और वास्तविक डेमोक्रेसी में जिस प्रकार उन्हें अपनी बात कहने का हक है उसी प्रकार मुझे भी अपना जवाब देने का हक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में मैंने एक बात का निवेदन किया है कि भारत सरकार ने जो चार्ज लगाया है और जो कुछ अखबारों में छपा है, अगर वह सही है तो मैं भारत सरकार को जवाब देना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इस बात की है कि हमको पूरा पैसा नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार ने इसकी बराबर मांग की है और राजस्थान सरकार में इस बात की क्षमता है कि इस बोर्डर रोड्स के नाम को समय पर पूरा कर सके और रात दिन लगाकर भी पूरा कर सके।

दूसरा मेरा नम्र निवेदन यह है कि

Page No. 150

(श्री मथुरादास माथुर)

जीपों के बारे में, जीपों की परचेजेज के बारे में और जो जीपें हमने दी हैं, उसमें किसी प्रकार का कन्सेशन नहीं दिया गया है, सेल्स टैक्स पूरा वसूल किया गया है, रकम का पूरा इन्टरेस्ट वसूल कर रहे हैं, इन्स्टालमेंट की वसूली जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके अनुसार वसूल कर रहे हैं और अब तक फिफ्टी परसेन्ट इंस्टालमेंट वसूल भी किया जा चुका है। ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं और आपको संतुष्ट करने की कोशिश की है।

अब प्रश्न यह रह जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कान्ट्रक्टर्स जीपों को लेकर, जैसे बाड़मेर में कोई एम. एल. ए. खड़े हुए हों, चाहे कांग्रेस के हों या विरोधी पक्ष के हों, चाहे इण्डीपेंडेंट हों और चाहे और किसी पार्टी के हों, वे कांट्रैक्टर से अपने ताल्लुकात से कोई सामान ले लेते हैं और जैसा अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जीपों को लिया था कांग्रेस पार्टी ने, तो विरोधी दल के लोगों ने भी जीपें ली थीं उनसे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ठेकेदारों से जीपें ली गईं १५-२० दिन के लिये तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की जीप पर भी एम. आर. टी. नम्बर था और मेरे भी एम. आर. टी. था......

श्री भैरोंसिंह : मेरी किसी जीप पर एम. आर. टी. या एम. आर. डबल्यू. नहीं था। मैंने जयपुर से ही चुनाव लड़ा है और अपने स्कूटर से ही चुनाव लड़ा है और आपके कांग्रेस के कैंडीडेट को हराया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपका स्कूटर तो शहरों में चलता है लेकिन गांव के धोरों में जीपें चलती हैं वहां स्कूटर नहीं चलता है। मेरा आपसे मतलब आपकी पार्टी से है और आपकी पार्टी की जीपों पर भी एम. आर. टी नम्बर था। लेकिन मैं यहां इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं यहां उन पर कोई चार्ज लगाना नहीं चाहता...

श्री भैरोंसिंह : मैं एक और नम्र निवेदन कर दूं कि आपकी हिम्मत हो तो आप चार्ज लगायें, चार्ज न लगाने की कृपा न करें।

श्री मथुरादास माथुर : कृपा का प्रश्न नहीं है: तहजीब का तकाजा है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, इन जीपों को विरोधी दलों ने भी काम में लिया है और दूसरे दलों ने भी काम में ली हैं। अब किसी ठेकेदार से ताल्लुकात होने पर ....

श्री रामकिशन : किसने काम में ली है।

श्री मथुरादास माथुर : कांग्रेस का नाम तो आप बताते ही हैं लेकिन विरोधी दलों ने भी काम में ली हैं।

(६ म. प.)

श्री रामकिशन : किसने ली है ?

श्री मथुरादास माथुर : सोशियेलिस्ट पार्टी के लोगों ने ली है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास रखिये कि सोशियेलिस्ट पार्टी के जिस आदमी ने जीप ली है सोशियेलिस्ट पार्टी ने ईमानदारी से कहा है, लेकिन उसके

(श्री रामकिशन)

पास बोर्डर रोड का काम नहीं है। इसीलिये मैंने कहा हैं कि भंवरलाल ठेकेदार के पास बोर्डर रोड का काम नहीं है। इसीलिए हम साबित कर रहे हैं कि आपने दुरुपयोग किया है, केवल सोशियेलिस्ट पार्टी ही कम से कम ऐसा नहीं करती है।

श्री मथुरादास माथुर : में इस स्थिति में ज्यादा नहीं पड़ता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने पकड़कर बतलाया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह गली निकाली जाती है। माननीय सदस्य, वह गली नहीं है संकड़ी गली है।

श्री रामकिशन : में गली में कभी नहीं घूमा हूं। सड़कों पर घूमा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : हमने किसी को बोर्डर रोड की निगरानी के लिये जीपें नहीं दीं। (श्री रामकिशन खड़े होने पर) मेरी बात सुनिये।

मैंने शुरू में निवेदन किया था कि आप ध्यान रखें कि मैन रोड्स और लिंक रोड्स ये दो चीजें बोर्डर रोड्स प्रोजेक्ट के अन्दर है। वे सड़कें ऐसी हैं। दिल्ली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, मुनाब्बा·······

श्री नत्थीसिंह : यह कौनसी गली है ?

श्री मथुरादास माथुर : आप सब्र रखिये। जब आप कहते हैं तो हम सुनते हैं और अब सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं।

श्री नत्थीसिंह : मन्त्री महोदय कहना चाहते हैं कि हम सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो हमारा चार्ज है·······

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : आप इन्क्वायरी करा दें। उसके लिए तैयार रहें। आप जांच कराइये। यह जिम्मेदारी है आपकी। वह किसको अपराधी ठहराती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, साधारण सी बात है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य जो अभी बोल चुके हैं में उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। यह ठीक है कि भरतपुर वालों में जोश है।

अध्यक्ष महोदय, में निवेदन कर रहा था कि बोर्डर रोड प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने बनाया है, जो रोड्स उन्होंने सेंक्शन की है, मैंने नहीं की है। वह आज नहीं की, आज से साल डेढ़ साल पहले की थी। उसके अन्दर काम करने वाले कांट्रेक्टर्स का बोर्डर रोड प्रोजेक्ट ने सबको जीपें काम करने के लिए दी हैं ! यह तय किया था कि उनको मिलनी चाहिए। मैंने कहा है कि रूलिंग पार्टी का असर ज्यादा हो तो उनको ज्यादा मिल गई हों और छोटी पार्टी ने दो ले ली हो और किसी पार्टी को नहीं मिली हो, कोशिश की हो तो भी। उसमें अब हंगामा क्या है? चुनाव खत्म हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मान-

(श्री भैरोंसिंह)

नीय मंत्री महोदय ने इस बात को तो स्वीकार किया है कि जीपें चुनावों में काम में आईं।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द और श्री भैरोंसिंह के एक साथ खड़े होने पर) माननीय सदस्य वन एट टाइम। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तो आ गया जिसके बारे में विवाद था कि जीपें चुनाव में काम में आईं। अब इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है।

अब एक बात और बता दें कि जो जीपें दी गई कॉन्टेक्टर्स के नाम पर उनका रजिस्ट्रेशन कब ट्रान्सफर हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मैंने जीपों की सारी हिस्ट्री दी है। जीपें राजस्थान सरकार ने खरीदों। इसकी वजह पहले कही गई कि राजस्थान सरकार को स्टेट कोटा के अन्दर कम्पनी वह जीपें सप्लाई करने के लिए प्रायोरिटी देती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि जिस तरह से चुनावों के लिए कोटा मुकर्रर हो जाता है जीप देने के लिए। इसी तरह से हमारे पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए कोटा रखती है। कान्ट्रेक्टर्स खरीदते तो कान्ट्रेक्टर्स के नाम से सीधी खरीदी जाय तो जीपें नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार ने कहा कि सरकार उनको खरीदे और खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स ने जिन जिन के मार्फत ये जीपें दीं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। उसका उन्होंने सैल्स टैक्स दिया और पूरा सैल्स टेक्स दिया गया। उसके बाद जीपें ट्रान्सफर होकर कान्ट्रेक्टर के नाम पर हो गई। इसमें राज्य सरकार ने ७०० रुपये प्रति जीप कमाये।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पर्टीनेन्ट क्वेश्चन यह है कि क्या इलेक्शन पोरियड में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के नाम पर रजिस्ट्रेशन था ?

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्शन के पहले जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के नाम पर रजिस्ट्रेशन था वह कान्ट्रेक्टर्स के नाम पर ट्रान्सफर हो चुका था।

श्री भैरोंसिंह : कब हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : दिसम्बर के महीने में।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि मार्च में हुआ है। मार्च के अन्दर गवर्नमेंट ने प्राईस किये है एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के नाम को कोशिश करके बैक डेट में ट्रान्सफर कर दी जायं। बैक डेट में ट्रान्सफर नहीं हुए, इसलिए मार्च में ट्रान्सफर हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कोई रह गया हो तो मुझे पता नहीं।

श्री श्रवणलाल : यह तीसरी गली है।

श्री रामकिशन : आप एक बात और बता दीजिये....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री महोदय से (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कोलाहल एवं अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर : यह दिसम्बर के

(श्री मथुरादास माथुर)

महीने में राजस्थान सरकार ने फैसला करके भेजा है। कान्ट्रेक्टर्स को बेचने के लिए एग्रीमेंट बनाकर साइन कराने के लिए हुक्म दे दिया गया था। हरेक कान्ट्रेक्टर की किस तारीख को रजिस्ट्रेशन ट्रान्सफर हुआ है उसकी सूचना नहीं है इस समय लेकिन राज्य सरकार ने उस समय फैसला ले लिया था। राज्य सरकार का हुक्म दिसम्बर में गया है। यह हो नहीं सकता कि फरवरी या जनवरी में हुआ हो या मार्च में हुक्म दिया था और मार्च में राष्ट्रपति शासन आ गया। तो यह बात कौन मान सकता है ?

श्री अध्यक्ष : यह लेजिस्लेशन का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : इलेक्शन लॉ में यह है कि सरकारी गाड़ियों का चुनाव में प्रयोग किया जाय तो करप्ट प्रेक्टिस होती है। जब तक रजिस्ट्रेशन ट्रान्सफर नहीं होता है तब तक सरकार का दायित्व दूर नहीं होगा, और सरकारी गाड़ियां इलेक्शन में दौड़ाई गई हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अब देर मत करो।

श्री मथुरादास माथुर : इतना कानून तो हम भी जानते हैं। यदि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात को मान लिया जाय तो इलेक्शन के पहले सरकार के नाम पर रखकर इतना तो इलेक्शन ला हम भी जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो गलती हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आप डेट आफ रजिस्ट्रेशन मंगवा ली जाय।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए राजस्थान सरकार ने दिसम्बर के महीने में जीपों की कान्ट्रेक्टर्स को बेचने के लिए आदेश दे दिये थे और उनका एग्रीमेंट बन चुका था और कई एग्रीमेंट साइन हो गये। मैं जानता हूं दिसम्बर में हुए हैं। अगर आप पूरी सूचना चाहते हैं तो मैं देख लूंगा और आपको अर्ज कर सकता हूं। राजस्थान सरकार ने दिसम्बर में फैसला कर लिया था।

अध्यक्ष महोदय, अह यह दूसरा प्रश्न है जीप जीप, जीप जब से असेम्बली शुरू हुई है तब से चल रहा था कि राज्य सरकार की जीपें काम में लाई गई तो कान्ट्रेक्टर को क्यों मानते हैं। तो दूसरी दलील पेश करते हैं और इधर की दलील पेश करते हैं तो कान्ट्रेक्टर की मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कान्ट्रेक्टर के नाम करके सरकारी जीपों को काम में लेना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंहजी, आपको यह विश्वास होना चाहिये कि इतना तो हम जानते हैं कि सरकार के नाम पर जीपें तो इलेक्शन पिटीशन आयेंगे। ११ तो हैं हो, करालें हाईकोर्ट से फैसला।

श्री मूलचन्द डागा : समय तय कर दें। ६ बज गया है।

श्री मथुरादास माथुर : जब तक मैं खत्म नहीं करता हूं तेरी स्पीच तब तक रहेगा समय।

श्री अध्यक्ष : यह भावना है

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं समझा सकूं उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों को पीछे के लोगों को संतोष हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं हुआ है संतोष।

श्री मथुरादास माथुर : कई लोगों का सन्तोष हुआ है।

अब दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष यह है कि जो यहां पर कहा गया है कि हमारे यहां जीपों के अलावा दूसरी और चीजें गई हैं, मिसाल के तौर पर रोड रोलर्स खरीदे गये हैं। मैं कह सकता हूं कि यह पूरी तरह से समझने की बात है कि भारत सरकार ने उन्हें खरीदा है। यह समझने की बात है और भारत सरकार के हैं। जो आइटम्स मैंने पढ़कर सुनाये हैं। उनकी परचेजेज को जीप्स कान्ट्रेक्टर के लिए खरीदी गई हैं। भारत सरकार की प्रोपर्टी है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर भारत सरकार को उनको उठाना पड़ेगा। इनके अन्दर जो कुछ खर्च किया गया है या तो कान्ट्रेक्टर की प्रापर्टी होगी या राजस्थान सरकार की प्रोपर्टी होगी और कमीशन से खरीद कर लाते हैं वह हमारी प्रोपर्टी है। मैंने पेश किया जीप की जो बात कही है। मेरे पास बी० एण्ड आर० की रेट की कापी है। राजस्थान सरकार की मन्शा आपके सामने मैंने निवेदन की और सदन की तरफ से भारत सरकार से निवेदन किया कि ज्यादा धनराशि दी जाय तो काम को जल्दी करा सकते हैं यह देश की सुरक्षा का प्रश्न है। इस काम को जल्दी हम से जल्दी खत्म करना चाहते हैं मैं आपके जरिये भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ज्यादा धनराशि देंगे तो काम जल्दी पूरा करा देंगे।

अब दूसरी परचेजेज के बारे में खास तौर से एक ट्रेक्टर के बारे जिक्र बहुत जोरों से किया गया, हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स ५० हार्स पावर का बहुत जिक्र किया गया। इसकी डी० जी० एस० डी० की रेट नहीं है। इसकी कोई डी० जी० एस० डी० की रेट मुकर्रर की हुई नहीं है।

तो हमने फिर किस रेट में खरीदी। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इन्डस्ट्री ने जो एक चिट्ठी सब राज्य सरकारों को भेजी थी ...

श्री रामकिशन : मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर।

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर ने सब राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी थी, सब विभागों को चिट्ठी भेजी थी, वह हमारे यहां भी भेजी। उसमें तीन ट्रेक्टर के नाम दिये गये हैं। हिन्दुस्तान ट्रेक्टर है, जिसकी कीमत २१,८०० रुपये कुछ है, यह इस चिट्ठी में दर्ज है। उन्होंने कहा कि कोई कम्पनी इतने रुपये से ज्यादा रुपया लेती है तो आप हमको सूचित करें। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सब राज्य सरकारों से डिमाण्ड किया था और जो यह चिट्ठी थी इसके आधार पर हमारे यहां बोर्डर प्रोजेक्ट बना उससे पहले उस आधार पर खरीदीं। और सरकार के और विभागों ने, एग्रीकल्चर विभाग ने भी खरीदीं। उसी रेट से हमने भी खरीदीं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो चौबीस हजार को

Page No. 155

(श्री मथुरादास माथुर)

बात कहते हैं वह गलत है........

श्री भैरोंसिंह : गलत कैसे है ? मेरे पास भी सरकारी आंकड़े हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंहजी, एक मिनट । तो ट्रैक्टर पचास हॉर्स पावर की कीमत वह है, उस पर सैल्स टैक्स लगा कर तेईस हजार हुए हैं । अब इस पर सैल्स टैक्स लगा है, आपने सैल्स टैक्स को जोड़ जाड़ कर कहा कि इस पर दो हजार रुपये खा गये । राजस्थान सरकार सैल्स टैक्स को खा गई । हमने इसमें एक पैसा भी नहीं खाया, आखिर हम सब यहां इज्जत लेकर बैठे हुए हैं, और फिर हम डेमोक्रेसी के अन्दर रह रहे है, और माननीय सदस्य इतने सतर्क रहते है, उस हालत में एक भी पैसा कैसे खा सकते हैं....

श्री रामकिशन : वाह ! वाह । !

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैक्टर के बारे में जो भ्रम है कि तेईस हजार में खरीदा है, वह हमने सैल्स टैक्स देने के बाद में खरीदा है । और इस मामले की विजिलेंस कमीशन ने जांच की है ।

इसके अलावा मशीनरी की पर्चेजेज का मामला यहां पर उठाया गया और एक बात और उठाई गई । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइप लाइन का मामला उठाया....

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि सैल्स टैक्स देकर तेईस हजार में खरीदा है, तो क्या इसमें ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज शामिल नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको ब्रेक अप दे दूं ।

श्री भैरोंसिंह : ब्रेक अप में ही तो खा गये ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने इसका ब्रेक अप देखा है और मैंने अपने आफिसर्स से भी पूछा है । ट्रैक्टर हमने २१ हजार और कुछ में खरीदा, उस पर ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज, सैल्स टैक्स वगैरह जो लग सकता है वह सब मिला कर तेईस हजार है यह बात आप समझिये कि उसमें कीमत और सब चीजें शामिल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : वह शामिल नहीं हो सकतीं । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर यह है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह सब इसमें शामिल है ।

श्री भैरोंसिंह : उसमें एफ० ओ० आर० डिलीवरी देने का है, उसमें जार्जेज शामिल नहीं हो सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार जो अपना सामान भी पर्चेज करती है उस पर भी सैल्स टैक्स लगाती है । हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर सैल्स टैक्स लगाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है । २१,८२८ का ट्रैक्टर था, और वह २५,५०७ में खरीदा गया है,

(श्री भैरोंसिंह)

उसमें आपके कहने के अनुसार दो हजार भी शामिल कर लें तो भी उसके बाद में तीन हजार कहां गये ?

श्री मथुरादास माथुर : ट्रैक्टर इक्कीस हजार में खरीदा है, उसके अलावा जो चार्जेज लगते हैं वह चार्जेज उसमें एड होने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : वह हो नहीं सकते।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न आज ही नहीं उठाया गया है, पहले भी उठाया गया है और इसको वेरीफाई करके, अकाउन्ट्स देख कर मैं तसल्ली से और जबाबदारी से रहा हूं। (समय-समाप्ति सूचक घण्टी) दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

जो पाइप लाइन की बात कही गई। वह पाइप इसलिए खरीदे गये कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसने इन्कार कर दिया कूए के पास तक पाइप लाइन दे सकते हैं। वहां के लिए जो पानी चाहिए था, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि हम पाइप लाइन नहीं लगा सकते। तो पाइप हमें लगाने पड़े इसलिए वह खरीदे। क्योंकि वहां जो लेबर काम करते हैं उनको पानी पिलाने की व्यवस्था करनी होती है। इसलिए पाइप खरीदे गये हैं। यह मुद्दा आज ही उठाया गया है। यदि इसका पहले से नोटिस होता तो मै आंकड़े लेकर आता और बता देता। बाकी जो सामान खरीदा गया है, वह टेन्डर से खरीदा है। जोधपुर शहर का एक भी रिश्तेदार, मित्र या मिलने वाला नहीं है जिनसे सामान खरीदा हो। भैरोंसिंह जी, आप जांच कर लेना, जिन्होंने भी सामान खरीदा हैं, उनमें जोधपुर का एक भी मेरा कोई सात पीढ़ी का रिश्तेदार, मित्र या मिलने वाला नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : माथुर लिखा हुआ होता तो मै ही बता देता। इसमें आप क्या नई बात कह रहे हैं। माथुर नहीं लिखा हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : आप जांच कर लें, कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या मिलने वाला आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह : दोस्त होंगे इन सामान खरीदने वालों में। माथुर नहीं लिखा हुआ है। भैरों नारायण माथुर का नाम है इसमें। जब तक टैक्स क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट नहीं ले लिया जाता तब तक माल नहीं खरीदते हैं लेकिन....

श्री मथुरादास माथुर : कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप हाउस में कुछ भी कह सकते हैं। यहां हाउस में बैठ करके कुछ भी कह सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कभी एक पैसे का भी गलत माल नहीं खरीदा है। मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसा कोई काम नहीं किया सरकार की तरफ से जिसमें एक पैसे का भी मुनाफा उठाया हो। परमात्मा सबको दो रोटी देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चार्जेज लगाये गये हैं वह निराधार हैं, और आप अन्दाज के आधार पर कह रहे हैं

Page No. 157

(श्री मथुरादास माथुर)

कि कांग्रेस का सेक्रेटरी होगा, फलां होगा। यह इलेक्शन मीटिंग के भाषण हो सकते हैं, इस सदन के भाषण नहीं हो सकते। मैं निवेदन करूंगा....

श्री भैरोंसिंह : एक पाइन्ट रह गया। आपने जो सामान खरीदा है उसमें टेन्डर इन्वाइट करने के लिए आपने एडवर्टाईजमेंट करवाया हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बताऊं, आपका जो यह पाइन्ट कि एडवर्टाइजमेन्ट हुआ है या नहीं, तो मुझे सूचना मिली है कि एडवर्टाइ-मेंट हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : किस में हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : पी. डब्ल्यू. डी. के जो काम होते हैं, जो भी काम हमारे होते हैं उनके लिए रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर्स को चिट्ठी लिखी जाती है (श्री भैरोंसिंहजी के उठने पर) सुनिये ! भैरोंसिंह जी सुनिये....

श्री भैरोंसिंह : हमने भी इसकी जांच की है। आपने कहा कि रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर्स को चिट्ठियां दे दीं। लेकिन उन्होंने भी यह शिकायत की है कि उनको एडवर्टाईजमेंट की सूचना नहीं थी।

श्री मथुरादास माथुर : और जगह जगह एडवर्टाईजमेंट इसलिए नहीं देते हैं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी यहां बैठे हुए हैं, जब मैं मिनिस्टर फार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था और मेरे पास में पब्लिक रिलेशन्स का भी पोर्टफोलियो था, उस समय एक कमेटी बनी थी उसमें आप भी थे। उन्होंने भी कहा था कि जो एडवर्टाईजमेंट निकलते हैं इसमें खर्च होता है इसलिए साइक्लोस्टाइल्ड लेटर निकाल कर जो रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर्स हैं उनको भेज देना चाहिए और सब में एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए। कमेटी के कहने से ही इसका कानून बदला था। यहां सतीशचन्द्र जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री भैरोंसिंह : यह बता दीजिये कि सबको भेजा या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : जो रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर्स हैं उनको नोटिस दिया गया है और दफ्तर के बाहर बोर्ड पर भी लगाया गया है। अखबार में एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है कि अखबार में एडवर्टाईजमेंट दिया गया। बाद में आप पूछ लेना मैं आपको पेपर्स की कटिंग भी बता दूंगा। लेकिन उसके बाद में भी यह आब्जेक्शन हो सकता है कि यह जो मद्रास के पेपर में किया गया, बम्बई के पेपर में क्यों नहीं किया गया। यह बम्बई से निकलता है, दिल्ली से नहीं निकलता है। तो यह सब बातें तो आडिट वाले करते रहेंगे। मैं यहां हर किसी की तारीफ करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। जो यहां बड़े-बड़े मुद्दे उठाये गये, उनके बारे में मैंने निवेदन किया और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार पूरी क्षमता से, माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और बोर्डर्स की सुरक्षा के प्रश्न को देखते हुए काम

(श्री मथुरादास माथुर)

करती रही है और आयन्दा भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैंरोंसिंह : एक बात और बता दीजिये, आर. ए. सी. के सेक्टर में खरीदा सामान, जो जोधपुर के सेक्टर के अन्दर खरीदा सामान तो उसकी ज्यादा कीमत क्यों दी गई ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि जो भी ट्रैक्टर, मशीनरी आदि खरीदी गई, जोधपुर में ज्यादा कीमत है या कहीं कम है यह क्यों खरीदा गया— यह सब चीजें पोशीदा नहीं है और सदन में मैं ट्रैक्टर जीपें, मशीनरी, ट्रॉली आदि खरीदने के सम्बन्ध में जवाब दे चुका हूं। यह छोटी—मोटी चीजें हैं । वैसे मैं चीफ इन्जीनियर और सेक्रेट्री वगैरहा को कह दूंगा कि भैरोंसिंह जी का कोई सेक्रेट्री आये तो उसको सारी बातें समझा दें । वह समझा देंगे ।

श्री नत्थीसिंह : भैरोंसिंह जी क्या सेक्रेट्री भेजते रहते हैं । यह तो सीरिअस बात है ।

श्री भैंरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जरा सावधानी से बोलें। सेक्रेट्री मुझे क्या समझा सकते हैं, मैं मंत्री महोदय को समझ सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के सेक्रेट्री के लिए कहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपके सेक्रेट्री । मैंने कहा, आपके सेक्रेट्री ।

श्री अध्यक्ष : आपके सेक्रेट्री कहा है । अब तो बहुत सम्भल गये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बहुत सम्भल के कहता हूं आपकी हैसियत तो मुझे समझने की है ।

अब मैं निवेदन कर दूं कि यह चर्चा जो हुई है, यह अच्छी और तन्दुरुस्त चर्चा हुई है सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा और सदन के जरिये हिन्दुस्तान के सब लोगों को यह रोशन हो जायगा कि आज सरकार इसमें से बिल्कुल साफ होकर निकल रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावत !

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक जानकारी चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामकिशन के खड़े होने पर) आपको पूछने दें । माननीय रामकिशन जी । आर्डर प्लीज ! आप पूछने जा रहे हैं ।

श्री विजयसिंह रावत : आपके द्वारा मैं जानकारी चाहूंगा । वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा एग्रीमेंट था उसके अन्दर जीप इन्क्लूडेड की हुई नहीं थी । आवश्यकता बाद में पड़ी, इस लिहाज से ठेकेदार को दी । मैं सदन की जानकारी के लिए यह याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च ६५ में चतुर्भुज लीलाधर एण्ड कम्पनी को मर्सीडीज गाड़ी बनाने का सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दिया था। उसमें ऐसी बाधा पड़ गई कि एग्रीमेंट में जो

(श्री विजयसिंह रावत)

जो आइटम थे वह आइटम प्रवेलेबल कर दिये थे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने....

श्री अध्यक्ष : दूसरा मामला है।

श्री विजयसिंह रावत : अभी में आ रहा हूं उस मुद्दे पर। तो में इन्जीनियर होने के नाते उस वक्त कम्पनी में गया था। और हाई कोर्ट बम्बई ने उसमें फैसला दिया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के अनुसार आपने जो जो आइटम मांगे है वह आइटम सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दे दिये हैं। अब पानी का बहाव ज्यादा हो, कमती हो, या पिलर इसमें गिरता हो तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। में जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि जब राजस्थान सरकार ने एग्रीमेंट किया था उस वक्त जीप इन्क्लूडेड नहीं की थीं तो बाद में सरकार को कान्ट्रेक्टर्स से क्या सहानुभूति थी कि ठेकेदार को फिर उसकी मांग पर आपकी ओर से जीप दी गई?

श्री अध्यक्ष : यस, श्री रामकिशन!

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे तीन चार जानकारियां लेनी हैं। जहां तक बयान दिया है वह आदि से लगा कर आखिर तक गलत ही गलत है, जैसी कि मुझे आशा ही थी।

पहली जानकारी में यह प्राप्त करना चाहता हूं। जो ५९२ करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी केन्द्रीय सरकार ने उसमें जीपें खरीदने के लिये मना किया था कि नहीं?

दूसरी जानकारी में यह प्राप्त करना चाहता हूं कि मैंने ५ ठेकेदारों के नाम बताये, उनकी कोई दरख्वास्त नहीं, जिनकी कोई मांग नहीं, उनको भी आपने जीपें दी, जिनका बोर्डर रोड्स पर काम नहीं, उनको भी सिर्फ रोड्स बोर्डर की बना कर आपने जीपें दीं। चुनावों के लिये जीपें दीं, यह आपने स्वीकार भी किया है। यह आप बता दें, जीपें दीं हैं जैसा कि आप मान गये हैं कि १५ जीपें कांग्रेस को भी दी हैं, तो यह बता दें कि किन-किन चुनाव क्षेत्रों को जीपें दो हैं?

अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी में गई हैं, ये सारी चुनावों के काम में आई हैं, द्वारका दास जोशी और नेमीचन्द गोलेछा को दी हैं।

तो एक तो यह बता दें कि ५९२ करोड़ के अगेन्स्ट में केन्द्रीय सरकार ने क्या लिखा है? और दूसरे यह बता दें कि किन-किन चुनाव क्षेत्रों को जीपें दी हैं?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक पहले प्रश्न का जवाब है, उसका उत्तर देना जरूरी हो गया है। बाकी दूसरे का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं यहां कांग्रेस की तरफ से जवाब देने खड़ा नहीं हूं कि किन-किन को दी। में राजस्थान सरकार के मन्त्री के नाते जवाब दे रहा हूं। उन्होने कहा कि ५९२ लाख रुपये बजट में हैड दिखाया हुआ है, उसमें केन्द्रीय सरकार ने जीपें खरीदने के लिये मना किया या नहीं? भारत सरकार की चिट्ठी में सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं। भारत सरकार की जो पहली चिट्ठी है, उसमें १०० जीपें तक

(श्री मथुरादास माथुर)

खरीदने को कहा है। उसके बाद में, यह उस वक्त का किस्सा है जब हमारे और भारत सरकार के बीच में क्या एजेंसी होगी, यह तय नहीं हुआ था। उसके बाद कहा कि ७।। परसेंन्ट जो आपको कमिशन मिलेगा। यह तय होने के बाद भारत सरकार ने कहा कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के लिये २५ जीपें खरीदी हैं, वह इसमें से नहीं खरीद सकते। पहली चिट्ठी में यह नहीं था, पहली चिट्ठी में १०० जीपें तक खरीदने का कहा था, उस पर २५ जीपें हमने खरीदली थीं। यह दूसरी चिट्ठी बाद में आई। कमीशन का रुपया मिलेगा उसमें एडजस्ट हो जायगा। वह एडजस्ट हो गया। पहले जो चिट्ठी आई थी उसमें १०० तक जीपें खरीदने का लिखा था। वह चिट्ठी मौजूद है। जब ७।। परसेंन्ट कमीशन का तय हो गया तो कहा कि सुपरवाइजरी काम के लिये जीपें चाहिये यह ७।। परसेंन्ट कमिशन में से खरीद सकते हैं।

श्री रामकिशन : जैसलमेर की रोड्स के ठेकेदार के नाम कब ट्रान्सफर की ?

श्री मथुरादास माथुर : दिसम्बर के महीने में तय हो गया था, अब एक एक का मैं इस समय नहीं कह सकता कि किसको कब की।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर ६.२५ म. प. सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक २१-७-६७ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३३ का उत्तर देखिये)

सूची जेरकार मुकद्दमात धारा ९१ लैन्ड रेवेन्यू एक्ट तहसील वाइज डिस्ट्रिक्ट टौंक (राजस्थान)

१—तहसील टौंक	२५३२	मुकद्दमात
२—तहसील मालपुरा	४६८४	,,
३—तहसील टोड़ा रायसिंह	२१३३	,,
४—तहसील निवाई	३८४३	,,
५—तहसील देवली	२३१६	,,
६—तहसील अलीगढ़	४३१०	,,

———

धारा १५ व १८ के अन्तर्गत जो दिये गये तहसील वाइज सूची
धारा १५ व १६ के अन्तर्गत जो दिये गये तहसील वाइज सूचना

क्र० सं० नाम तहसील	विवरण
१—तहसील, टौंक	तहसील धारा १५ व १६ राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत अधिकतर खातेदारी कृषकों को दिये जा चुके हैं। ऐसा कोई मुकदमा तहसील हाजा में पेन्डिग नहीं है।
२—तहसील मालपुरा	धारा १५ व १६ राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जिन भूमिकारों को हकूक खातेदारी नियमानुसार प्रदान किये जाने को थे उन्हें हकूक खातेदारी प्रदान की जा चुकी है, कोई केस विचाराधीन नहीं है।
३—तहसील टोडारायसिंह	सबको खातेदारी दी जा चुकी है।
४—तहसील देवली	तहसील हाजा में उक्त धाराओं के तहत जो कृषक खातेदारी हक पाने के मुस्तहिक थे उनको खातेदारी हक दिए जा चुके।
५—तहसील निवाई	तहसील हाजा में उक्त धाराओं के तहत अधिकार दिये गये हैं।
६—तहसील अलीगढ़	तहसील हाजा में धारा १५ व १६ रा०टें० एक्ट के अन्तर्गत अधिकार खातेदारी कृषकों को दिये जा चुके हैं ऐसा कोई मुकदमा पेन्डिग नहीं है।

परिशिष्ट सं० २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ का उत्तर देखिये)

FORN No. 217 (4) Churu Distt.

Police Station Churu. Date of Issue dt. 4. 8. 1966

License No. 1

Free of all the fee whereas Shri Mohar singh M. L. A. Churu have applied for a license u/s 30 of Police Act (Act V of 1861)

License for Public meeting (Assembly) on the occasion of arrival of C. M. &. Electricity Minister, Raj. at Churu on 5. 8. 66 u/s 30 of Police Act (Act V of 1961).

Name & Description of the Licensees.	Period for which the license is valid.	Place or area or which the license is granted.	Place & time of commencement.	Place and time conclusion.
1	2	3	4	5
Shri Mohar Singh M.L.A, Churu Constiuency.	12.00 mid-night of 5-8-1966	Area on west of Begla, Higher secondary School, Maidan of Jehra, Churu.	8 P. M. on 5.8.66 at place mentioned in Cl-3	11 P. M. of 5. 8. 66 at place mentioned in Column No. 3.

Route to be followed (to be given in detail).	Place and periods of halts, if any.	Kind of Music allowed and the place (if any) where it would not be played.	Officer-in-charge of the procession.	Remarks.
6	7	8	9	10
NIL		NIL	NIL	Shri Kesho Ram Dy. S. P., Camp Churu.

Seal of the S. P. Churu.

Receivecd one copy.
Sd/-Mohar Singh.
5-8-66

Sd/-S.K. Shara
Distt. Supdt. of Police,
Churu, 5-8-66

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० ६३६ का उत्तर देखिये)

A Central wage Board for the Engineering Iudustries was set up by the Government of India by their resolution Dated the12th December, 1964. Soon after the constitution of the wage Board, claims were made by the labour for grant of interim relief. After hearing all the parties, who wished to be heard, the Board discussed the sujbect at length but it was unable to arrive at an agreed solution. The Board decided by the majority vote to recommend to the Government of India a scheme of interim relief, the details of which are given in Appendix I.

After careful consideration of the majority recommedations and the notes of dissent added by the employers' representatives, the Government of India has decided to accept the majority recommendations where any increases in wages or dearness allowances have alraedy been sanctioned, expressly subject to adjustment against the interim or final recommendations to be made by the Wage Board, such adjustment would be permissible upto the extent of the interim increase now rocommonded., any excess, however, will not be recoverable from the workers.

The interim relief rocommended by the wage Board should be payable w.e.f. 1.4.66 Employers in the Engineering Industry are requseted to implement the Wage Board roeommendations regarding interim relief as accapted by the Government of India.

APENDIX I

THE SCHEME OF INTERIM RELIEF

Workers getting as on 31-3-66 wages (i.e. basic plus D.A. or a consolidated wage) in the wage range mentioned in items under column I below shall be paid interim relief with effect from 1-4-66 as shown against each item in col. II below :—

Wages and wage range:	Interim relief payable with effect from 1-4-66.
I	II
(1) Upto and inclusive of Rs. 105/-per month.	Rs. 12.50 per month subject to limitation that nobody gets as rerult of these recommendations more than Rs. 111/- per month.
(2) Above Rs. 105/-but not more than Rs. 150/-per month.	Rs. 7.50 per month.
(3) Above Rs. 150/- but not more than Rs. 250/-per month.	Rs. 6.00 per month.
(4) Above Rs. 250/-but not more than Rs. 500/-per month.	Rs. 5.00 per month.

Notes :

1. The question of the impact of regional differances will be detormined at the time of final decision of the Board.

2. The Board recognizes that some units and sectors of the industry give substantial fringe benefits. The Board records that it will take this factor into consideration at the time of its final decisions.

3. The above recommendation shall be-ad hoc relief adjustable according to final decision of the Board and shall not count for Provident fund, Gratuity, incentive paymetns, bonus and other allowances.

4. These recommendations shall not apply to workers drawing wages (Besic plus D.A.) above Rs. 500/-

5. These rocommendation shall come into force with effect from 1-1-1966.

6. This is an-ad hoc scheme and must be regarded as such.

LIST OF ESTABLISHMENT WHICH MAY EMPLIMENT THE WAGE BOARD REEOMMENDATIONS REGARDING INTERIM RELIEF

1. Mulimetals Ltd., Kota.
2. Orinteal Power Cables Alnia,
3. Sundar Sens Industries Private Ltd., Kota.
4. Crafts Man Eng ineeringy Works Udaipur.
5. Standard Auto Parts P. Ltd., Jodhpur.
6. Rajasthan Industries, Jodhpur.
7. Life Time Products Corproation,Jodhpur
8. Alecobex Metal Corperation, Jodhpur.
9. Cimco Bharatpur.
10. Man Industries Corporation, Jaipur.
11. Jaipur Metals & Electrical Ltd., Jaipur.
12. Hindustan Engineering Co. Jaipur.
13. Shah Engineering. P. Ltd., Jaipur.
14. Sharda Industries, Jaipur.
15. Capstan Meters P. Ltd., Jaipur.
16. National Engineering Co. Ltd., Jaipur.
17. Amolak Iron-C-Industries, Jaipur.
18. M/s Kamal & Co. Jaipur.
19. M/s A. Mukrji & Co. Jaipur.

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७२३ का उत्तर देखिये)

माह दिसम्बर ६६ व जनवरी ६७ में तहसील हिण्डौली द्वारा दिये गये खातेदारी का विवरण।

ब्राह्मणों की झौंपड़ियां,	हिण्डौली,	बाबाजी का खेड़ा,	सौंरण,	बड़ानयागांव
६	४	४	३	८

केशोपुरा,	श्रोवन,	बन्दाकाखेड़,	बसोली	खेजड़ा,	चेनपुरया,	ठीकरदा,	बोरखेड़ी
२	१	१	७	२	१	५	६

काबुल,	किशनगंज,	पगारां,	थाना,	सलावल्या,	बिशनपुरा	गोकलपुरा
१	२	८१	१३	१	१	१७

जजावर,	ताकला,	सुखपुरा,	मेडी,	खीन्या,	नीमोद,	डाटुन्दा,	गोठड़ा,
३४	८	१	१	१	३	४	१०

स्वरूपगढ़,	बटवाडो,	सलेदाता,	बावड़ो	मोतीपुरा,	टोंकड़ा	टडक्या,	टहला
६	३	२	३	१	६	२	२

बासनी,	उमर,	सरसोद,	बारघड़ो,	कुमहरला,	लुहारिया	रोनीजा,
६	७	३५	४८	३१	३५	४०

धाबाइयों का नयागांव,	कालामाल,	सूहरी,	रौशन्दा,	थल्या,	रानीपुरा
१७	१	७	७	६	३

खेड़ा,	बडगांव,		योग
२	१	=	५१२

नोटः—इनमें २५) जमा कराके भरड़ा कुआं पर खातेदारी दिये गये केसेज भी शामिल हैं।

कमाण्ड	नौकमाण्ड		योग
१२६	३८३	=	५१२

Page No. 169

४.	छोतर पुत्र कालु ,, ,,	२४३	१०	,,
५.	प्रभू पुत्र लादू ,, ,,	२४३	१०	,,
६.	नाथु पुत्र मेहराम ,, ,,	२४०	१०	,,
७.	रामकरण पुत्र लादू ,, ,,	२४३	१०	,,
८.	गबरू पुत्र भीमा भांभी पीपलाद	६३०	१३	,,
९.	राधाकिशन पुत्र शिवराम ,,	६३०	१२	,,
१०.	हनुमान पुत्र प्रताप ,, ,,	१	३॥)	
११.	सोहन पुत्र मेरू सांसा ,,	६३०	१५)	,,
१२.	अता पुत्र सन्डा सांसा आन्दोली	६५	१२)	,,
१३.	देवकरण पुत्र मूला ,, ,,	६५	१२)	,,
१४.	जीता पुत्र बोबी ,, ,,	६५	१२)	,,
१५.	पाबू पुत्र चोथू ,, ,,	६५	१२)	,,
१६.	नानू पुत्र खूमा ,, ,,	६५	१२)	,,
१७.	जेठा पुत्र हरलाल ,, ,,	६५	१२)	,,
१८.	मालू पुत्र शिवराज भांबी मेहगांव	२३४	१५)	,,
१९.	चेला पुत्र आदा भाबी सा मेहगांव	२३४	१५)	,,
२०.	रावत पुत्र बगता ,, ,,	२३४	१५)	,,
२१.	पोकर पुत्र हीरा ,, ,,	२३४	१५)	,,
२२.	मांगीलाल पुत्र बोदू ,, ,,	२३४	१५)	,,
२३.	हीरा पुत्र मोती ,, ,,	६२	१५)	,,
२४.	तेजा पुत्र घासी ,, ,,	६२	१५)	,,
२५.	नानू पुत्र पुसा भांबी सा० हथेली	३२	१०)	,,
२६.	काना पुत्र लादू ,, ,,	३२	१०)	,,

परिशिष्ट ५

(समयाभाव के कारण समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

तहसीलदार परबतसर द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि

६४६. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) वर्ष १९६५-६६ में तहसीलदार परबतसर द्वारा भूमिहीन किसानों को कितनी भूमि दी गई ?

(२) क्या अनुसूचित जाति के किसानों को भी भूमि दी गई है ? यदि हां तो किस किस को कितनी कितनी भूमि ?

(३) क्या भकरी बांध के बन्ध जाने के बाद नदी वाली जमीन अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को देने का विचार है ?

उत्तर

(१) सन् १९५५-६६ में १५०४ एकड़ भूमि का आवंटन तहसीलतार परबतसर द्वारा किया गया ।

(२) जी हां । सूची संलग्न है ।

(३) भकरी बांध के पास गैर मुमकिन नदी में काश्त योग्य पड़त भूमि का आवंटन गत वर्ष तहसीलदार परबतसर द्वारा किया गया था ।

सूची

सूचि अनुसूचित जाति को भूमि दी गई ।:—

क्रम संख्या । नाम आसामी	खसरा नम्बर	रकबा जो दिया गया
१. नाथु पुत्र डालू माजी सा० बरेब	२४०	१० बीघा
२. जीवण पुत्र फुसा ,, ,,	२४३	१० ,,
३. पाना पुत्र गोविन्द ,, ,,	२४३	१० ,,

२७. रामलाल पुत्र लछा भांबी सा० बागोह	३२	१०)	,,
२८. जैसा पुत्र जेठा ,, ,,	३२	१०)	,,
२९. पुरा पुत्र गणेश भांबी सा. किदिया	३०	१०)	,,
३०. भूता पुत्र जेठा ,, ,,	३०	१०)	,,
३१. चतरा पुत्र मनरूप ,, ,,	३०	१०)	,,
३२. फूसा पुत्र बोदू ,, ,,	३०	१०)	,,
३३. मांगू पुत्र बोदू ,, ,,	६४६	१५)	,,
३४. मोती पुत्र दिना मांबी मकरी	६५६	१५)	,,
३५. तारा पुत्र गणेश मांबी सा. मकरी	६५६	१५)	,,
३६. बालू पुत्र भींवा ,, ,,	६५६	१५)	,,
३७. मेघा पुत्र नाथू ,, परबतसर	११८०	१३)	,,
३८. पूनमचन्द पुत्र गणेश ,,	११७५	१३)	,,
३९. रामचरण पुत्र काना भांबी सा. परबतसर	११७७	८)	,,
४०. सुभकरण पुत्र नाथू ,, ,,	११७७	८)	,,
४१. भंवरलाल पुत्र नाथू ,, ,,	११७७	८)	,,
४२. अमरा पुत्र किशना रेगर ,,	१०९८	४)	,,
४३. हनुमान पुत्र प्रतापा मांबी ,,	११३९	८)	,,
४४. उदाराम पुत्र दौलाराम नायक	६९१	१४)	,,
४५. चुनिलाल पुत्र जीवण ,, ,,	११३६	६।)	,,
४६. मान पुत्र प्रताप ढाढी सा. बोहरलिया	३३९	११।।)	,,
४७ आसू पुत्र माला ढाढी सा. कुराडा	२३३	१५)	,,
४८. सुखड़ा पुत्र भींका ,, ,,	२३२	६।।)	,,
४९. पाबूजा पुत्र मांगू हरिजन ,,	२२९	१५)	,,
५०. मोहन पुत्र नारू ,, ,,	१९	१५)	,,

समयाभाव के कारण नहीं लिये गए तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग प्रसार अधिकारियों के तवादले

१५०. श्री मेघराज पंवार (चुरू) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) उद्योग विभाग के अन्तर्गत चलने वाली चूरू व नागौर औद्योगीकरण ग्रामीण परियोजनाओं में पिछले चार वर्षों में कितने उद्योग प्रसार अधिकारियों को नियुक्तियां की गई और उनमें से कितने उद्योग प्रसार अधिकारी ड्यूटी पर हाजिर हुए और उनमें से कितने लोगों ने अपने ऑर्डर कैन्सिल करवा लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन परियोजनाओं में नियुक्त किये गये उद्योग प्रसार अधिकारियों के पिछले चार वर्ष में कितने तवादले किए गये और कितने समय के बाद ?

(३) क्या उद्योग प्रसार अधिकारियों के स्थान इन परियोजनाओं में पिछले चार वर्ष में खाली भी रहे ? यदि हां, तो कब से कब तक कौन कौन से स्थान खाली रहे और क्यों ?

उत्तर

(१) पिछले चार वर्षों में चुरू ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना में २२ उद्योग प्रसार अधिकारियों की और नागौर ग्रामीण औधोगिकरण परियोजना में १२ उद्योग प्रसार अधिकारियों की नियुक्तियां की गई थी जिसमें चुरू में १७ और नागौर में ११ उद्योग प्रसार अधिकारी कार्य पर उपस्थित हुए। चुरु में ५ की अनुपस्थिति ऑर्डर कैन्सिल होने के कारण हुई और नागौर में एक उद्योग प्रसार अधिकारी को अनुपस्थिति उसके इस्तीफा देने के कारण हुई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) चूरु परियोजना में पिछले चार वर्षों में १२ तबादले किये गये इन में एक की नियुक्ति के एक महिने के अन्दर, दो का दूसरे महिने में। दो का तीसरे महिने में एक का पांचवें महिने में, एक का सातवें महिने में, एक का बारह महिने में और बारह का १२ महिने से अधिक समय के बाद तबादला किया गया '

नागौर परियोजना में पिछले चार वर्षों में पांच तबादले किये गये, एक की नियुक्ति के ३॥ महिने बाद, एक बारह महिने बाद, एक वर्ष ३ महीने बाद और एक ४ साल बाद किया गया।

(३) जी हां। सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

सूची

उद्योग प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति, उपस्थिति, अनुपस्थित की सूची

परियोजना कार्यालय	उद्योग प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति की संख्या	कार्य पर उपस्थित होने वालों को संख्या	कार्य पर अनुपस्थित होने वालों की संख्या	अनुपस्थिति का कारण
चूरू	२२	१७	५	दूसरे पदों पर नियुक्ति किये जाने से तथा आदेश निरस्त होने के कारण
नागौर	१२	११	१	स्तीफा दिये जाने के कारण

चूरू और नागौर परियोजनाओं में उद्योग प्रसार अधिकारियों के रिक्त स्थानों की सूची

	महीने जिनमें स्थान रिक्त रहे											
चरू परियोजना												
	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
१९६३-६४	—	२	२	१	—	—	—	—	—	—	—	—
१९६४-६५	—	—	२	२	२	१	१	१	३	३	२	२
१९६५-६६	२	२	२	१	१	१	१	१	१	१	१	—
१९६६-६७	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागौर परियोजना												
१९६३-६४	—	२	३	३	३	२	२	२	२	२	[illegible]	२
१९६४-६५	२	२	२	२	२	२	२	३	३	३	[illegible]	४
१९६५-६६	४	४	४	३	२	[illegible]	२	३	[illegible]	२	[illegible]	१
१९६६-६७	१	१	—	...	...	...	...	...	...	...	...	...

थाना कैथून में दर्ज अपराध के मामले

६५१. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दोगोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिले के थाना कैथून, मेड़ाका, सुल्तानपुर में १ जनवरी, ६६ से ३० मार्च सन् ६७ तक कितने अपराध दर्ज रजिस्टर हुए ?

(२) इनमें चोरी, मवेशी सिरका, किमार (जुआ) बाजी, एक्सीडेन्ट्स की संख्या कितनी कितनी है ?

(३) क्या यह सही है कि फरवरी, ६७ के आम चुनाव काल में कैथून क्षेत्र के नजदीक किसी जीप कार से दुर्घटना में किसी व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो किस जीप कार से किस व्यक्ति की मृत्यु हुई ?

(४) भाग (१) में उल्लिखित मामलों में से कितने अपराधों का अदालत में चालान किया ? और उनमें से कितने व्यक्ति बरी हुए और कितनों को सजा हुई ?

उत्तर

१. कोटा जिले के थाना कैथून, मेड़ाका व सुल्तानपुर में १-१-६६ से ३०-३-६७ तक क्रमशः ५२, ३६ व ६२ अभियोग पंजिबद्ध हुए।

२. (अ) १-१-६६ से ३०-३-६७ तक थाना केथून में २६ अभियोग चोरी के, १ अभियोग मवेशी सरकार का व २ अभियोग एक्सीडेन्ट्स के दर्ज हुये। जुआ का कोई अभियोग पंजिबद्ध नहीं हुआ ।

(आ) १-१-६६ से ३०-३-६७ तक थाना मेड़ाका में १७ अभियोग चोरी के, १ अभियोग मवेशी सरका का, १ अभियोग जुआं बाजी का व २ अभियोग एक्सीडेन्ट्स के पंजिबद्ध हुये।

(इ) १-१-६६ से ३०-३-६७ तक थाना सुल्तानपुर में २१ अभियोग चोरी के व १ अभियोग एक्सीडेन्ड का पंजिबद्ध हुआ। मवेशी सरका व जुआं कोई अभियोग पंजिबद्ध नहीं हुआ।

३. जी हां, फरवरी, ६७ के आम चुनाव काल में केथून के नजदीक एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई थी। मृतक का नाम घासी पुत्र बाला धाकड़ निवासी पोल किया था। जीप कार व्योरा ज्ञात नहीं हो सका।

४. (अ) थाना केथून में ५२ पंजिबद्ध अभियोगों में से २९ अभियोगों का चालान

(श्री गृह मन्त्री)

अदालत में प्रस्तुत किया। इनमें से ४ अभियोगों में राजीनामा व २३ अभियोग अभी पैंडिंग कोर्ट है।

(आ) थाना मेड़का में ३६ पंजिबद्ध अभियोगों में से २५ अभियोगों का अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। इनमें से एक अभियोग सजायाब हुआ। एक अभियोग में राजीनामा किया व २३ पैंडिंग कोर्ट है।

(इ) थाना सुल्तानपुर में ६२ पंजिबद्ध अभियोगों में से ३८ अभियोगों का चालान प्रस्तुत किया गया। इनमें से २ अभियोगों में राजीनामा हुआ। इनमें से से बाकी ३६ अभियोग अभी पैंडिंग ट्रायल है।

ग्राम रामपुरा (तहसीं बानसूर) में हरिजनों के आवास के लिए भूमि

१५२. श्री बद्रीप्रसादगुप्ता (बानसूर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर ने स्थानीय हरिजनों के आवास के लिए अपने ग्राम की काश्त की जमीन एक्वायर करने के लिए करीब सात साल पहले राजस्थान सरकार को प्रार्थना की थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम के हरिजनों से सरकारी अधिकारियों ने ५०/- रु० खर्चे के लिये जमा कराये थे ?

(३) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है और यह जमीन हरिजनों को कब तक मिलने की आशा है ?

उत्तर

(१) जी हां यह सही है।

(२) जी हां। यह भी सही है।

(३) पंचायत समिति को दूसरी भूमि तलाश करने को कहा गया है और उसका प्रस्ताव आते ही विचार किया जायगा।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बहादुरवास के उप-केन्द्रों पर स्टाफ की व्यवस्था

१५३. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामनारायन चौधरी)

(१) क्या बहादुरवास प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (जिला झूंझूनूं) के उप-केन्द्र मेहरादासी और दुराना में स्टाफ भेजा जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त उप-केन्द्रों पर मकान बनकर तैयार हो चुके है परन्तु एक वर्ष से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि इन उप-केन्द्रों का स्टाफ किन्हीं दूसरी जगहों पर डेपुटेशन पर कार्य कर रहा है तथा यह उप-केन्द्र खाली पड़े हैं ?

(४) इन उप-केन्द्रों के कर्मचारी कहां पर कार्यकर रहे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, झूंझूनूं इन उप-केन्द्रों पर स्टाफ भेजने के लिए बराबर ताकीद कर रही है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां मई सन् १९६७ में भवन बन कर तैयार हो चुके हैं और इन सब केन्द्रों पर स्वीकृत कर्मचारी दिनांक २१-६-६७ व २१-६-६७ से कार्य कर रहे हैं। अतः एक वर्ष से कर्मचारियों को नियुक्त नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) इन्हीं उप-केन्द्रों पर कार्य कर रहे हैं।

(५) इन उपकेन्द्रों पर भवन बनने की सूचना मई ६७ में मिलने पर जून माह से ही वहां स्टॉफ नियुक्त कर दिया गया हैं।

नागौर जिले में चरागाहों पर नाजायज कब्जे के मामले

९५४. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर जिले में चरागाहों पर कितने नाजायज कब्जों के मामले दर्ज किये हुए हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है और वे कितने समय से चले आ रहे हैं ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(३) क्या यह भी सही है कि जिन चरागाहों के केस चल रहे हैं उन पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा लगातार काश्त की जा रही है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) इन मामले में धारा ९१ भू-राजस्व अधिनियम १९५६ के अधीन कार्यवाही की जा रही है । तहसील डेगाना में सन् १९६३ से तथा अन्य तहसीलों में सन् १९६६ से मामले विचाराधीन हैं ।

(३) जी हां । मामले विचाराधीन होने की वजह से उन्हीं लोगों की ही काश्त है ।

सूची

क्र० सं०	नाम तहसील	तादाद केसेज
१	नागोर	९१
२	जायल	७४
३	मेड़ता	३
४	डेगाना	११६
५	डीडवाना	—
६	लाडनूं	१९
७	नावां	४
८	परबतसर	४७

मेडिकल कालेजों में परिगणित जाति के छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान

१५५. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेजों में २० प्रतिशत सीटें परिगणित जाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं ?

(श्री गंगासहाय)

(२) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से किसी भी मेडिकल कालेज में परिगणित जाति के छात्रों को आरक्षित संख्या में प्रवेश नहीं दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज जयपुर में १५० सीटों में से केवल ६ परिगणित जाति के छात्रों को ही प्रति वर्ष प्रवेश दिया जाता है ?

(४ पिछले वर्ष १९६६-६७ में राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रत्येक में कितने कितने परिगणित जाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) यह सही नहीं है ।

(३) जयपुर में प्रति वर्ष ६ सुरक्षित सीटों पर परिगणित छात्रों को उनके चयन होने पर कालेज में प्रवेश दिया जाता है ।

(४) पिछले वर्ष १९६६-६७ में राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेजों में परिगणित जाति के छात्रों को निम्न संख्या के अनुसार प्रवेश दिया गया है ।

बीकानेर ६

जयपुर ३

जोधपुर १

उदयपुर ९

अजमेर १

स्थगित प्रश्न

(१३-७-६७)

भूमि का अलाटमेंट

८०३. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री खेतसिंह)

क्या यह सही है कि राज्य सरकार स्वर्गीय मेजर पूर्णसिंह की सेवा को आज तक बीकानेर कलेक्टर ने रोकड़ का एवार्ड नहीं दिया है?

(२) क्या यह भी सही है कि वीर चक्र प्राप्त करने वालों को राज्य सरकार राजस्थान नहर पर जमीन एलॉट करती है मगर कर्नल मेगसिंह जिला जोधपुर को अभी तक कोई एलाटमेंट नहीं हुआ है?

(३) क्या परमवीर स्वर्गीय शैतानसिंह के पुत्र को निःशुल्क शिक्षा देने का राज्य सरकार का एलान था? यदि हां तो क्या यह सही है कि उक्त एलान के बावजूद भी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग ने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की है?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शुद्धि पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक २० जुलाई, १९६७)

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७	८	मशीनरी	मिशनरीज
८	१०	पश्चिमी	पश्चिम
१६	१	महला	हमला
१९	अन्तिम से ३	चोधरी	चौधरी
३०	अन्तिम से ६	दरस्वास्त	दरख्वास्त
३०	अन्तिम से ४	उसको	उसकी
४०	५	रिप्रेजेन्टटेटिव्ज	रिप्रेजेन्टेटिव्ज
४१	६	निदेदन	निवेदन
४६	११	एसे	ऐसे
५०	२०	स्क्रटिनो	स्क्रूटिनी
५३	अन्तिम से ३	देता	देना
५३	अन्तिम से २	मृह	गृह
६८	१९	रिद्धीचन्द पल्लीवाल	श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल
६९	१	उपन्मत्री	उपमन्त्री
६९	२०	श्री खेतसिह	श्री खेतसिंह
६९	२२	अध्यज्ञ	अध्यक्ष
७१	शीर्ष	(श्री जयनारायण सालोदिया)	(श्री मुख्य मन्त्री)

१	२	३	४
७५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री राजस्व मन्त्री)
७६	,,	(श्री विजयसिंह रावत)	(श्री राजस्व मन्त्री)
८१	१८	क लन्द्री	कालन्द्री
८३	अन्तिम से ६	मथु ादास	मथुरादास
९१	अन्तिम	सीरिय उससे लीले लें।	सीरियसला उसे ले लें
९८	अन्तिम से ८	कंभ्रडिक्शन	कंट्राडिक्शन
१०७	८	इक्विय मेंटको	इक्विपमेंट को
११०	१	reisding	residing
१११	अन्तिम से ३	rasiding	residing
११८	३	रिजर्व)	रिजर्व
१३०	७	परीक्षा से	परीक्षा को
१३०	१२	इलसे	इससे
१३१	६	डिजरिविंग	डिजर्विंग
१३१	१९	विनिनेस	बिज़िनेस
१३२	२	क य	कराया
१३२	११	विजयसिग्र	विजयसिंह
१३२	१४	वयक्तव्य	वक्तव्य
१३३	३	बिजिने सस	बिज़िनेस
१३४	४-५	स्ट्रि न्सफर	ट्रान्सफर
१३४	१४	को	का
१४४	१६	रिजल्टा	रिजल्ट
१४७	१६	निर्माणावस्था	निर्माणावस्था

(१)

१	२	३	४
१४७	२१	समान	सामान
१४८	६	मोटर बस का प्रबन्ध गत वर्ष इस	मोटर बस का प्रबन्ध गत वर्ष इस
१४६	१६	इस	यह
१४१	२१		-
१५१	अन्तिम से १०	प्रिंसिपल और	प्रिंसिपल
१५२	अन्तिम से ८	यूनमिसली	यूननिमिसली
१५३	अन्तिम से ४	इसका	इनका
१५८	२०	के वा	वार्ड
१६२	अन्तिम	पदासनी	पदासीन
१६३	१८	का	को
१७०	अन्तिम	डा. एस. ती.	डी. एस. पी.
१७६	२	को	का
१७६	८	मैंने का	में ने
१७८	अन्तिम से २	मरसरी	मरसडोज
१७६	७	उससे	उसे
१८६	६-१५	आरजियात	अराजियात
१८७	अन्तिम	अिधकारियों	अधिकारियों
१६१	८	पटवारी का	पटवारो
१६८	११	सदस्य	सदस्यों के
२०२	अन्तिम से ६	प्राप्त हुआ	आया है
२०७	६	अगर आप	अगर

१	२	३	४
२११	१०	के	का
२१२	३	व्यव	व्यवस्था
२१४	१२	अध्यक्ष	अध्यक्ष
२२३	अन्तिम से ८	२१	४
२२६	१३	का	की
२६४	२	कॉन्ट्रेक्ट	कॉन्ट्रेक्टसे
२८८	८	टूक्स	टूल्स
२९८	अन्तिम से ३	नाम	काम
३११	१३	से रहा हूं	से कह रहा हूं
३१५	अन्तिम से ४	समभ	समझा
३२५	१५	alraedy	already
३२५	२३	accapted	accepted
३२६	१७	differances	differences
३२६	,,	detormined	determined
३२७	४	EMPLIMENT	IMPLEMENT
३२७	८	Orinteal	Oriental
३३६	६	तहसीं	तहसील
३३७	८	सलिति	समिति